दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

सितम्बर भाग-2

2020

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **7**

- स्थगन प्रस्ताव: अर्थ और नियम 7
- अपर्याप्त फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं से उत्पन्न समस्याएँ 8
- COVID-19 के नियंत्रण में श्रृंखला अंतराल की भूमिका 9
- ऑस्टियोआर्थराइटिस और डायबिटिक फुट अल्सर 11
- भारत में स्पूतनिक वी की आपूर्ति पर समझौता 12
- गरीब छात्रों के लिये मुफ्त गैजेट और इंटरनेट 14
- राज्यसभा में ध्वनि मत और अविश्वास प्रस्ताव 15
- प्रवर एवं अन्य संसदीय समितियों की भूमिकाएँ एवं सीमाएँ 16
- औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2020 18
- नेट न्यूट्रलिटी और संबंधित नियम 20
- समाचार चैनलों के लिये आचार संहिता 21
- विदेशी अंशदान विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 23
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 25
- महाराष्ट्र में खुली सिगरेट पर प्रतिबंध 26
- अनुच्छेद 254 (2) और संबंधित राज्य शक्तियाँ 28
- भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑपरेशंस का निलंबन 30

आर्थिक घटनाक्रम **32**

- स्टार्टअप पर संसदीय समिति की रिपोर्ट 32
- ऋण पुनर्गठन योजना में संतुलन की आवश्यकता: RBI गवर्नर 33
- लोकसभा में कृषि विधेयक पारित 35
- ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक प्रक्रिया का पुनर्जीवन 37
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 39

नोट :

- अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार विकास पर IFSCA समिति की अंतरिम रिपोर्ट 40
- रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी 42
- आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक,2020 44
- इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स 45
- पूर्वव्यापी कराधान व्यवस्था और वोडाफोन कर विवाद 46
- भारतीय पर्यटन उद्योग: चुनौती और संभावनाएँ 48
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2020 का अनावरण 50
- भारत में लोकप्रिय हो रहा ईएसजी फंड्स 52

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **54**

- इज़राइल-यूएई-बहरीन और अब्राहम एकॉर्ड 54
- माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई की पुन: गणना 56
- योशीहिदे सुगा: जापान के नए प्रधानमंत्री 57
- भारत-अमेरिका की आगामी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 59
- गिलगित-बाल्टिस्तान: पूर्ण प्रांत का विवाद 61
- ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक 63
- विश्व बैंक ऋण के लिये सार्वभौमिक पात्रता 64
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और सुरक्षा की आवश्यकता 65
- सार्क एवं CICA बैठक 67
- आर्मीनिया-अज़रबैजान विवाद 68
- यूरोपीय संघ से आव्रजन रोकने हेतु स्विट्ज़रलैंड में जनमत संग्रह 70
- भारत -डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी 72
- सिंधु जल संधि के 60 वर्ष 74

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **77**

- कैट क्यू वायरस 77
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति में विद्यार्थियों/युवाओं को प्रोत्साहन 78
- बड़े ब्लैक होल की जाँच करने का एक नया तरीका 79
- बड़े ब्लैक होल की जाँच करने का एक नया तरीका 81
- 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' संबंधी नियम 82
- भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रोत्साहन के लिये उठाए गए कदम 83

नोट :

- भारतीय अनुसंधानकर्त्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिये योजनाएँ 85
- DRDO द्वारा अभ्यास का सफल परीक्षण 87
- नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम 88

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 90

- लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट-2020 90
- बंगाल की खाड़ी में फाइटोप्लैंकटन बायोमास की प्रवृत्तियाँ 91
- वर्ष 2050 तक वन्यजीवों की पुनर्बहाली 93
- जैव-विविधता के संरक्षण के लिये राजस्थान में आर्द्रभूमियों की पहचान 95
- नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में स्लॉथ बीयर की मृत्यु 97
- पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण 98
- जलवायु परिवर्तन के लिये कितना तैयार है भारत 99
- पेरिस समझौते के लिये चीन का नए सिरे से समर्थन 102
- पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिये जैव-अपघटक तकनीक 102
- लूसेर पारितंत्र के विनाश में शीर्ष कंपनियों की मिलीभगत 104
- 'फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर' द्वारा विरोध प्रदर्शन 106
- जलवायु परिवर्तन और वनाग्नि के मध्य संबंध 108
- नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड में छह मेगा परियोजनाएँ 110
- आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की संख्या में वृद्धि 111

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 113

- मेडिकेंस की आवृत्ति में वृद्धि 113
- सौर्यिक गतिविधि में कमी का भूमंडलीय तापन पर प्रभाव नहीं 114
- सिंगल मदर्स के बच्चों के लिये जाति प्रमाणपत्र 117

सामाजिक न्याय 117

- आदिम जनजातियों में संक्रमण का खतरा 118
- सरकारी विद्यालय में शौचालयों पर CAG सर्वेक्षण 119
- महिलाओं और अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि-NCRB रिपोर्ट 120

आंतरिक सुरक्षा 122

नोट :

- जिबूती आचार संहिता और समुद्री डकैती 122

चर्चा में **124**

- हरिकेन सैली 124
- एंटी सैटेलाइट मिसाइल (ए- सैट) 124
- कलिंगा क्रिकेट फ्रॉग 124
- एआईसीटीई विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर्स अवार्ड-2020 125
- कोसी रेल महासेतु 126
- इम्पैक्ट 2020 127
- 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये प्राध्यापकों के विकास' पर एक वेबिनार 127
- जी 20 देशों की पर्यावरण मंत्रिस्तरीय बैठक (ईएमएम) 128
- संयुक्त राज्य अमेरिका का 'राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह' 129
- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 129
- एकीकृत वस्त्र पार्क योजना 130
- सौर चक्र 25 131
- विश्व बांस दिवस 132
- ब्लू फ्लैग 133
- समर्थ योजना 134
- बायोटेक-कृषि नवाचार विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क 134
- वैभव शिखर सम्मेलन 135
- काकतीय वंश 136
- न्यूट्रास्युटिकल बैम्बू शूट 136
- चेंदमंगलम साड़ी 137
- ओ-स्मार्ट योजना 138
- डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020 139
- बोत्सवाना हाथियों की मौत 139
- कोमोडो ड्रैगन 140
- ज्योति जोत 140
- युवाह: युवा कौशल पहल 141
- शुचि योजना 142
- चिकित्सा उपकरण पार्क 142

नोट :

- ब्रुसेला एबोर्टस S19 प्रति वैक्सीन 143
- प्लास्टिक पार्क 144
- व्हेल 144
- न्यू गिनी: दुनिया का सबसे ऊँचा प्लांट डायवर्सिटी हॉटस्पॉट 145
- आरएआईएसई-2020 146
- ज्ञानपीठ पुरस्कार-2019 146
- लोक अदालत 147
- नैनोजेट 148
- जिमेक्स 20 148
- फेम इंडिया स्कीम 149
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 149
- M87 आकाशगंगा 150
- भगत सिंह 150
- सैंडलवुड स्पाइक डिसीज़ 152
- कक्षाओं के लिये रेडियो 153
- डेटा सोनिफिकेशन 153
- उमंग एप पर नई सेवाएँ 154
- हड़प्पा सभ्यता की खोज की शताब्दी को चिह्नित करने के लिये व्याख्यान श्रृंखला 155
- सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य 156
- स्क्रब टाइफस 157
- कांगो फीवर 157
- संयुक्त अरब अमीरात का चंद्र मिशन 158
- पीएमएनसीएच अकाउंटबिलिटी ब्रेकफास्ट-2020 159
- धूमकेतु 67पी 159
- अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 161

विविध **161**

The Vision

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

स्थगन प्रस्ताव: अर्थ और नियम

चर्चा में क्यों ?

कॉन्ग्रेस के दो सांसदों ने चीन द्वारा भारत के 10000 से अधिक व्यक्तियों और संगठनों पर निगरानी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिये स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion) नोटिस दिया है।

प्रमुख बिंदु

- कॉन्ग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार द्वारा की गई स्वतंत्र जाँच का हवाला देते हुए कहा कि चीन की एक टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा भारत के 10,000 से अधिक लोगों और संगठनों की सक्रिय रूप से निगरानी की जा रही है।
- इसके अलावा कॉन्ग्रेस ने चीन की मंशा का सामना करने के लिये केंद्र सरकार से साइबर सुरक्षा पर भारत के प्रयासों को और अधिक मज़बूत करने का भी आग्रह किया।

स्थगन प्रस्ताव का अर्थ?

- स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य हाल के किसी ऐसे अविलंबनीय लोक महत्त्व के मामले की ओर, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, सदन का ध्यान आकर्षित करना है।
- हालाँकि यहाँ यह महत्त्वपूर्ण है कि सदन के किसी सदस्य द्वारा जो भी मामला उठाया जा रहा है वह इतना गंभीर होना चाहिये कि उसका समूचे देश पर और देश की सुरक्षा पर कुप्रभाव पड़ता हो तथा सभा के लिये अपने सामान्य कार्य को रोक कर उस विषय पर तत्काल विचार करना आवश्यक हो।
- इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्थगन प्रस्ताव का अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है, जिसके स्वीकृत होने पर लोक महत्त्व के किसी निश्चित मामले चर्चा करने के लिये सभा का सामान्य कार्य रोक दिया जाता है।

स्थगन प्रस्ताव से संबंधित नियम

- आवश्यक है कि संसद में स्थगन प्रस्ताव का विषय प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के कार्यकरण से संबंधित होना चाहिये, तथा उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख होना चाहिये कि भारत सरकार संविधान और कानून के किस उपबंध के अनुरूप अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में सफल नहीं रही है।
  - हालाँकि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों को स्थगन प्रस्ताव के तहत स्वीकृत नहीं किया जाता है, किंतु किसी राज्य के संवैधानिक घटनाक्रमों और राज्यों के संवेदनशील वर्गों जैसे (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदि से संबंधित मामलों पर संसद द्वारा इस प्रस्ताव के तहत विचार किया जा सकता है।
- सदन में स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा करने के लिये किसी विषय को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने की पूरी शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) को प्राप्त होती है और किसी मामले को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का कारण बताना पीठासीन अधिकारी के लिये आवश्यक नहीं है।
- नियमों के अनुसार, सदन का कोई सदस्य किसी एक बैठक के लिये एक से अधिक स्थगन प्रस्ताव नोटिस नहीं दे सकता है।
- सत्रावधि के दौरान स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन 10.00 बजे से पूर्व दी जानी आवश्यक है, जिस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का विचार है। इस अवधि के बाद प्राप्त सूचना को अगली बैठक के लिये दी गई सूचना के रूप में माना जाएगा।
- संसद की परंपरा के अनुसार, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन स्थगन प्रस्ताव को नहीं लिया जाता है और उस दिन प्राप्त सूचनाओं को अगली बैठक के लिये प्राप्त सूचना माना जाता है।

नोट :

स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति के लिये आवश्यक सिद्धांत

- इस प्रस्ताव के तहत जिस मामले पर चर्चा की जानी है वह निश्चित होना चाहिये। किसी स्थगन प्रस्ताव को तब तक स्वीकृत नहीं किया जाता जब तक उसके तथ्य निश्चित नहीं होते हैं।
- स्थगन प्रस्ताव के तहत किसी ऐसे मामले पर चर्चा नही की जा सकती है जो सदन में पहले से चला आ रहा हो अर्थात् वह मामला अविलंबित होना अनिवार्य है।
- वह मामला लोक महत्त्व का होना चाहिये। वह मामला इतना महत्त्वपूर्ण होना चाहिये कि उसके लिये सदन की आम कार्यवाही रोकी जा सके।
- इसका संबंध हाल ही में घटी किसी विशेष घटना से होना चाहिये।
- विषय का संबंध विशेषाधिकार के मामले से नहीं होना चाहिये और इसके तहत न्यायालय में विचाराधीन किसी मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती है।
- मामला ऐसा होना चाहिये जिसके लिये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार ज़िम्मेदार हो।

संसद की कार्यवाही को रोकने की शक्ति

- स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य हाल के किसी सार्वजनिक महत्त्व के मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करना होता है, और नियमों के मुताबिक जब प्रस्ताव पर चर्चा हो रही होती है, तो अध्यक्ष के पास सदन को स्थगित करने की शक्ति नहीं होती है।
- एक बार स्थगन प्रस्ताव पर बहस शुरू होने के बाद सदन के लिये बिना किसी रूकावट के उस प्रस्ताव के निष्कर्ष तक पहुँचना आवश्यक होता है।
- इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्थगन प्रस्ताव में संसद की कार्यवाही को स्थगित करने की शक्ति होती है।

अपर्याप्त फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं से उत्पन्न समस्याएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission- NHRC) के कुछ सदस्यों ने देश में फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की अपर्याप्त संख्या पर अपनी चिंता व्यक्त की है।

प्रमुख बिंदु:

- NHRC के सदस्यों के अनुसार, देश में फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की एक बड़ी चिंता का विषय है, यह समस्या साक्ष्यों की जाँच में देरी, न्यायालयों में लंबित मामलों और जेलों में विचाराधीन कैदियों की भारी संख्या का एक बड़ा कारण भी है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, यदि फॉरेंसिक साक्ष्यों को सही से एकत्र किया जाए और उन्हें समय पर संरक्षित किया जाए तो आपराधिक मामलों (विशेषकर यौन उत्पीडन से संबंधित) को शीघ्र हल किया जा सकता है।

हथियारों से जुड़ी समस्याएँ:

- भारत में उपयोग किये जाने वाले हथियारों (बंदूक के संदर्भ में) में से 70% देशी या कंट्री मेड (Country-Made) हैं और इनके निर्माण में उन विशिष्टताओं का अनुपालन नहीं किया जाता जिससे किसी अपराध की स्थिति में इन हथियारों की पहचान की जा सके।

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की चुनौतियाँ:

- अप्रैल 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में लगभग 30,000 से अधिक मामले लंबित थे।
- फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की कमी भी एक बड़ी समस्या है, सितंबर 2019 तक महाराष्ट्र में विभिन्न फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं के लिये निर्धारित कुल 1,500 पदों में से 733 की नियुक्ति की गई थी।
- अगस्त 2019 में आगरा (उत्तर प्रदेश) ज़िले में ही विभिन्न न्यायालयों में लगभग 6,000 मामले फॉरेंसिक रिपोर्ट न मिलने के कारण लंबित थे, इनमें से लगभग 2,600 मामले दो वर्ष से अधिक पुराने थे।

नोट :

सरकार के प्रयास:

- केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश में फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण हेतु राज्य सरकारों के लिये निर्भया फंड (Nirbhaya Fund) से 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
- गौरतलब है कि दिसंबर, 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 'विधि विज्ञान सेवा निदेशालय' (Directorate of Forensic Science Services) के तहत देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थित केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (Central Forensic Science Laboratories- CFSL) के नवीनीकरण का निर्णय लिया गया था।
  - ये 6 CFSL चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, पुणे और गुवाहाटी में स्थित हैं।
- साझा अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय, नई दिल्ली और गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के व्यवहार विज्ञान संस्थान [Institute of Behavioural Sciences, Gujarat Forensic Science University (GFSU)] के बीच एक समझौता-ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- इन प्रयासों के माध्यम से केंद्र सरकार का उद्देश्य गंभीर और जघन्य अपराधों में अधिक कुशल और वैज्ञानिक जांच की सुविधा को उपलब्ध कराना है।

आगे की राह:

- फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ किसी भी अपराध के मामले में पीड़ित पक्ष को शीघ्र न्याय प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, परंतु वर्तमान में देश में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की कमी न्याय प्रणाली की धीमी गति का एक प्रमुख कारण है।
- सरकार द्वारा देश में आधुनिक फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना के साथ विशेषज्ञों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना चाहिये।
- साथ ही पुलिस कर्मियों को साक्ष्य एकत्र करने और फॉरेंसिक विज्ञान से जुड़े नए अध्ययनों के संदर्भ में जागरूक करने हेतु समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission- NHRC):

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 'मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection of Human Rights Act-PHRA), 1993' के प्रावधानों के तहत 12 अक्तूबर, 1993 को की गई थी।
- इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है।
- यह आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन और लोकसेवकों द्वारा इनके उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही की शिकायतों की जाँच के साथ मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन करता है तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार को सुझाव देता है।

विधि विज्ञान सेवा निदेशालय (Directorate of Forensic Science Services- DFSS):

- विधि विज्ञान सेवा निदेशालय (DFSS) की स्थापना वर्ष 2002 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी।
- DFSS की स्थापना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और पुलिस सुधारों के लिये बनी पद्मनाभ समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
- वर्तमान में DFSS के तहत देश के विभिन्न शहरों में 6 केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ (चंडीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, गुवाहाटी और भोपाल में) संचालित होती हैं।
- इसका उद्देश्य न्याय प्रणाली के लिये उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता पूर्ण फोरेंसिक सेवाएँ उपलब्ध कराना है।

COVID-19 के नियंत्रण में श्रृंखला अंतराल की भूमिका

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'साइंस' पत्रिका में प्रकाशित एक शोध में चीन द्वारा COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिये चीन की श्रृंखला अंतराल या सीरियल इंटरवल (Serial Interval) के प्रबंधन की क्षमता को उत्तरदायी बताया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में चीन में COVID-19 संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 90,219 है, जबकि इस महामारी के कारण चीन में हुई कुल मृत्यु का आँकड़ा 4,735 है।
- एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन में पिछले 30 दिनों में COVID-19 के स्थानीय संक्रमण से जुड़ा एक भी मामला नहीं दर्ज किया गया है और चीन में मास्क की अनिवार्यता और अन्य प्रतिबंधों में काफी छूट दे दी गई है।

क्या है श्रृंखला अंतराल या सीरियल इंटरवल ?

- एक श्रृंखला अंतराल से आशय COVID-19 के प्राथमिक मामले (संक्रमित व्यक्ति) में लक्षण की शुरुआत और प्राथमिक मामले के संपर्क में आए किसी दूसरे व्यक्ति में लक्षणों की शुरुआत के बीच की अवधि से है।
- सरल शब्दों में कहें तो श्रृंखला अंतराल किन्हीं दो व्यक्तियों A और B में COVID-19 लक्षणों के शुरुआत के बीच की अवधि है, जहाँ व्यक्ति B को यह संक्रमण व्यक्ति A के संपर्क में आने के कारण हुआ हो।
- इस शब्द का प्रयोग पहली बार ब्रिटिश चिकित्सक 'विलियम पिकल्स' (William Pickles) द्वारा किया गया था, जिन्होंने वर्ष 1942-45 के दौरान यूनाइटेड किंगडम में हेपेटाइटिस महामारी के मामले में इसे संचरण अंतराल या ट्रांसमिशन इंटरवल के रूप में संदर्भित किया था।
- आगे चलकर ब्रिटिश चिकित्सक 'आर.ई. होप सिंपसन' (RE Hope Simpson) ने इसके लिये श्रृंखला अंतराल शब्द का प्रयोग किया और इसे लगातार दो संक्रमणों की शुरुआत के बीच होने वाले अंतराल के रूप में परिभाषित किया।

श्रृंखला अंतराल का महत्त्व:

- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, श्रृंखला अंतराल महामारी विज्ञान के अन्य मापदंडों जैसे-ऊष्मायन अवधि (किसी व्यक्ति के वायरस और लक्षण की शुरुआत के बीच का समय) और प्रजनन दर/R-नॉट या R0 (संक्रमित व्यक्ति से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या) आदि पर भी निर्भर करता है।
- श्रृंखला अंतराल, आबादी में बढ़ते प्रतिरक्षा स्तर और भविष्य में संक्रमण प्रसार की तीव्रता का अनुमान लगाने के साथ संक्रमण नियंत्रण के प्रयासों की प्रभावशीलता का आकलन करने में भी सहायता करता है।
- अत: जितनी जल्दी COVID-19 संक्रमित व्यक्ति की पहचान कर उसे अलग या आइसोलेट किया जाता है, श्रृंखला अंतराल उतना ही छोटा हो जाता है और इस प्रकार संक्रमण के प्रसार की संभावनाओं को कम किया जा सकता है।
- श्रृंखला अंतराल के प्रबंधन के लिये कांटैक्ट ट्रेसिंग (Contact Tracing), क्वारंटीन (Quarantine) आदि प्रयासों को अपनाया जाना चाहिये।

COVID-19 नियंत्रण में श्रृंखला अंतराल की भूमिका:

- इस अध्ययन के दौरान शोधकर्त्ताओं ने पाया कि जनवरी और फरवरी के बीच वुहान (चीन) में COVID-19 का श्रृंखला अंतराल 7.8 दिन से घटकर 2.6 दिन हो गया था।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, किसी व्यक्ति में लक्षणों का पता चलने के एक दिन के अंदर उसके संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन करने से COVID-19 के प्रसार को 60% तक कम करने में सहायता प्राप्त हुई।
- चीन में कांटैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटीन पर विशेष ज़ोर दिया गया जिससे COVID-19 के प्रसार की संभावनाओं को कम किया गया, इसके साथ ही शहरों के अंदर और दो शहरों के बीच यातायात को पूरी तरह स्थगित करने तथा अन्य शहरों में सोशल डिस्टैंसिंग (Social Distancing) के अन्य प्रयासों से श्रृंखला अंतराल को कम किया जा सका।
- इसी प्रकार सियोल (दक्षिण कोरिया) में किये गए अध्ययन के आधार पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार, दक्षिण कोरिया में COVID-19 संक्रमण का श्रृंखला अंतराल लगभग 3.63 दिन था।
- दक्षिण कोरिया में भी संक्रमण के श्रृंखला अंतराल के कम करने के लिये देश में संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की पहचान करने के प्रयासों को महत्त्वपूर्ण बताया गया।

नोट :

भारत सरकार के प्रयास:

- COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिये भारत सरकार द्वारा 24 मार्च, 2020 को पहली बार 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई।
- COVID-19 से संभावित संक्रमित व्यक्तियों की पहचान हेतु केंद्र सरकार द्वारा आरोग्य सेतु (Aarogya Setu) एप लॉन्च किया गया।
- COVID-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों से निपटने हेतु सरकार द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्र के लिये 'आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत पैकेज की घोषणा की गई आदि।

निष्कर्ष:

वर्तमान में COVID-19 के नियंत्रण हेतु किसी प्रमाणिक वैक्सीन की अनुलब्धता में संक्रमित लोगों की पहचान कर कांटैक्ट ट्रेसिंग (Contact Tracing) और क्वारंटीन (Quarantine) जैसे प्रयासों के माध्यम से ही इस महामारी के प्रसार को कम किया जा सकता है। हालाँकि देश की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट को देखते हुए आवश्यक दैनिक गतिविधियों (जैसे-यातायात, व्यवसाय आदि) को बंद करना बहुत कठिन होगा। गौरतलब है कि वर्तमान में भारत में प्रतिदिन COVID-19 संक्रमण का आँकड़ा 80 हज़ार से अधिक तक पहुँच गया है, ऐसे में चिकित्सीय प्रणाली को मज़बूत करने के साथ लोगों को COVID-19 के लक्षणों और क्वारंटीन तथा सोशल डिस्टैंसिंग आदि के लाभ के बारे में जागरूक किया जाना चाहिये। साथ ही लोगों को भी इस महामारी के नियंत्रण में अपना सहयोग देना चाहिये।

ऑस्टियोआर्थराइटिस और डायबिटिक फुट अल्सर

चर्चा में क्यों ?

ऑस्टियोआर्थराइटिस (Osteoarthritis) और डायबिटिक फुट अल्सर (Diabetic Foot Ulcer) जैसी नैदानिक (Clinical) स्थितियों की आवश्यकता पूर्ति करने वाले उपकरणों के सह-विकास के लिये केरल स्थित एक वैज्ञानिक संस्था और मोहाली स्थित एक निजी निर्माता कंपनी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे ऑर्थोटिक उपकरणों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

प्रमुख बिंदु

ऑस्टियोआर्थराइटिस (Osteoarthritis)

- ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों में दर्द और जकड़न पैदा करने वाला रोग है, जो जोड़ों की हड्डियों के मध्य स्थित आर्टिकुलर कार्टिलेज़ को नुकसान पहुँचाता है।
- आर्टिकुलर कार्टिलेज हड्डियों के मध्य मुलायम कुशन की तरह काम करता है। धीरे-धीरे कार्टिलेज नष्ट होने पर जोड़ों के मूवमेंट के समय हड्डियाँ परस्पर टकराने लगती हैं।
- वैसे तो यह किसी भी जॉइंट को नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन घुटने के जॉइंट से संबंधित रोगी सबसे अधिक पाए जाते हैं।

डायबिटिक फुट अल्सर

- मधुमेह रोग से ग्रसित व्यक्ति में पैर का अल्सर हो जाता है जिसके कारण त्वचा के ऊतक नष्ट हो जाते हैं और उसके नीचे की परतें दिखाई देने लगती हैं। यह पैरों की हड्डियों को प्रभावित करता है।
- मोटापे और विटामिन-डी की कमी, दोनों समस्याओं के एक साथ होने पर डायबिटिक फुट अल्सर होने का खतरा और भी बढ़ जाता है।
- भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज़ एंड टेक्नोलॉजी (Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology-SCTIMST), त्रिवेंद्रम, केरल ने ऑर्थोटिक्स एवं पुनर्वास संबंधी अनुसंधान एवं विकास (R&D) इकाई स्थापित करने के लिये टाइनोर ऑर्थोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड (Tynor Arthritis Private Limited- Tynor), मोहाली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
- टाइनोर उच्च गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ते ऑर्थोपेडिक उपकरणों का निर्माण एवं निर्यात करता है। अब यह SCTIMST के साथ मिलकर ऑर्थोटिक्स एवं पुनर्वास के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों को बढ़ावा देगा। टाइनोर ने डायबिटिक फुट अल्सर एवं ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज़ों में दो ऑफ-लोडिंग उपकरणों के अनुसंधान एवं विकास के लिये SCTIMST का वित्त पोषण किया है। एक वर्ष के लिये तैयार की गई इस परियोजना के अंतर्गत टाइनोर 27 लाख रूपए का योगदान करेगा।

नोट :

परियोजना के उद्देश्य एवं महत्ता

- इस संस्थान-उद्योग सहयोग का मुख्य उद्देश्य ऑस्टियोआर्थराइटिस और डायबिटिक फुट अल्सर जैसी नैदानिक स्थितियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये ऑर्थोज़ का एक क्लस्टर विकसित करना है।
- एशिया–प्रशांत क्षेत्र में वृद्धों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जनसंख्या का यह भाग मधुमेह के प्रति अधिक सुभेद्य हैं। इस कारण डायबिटिक फुट अल्सर के वैश्विक चिकित्सीय बाज़ार में अत्यधिक वृद्धि होने का अनुमान है। वर्ष 2019-2025 अवधि के दौरान 6.6% की यौगिक वार्षिक वृद्धि दर (Compound Annual Growth Rate-CAGR) के साथ डायबिटिक फुट अल्सर और प्रेशर अल्सर के वैश्विक बाज़ार के वर्ष 2025 तक 5,265 मिलियन डॉलर तक पहुँच जाने का अनुमान है, जो काफी चिंताजानक है।
- ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने की आर्थोपेडिक सर्जरी और एथलेटिक्स में खेल संबंधी चोटों की बढ़ती संख्या के कारण 'नी ब्रेसिज़' (Knee Braces) के वैश्विक बाज़ार में काफी वृद्धि हुई है। नी ब्रेसिज़ के वैश्विक बाजार का आकार वर्ष 2018 में 1.5 बिलियन डॉलर अनुमानित था। वर्तमान में इसकी CAGR 4.3% होने की उम्मीद है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बढ़ते बोझ, लक्षित जनसंख्या में वृद्धि, लागत प्रभावी तकनीक और आसानी से पहने जा सकने वाले ब्रेसिज़ की उपलब्धता संबंधित बाज़ार के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं।
- SCTIMST ने पिछले 30 या उससे अधिक वर्षों में जैव-चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर अनुसंधान एवं विकास का कार्य कर इस क्षेत्र में खुद को अग्रणी के तौर पर स्थापित किया है।
- टाइनोर ने ऑर्थोपेडिक उपकरणों और फुटकेयर उत्पादों के क्षेत्र में भारत का पहला अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। इस केंद्र को टोरनाडो (Tynor Ortho Research and Appliance Development Organisation-TORNADO) नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य एक टोरनाडो जैसी तीव्र गति से प्रौद्योगिकी एवं नवाचार आधारित हलचल पैदा करना है।

निष्कर्ष: इस संस्थान-उद्योग सहयोग से स्वदेशी उपकरणों के विकास करने और एक ऑर्थोटिक्स एवं पुनर्वास संबंधी अनुसंधान एवं विकास इकाई स्थापित करने से भारत सरकार के उच्च प्राथमिकता वाले 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

भारत में स्पूतनिक वी की आपूर्ति पर समझौता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रूस के संप्रभु धन कोष 'रूस प्रत्यक्ष निवेश कोष' (Russia Direct Investment Fund- RDIF) द्वारा भारत को स्पूतनिक-वी (Sputnik V) वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक की आपूर्ति के लिये हैदराबाद स्थित 'डॉ. रेड्डीज़ लेबोरेट्रीज़' (Dr. Reddy's Laboratories) के साथ एक समझौता किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- स्पूतनिक-वी वैक्सीन का विकास रूस के 'गामलेया राष्ट्रीय महामारी विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान अनुसंधान संस्थान' (Gamaleya National Research Institute of Epidemiology and Microbiology) द्वारा किया गया है।
- 11 अगस्त, 2020 को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस वैक्सीन के पंजीकरण के बाद यह COVID-19 के नियंत्रण हेतु मनुष्यों को दिये जाने के लिये किसी सरकार द्वारा प्रमाणित पहली वैक्सीन बन गई।
- यह वैक्सीन एडिनोवायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित है।
- गौरतलब है कि इस वैक्सीन का नाम सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किये गए प्रथम कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह (Artificial Earth Satellite) स्पुतनिक-I (Sputnik-I) के नाम पर रखा गया है।

RDIF और डॉ. रेड्डीज़ लेबोरेट्रीज़ का समझौता:

- डॉ. रेड्डीज़ लेबोरेट्रीज़ द्वारा भारत में इस वैक्सीन के प्रयोग हेतु नियामकीय अनुमति प्राप्त करने के लिये चरण-3 के परीक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
- इस समझौते के तहत डॉ. रेड्डीज लेबोरेट्रीज़ को इस दवा की पहली 10 करोड़ खुराक खरीदने का अधिकार होगा, हालाँकि अभी तक इस वैक्सीन के मूल्य के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

नोट :

- ध्यातव्य है कि इस समझौते के अंतर्गत वैक्सीन को भारत में निर्मित करने की बात नहीं शामिल की गई है।
- RDIF के अनुसार, वर्ष 2020 की समाप्ति तक भारत में इस वैक्सीन की आपूर्ति प्रारंभ हो सकती है, हालाँकि यह वैक्सीन के सफल परीक्षण और भारत में इसकी नियमाकीय अनुमति पर भी निर्भर करेगा।

COVID-19 वैक्सीन निर्माण के अन्य प्रयास:

- RDIF द्वारा भारत में इस वैक्सीन के निर्माण हेतु कई भारतीय कंपनियों से भी बातचीत की जा रही है
- हाल ही में ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका और पुणे स्थित 'सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' (Serum Institute of India- SII) द्वारा भी COVID-19 वैक्सीन निर्माण के लिये एक समझौता किया गया है।
- इस समझौते के तहत SII द्वारा COVID-19 वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक का निर्माण किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त भारत की कुछ अन्य कंपनियों (जैसे-भारत बायोटेक, बायोलॉजिकल ई, अरबिंदो फार्मा और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल) द्वारा भी COVID-19 वैक्सीन निर्माण हेतु अलग-अलग संस्थानों के साथ समझौते किये गए हैं।

भारत में आवश्यक नियामकीय अनुमति:

- भारत में किसी भी वैक्सीन के प्रयोग की अनुमति केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organisation- CDSCO) द्वारा दी जाती है।
- आमतौर पर भारत से बाहर विकसित किसी भी वैक्सीन के लिये भारतीय लोगों पर चरण-2 और चरण-3 का परीक्षण करना अनिवार्य होता है। अंतिम चरण या लेट फेज़ ट्रायल (Late-Phase Trial) के परीक्षण इसलिए आवश्यक होते हैं क्योंकि वैक्सीन का प्रभाव विभिन्न जनसंख्या समूहों पर भिन्न हो सकता है।
- हालाँकि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए CDSCO को बगैर लेट फेज़ ट्रायल के भी वैक्सीन के प्रयोग हेतु आपातकालीन अनुमति देने का अधिकार है।

स्पूतनिक वी से जुड़ी चिंताएँ:

- इस वैक्सीन के बारे में प्रकाशित डेटा की कमी और इसके तीव्र विकास को लेकर विशेषज्ञों ने इस वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावकारिता पर चिंता व्यक्त की है।
- कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, रूस द्वारा वैक्सीन की सुरक्षा से ज्यादा इसे शीघ्र ही जारी करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- गौरतलब है कि रूस द्वारा अभी तक इस वैक्सीन के नैदानिक परीक्षणों के चरण I और चरण II के परिणामों को सार्वजनिक किया गया है, जिसमें इस वैक्सीन में बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के 100% स्थिर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के प्रदर्शन की बात कही गई है।
  - इस वैक्सीन के पंजीकरण के बाद का नैदानिक परीक्षण अभी 40,000 स्वयंसेवकों पर चल रहा है।

भारत के लिये अवसर:

- एक बड़े घरेलू बाज़ार के साथ वैश्विक स्तर पर वैक्सीन निर्माण में भारत का महत्त्वपूर्ण स्थान है
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत से कुल 878.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वैक्सीन का निर्यात किया गया जो देश के कुल फार्मा निर्यात (55.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का 4.27% था।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) की लगभग 70% वैक्सीन और खसरे (Measles) के 90% टीकों का निर्माण भारत में होता है।
- अत: यदि इस वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण का अंतिम चरण सफल रहता है तो इस वैक्सीन के निर्माण के माध्यम से भारत COVID-19 से निपटने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकेगा।

नोट :

गरीब छात्रों के लिये मुफ्त गैजेट और इंटरनेट

चर्चा में क्यों ?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में निजी और सरकारी विद्यालयों को निर्देश दिया कि वे ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिये गरीब छात्रों को मुफ्त में गैजेट और इंटरनेट पैकेज प्रदान करें।

प्रमुख बिंदु

- उच्च न्यायालय का निर्णय
  - दिल्ली उच्च न्यायलय की खंडपीठ ने कहा कि यदि कोई विद्यालय शिक्षा के माध्यम के रूप में ऑनलाइन मोड का चयन करता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) और अन्य वंचित समूह से संबंधित बच्चे भी इस नई व्यवस्था में शामिल हो सकें और इसका यथासंभव लाभ प्राप्त कर सकें।
  - निर्णय के अनुसार, निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम की धारा 12(2) के तहत सरकार से गैजेट और इंटरनेट पैकेज की खरीद के लिये उचित लागत की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) का दावा कर सकते हैं।
  - न्यायालय ने गरीब और वंचित छात्रों की पहचान करने और इंटरनेट तथा गैजेट्स की आपूर्ति की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिये एक तीन-सदस्यीय समिति के गठन का भी आदेश दिया है।
- महत्त्व
  - इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण उत्पन्न हुए डिजिटल डिवाइड को कम करना है।
  - यह निर्णय इस दृष्टि से भी काफी महत्त्वपूर्ण है कि मौजूदा महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण छोटी उम्र के बच्चों में संसाधनों की कमी की वजह से शिक्षा छोड़ने और विद्यालय न जाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है।
  - इसलिये इस समस्या को जल्द-से-जल्द संबोधित करने की आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर और संवेदनशील वर्ग के बच्चों के सिखने की क्षमता काफी प्रभावित होगी।
- संबंधित कानूनी प्रावधान
  - संसाधनों की कमी के कारण एक कक्षा के विद्यार्थियों के बीच उत्पन्न हुए डिजिटल डिवाइड से न केवल विद्यार्थी एक-समान अवसर प्राप्त करने में विफल रहते हैं, बल्कि इससे विद्यार्थियों के बीच ही एक भेदभाव की स्थिति बन जाती है, जो कि शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के प्रावधानों और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 का उल्लंघन होता है।
    - शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम: अधिनियम के अनुसार, निजी और विशेष श्रेणी के विद्यालय कक्षा एक या पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में भर्ती होने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर और संवेदनशील वर्ग के बच्चों के लिये कम-से-कम 25 प्रतिशत सीटों का आवंटन करेंगे, और उन बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। इसके लिये उन विद्यालयों को सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
    - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के सभी नागरिकों के लिये कानून के समक्ष समानता और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है।
    - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार को 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21(A) के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया है।
- महामारी और शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल डिवाइड
  - संयुक्त राष्ट्र (United Nations) द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना वायरस (COVID-19) के आर्थिक परिणामों के प्रभावस्वरूप अगले वर्ष लगभग 24 मिलियन बच्चों पर स्कूल न लौट पाने का खतरा उत्पन्न हो गया है।
  - महामारी के कारण विद्यालय समेत अन्य शिक्षण संस्थानों के बंद होने से विश्व की तकरीबन 94 प्रतिशत छात्र आबादी प्रभावित हुई है और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों पर देखने को मिला है।

नोट :

- दिल्ली के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय (DES) द्वारा कार्यान्वित एक हालिया सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण में सामने आया है कि सर्वेक्षण में शामिल 20.05 लाख परिवारों में से 15.7 लाख के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं हैं।

अन्य संबंधित मामले

- वर्ष 2019 में इंटरनेट की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केरल उच्च न्यायालय ने फहीमा शिरिन बनाम केरल राज्य के मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आने वाले निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार का एक हिस्सा बनाते हुए इंटरनेट तक पहुँच के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है।
- अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट पर मुक्त भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की थी।

आगे की राह

- दिल्ली उच्च न्यायालय का यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी में स्कूली विद्यार्थियों के बीच डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद करेगा, साथ ही यह देश के अन्य राज्यों को भी ऐसा निर्णय लेने के लिये प्रेरित करेगा।
- कोरोना वायरस महामारी ने तेज़ गति से ऑनलाइन शिक्षा की ओर एक बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित किया है, आवश्यक है कि सरकार द्वारा इस आवश्यकता को पहचाने और इस संबंध में आवश्यक बुनियादी ढाँचे के निर्माण का प्रयास किया जाए।

राज्यसभा में ध्वनि मत और अविश्वास प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

कृषि क्षेत्र को उदार बनाने के उद्देश्य से लाए गए तीन कृषि संबंधी विधेयकों में से दो को राज्यसभा में 20 सितंबर को ध्वनि मत के साथ पारित कर दिया गया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह द्वारा प्रस्तावों पर मतदान कराने से मना करने के पश्चात् विपक्षी दलों ने ज़ोरदार हंगामा किया।

प्रमुख बिंदु

- 'कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 और 'मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता विधेयक, 2020 को पिछले सप्ताह लोकसभा द्वारा स्वीकृति दे दी गई थी।
- एक अभूतपूर्व कदम के रूप में राज्यसभा के उपसभापति को हटाने हेतु अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये 12 विपक्षी दल एक साथ आए। कृषि विधेयकों पर अगले दिन चर्चा जारी रखने वाले विपक्ष के प्रस्ताव को खारिज़ करने और सत्र को 1 बजे से आगे बढ़ाने के उपसभापति के निर्णय को लेकर सदन में हंगामा किया गया।
- इसकी प्रतिक्रियास्वरुप आज राज्यसभा के सभापति द्वारा 8 विपक्षी सांसदों को नियम-256 के तहत निलंबित कर दिया गया है।

उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

- विपक्ष द्वारा उपसभापति के खिलाफ पेश किये गए अविश्वास प्रस्ताव में कहा गया है कि उपसभापति ने कानून, संसदीय प्रक्रियाओं, परंपराओं और निष्पक्ष भूमिका के सभी नियमों का उल्लंघन किया है। उपसभापति ने कृषि विधेयकों का विरोध करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के राज्यसभा सदस्यों को अपने विचार अभिव्यक्त करने की अनुमति तक नहीं दी।
- विपक्षी दलों के सांसदों का कहना है कि उन्हें उपसभापति पर 'कोई विश्वास नहीं है।' इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों में कॉन्ग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कॉन्ग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (CPI-M), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), राष्ट्रीय जनता दल (RJD), आम आदमी पार्टी (AAP), तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS), समाजवादी पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) और केरल कॉन्ग्रेस (एम) थे।
- नियमों के अनुसार, राज्य सभा के उपसभापति को राज्य सभा के कुल सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अपने पद से हटाया जा सकता है, लेकिन चौदह दिनों के पूर्व-नोटिस के पश्चात् ही इस प्रकार के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा सकता है।

नोट :

- प्रस्ताव में कहा गया है कि इस संबंध में कई उपयुक्त उदाहरण कई ग्रंथों, जैसे- एम. एन. कौल और एस. एल. शकधर के 'Practice and Procedure of Parliament' के सातवें संस्करण और संविधान के अनुच्छेद-90 में शामिल है। अनुच्छेद-90 में उपसभापति के पद के रिक्त होने, पदत्याग और पद से हटाया जाने के बारे में उल्लेख किया गया है।
- विपक्ष द्वारा पुस्तक में उद्धृत कई पूर्व उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है, जैसे- वर्ष 1951 में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर, वर्ष 1966 में अध्यक्ष सरदार हुक्म सिंह और वर्ष 1987 में अध्यक्ष बलराम जाखड़ के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव आदि। इन तीनों प्रस्तावों को सदन द्वारा चर्चा के पश्चात् नकार दिया गया।

ध्वनि मत (Voice vote)

- राज्यसभा के कामकाज से संबंधित नियम- 252 से लेकर 254 तक में 'मत विभाजन' के चार अलग-अलग तरीकों का प्रावधान किया गया है। दो प्रक्रियाओं में सांसदों के मत दर्ज नहीं किये जाते, जबकि शेष दो तरीकों में सांसदों के मत राज्यसभा के रिकॉर्ड में स्थायी रूप से दर्ज किये जाते हैं।
- इन तरीकों में ध्वनि मत, काउंटिंग, ऑटोमैटिक वोट रिकॉर्डर के जरिये मत विभाजन और लॉबी में जाकर पक्ष/विपक्ष के समर्थन में खड़े होना सम्मिलित हैं।
- ध्वनि मत में सदन के अध्यक्ष/सभापति द्वारा सदन के समक्ष प्रश्न रखते हुए सदन के सदस्यों से 'हाँ' (Ayes) और 'ना' (Noes) के रूप में अपनी राय देने को कहा जाता है।
- ध्वनि के आधार पर बहुमत का निर्णय करते हुए अध्यक्ष/सभापति तय करते हैं कि प्रस्ताव पारित किया गया था या नहीं।

ध्वनि मत का विरोध क्यों ?

- आमतौर पर ध्वनि मत में कोई समस्या नहीं होती है, यदि वह सर्वसम्मति से अपनाया गया हो और उस पर पूर्व में ही निर्णय ले लिया गया हो। उदाहरण के लिये यदि किसी विधेयक के लिये भारी मात्रा में समर्थन है तो अध्यक्ष/सभापति केवल ध्वनि मत का उपयोग करके विधेयक को पारित करने की अनुमति दे सकते हैं।
- इन कृषि विधेयकों के संदर्भ में यह स्थिति शायद ही लागू होती है। यह एक विवादास्पद तथा अत्यंत प्रतिक्रियात्मक मुद्दा है। यह करोड़ों भारतीयों की आजीविका से संबंधित है। वास्तव में यह इतना विवादास्पद रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने सहयोगी अकाली दल ने इस पर स्वयं को सरकार से पृथक् कर लिया है।
- भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा की केवल एक तिहाई के लगभग सीटें हैं। इसके अतिरिक्त विपक्ष के साथ-साथ भाजपा के सहयोगी दलों ने भी विधेयकों को लेकर संदेह जताया है। ऐसे में उपसभापति द्वारा इतने महत्त्वपूर्ण मामले को ध्वनि मत का उपयोग करके पारित करवाना सही कदम नहीं कहा जा सकता।
- विपक्षी सांसदों का दावा है कि इतने हंगामे के बीच उपसभापति द्वारा यह पता लगाना असंभव है कि किसका बहुमत था। वास्तव में यह सदन की बजाये केवल उपसभापति की राय का ही प्रतिनिधित्व करता है।

आगे की राह

- संसदीय प्रक्रिया के अनुसार सर्वसम्मति नहीं होने पर ध्वनि मत का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये। यदि किसी सदस्य द्वारा ध्वनि मत को चुनौती दी जाती है, तो अध्यक्ष/सभापति मत विभाजन के उपाय को अपनाना चाहिये।

प्रवर एवं अन्य संसदीय समितियों की भूमिकाएँ एवं सीमाएँ

चर्चा में क्यों ?

दो महत्त्वपूर्ण कृषि विधेयकों को राज्यसभा की एक प्रवर समिति को भेजने की विपक्ष की माँगों को अस्वीकार करते हुए सरकार ने राज्यसभा में इन दोनों विधेयकों को पारित किया है। विधेयकों की संसदीय समिति द्वारा जाँच नहीं किये जाने के कारण विपक्ष द्वारा इसका विरोध किया गया है।

नोट :

संसदीय समितियों के बारे में

- संसद के कार्य अधिक विविध, जटिल एवं वृहद् हैं। संसद के पास पर्याप्त समय और विशेषज्ञता के अभाव के कारण संसदीय समितियाँ संसद के कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करती हैं।
- भारत के संविधान में ऐसी समितियों का अलग-अलग स्थानों और संदर्भों में उल्लेख आता है, लेकिन इन समितियों के गठन, कार्यकाल तथा कार्यों आदि के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं किया गया है। इन सभी मामलों के बारे में संसद के दोनों सदनों के नियम ही प्रभावी होते हैं।
- एक संसदीय समिति वह समिति है:
  1. जो सदन द्वारा नियुक्त/निर्वाचित होती है अथवा जिसे लोकसभा अध्यक्ष/सभापति नामित करते हैं।
  2. जो लोकसभा अध्यक्ष/सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती है।
  3. जो अपनी रिपोर्ट सदन को अथवा लोकसभा अध्यक्ष/सभापति को सौंपती है।
  4. जिसका एक सचिवालय होता है, जिसकी व्यवस्था लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय करता है।
- संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं-स्थायी समितियाँ और तदर्थ समितियाँ।

विधेयक को पारित करने में संसदीय समिति की भूमिका

- संसद में दो तरीकों से विधायी प्रस्तावों (विधेयकों) की जाँच की जाती है-
  - पहला, दोनों सदनों के पटल पर चर्चा करके विधेयकों का परीक्षण किया जाता है। विधेयकों पर बहस करने में लगने वाला समय भिन्न हो सकता है। चूँकि संसद की बैठक वर्ष में केवल 70-80 दिनों के लिये ही होती है, इसलिये सदन के पटल पर प्रत्येक विधेयक पर विस्तार से चर्चा करने के लिये पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं हो पाता है।
  - दूसरा, विधेयक को एक संसदीय समिति के पास भेजा जाता है। वर्ष 1885 में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से पहले वुडरो विल्सन ने कहा था कि "यह कहना गलत नहीं होगा कि जब कॉन्ग्रेस सत्र में होती है तो वह सार्वजनिक प्रदर्शन कर रही होती है और जब वह समिति कक्ष में होती है तो वह काम कर रही होती है।" उल्लेखनीय है कि किसी विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजा जाना अनिवार्य नहीं है।

संसदीय समितियों का वर्गीकरण

- संसदीय समितियाँ कई प्रकार की होती हैं, जिन्हें उनके कार्य, सदस्यता और कार्यकाल की अवधि के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।
- विधेयक, बजट और मंत्रालयों की नीतियों की जाँच करने वाली समितियों को विभागीय स्थायी समितियाँ कहा जाता है। संसद में इस प्रकार की 24 समितियाँ हैं। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य (21 लोकसभा और 10 राज्यसभा) होते हैं।
- विभागीय स्थायी समितियों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है, जिसके पश्चात् उनका पुनर्गठन किया जाता है। लोकसभा की अवधि के दौरान उनका कार्य जारी रहता है। कोई भी मंत्री इन समितियों का सदस्य नहीं बन सकता है। वित्त, रक्षा, गृह आदि से संबंधित प्रमुख समितियों की अध्यक्षता आमतौर पर विपक्षी सांसदों द्वारा की जाती है।
- दोनों सदनों के सांसदों को सम्मिलित करके एक विशिष्ट उद्देश्य के लिये संयुक्त संसदीय समितियाँ गठित की जाती हैं। वर्ष 2011 में टेलीकॉम लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के मुद्दे पर कॉन्ग्रेस के सांसद पी.सी. चाको की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जाँच की गई थी। वर्ष 2016 में नागरिकता (संशोधन) विधेयक को भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था।
- किसी एक विशेष विधेयक की जाँच के लिये प्रवर समिति (Select Committee) का गठन किया जाता है। इसकी सदस्यता किसी एक सदन के सांसदों तक ही सीमित रहती है। पिछले वर्ष राज्यसभा ने सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 को सदन के विभिन्न दलों के 23 सांसदों की प्रवर समिति को संदर्भित किया था। इस समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद भूपेन्द्र यादव कर रहे थे।
- चूँकि संयुक्त संसदीय समितियों और प्रवर समितियों का गठन एक विशिष्ट उद्देश्य के लिये किया जाता है, इसलिये इनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् इन्हें भंग कर दिया जाता है। इन दोनों प्रकार की समितियों की अध्यक्षता सत्तारूढ़ दल के सांसद करते हैं।

नोट :

समिति द्वारा विधेयक की जाँच

- विधेयकों को स्वचालित रूप से संसदीय समितियों द्वारा परीक्षण के लिये नहीं भेजा जाता है। प्रमुख रूप से तीन रास्ते हैं, जिनसे होकर कोई विधेयक एक समिति तक पहुँच सकता है।
- पहला, जब मंत्री सदन में प्रस्ताव रखता है कि उसके विधेयक की सदन की प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा जाँच की जाए। पिछले वर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना एवं संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित कर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को एक संयुक्त समिति को संदर्भित किया था।
- दूसरा, यदि मंत्री उपर्युक्त प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं रखता है तो किसी विधेयक को विभागीय स्थायी समिति के पास भेजना सदन के पीठासीन अधिकारी पर निर्भर करता है। पिछली लोकसभा के कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने विभागीय स्थायी समितियों के पास कुल 8 विधेयक भेजे थे।
- तीसरा और अंतिम, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अपनी प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। वर्ष 2011 में लोकसभा द्वारा पारित लोकपाल विधेयक को राज्य सभा ने अपनी प्रवर समिति को संदर्भित किया था। पिछली लोकसभा के कार्यकाल के दौरान कई विधेयकों को राज्यसभा की प्रवर समितियों को संदर्भित किया गया था।
- किसी भी विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने के दो परिणाम निकलकर सामने आते हैं-
  - पहला, समिति विधेयक का विस्तृत रुप से परीक्षण करती है। यह विशेषज्ञों, हितधारकों और नागरिकों से टिप्पणियों और सुझावों को आमंत्रित करती है। सरकार द्वारा भी अपना दृष्टिकोण समिति के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यह विधेयक को मज़बूत बनाने के लिये सुझावों के रूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
  - जब समिति किसी विधेयक पर विचार-विमर्श कर रही होती है तो सदन में विधेयक की प्रगति रूक जाती है। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही यह संसद में प्रगति कर सकता है। आमतौर पर संसदीय समितियों को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन कभी-कभी इसमें अधिक समय लग सकता है।

रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात्

- संसदीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होती है। सरकार समिति की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अधिकतर मामलों में सरकार समितियों द्वारा दिये गए सुझावों को शामिल कर लेती है।
- प्रवर समितियों और संयुक्त संसदीय समितियों से एक अतिरिक्त लाभ भी है। रिपोर्ट में वे विधेयक के अपने संस्करण को भी शामिल कर सकते हैं, जिससे उस विधेयक के प्रभारी मंत्री समिति के संस्करण वाले विधेयक पर चर्चा कर उसे सदन में पारित करवा सकते हैं।

आगे की राह

- वर्तमान लोकसभा में 17 विधेयकों को संसदीय समितियों को संदर्भित किया गया है। 16वीं लोकसभा (2014-19) के कार्यकाल के दौरान 25% विधेयक समितियों को संदर्भित किये गए थे, जो 15वीं और 14वीं लोकसभा के दौरान क्रमश: 71% और 60% से बहुत कम है।
- प्रत्येक विधेयक को पारित करने से पूर्व विस्तृत और उचित विचार-विमर्श किया जाना चाहिये। संसद के पास कार्यों की अधिकता और सीमित समय की उपलब्धता के कारण संसदीय समितियों द्वारा विधेयकों की जाँच की जानी चाहिये।

औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2020

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार ने हाल ही में लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2020 प्रस्तुत किया है। इस विधेयक के प्रावधानों के श्रमिक अधिकारियों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता ज़ाहिर की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- इस विधेयक के अलावा श्रम एवं रोज़गार मंत्री ने दो अन्य श्रम संहिता विधेयक भी प्रस्तुत किये हैं, जिसमें सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य स्थिति संहिता, 2020 शामिल है।

नोट :

औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक- प्रमुख प्रावधान

- औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2020 में सरकार ने हड़ताल करने के लिये श्रमिकों के अधिकारों को सीमित करने वाले कुछ प्रावधान प्रस्तुत किये हैं, इसके अलावा इस विधेयक में अब कम-से-कम 300 श्रमिकों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कामबंदी, छंटनी और उपक्रम बंद करने से पहले केंद्र या राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी, जबकि अभी तक यह सीमा 100 श्रमिकों तक थी।
  - ध्यातव्य है कि इस नए नियम से श्रमिकों को काम पर रखने और उनकी छंटनी करने को लेकर नियोक्ताओं को अधिक छूट मिलेगा और वे किसी भी समय श्रमिकों की छंटनी कर सकेंगे, जिससे श्रमिकों के समक्ष रोज़गार असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
- औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक के मुताबिक 300 से कम श्रमिकों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्थायी आदेश तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि पहले यह छूट 100 से कम श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों को प्राप्त थी।
  - स्थायी आदेश का अर्थ है औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों की आचार नियमावली से होता है, स्थायी आदेश में नियोक्ता औपचारिक रूप से अपने प्रतिष्ठान में कार्य स्थिति को परिभाषित करते हैं।
  - जानकारों का मानना है कि इस नियम के माध्यम से औद्योगिक प्रतिष्ठान श्रमिकों के लिये मनमानी सेवा शर्तों को पेश करने में सक्षम हो जाएंगे।

संबंधित चिंताएँ

- 'स्थायी आदेशों' (Standing Order) प्रस्तुत करने से संबंधित सीमा में परिवर्तन करने से 300 से कम श्रमिकों वाले छोटे प्रतिष्ठानों में कार्यरत लोगों के श्रम अधिकारों पर काफी प्रभाव पड़ेगा।
- जानकारों के मुताबिक इस प्रकार की सीमा को बढ़ाने का आदेश पूर्णत: अनावश्यक है और यह दर्शाता है कि सरकार नियोक्ताओं और बड़ी कंपनियों को लोगों को काम पर रखने और उनकी छंटनी करने के संबंध में काफी अधिक लचीलापन प्रदान करने की कोशिश कर रही है, जिसका स्पष्ट प्रभाव श्रमिक अधिकारों पर देखने को मिलेगा।
- औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक में कानूनी तौर पर हड़ताल का आयोजन करने के लिये भी नए प्रावधान प्रस्तुत किये हैं, विधेयक के अनुसार, औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कोई भी व्यक्ति 60 दिनों के नोटिस के बिना कानूनी तौर पर हड़ताल का आयोजन नहीं कर सकता है, इसके अलावा राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण अथवा किसी अन्य न्यायाधिकरण के समक्ष कानूनी कार्यवाही के दौरान और इस प्रकार की कार्यवाही के समापन के बाद 60 दिनों की अवधि तक किसी भी हड़ताल का आयोजन नही किया जा सकता है।
  - इस प्रकार हड़ताल का आयोजन करने से पूर्व कानूनी रूप से अनुमेय समय सीमा को बढ़ाना श्रमिकों के लिये हड़ताल का आयोजन करना काफी हद तक असंभव बना देगा।
- इस विधेयक को भेदभावपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला श्रमिकों के लिये कोई भी विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है।

पृष्ठभूमि

- औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2019 को बीते वर्ष लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और बाद में इसे श्रम पर संसदीय स्थायी समिति के समक्ष समीक्षा के लिये भेज दिया गया था।
- श्रम मंत्रालय द्वारा इस संहिता के पहले मसौदे में भी 300 से कम श्रमिकों वाली कंपनियों को सरकार से अनुमति लिये बिना लोगों को काम पर रखने और उन्हें हटाने की अनुमति देने की बात की गई थी, किंतु श्रमिक संघों और विपक्षी दलों के विरोध के बीच सरकार ने औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2019 में इस प्रावधान को शामिल नहीं किया था।
- अब औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2019 को केंद्र सरकार ने सदन से वापस ले लिया है और इसके स्थान पर औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020 प्रस्तुत किया है।

अन्य दो प्रस्तावित विधेयक

- अन्य दो श्रम संहिता विधेयकों में सामाजिक सुरक्षा के विस्तार और श्रमिकों की परिभाषा में अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों को शामिल करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

नोट :

- सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड प्रस्तावित किया गया है, जो कि असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिये आवश्यक योजना तैयार करने हेतु केंद्र सरकार को सिफारिश करेगा।
  - प्लेटफॉर्म श्रमिक वे श्रमिक होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अन्य संगठनों या व्यक्तियों को विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य स्थिति संहिता 2020 में अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक को ऐसे श्रमिक के रूप में परिभाषित किया गया है, जो आय के नए स्रोत की तलाश में किसी एक राज्य से दूसरे राज्य आए हैं और कम-से-कम 18000 रुपए प्रतिमाह आय प्राप्त कर रहे हैं।
- इस संहिता में प्रस्तावित परिभाषा में संविदात्मक रोज़गार की वर्तमान परिभाषा में एक अंतर पैदा किया गया है।
  - इस संहिता में एक यात्रा भत्ता प्रस्तावित किया गया है, जो कि नियोक्ताओं द्वारा उनके श्रमिकों को दिया जाएगा।

नेट न्यूट्रलिटी और संबंधित नियम

चर्चा में क्यों ?

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India-TRAI) ने दूरसंचार विभाग (DoT) को बहु-हितधारक निकाय स्थापित करने की सिफारिश की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के सभी इंटरनेट सेवा प्रदाता नेट न्यूट्रलिटी (Net Neutrality) के प्रावधानों का पालन करें।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, इस बहु-हितधारक निकाय में दूरसंचार सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता, कंटेंट प्रदाता, शोधकर्त्ता, शैक्षणिक एवं तकनीकी समुदाय, नागरिक समाज संगठन और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिये और यह बहु-हितधारक निकाय एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में स्थापित किया जाना चाहिये।

निकाय का कार्य

- यह बहु-हितधारक निकाय मुख्य तौर पर नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांत की निगरानी और प्रवर्तन में दूरसंचार विभाग (DoT) के लिये सलाहकार की भूमिका अदा करेगा।
- यह निकाय नेट न्यूट्रलिटी (Net Neutrality) के सिद्धांत के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जाँच भी करेगा।

नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत

- नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत मानता है कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को सभी इंटरनेट गतिविधियों के साथ एक समान रूप से व्यवहार करना चाहिये और उपयोगकर्त्ता, सामग्री, वेबसाइट, प्लेटफॉर्म, एप्लिकेशन, स्रोत, गंतव्य अथवा संचार विधि आदि के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिये।
  - इंटरनेट सेवा प्रदाताओं अथवा कंपनियों को किसी विशिष्ट डेटा के लिये अलग-अलग कीमतें नहीं लेनी चाहिये, चाहे वह डेटा भिन्न वेबसाइटों पर विज़िट करने के लिये हो या फिर अन्य सेवाओं के लिये।
- नेट न्यूट्रैलिटी के सिद्धांत में यह भी स्वीकार किया गया है कि इंटरनेट सर्विस प्रदाताओं (ISP) द्वारा इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए उन्हें इंटरनेट पर उपलब्ध सभी सामग्री तक पहुँचने में सक्षम बनाना चाहिये।

नेट न्यूट्रैलिटी के पक्ष में तर्क

- नेट न्यूट्रैलिटी का सिद्धांत इंटरनेट की दुनिया को अधिक लोकतांत्रिक बनाता है, क्योंकि टेलीकॉम प्रदाता या इंटरनेट सेवा प्रदाता अलग-अलग वेबसाइटों के लिये अलग-अलग कीमतें नहीं ले सकते हैं, जिससे सभी को एक समान रूप से इंटरनेट पर भाग लेने की अनुमति मिलती है।
- यह सिद्धांत किसी आधिकारिक आदेश के बिना टेलीकॉम प्रदाताओं या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अपनी इच्छा के मुताबिक इंटरनेट पर मौजूद सामग्री अथवा वेबसाइट को रोकने, उसे नियंत्रित करने, फिल्टर करने या ब्लॉक करने से रोकता है।

नोट :

- इस प्रकार इंटरनेट की स्वतंत्रता बनी रहती है।
- यह सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र की सभी बड़ी और छोटी कंपनियों को एक समान अवसर प्रदान करता है और कुछ चुनिंदा कंपनियों को इंटरनेट पर नियंत्रण स्थापित करने से रोकता है।

नेट न्यूट्रैलिटी के विपक्ष में तर्क

- फेसबुक जैसी कई सोशल मीडिया कंपनियों ने नेट न्यूट्रैलिटी के सिद्धांत का विरोध किया है। नेट न्यूट्रैलिटी या इंटरनेट तटस्थता का सिद्धांत इंटरनेट पर नवाचार को प्रभावित करता है।
- इसके अलावा यह सिद्धांत इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को ब्रॉडबैंड सेवाओं में निवेश नहीं करने से रोकता है।
- यह सिद्धांत इंटरनेट के क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त कर देता है, क्योंकि इसके तहत डेटा पैकेट को एक समान माना जाता है।

संबंधित मामले

- वर्ष 2019 में इंटरनेट की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केरल उच्च न्यायालय ने फहीमा शिरिन बनाम केरल राज्य के मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आने वाले निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार का एक हिस्सा बनाते हुए इंटरनेट तक पहुँच के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है।
- अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट पर मुक्त भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की थी।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2016 से वर्ष 2018 के बीच की अवधि में भारत ने नेट न्यूट्रैलिटी या इंटरनेट तटस्थता की दिशा में दो महत्त्वपूर्ण कदम उठाए थे, जिसमें पहला कदम भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा फरवरी 2016 में उठाया गया और यह तय कर दिया गया कि कोई भी इंटरनेट सेवा प्रदाता अथवा सामग्री प्रदाता, इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर डेटा सेवाओं के लिये भेदभावपूर्ण शुल्क की नीति नहीं अपनाएंगे।
- इस दिशा में दूसरा महत्त्वपूर्ण कदम जुलाई 2018 में लिया गया जब भारत सरकार ने इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री के गैर-भेदभावपूर्ण उपयोग पर सिद्धांतों का एक व्यापक सेट अपनाने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) को इंटरनेट की किसी भी सामग्री के साथ किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार करने से रोक दिया गया।

समाचार चैनलों के लिये आचार संहिता

चर्चा में क्यों ?

न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (News Broadcasters Association-NBA) ने उच्चतम न्यायालय में दिये गए हलफनामे में दुर्भावनापूर्ण, पक्षपातपूर्ण और प्रतिगामी सामग्री के खिलाफ सभी टेलीविज़न समाचार चैनलों पर बाध्यकारी रूप से लागू अपनी आचार संहिता का निर्माण करने का सुझाव दिया है।

पृष्ठभूमि

- समाचार चैनलों के टेलीविज़न कार्यक्रमों की 'आहत करने वाली' और 'सांप्रदायिक' सामग्री के नियमन में NBA की कथित अपर्याप्त क्षमता को संज्ञान में लेते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 18 सितंबर को NBA और केंद्र सरकार से सुझाव माँगे थे, जिससे NBA की स्व-नियामक शक्तियों को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।
- जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा और के.एम. जोसेफ की पीठ द्वारा सुदर्शन न्यूज़ टीवी के विवादास्पद कार्यक्रम श्रृंखला 'बिंदास बोल' के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने NBA को अपने नियमों को लागू करने में नरमी बरतने पर फटकार लगाई थी। पीठासीन न्यायाधीश जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने NBA को 'दंतहीन' कहा था।

नोट :

- इस कार्यक्रम पर आरोप लगाया गया था कि यह सिविल सेवाओं में मुसलमानों के प्रवेश को सांप्रदायिक रूप दे रहा था। 15 सितंबर को उच्चतम न्यायलय ने प्रथमदृष्टया अवलोकन करने के बाद कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगा दी थी।
- NBA द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि उसके द्वारा निर्मित आचार संहिता को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 'केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994' के 'प्रोग्राम कोड के नियम- 6' में सम्मिलित कर इसे वैधानिक मान्यता दी जानी चाहिये, जिससे ये संहिता सभी समाचार चैनलों के लिये बाध्यकारी बन सके।

केंद्र सरकार का मत

- केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया कि वह 'फेक न्यूज़ या हेट स्पीच' पर अंकुश लगाने के लिये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विनियमित करने हेतु किसी भी कवायद को शुरू न करें, क्योंकि इससे निपटने के लिये पर्याप्त नियम और दिशा-निर्देश पहले से ही मौजूद हैं।

हेट स्पीच

जेरेमी वाल्ड्रॉन, एक शोधकर्ता, ने 'हेट स्पीच' के बारे में दार्शनिक रक्षा पर आधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है-

- 'हेट स्पीच' से आशय उन भाषणों/बयानों से है जो सामूहिक पहचान के आधार पर लोगों के खिलाफ जाति, नृजातीयता, धर्म, लिंग या कामुकता आदि के आधार पर हिंसा, नफरत या भेदभाव को उकसाते हैं।
- इन मामलों में हेट स्पीच की सीमितता सुभेद्य अल्पसंख्यक वर्गों तक होनी चाहिये। इस अवधारणा के तहत केवल एक अपमानजनक बयान को हेट स्पीच के रूप में नहीं देखा जा सकता।
- उदाहरण के लिये, किसी धार्मिक व्यक्ति पर व्यंग्य जो उस धर्म के अनुयायियों की भावनाओं का मजाक बनाता है, उसे हेट स्पीच की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता। जब कोई भाषण किसी संपूर्ण समुदाय को 'राष्ट्र विरोधी' के रूप में सूचित करता है तो उसे हेट स्पीच की श्रेणी में रखा जाएगा।

हेट स्पीच के संदर्भ में भारतीय कानून

- प्रोफेसर वाल्ड्रॉन की थ्योरी इसलिये बहुत आकर्षक है क्योंकि यह भारतीय लोकतांत्रिक विज़न के साथ मेल खाती है। यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्त्व के मूल्यों को दर्शाती है जिसे संविधान के निर्माताओं ने मूलभूत आवश्यकता के रूप में वर्णित किया था।
- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-153A और धारा-295 A क्रमश: विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने वाले भाषण/कार्य को अपराध घोषित करती हैं।

आचार संहिता की आवश्यकता क्यों ?

- भारत में प्रिंट मीडिया का व्यवस्थित इतिहास 200 वर्षों से अधिक का रहा है। हाल के वर्षों में टेलीविज़न पत्रकारिता का तीव्र विस्तार हुआ है। टीवी पत्रकारिता में 'सबसे पहले खबर दिखाने' और 'ब्रेकिंग न्यूज़' के नाम पर 'व्यावसायिक प्रतिबद्धता' और 'पेशे की बुनियादी नैतिकता' के उल्लंघन के बढ़ते मामलों की संख्या पत्रकारिता की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं।
- दर्शकों के लिये निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, सटीक और संतुलित सूचना प्रस्तुत करने के लिये पत्रकारों को पत्रकारिता के मौलिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए द्वारपाल की भूमिका निभाने की आवश्यकता को देखते हुए टेलीविज़न चैनलों के लिये आचार संहिता बनाई जानी चाहिये।
- 'फेक न्यूज़' के मामलों के प्रकाश में आने के पश्चात् और इसके द्वारा सोशल मीडिया पर विस्तृत प्रभाव पैदा करने से वर्तमान समय में टेलीविज़न समाचार चैनलों के लिये आचार संहिता का निर्माण बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है। सनसनीखेज, पक्षपातपूर्ण कवरेज़ और पेड न्यूज मीडिया का आधुनिक चलन बन गया है। किसी भी स्थिति में राय देने वाली रिपोर्टिंग को व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग नहीं कहा जा सकता है।
- व्यापारिक समूह और यहाँ तक कि राजनीतिक दल अपने हितों की पूर्ति समाचार पत्र और टेलीविज़न चैनलों का संचालन कर रहे हैं। यह चिंताजनक होने के साथ ही इससे पत्रकारिता के मूल उद्देश्य समाप्त हो रहे हैं।
- अधिकारों और कर्तव्यों को अविभाज्य नहीं माना जा सकता है। मीडिया को न केवल लोकतंत्र की रक्षा करने के लिये प्रहरी के रूप में काम करना चाहिये बल्कि उसे समाज के वंचित वर्गों के हितों के रक्षक के रूप में भूमिका का निर्वहन करना चाहिये।

नोट :

- मोबाइल फोन/स्मार्ट फोन के आने के पश्चात् सूचनाओं को साझा करने के क्रम में क्रांति आई है। प्रत्येक स्मार्ट फोन उपयोगकर्ता एक संभावित पत्रकार बन गया है। हालाँकि इंटरनेट और मोबाइल फोन ने सूचना की उपलब्धता का लोकतांत्रिकरण किया है लेकिन फेक न्यूज़ और अफवाहों के प्रसार की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। पत्रकारों को इस तरह के समाचारों और नकली आख्यानों से बचना चाहिये क्योंकि उनका उपयोग निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिये हमारे बहुलवादी समाज में विघटन और विभाजन पैदा करने में किया जा सकता है।

न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA)

- न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) निजी टेलीविजन समाचार और समसायिक घटनाओं के ब्रॉडकास्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह पूर्णरूप से अपने सदस्यों द्वारा वित्तपोषित एक संगठन है। NBA में वर्तमान में 26 प्रमुख समाचार और समसामयिक घटनाओं के ब्रॉडकास्टर्स (कुल 70 न्यूज़ और समसामियक घटनाओं के चैनल) इसके सदस्य हैं।
- NBA का मिशन निजी समाचार और समसामयिक घटनाओं के प्रसारकों की आँख और कान रूप में कार्य करते हुए उनकी और से पैरवी करने और हितों के मामलों पर संयुक्त कार्रवाई के केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करने के लिये भूमिका हैं।

आगे की राह

- अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिये भ्रष्टाचार और लैंगिक एवं जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने की आवश्यकता पर प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न समाचार चैनलों द्वारा जनता की राय बनाने में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिये।
- इस संदर्भ में न्यूज़ मीडिया ने कई बार सकारात्मक भूमिका का निर्वहन भी किया है। 'स्वच्छ भारत अभियान' को बढ़ावा देने में न्यूज़ मीडिया ने सकारात्मक भूमिका निभाई थी।

विदेशी अंशदान विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में न्यायविदों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग (International Commission of Jurists- ICJ) ने कहा कि भारतीय संसद द्वारा पारित विदेशी अंशदान विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ पूर्णत: असंगत है और नागरिक समाज के कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि इस विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और अब इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिये भेजा गया है।
- न्यायविदों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग (ICJ) ने विधेयक को लेकर कहा कि इसके प्रावधान मानवाधिकार के रक्षकों और नागरिक समाज के अन्य कार्यकर्त्ताओं के समक्ष अनावश्यक और एकपक्षीय बाधाएँ उत्पन्न करेंगे।
- आयोग ने राष्ट्रपति से 'अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ विधेयक की असंगति' के कारण अपनी सहमति न देने का आह्वान किया है।

विदेशी अंशदान विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020

- केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। विदित हो कि यह अधिनियम व्यक्तियों, संगठनों और कंपनियों के विदेशी योगदान की मंज़ूरी और उपयोग को विनियमित करता है।
- विधेयक के अंतर्गत लोक सेवकों के विदेशी अंशदान लेने पर पाबंदी लगाने का प्रावधान किया गया है। लोक सेवक में वे सभी व्यक्ति शामिल हैं, जो सरकार की सेवा या वेतन पर हैं अथवा जिन्हें किसी लोक सेवा के लिये सरकार से मेहनताना मिलता है।
- विधेयक में आधार (Aadhaar) को गैर-सरकारी संगठन (NGOs) या विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले लोगों और संगठनों के सभी पदाधिकारियों, निदेशकों और अन्य प्रमुख अधिकारियों के लिये एक अनिवार्य पहचान दस्तावेज़ बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
- विधेयक के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, संगठन या रजिस्टर्ड कंपनी विदेशी अंशदान प्राप्त करने के पश्चात् किसी अन्य संगठन को उस विदेशी योगदान का ट्रांसफर नहीं कर सकता है।

नोट :

- अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति, जिसे वैध प्रमाणपत्र मिला है, को प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले छह महीने के भीतर उसका नवीनीकरण कराना चाहिये।
  - अब विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि प्रमाणपत्र के नवीनीकरण से पूर्व सरकार जाँच के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि: (i) आवेदन करने वाला व्यक्ति काल्पनिक या बेनामी नहीं है, (ii) उस व्यक्ति पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने या धर्मांतरण के कार्य में शामिल होने के लिये मुकदमा नहीं चलाया गया है या उसे इनका दोषी नहीं पाया गया है, और (iii) उसे विदेशी अंशदान के गलत इस्तेमाल का दोषी नहीं पाया गया है, इत्यादि।
- विधेयक में यह निर्धारित किया गया है कि विदेशी अंशदान केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), नई दिल्ली की उस शाखा में ही लिया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी।
- अधिनियम के अनुसार, किसी NGO द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदान की 50 प्रतिशत से अधिक राशि का इस्तेमाल प्रशासनिक खर्चे के लिये नहीं कर सकते हैं। विधेयक में संशोधन कर इस सीमा को 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

संशोधन की आवश्यकता

- सरकार के अनुसार, इस संशोधन विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य विदेशों से प्राप्त होने वाले अंशदान के गलत और अनुचित उपयोग पर रोक लगाना है।
- आँकड़ों की मानें तो वर्ष 2010 से वर्ष 2019 के बीच विदेशी अंशदान की वार्षिक आमद (Inflow) में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई हुई है, लेकिन कई बार यह देखा गया है कि विदेशी अंशदान के कई प्राप्तकर्त्ताओं ने विदेशी अंशदान की राशि का उस प्रयोजन के लिये प्रयोग नहीं किया है जिसके लिये उन्हें पंजीकृत किया गया था अथवा अनुमति दी गई थी।
- ऐसे ही नियमों का पालन न करने के कारण सरकार ने वर्ष 2011 से वर्ष 2019 के बीच कुल 19,000 संगठनों, जिसमें गैर-सरकारी संगठन भी शामिल हैं, का पंजीकरण रद्द किया है।
- ऐसे में इन संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये मौजूदा नियमों में संशोधन की काफी आवश्यकता है।

संशोधन की आलोचना

- संशोधन के आलोचकों का मानना है कि इस इस संशोधन विधेयक के मसौदे को संबंधित हितधारकों से परामर्श के बिना तैयार किया गया है, इसलिये यह विधेयक संशोधन के कारण प्रभावित होने वाले लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्त्व नहीं करता है।
- किसी अन्य संगठन अथवा पंजीकृत कंपनी को विदेशी अंशदान हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध लगाने के पीछे के कारण को सही ढंग से स्पष्ट नहीं किया गया है, और यह स्पष्ट है कि यह प्रावधान किस प्रकार विदेशी धन के उपयोग में पारदर्शिता लाने में मदद करेगा। हालाँकि आलोचक मानते हैं कि इस प्रावधान से गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा।
- संशोधन के अनुसार, विदेशी अंशदान का केवल 20 प्रतिशत हिस्सा ही प्रशासनिक खर्च के लिये उपयोग किया जा सकता है, इस प्रावधान से देश के उन बड़े गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को समस्या का सामना करना पड़ेगा जिनका प्रशासनिक खर्च काफी अधिक है।
- यह विधेयक विदेशी अंशदान के क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप को बढ़ाने और विदेशी सहायता से भारत में कार्यान्वित की जा रहीं परियोजनाओं में बाधा उत्पन्न करेगा।
- कई आलोचक यह भी मानते हैं कि इस संशोधन विधेयक का इस्तेमाल सरकार अथवा प्रशासन के विरुद्ध बोलने वाले लोगों और संगठनों को निशाना बनाने के साधन के रूप में किया जा सकता है।

आगे की राह

- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 में संशोधन का प्राथमिक उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को विदेशों से मिलने वाले अंशदान और उसके उपयोग की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
- हालाँकि संशोधन विधेयक के कुछ प्रावधानों से यह उद्देश्य सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं होता है, इसके अलावा आलोचक सरकार पर हितधारकों से परामर्श न लेने का भी आरोप भी लगा रहे हैं।

नोट :

- आवश्यक है कि सरकार विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पुनर्विचार करे और यदि संभव हो तो विधेयक में संशोधन किया जाए।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग

चर्चा में क्यों ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, देश में चिकित्सा शिक्षा और व्यवसाय के शीर्ष नियामक के तौर पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission- NMC) अस्तित्त्व में आ गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रकार देश में चिकित्सा शिक्षा का विनियमन अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) द्वारा किया जाएगा, जिसने दशकों पुरानी संस्था भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) का स्थान लिया है।
- इसके साथ ही भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 को निरस्त कर दिया गया है और अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 लागू हो गया है।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के तहत चार बोर्ड्स का भी गठन किया गया है, जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को उसके दिन प्रतिदिन के काम काज में मदद करेंगे।
- दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के ENT (Ear Nose Throat) विभाग के पूर्व प्रमुख डॉ. सुरेश चंद्र शर्मा को तीन वर्ष के लिये आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

महत्त्व

- विशेषज्ञों के अनुसार, इस ऐतिहासिक सुधार के चलते भारतीय चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी और गुणवत्तापूर्ण तथा उत्तरदायी व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।
- सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अब से नियामक नियंत्रक का चयन योग्यता के आधार पर किया जाएगा ना कि चुने गए नियामक नियंत्रक द्वारा।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC)

- उद्देश्य: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की स्थापना मुख्यत: चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिये एक सरकारी कदम के रूप में की गई है। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) को समाप्त करने का निर्णय लिया था।
- संरचना: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में कुल 33 सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति एक विशेष समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
  - इन सदस्यों में एक अध्यक्ष और अलावा 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक शामिल होंगे।
  - आयोग में अंशकालिक सदस्य के तौर पर प्रबंधन, कानून, चिकित्सा नैतिकता आदि क्षेत्रों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नामांकित विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा।
- कार्य: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) का मुख्य कार्य चिकित्सा क्षेत्र की नियामक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, संस्थाओं का मूल्यांकन और शोध पर अधिक ध्यान देना है।
  - इसके अलावा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग MBBS के उपरांत होने वाली फाइनल ईयर परीक्षा (राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट-NEXT) के तौर-तरीकों पर, निजी चिकित्सा विद्यालयों के शुल्क ढाँचे का नियमन करने और सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के बारे में मानक तय करने से संबंधित कार्य भी करेगा।

नोट :

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) में चार अलग स्वायत्त बोर्ड शामिल होंगे-
  - स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (UGMEB): यह निकाय स्नातक स्तर पर चिकित्सा योग्यता, पाठ्यक्रम, चिकित्सा शिक्षा के लिये दिशा-निर्देश तैयार करने और चिकित्सा योग्यता को मान्यता देने का कार्य करेगा।
  - स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (PGMEB): यह निकाय स्नातकोत्तर स्तर पर चिकित्सा योग्यता, पाठ्यक्रम, चिकित्सा शिक्षा के लिये दिशा-निर्देश तैयार करने और चिकित्सा योग्यता को मान्यता देने का कार्य करेगा।
  - चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड: इस बोर्ड को उन संस्थानों पर मौद्रिक दंड लगाने की शक्ति होगी जो UGMEB और PGMEB द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों को बनाए रखने में विफल रहेंगे। यह बोर्ड नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने और मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाने की भी अनुमति देगा।
  - एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड: यह बोर्ड देश में सभी लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाएगा और चिकित्सकों के पेशेवर आचरण को भी विनियमित करेगा। यह बोर्ड देश में सभी लाइसेंस प्राप्त सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं के एक रजिस्टर का भी निर्माण करेगा।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की स्थापना से पूर्व देश में मेडिकल शिक्षा और व्यवसाय का विनियमन भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) द्वारा किया जा रहा था।
  - हालाँकि इसके गठन से अब तक भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) पर उत्तरदायित्त्व, भ्रष्टाचार और इसके संगठन तथा विनियमन में इसकी भूमिका को लेकर कई मुद्दे सामने आते रहे हैं।
- वर्ष 2018 में सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) को भंग कर दिया और इसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (BoG) के साथ बदल दिया गया, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग (NITI Aayog) के एक सदस्य द्वारा की गई।
- इसके पश्चात् वर्ष 2019 में लोकसभा द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 पारित किया गया और इस प्रकार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) अस्तित्त्व में आया।

आगे की राह

- भारत लंबे समय से कुशल चिकित्सकों की कमी की समस्या से जूझ रहा है। भारत में ऐसे कुछ ही चिकित्सा संस्थान है जो उच्च कोटि के चिकित्सकों का निर्माण करते हैं।
- ऐसे में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की स्थापना देश में चिकित्सा शिक्षा और व्यवसाय क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है, साथ ही यह देश में उच्च कोटि के चिकित्सा संस्थानों के निर्माण में भी सहायक होगा।

महाराष्ट्र में खुली सिगरेट पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों ?

महाराष्ट्र सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, (COTPA) 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि इससे पूर्व छत्तीसगढ़ ने इस वर्ष की शुरुआत में सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि कर्नाटक ने वर्ष 2017 में ही सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू के अन्य प्रकारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- टोबैको फ्री यूनियन (Tobacco Free Union) के आँकड़ों के अनुसार, भारत में तंबाकू से होने वाली बीमारियों के कारण प्रत्येक वर्ष 1 मिलियन से भी अधिक लोगों की मृत्यु होती है।

नोट :

इस कदम के निहितार्थ

- इस कदम के माध्यम से सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपयोगकर्त्ता सिगरेट की पैकेजिंग पर मौजूद अनिवार्य चेतावनी का ध्यान रखें।
- सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, (COTPA) 2003 के तहत तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग पर ग्राफिक के माध्यम से स्वास्थ्य चेतावनी देनी अनिवार्य है और इसके बाद ही वह उत्पाद बेचा जा सकता है, वहीं खुली हुई सिगरेट के मामले में इस अधिकांशत: इस नियम का पालन नहीं किया जाता है।
  - अधिनियम की धारा 7 में उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक सिगरेट या किसी भी अन्य तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन, आपूर्ति या वितरण नहीं करेगा जब तक कि सिगरेट या उसके द्वारा उत्पादित किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के या उसके लेबल पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी नहीं दी जाती है, इस विशिष्ट चेतावनी में चित्रात्मक चेतावनी भी शामिल हो सकती है।
- अधिनियम में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट चेतावनी को उस पैकेट के सबसे बड़े हिस्से में प्रदर्शित किया जाना चाहिये, जिसमें सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पादों को वितरण, बिक्री और आपूर्ति के लिये पैक किया गया है।
- इसके अलावा भारत, डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (WHO Framework Convention on Tobacco Control) का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है, जिसके प्रावधानों में तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग और लेबलिंग को विनियमित करना और उत्पाद प्रकटीकरण शामिल हैं।
  - भारत ने वर्ष 2004 में डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (WHO Framework Convention on Tobacco Control) की पुष्टि की थी।

इस कदम की प्रभावशीलता

- महाराष्ट्र सरकार के इस प्रतिबंध की सफलता इसके व्यापक कार्यान्वयन पर निर्भर करती है, और इन प्रतिबंधों की प्रभावशीलता इसके कार्यान्वयन के पश्चात् ही देखने को मिलेगी।
- वर्ष 2017 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाना तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रमुख तरीकों में से एक है।
  - हालाँकि जब तंबाकू उत्पाद पर कर लगाकर उसे महँगा किया जाएगा, तो वैश्विक स्तर पर तंबाकू की खपत में कमी आ सकती है, लेकिन दूसरी ओर इसका परिणाम यही होगा कि इससे खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री में हो सकती है।
- वर्ष 2017 में प्रकाशित अध्ययन में ही सामने आया था कि भारत में सिगरेट का सेवन करने वाले 57 प्रतिशत लोगों (लगभग 3.46 मिलियन) खुली सिगरेट ही खरीदते हैं।
- इस अध्ययन के अनुसार, खुली सिगरेट खरीदने वाले लोगों की संख्या में शिक्षा के बढ़ते स्तर के साथ कमी देखने को मिलती है और सरकारी कर्मचारियों के बीच इस प्रकार की प्रवृति सबसे कम देखने को मिली।

भारत में तंबाकू सेवन की स्थिति

- ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (GATS) 2016-2017 के अनुसार, भारत में वयस्कों का तकरीबन 10.7 प्रतिशत (99.5 मिलियन) हिस्सा धूम्रपान का सेवन करता है और सभी वयस्कों (286.8 मिलियन) का 28.6 प्रतिशत तंबाकू का उपयोग करते हैं।
- सर्वेक्षण के अनुसार, धूम्रपान करने वालों में से लगभग 4.4 प्रतिशत सिगरेट का प्रयोग करते हैं, जबकि 7.7 प्रतिशत लोग बीड़ी का सेवन करते हैं।
- अनुमान के अनुसार, भारत में दैनिक सिगरेट का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का औसत मासिक खर्च लगभग 1,100 रूपए आता है और दैनिक बीड़ी धूम्रपान करने वाले व्यक्ति का औसत मासिक खर्च लगभग 284 रूपए आता है।
  - इस सर्वेक्षण के अनुसार, महाराष्ट्र में तंबाकू धूम्रपान का सबसे कम प्रचलन है।
- इसके अलावा वर्तमान में देश में धूम्रपान करने वालों में से 91 प्रतिशत का मानना है कि धूम्रपान गंभीर बीमारी का कारण बनता है।
- सर्वेक्षण के अनुसार, सिगरेट का प्रयोग करने वालों में तकरीबन 68 प्रतिशत और बीड़ी का प्रयोग करने वाले लोगों में 17 प्रतिशत लोग खुली सिगरेट और बीड़ी की खरीद करते हैं।

नोट :

तंबाकू नियंत्रण क्यों आवश्यक ?

- गौरतलब है कि भारत तंबाकू आधारित उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक है। तंबाकू का सेवन, बहुत सारे रोगों जैसे- कैंसर, फेफड़ों की बीमारियों और हृदय रोगों सहित स्वास्थ्यगत बीमारियों के मुख्य कारकों में से एक है।
- स्वास्थ्य संबंधी बिमारियों के अलावा तंबाकू सेवन के कारण चिकित्सा खर्च में वृद्धि होती है और आम लोगों की घरेलू आय में कमी आती है, जिससे गरीबी भी बढ़ती है।

आगे की राह

- कई देशों द्वारा तंबाकू नियंत्रण को गरीबी समाप्त करने वाली नीतियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, भारत को भी इस दिशा में आगे कदम बढ़ाना चाहिये।
- गाँवों में रहने वाले अधिकांश गरीबों के पास टेलीविज़न की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अत: उन्हें धूम्रपान के खिलाफ चेतावनी देने वाले अभियानों से ज़रूरी लाभ नहीं मिल पाता है।

अनुच्छेद 254 (2) और संबंधित राज्य शक्तियाँ

चर्चा में क्यों ?

कॉन्ग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कॉन्ग्रेस शासित राज्यों के प्रमुखों को केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरुद्ध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत अपने-अपने राज्यों में कानून पारित करने की सलाह दी है।

प्रमुख बिंदु

- यह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की अनुमति देगा, जिसे हाल ही में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने अपनी सहमति दे दी है।

क्या है संविधान का अनुच्छेद 254(2)

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 254 (2) एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ किसी भी मामले के संबंध में एक राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का कोई उपबंध, जो कि समवर्ती सूची में आता है, संसद द्वारा बनाई गई विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध होता है।
- ऐसे मामले में राज्य विधायिका द्वारा बनाया गया कानून प्रबल होगा, बशर्ते कि कानून को राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित रखा गया है और उस पर उनकी अनुमति मिल गई है।
- इस अनुच्छेद को बेहतर ढंग से समझने के लिये हम इसके प्रावधानों के विभिन्न पहलुओं पर अलग से विचार कर सकते हैं।
  - सर्वप्रथम तो यह अनुच्छेद केवल तभी लागू होगा, जब समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय पर एक राज्य का कानून, संसद द्वारा पारित राष्ट्रव्यापी कानून के विरुद्ध होगा।
  - ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रपति राज्य के कानून को अपनी सहमति दे देता है तो राज्य के कानून को प्रभावी माना जाएगा और उस राज्य में संबंधित केंद्रीय कानून लागू नहीं होगा।

कैसे प्रयोग होगा यह प्रावधान

- यह प्रावधान राज्य विधायिका को राज्य में पहले से लागू संसदीय कानून के उपबंधों से अलग किसी अन्य कानून के निर्माण की शक्ति प्रदान करता है।
- हालाँकि, राज्यों को यह शक्ति केवल उन्ही मामलों पर उपलब्ध है जो संविधान की अनुसूची 7 के तहत समवर्ती सूची में शामिल हैं।
- यद्यपि संसद द्वारा पारित किये गए कानून को रद्द करने के लिये राज्य अपना स्वयं का विधेयक ला सकते हैं, किंतु उन विधेयकों में से कोई भी तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं दे देते।
- कानून विशेषज्ञों के अनुसार, यह राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है कि वह राज्य विधेयकों पर हस्ताक्षर करें या नहीं और चूँकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है, इसलिये राज्य के इस प्रकार विधेयकों का पारित होना अपेक्षाकृत कठिन माना जाता है।

नोट :

- हालाँकि यह काफी दुर्लभ स्थिति होगी जब भारतीय राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह को दरकिनार करते हुए राज्य के कानून को अनुमति देंगे।

पृष्ठभूमि

- पंजाब और हरियाणा राज्यों के किसानों द्वारा तीन कृषि विधेयकों का विरोध किया जा रहा है, जो कि राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद अधिनियम बन गए हैं। इन तीन अधिनियमों में शामिल हैं-
  - किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020
  - मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनयम, 2020
  - आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनयम, 2020
- संक्षेप में, इन नियमों का उद्देश्य कृषि उपज बाज़ार समितियों (Agricultural Produce Market Committees-APMC) की सीमाओं से बाहर बिचौलियों और सरकारी करों से मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाकर कृषि व्यापार में सरकार के हस्तक्षेप को दूर करना है।
  - यह किसानों को बिचौलियों के माध्यम से और अनिवार्य शुल्क जैसे लेवी का भुगतान किये बिना इन नए क्षेत्रों में सीधे अपनी उपज बेचने का विकल्प देगा।
- इन अधिनियमों के संयुक्त प्रभाव से कृषि उपज के लिये 'वन नेशन, वन मार्केट' बनाने में मदद मिलेगी।

विधायी विषयों का वितरण

- केंद्र तथा राज्य द्वारा किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति को विधायी शक्ति कहा जाता है।
- भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ यथा- संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची दी गई हैं, जिनमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है।
- संघ सूची:
  - संघ सूची तीनों सूचियों में सबसे बड़ी होती है और इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। इसमें राष्ट्रीय महत्त्व से संबंधित विषय और ऐसे विषय शामिल किये गए हैं, जिनके लिये राष्ट्रव्यापी स्तर पर कानून की एकरूपता की आवश्यकता है।
  - बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, रक्षा, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ, आयकर, कस्टम ड्यूटी, आदि इस सूची में शामिल कुछ महत्त्वपूर्ण विषय हैं।
- राज्य सूची:
  - राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति राज्य विधायिका (आपातकाल के अतिरिक्त) के पास होती है।
  - इस सूची में क्षेत्रीय और स्थानीय महत्त्व के मामले शामिल किये जाते हैं।
  - राज्य सूची में राज्यों के मध्य व्यापार, पुलिस, मत्स्य पालन, वन, स्थानीय सरकारों, थिएटर और उद्योग आदि जैसे विषय शामिल किये गए हैं।
- समवर्ती सूची:
  - उल्लेखनीय है कि संसद तथा राज्य विधानसभा दोनों ही समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं। इस सूची में मुख्यत: ऐसे विषय शामिल किये गए हैं जिन पर पूरे देश में कानून की एकरूपता वांछनीय है लेकिन आवश्यक नहीं है।
  - समवर्ती सूची में स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं ज़हर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे कुल 52 विषय (मूल रूप से 47 विषय) शामिल हैं।
  - ध्यातव्य है कि वर्ष 1976 के 42वें संशोधन के माध्यम से राज्य सूची के पाँच विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। इस पाँच विषयों में शामिल हैं- (1) शिक्षा (2) वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण (3) वन (4) नाप-तौल (5) न्याय प्रशासन।

नोट :

भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑपरेशंस का निलंबन

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल के बैंक खातों को फ्रीज़ करने के कारण एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया (Amnesty International India) ने भारत में अपने मानव अधिकारों के संचालन को रोक दिया है। भारत सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ केंद्रीय जाँच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI) की एक जाँच समिति भी स्थापित की है।

प्रमुख बिंदु:

एमनेस्टी इंटरनेशनल का तर्क:

- यूरोपीय संघ (European Union- EU) ने भी दुनिया भर में एमनेस्टी इंटरनेशनल के मूल्यवान कार्यों का हवाला देते हुए भारत सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ अपनी चिंताएँ व्यक्त की हैं।
- हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों के दौरान पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के सभी आरोपों की स्वतंत्र जाँच और जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Commission for Human Rights) की स्थापना की मांग थी।

भारत सरकार का तर्क:

- भारत सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल पर भूमि कानून की अवहेलना करने का आरोप लगाया है।
- भारत, विदेशी दान से वित्त पोषित संस्थाओं को अपनी घरेलू राजनीतिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता है। यह कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है और यह एमनेस्टी इंटरनेशनल पर भी लागू होता है।
- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010) के तहत FCRA नियमों को दरकिनार करते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके (Amnesty International UK) ने भारत में पंजीकृत चार संस्थाओं को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment- FDI) के रूप में वर्गीकृत करके बड़ी मात्रा में धनराशि का भुगतान किया है।
- FCRA के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुमोदन के बिना विदेशी धन की एक महत्त्वपूर्ण राशि भी एमनेस्टी इंटरनेशनल (भारत) को भेजी गई है। पैसा भेजने की यह पुनरावृत्ति मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती थी।

पृष्ठभूमि:

- पिछले पाँच वर्षों में भारत सरकार ने FCRA के उल्लंघन के आधार पर कई गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की है जिसमें कंपैसन इंटरनेशनल (Compassion International), वर्ल्ड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी (World Movement for Democracy- WMD), ग्रीनपीस (Greenpeace) आदि शामिल हैं।

FCRA संशोधन, 2020 के तहत गैर-सरकारी संगठनों के लिये नए नियम:

- विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020 (Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020) संसद द्वारा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010) में संशोधन करके पारित किया गया था।
- विदेशी धन प्राप्त करने के लिये एक गैर सरकारी संगठन को गृह मंत्रालय के पास पंजीकरण कराना होता है। इसे एक विशिष्ट FCRA पंजीकरण संख्या सौंपी जाती है, जिसे प्रत्येक पाँच वर्ष में नवीनीकृत किया जाता है।
- प्रत्येक FCRA-पंजीकृत एनजीओ को नई दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक की एक नामित शाखा में FCRA-चिह्नित बैंक खाता खोलना होगा।
- प्रशासनिक व्यय पर धनराशि को प्राप्त विदेशी फंड के 50% से घटाकर 20% तक कर दिया गया है।
- यह अधिनियम एक इकाई द्वारा एक सहयोगी संगठन या एक संबंधित व्यक्ति को प्राप्त विदेशी अनुदान के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है।

नोट :

आलोचना:

- सरकार के खिलाफ असंतोष फैलाने वाले एनजीओ को दबाने के लिये एक अधिनियम के रूप में इसकी आलोचना की गई है।
- ये संशोधन भारत में कार्य कर रहे कई गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को प्रभावित करेंगे।

लाभ:

- इन संशोधनों ने अनुपालन तंत्र को मज़बूत किया है, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ाया है तथा गैर-सरकारी संगठनों के नाम पर देश की संप्रभुता से धोखाधड़ी एवं खतरों को रोकने में मदद की है।

दृष्टि The Vision

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

स्टार्टअप पर संसदीय समिति की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वित्तीय मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने 'स्टार्टअप' से संबंधित एक रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत की है।

प्रमुख बिंदु:

- समिति ने देश में स्टार्टअप तंत्र के संदर्भ में 'फाइनेंसिंग ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम' (Financing the Startup Ecosystem) नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
- समिति के अनुसार, भारत की स्टार्टअप कंपनियों को चीन और अमेरिका जैसे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहिये।
  - गौरतलब है कि अगस्त माह में जारी 'हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न्स 2020' (Hurun Global Unicorns 2020) में शामिल किये गए 21 स्टार्टअप यूनिकॉर्न (Startup Unicorns) में से 11 कंपनियों को अलीबाबा, टेनसेंट और डीएसटी ग्लोबल जैसे चीनी निवेशकों से फंड प्राप्त हुआ था।
  - स्टार्टअप यूनिकॉर्न, वे स्टार्ट-अप होते हैं जिनका मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है।

सुझाव:

- समिति के अनुसार, 'भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक' (Small Industries Development Bank of India-SIDBI) के फंड ऑफ फंड्स पहल का विस्तार किया जाना चाहिये और निवेश को बढ़ावा देने के लिये इसका उपयोग किया जाना चाहिये।
- स्टार्टअप के पूंजी स्रोतों का विस्तार करने के लिये कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnerships-LLPs) को बिना 'गैर-वित्तीय बैंकिंग कंपनी' (NBFC) घोषित किये स्टार्टअप में निवेश की अनुमति दी जानी चाहिये।
- विदेशी विकास वित्त संस्थानों को स्थानीय परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों के साथ मिलकर फंड संरचना या प्रत्यक्ष उद्यम पूंजी/निजी इक्विटी फंड स्थापित करने के लिये (विशेष रूप से सामाजिक प्रभाव, स्वास्थ्य देखभाल और स्टार्ट-अप क्षेत्रों में) प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- बैंकों को श्रेणी-III के वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Fund-AIF) में निवेश की अनुमति दी जानी चाहिये।
- देश के बड़े वित्तीय संस्थानों को भी अपने निवेश योग्य अधिशेष के कुछ हिस्से को घरेलू निधियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, जिससे स्टार्टअप में निवेश हेतु अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था हो सकेगी।

कर छूट:

- COVID-19 महामारी के दौरान स्टार्टअप में निवेश को बढ़ावा देने के लिये समिति ने केंद्र सरकार को कम-से-कम अगले दो वर्षों के लिये स्टार्टअप में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल (Collective Investment Vehicles- CIVs) जैसे- एंजल फंड, AIF और LLPs के द्वारा किये गए निवेश पर सभी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (Long Term Capital Gains) कर को समाप्त करने का सुझाव दिया है।
  - सामूहिक निवेश वाहन या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल (Collective Investment Vehicles- CIVs) ऐसी इकाई होती है जो निवेशकों को सीधे परिभूतियों को खरीदने के स्थान पर सामूहिक निधि (Pool Fund) में कई निवेशकों को सामूहिक रूप से निवेश की सुविधा प्रदान करता है।
  - CIVs को आमतौर पर एक फंड प्रबंधन कंपनी द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- समिति के अनुसार, दो वर्षों की छूट के पश्चात CIVs पर प्रतिभूति लेनदेन कर (Securities Transaction Tax- STT) लागू किया जा सकता है।

नोट :

लाभ:

- समिति की सिफारिशों को अपनाने से स्टार्टअप कंपनियों में निवेश को बढ़ावा देने में सहायता प्राप्त होगी।
- वर्तमान में COVID-19 की महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के बीच स्टार्टअप रोज़गार और बाज़ार में मांग को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

'भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक' (Small Industries Development Bank of India- SIDBI):

- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) एक संविधिक निकाय है, इसकी स्थापना 2 अप्रैल, 1990 को की गई थी।
- SIDBI, यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास के साथ-साथ समान गतिविधियों से जुड़े संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिये प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है।
- SIDBI का मुख्यालय लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में स्थित है।

पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax):

- किसी 'पूंजीगत परिसंपत्ति' की बिक्री से हमें जो भी लाभ प्राप्त होता है उसे 'पूंजीगत लाभ' कहा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, इस लाभ को 'आय' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अत: संपत्ति हस्तांतरित करने वाले व्यक्ति को अपने द्वारा कमाए गए लाभ पर आय के रूप में कर देना होता है जिसे 'पूंजीगत लाभ कर' कहा जाता है।
- पूंजीगत लाभ कर दो प्रकार के होते हैं-

1. दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर: यह कर उन संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ पर लगाया जाता है जिन्हें एक वर्ष से अधिक समय तक रखा गया हो।
2. अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर: यह कर उन संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ पर लगाया जाता है जिन्हें एक वर्ष या उससे कम समय तक रखा गया हो।

प्रतिभूति लेन-देन कर (Securities Transaction Tax-STT):

- यह कर भारत के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के समय लगाया जाता है।
- क्रेता और विक्रेता दोनों को STT के रूप में शेयर मूल्य का 0.1% भुगतान करना होता है।

ऋण पुनर्गठन योजना में संतुलन की आवश्यकता: RBI गवर्नर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी से संबंधित तनाव से निपटने के लिये एक संतुलित ऋण पुनर्गठन योजना का आह्वान किया है।

प्रमुख बिंदु

- एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने महामारी के कारण उत्पन्न हुए तनाव से निपटने के लिये ऋण पुनर्गठन योजना में किसी भी प्रकार की छूट देने से इनकार करते हुए कहा कि इस योजना को जमाकर्त्ताओं और उधारकर्त्ताओं के हितों को संतुलित करने के उद्देश्य से संरचित किया गया है।
- शक्तिकांत दास के अनुसार, देश में करोड़ों की संख्या में ऐसे छोटे, बड़े, मध्यम और सेवानिवृत्त तमाम तरह के जमाकर्त्ता हैं, जिनके लिये बैंकों में जमा की गई राशि काफी महत्त्वपूर्ण है, जबकि देश भर में उधारकर्त्ताओं की संख्या तुलनात्मक रूप से काफी कम है।
- ध्यातव्य है कि देश का केंद्रीय बैंक उदार नीति अपनाकर वर्ष 2014 के बाद ऋण पुनर्गठन के कारण बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) में हुई अचानक वृद्धि को पुन: दोहराना नहीं चाहता है। वर्ष 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के मद्देनज़र भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाई गई अत्यधिक उदार नीति के कारण ही 2014-15 के बाद खराब ऋणों में काफी वृद्धि हुई है।

नोट :

पृष्ठभूमि

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी हालिया मौद्रिक नीति रिपोर्ट में कोरोना वायरस (COVID-19) से प्रभावित कंपनियों को राहत देने के लिये कई कदम उठाए थे। इसमें आम लोगों, बड़े निगमों, और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (MSME) की आय और बैलेंस शीट पर बढ़ते तनाव को कम करने के लिये ऋणदाताओं को उन्हें गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किये बिना ऋण के एकमुश्त पुनर्गठन की अनुमति दी थी।
  - ध्यातव्य है कि बड़ी संख्या में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियाँ तनाव का सामना कर रही हैं, क्योंकि उनका नकदी प्रवाह, उनके ऋण बोझ की तुलना में काफी कम हो रहा है।
- इसके पश्चात् भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने COVID-19 से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन पर के. वी. कामथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
  - इस समिति को कॉर्पोरेट ऋणों के एकमुश्त पुनर्गठन के लिये मापदंडों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया था।
  - इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुल 26 क्षेत्रों में ऋण के पुनर्गठन के लिये 5 वित्तीय अनुपातों और क्षेत्र-विशिष्ट सीमाएँ निर्धारित की थीं।
  - इसमें यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि पुनर्गठित ऋण कार्यकाल को दो वर्षों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

ऋण पुनर्गठन का अर्थ

- ऋण पुनर्गठन में मौजूदा ऋण की शर्तों को बदलना और उन्हें उधारकर्त्ताओं के लिये अधिक अनुकूल बनाना है। उदाहरण के लिये एक ऋणदाता ब्याज़ दर या मासिक भुगतान को कम करने के लिये ऋण का पुनर्गठन कर सकता है।
- ऋण पुनर्गठन का विकल्प सामन्यत: ऐसी स्थिति में चुना जाता है जब उधारकर्त्ता ऋण की पुरानी शर्तों के तहत ब्याज़ अथवा मासिक भुगतान करने में असमर्थ होता है।

संबंधित मुद्दे

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पुनर्गठन की योजना की आलोचना मुख्य तौर पर के. वी. कामथ समिति द्वारा निर्धारित 26 क्षेत्रों को लेकर की जा रही है। आलोचकों के अनुसार, इन 26 क्षेत्रों के अलावा भी कई अन्य क्षेत्र हैं जो इस महामारी के कारण तनाव में हैं और उन्हें ऋण पुनर्गठन की आवश्यक है।
  - 26 क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल, बिजली, पर्यटन, सीमेंट, रसायन, रत्न और आभूषण, लॉजिस्टिक्स, खनन, विनिर्माण, रियल एस्टेट और शिपिंग आदि शामिल हैं।
- इसके अलावा नियमों के अनुसार, पुनर्गठित ऋण कार्यकाल को दो वर्षों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, वहीं कई जानकारों का मानना है कि आर्थिक सुधार के लिये दो वर्ष की अवधि भी बहुत कम है और इसे बढ़ाने की मांग की जा रही है।
  - ध्यातव्य है कि जहाँ एक ओर देश की GDP में लगातार संकुचन दर्ज किया जा रहा है, वहीं दूसरी और सरकार के राजस्व को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिससे किसी दूसरे आर्थिक पैकेज की संभावना भी काफी कम है।

आगे की राह

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित ऋण पुनर्गठन योजना से कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी।
- हालाँकि ऋण पुनर्गठन को एक अस्थायी समाधान के तौर पर देखा जाना चाहिये, क्योंकि लंबे समय तक इसे जारी रखने से मुद्रास्फीति में वृद्धि, मुद्रा संकट और वित्तीय अस्थिरता हो सकती है।
- साथ ही नियामकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कंपनियों द्वारा ऋण पुनर्गठन के प्रावधानों का दुरुपयोग न किया जाए।

नोट :

लोकसभा में कृषि विधेयक पारित

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लोकसभा में दो कृषि विधेयकों- 'कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्द्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020' और 'मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा विधेयक, 2020' को बहुमत से पारित कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि लोकसभा में आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 [Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020] को पहले ही पारित किया जा चुका है।
- अब इन तीनों विधेयकों को राज्य सभा में प्रस्तुत किया जाएगा, राज्य सभा से पारित होने के बाद ये विधेयक कानून बन जाएंगे।
- ये विधेयक केंद्र सरकार द्वारा जून 2020 में कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु घोषित अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करेंगे।

'कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्द्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020'
[The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020]:

पृष्ठभूमि:

- वर्तमान में किसानों को अपनी उपज की बिक्री में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किसानों के लिये अधिसूचित कृषि उत्पाद विपणन समिति (APMC) वाले बाज़ार क्षेत्र के बाहर कृषि उपज की बिक्री पर कई तरह के प्रतिबंध थे।
- किसानों को केवल राज्य सरकारों के पंजीकृत लाइसेंसधारियों को उपज बेचने की बाध्यता भी निर्धारित थी साथ ही राज्य सरकारों द्वारा लागू विभिन्न APMC विधानों के कारण विभिन्न राज्यों के बीच कृषि उपज के मुक्त प्रवाह में भी बाधाएँ बनी हुई थी।

लाभ:

- इस विधेयक के माध्यम से एक नए पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना में सहायता मिलेगी जहाँ किसानों और व्यापारियों को कृषि उपज की खरीद और बिक्री के लिये अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।
- यह विधेयक राज्य कृषि उपज विपणन कानून के तहत अधिसूचित बाज़ारों के भौतिक परिसर के बाहर अवरोध मुक्त अंतर्राज्यीय और राज्यंतारिक व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देता है।
- इस विधेयक के माध्यम से अधिशेष उपज वाले क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज पर बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और साथ ही कम उपज वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनाज प्राप्त हो सकेगा।
- इस विधेयक में कृषि क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का भी प्रस्ताव किया गया है।
- इस अधिनियम के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई उपकर या लगान नहीं लिया जाएगा। साथ ही इसके तहत किसानों के लिये एक अलग विवाद समाधान तंत्र की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है।
- सरकार के अनुसार, यह विधेयक भारत में 'एक देश, एक कृषि बाज़ार' के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा विधेयक, 2020

[The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill, 2020]:

पृष्ठभूमि:

- भारतीय किसानों को छोटी जोत, मौसम पर निर्भरता, उत्पादन और बाज़ार की अनिश्चितता के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन कमज़ोरियों के कारण आर्थिक दृष्टि से कृषि में बहुत अधिक जोखिम होता है

विधेयक के लाभ:

- यह विधेयक किसानों को बगैर किसी शोषण के भय के प्रसंस्करणकर्त्ताओं, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा।

नोट :

- इसके माध्यम से किसान प्रत्यक्ष रूप से विपणन से जुड़ सकेंगे, जिससे मध्यस्थों की भूमिका समाप्त होगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा।
- इस विधेयक से कृषि उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँचाने हेतु आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण तथा कृषि अवसंरचना के विकास हेतु निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- इसके माध्यम से किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट्स (Inputs) तक पहुँच भी सुनिश्चित होगी।

विरोध:

- केंद्र सरकार द्वारा जून 2020 में कृषि संबंधी अध्यादेशों के जारी करने के बाद से ही पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा इसका विरोध देखने को मिला है।
- इसके विरोध में 'शिरोमणि अकाली दल' से जुड़ी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरन कौर बादल ने सरकार से अपना इस्तीफा दे दिया।

विरोध का कारण:

- हालाँकि ज्यादातर किसान तीनों विधेयकों का विरोध कर रहे हैं परंतु उनकी सबसे बड़ी आपत्ति 'कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्द्धन एवं सुविधा) विधेयक' के"व्यापार क्षेत्र", "व्यापारी", "विवाद समाधान" और "बाज़ार शुल्क" से संबंधित प्रावधानों से है।

1. व्यापार क्षेत्र:

- इस विधेयक की धारा 2(m) के अनुसार, व्यापार क्षेत्र की परिभाषा- 'कोई भी क्षेत्र या स्थान, उत्पादन, संग्रह और एकत्रीकरण का स्थान (जिसमें फार्म गेट, कारखाना परिसर, कोष्ठागार (Silos), गोदाम, कोल्ड स्टोरेज या कोई अन्य संरचना या स्थान शामिल है), जहाँ से किसानों की उपज का व्यापार भारत के क्षेत्र में किया जा सकता है।'
- हालाँकि इस परिभाषा में प्रत्येक राज्य एपीएमसी अधिनियम (APMC Act) के तहत गठित बाज़ार समितियों द्वारा संचालित और प्रबंधित परिसर, बाड़ों तथा संरचनाओं जैसे- प्रमुख बाज़ार यार्ड, उप-बाज़ार यार्ड, मार्केट सब-यार्ड एवं लाइसेंस धारक व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित निजी किसान-उपभोक्ता बाज़ार यार्ड को शामिल नहीं किया गया है।
- जिसका अर्थ है कि एपीएमसी अधिनियम के तहत स्थापित मौजूदा मंडियों को नए कानून के तहत व्यापार क्षेत्र की परिभाषा से बाहर रखा गया है।
- विरोधकर्त्ताओं के अनुसार, यह प्रावधान एपीएमसी मंडियों को उनकी भौतिक सीमाओं तक सीमित कर देगा और इससे बड़े कॉर्पोरेट खरीदारों को बढ़ावा मिलेगा।
- गौरतलब है कि वर्ष 2006 में बिहार राज्य में APMC प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, जिससे कृषि उपज के कारोबार में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है और किसानों को भारी क्षति हुई है।

2. व्यापारी:

- केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, पैन कार्ड धारक व्यापारी, निर्धारित व्यापार क्षेत्र में किसानों की उपज खरीद सकता है।
- विधेयक के अनुसार, एक व्यापारी एपीएमसी मंडी और व्यापार क्षेत्र दोनों में काम कर सकता है। हालांकि, मंडी में व्यापार के लिये, व्यापारी को राज्य एपीएमसी अधिनियम के तहत लाइसेंस/पंजीकरण की आवश्यकता होगी। वर्तमान मंडी प्रणाली में, आढ़तियों (कमीशन एजेंटों) को मंडी में व्यापार करने का लाइसेंस प्राप्त करना होता है।
- विरोधकर्त्ताओं के अनुसार, आढ़तियों की विश्वसनीयता अधिक है क्योंकि लाइसेंस की मंज़ूरी प्रक्रिया के दौरान वित्तीय स्थिति सत्यापित होती है, परंतु नए कानून के तहत किसानो के लिये एक व्यापारी पर विश्वास करना कठिन होगा।
  - कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, पंजाब और हरियाणा में आढ़तिया प्रणाली अधिक प्रभावशाली है, अत: इन राज्यों में अधिक विरोध देखने को मिला है।

नोट :

3. बाज़ार शुल्क:

- इस विधेयक की धारा-6 के तहत व्यापार क्षेत्र के अंदर किसी भी राज्य एपीएमसी अधिनियम या अन्य राज्य कानून के अंतर्गत किसान या व्यापारी पर कोई भी 'बाज़ार शुल्क या उपकर या लेवी' लागू करने की अनुमति नहीं है।
- इस प्रावधान से राज्य सरकार की आय में कमी आएगी और निजी क्षेत्र को लाभ होगा।
- उदाहरण के लिये: वर्तमान में, पंजाब में एपीएमसी में कर/कमीशन दर 8.5 प्रतिशत है, वर्ष 2019-20 में, पंजाब ने व्यापार शुल्क से राजस्व के रूप में 3,600 करोड़ रुपए एकत्र किये थे।
- कृषि उपज की बिक्री से कर या शुल्क के रूप में उत्पन्न राजस्व का उपयोग राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों और राज्य मंडियों के साथ संपर्क विकसित करने के लिये किया जाता है।

4. विवाद निवारण तंत्र:

- इस विधेयक की धारा-8 के अनुसार, किसान और व्यापारी के बीच लेन-देन से उत्पन्न विवाद के मामले में वे सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट (SDM) को एक आवेदन दाखिल करके सुलह कर सकते हैं।
- विरोधकर्त्ताओं के अनुसार, यह विधेयक विवाद के मामलों में किसानों को दीवानी अदालत में जाने की अनुमति नहीं देता और उन्हें भय है कि सुलह की प्रस्तावित प्रणाली का उनके खिलाफ दुरुपयोग किया जा सकता है।

सरकार का पक्ष:

- सरकार के अनुसार कृषि में निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से तथा विधेयक में प्रस्तावित अन्य सुधारों से कृषि क्षेत्र में बड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।'
- सरकार के अनुसार, इन सुधारों के बाद भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्राप्त होता रहेगा और राज्य कानूनों के तहत स्थापित मंडियों में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

आगे की राह:

- कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिये जाने के साथ APMC की पहुँच में विस्तार हेतु आवश्यक सुधार किये जाने चाहिये।
- सरकार द्वारा 'ई-नाम' (e-NAM) जैसे नवीन प्रयासों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में ई-ट्रेडिंग (e-Trading) को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- कृषि उपज पर MSP के संदर्भ में स्वामीनाथन समिति (Swaminathan Committee) की सिफारिशों को लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक प्रक्रिया का पुनर्जीवन

चर्चा में क्यों ?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे निचले स्तर पर औद्योगिक प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने के लिये प्रयासरत है। कुछ समय पूर्व MSME मंत्रालय ने अगरबत्ती निर्माण में रुचि रखने वाले कारीगरों के लिये आर्थिक सहायता में वृद्धि कर इसे दोगुना करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में मंत्रालय ने दो और योजनाओं- 'मिट्टी के बर्तन बनाने का काम (Pottery Activity)' और 'मधुमक्खी पालन गतिविधि' के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु:

मिट्टी के बर्तन निर्माण

मिट्टी के बर्तन निर्माण कार्य के लिये सरकार चॉक, क्ले ब्लेंजर और ग्रेनुलेटर जैसे उपकरणों की सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों (पारंपरिक तथा गैर-पारंपरिक बर्तन कारीगर) के लिये व्हील पॉटरी, प्रेस पॉटरी और जिगर जॉली पॉटरी निर्माण के लिये प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

नोट :

उद्देश्य

- उत्पादन में वृद्धि करने के लिये मिट्टी के बर्तनों के कारीगरों के तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करना और कम लागत पर नवीन उत्पादों का विकास करना।
- प्रशिक्षण और आधुनिक/स्वचालित उपकरणों के माध्यम से मिट्टी के बर्तनों के कारीगरों की आय में वृद्धि, बर्तनों के नवीन डिज़ाइन तैयार करने तथा मिट्टी के सजावटी उत्पाद बनाने के लिये स्वयं सहायता समूहों के कारीगरों को कौशल विकास की सुविधा प्रदान करना।
- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना (Prime Ministers Employment Generation Programme-PMEGP) के अंतर्गत इकाई स्थापित करने के लिये पारंपरिक रूप से मिट्टी के बर्तन निर्माण करने वाले कारीगरों को प्रोत्साहित करना।
- निर्यात और बड़ी खरीदार कंपनियों के साथ संबंध स्थापित करके आवश्यक बाज़ार संपर्क विकसित करने के साथ ही देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मिट्टी के बर्तन बनाने के लिये नए उत्पाद और नए तरह के कच्चे माल की व्यवस्था करना।
- मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को शीशे के बर्तन बनाने में भी दक्षता प्रदान करना और मास्टर प्रशिक्षक के रूप में काम करने की इच्छा रखने वाले बर्तन निर्माण के कुशल कारीगरों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाना।

कला विकसित करने के लिये उपाय

- मिट्टी के बर्तन निर्माण में शामिल स्वयं सहायता समूहों के कारीगरों के लिये बगीचों में रखे जाने वाले गमले, खाना पकाने वाले बर्तन, कुल्हड़, पानी की बोतलें, सजावटी उत्पाद जैसे उत्पादों पर केंद्रित कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाना।
- नई योजना का मुख्य बल उत्पाद की मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि करने तथा उत्पादन की लागत को कम करने के लिये बर्तनों के कारीगरों की तकनीकी दक्षता तथा उनके द्वारा स्थापित भट्टियों की क्षमता में वृद्धि करने पर है।
- इस योजना से मिट्टी के बर्तनों के कुल 6,075 पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कारीगर/ग्रामीण गैर-नियोजित युवा/प्रवासी मज़दूर लाभान्वित होंगे।
- MGIRI, वर्धा; CGCRI, खुर्जा; VNIT, नागपुर और उपयुक्त आईआईटी/एनआईटी/एनआईएफटी आदि के मिलकर साथ 6,075 कारीगरों की मदद तथा तथा उत्पाद विकास, अग्रिम कौशल कार्यक्रम और उत्पादों के गुणवत्ता मानकीकरण पर वर्ष 2020-21 के लिये वित्तीय सहायता के रूप में 19.50 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।
- मंत्रालय की स्फूर्ति (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries-SFURTI) योजना के अंतर्गत टेराकोटा और लाल मिट्टी के बर्तनों के निर्माण करने, पॉटरी से क्रॉकरी बनाने की क्षमता विकसित करने तथा टाइल सहित अन्य नवीन मूल्यवर्द्धित उत्पादों के निर्माण के लिये क्लस्टर्स विकसित किये जाएंगे। इसके लिये 50 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

मधुमक्खी पालन गतिविधि

'मधुमक्खी पालन गतिविधि' योजना के अंतर्गत सरकार 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोज़गार योजना' के तहत मधुमक्खी के बक्से, टूल किट आदि की सहायता प्रदान करेगी। लाभार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार 5 दिनों का मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण भी विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों/राज्य मधुमक्खी पालन विस्तार केंद्रों/मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

उद्देश्य

- मधुमक्खी पालकों/किसानों के लिये स्थायी रोज़गार पैदा कर मधुमक्खी पालकों/किसानों के लिये पूरक आय प्रदान करना।
- शहद और शहद से बने उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा कारीगरों को मधुमक्खी पालन एवं प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीके अपनाने में सहायता करना।
- मधुमक्खी पालन में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना और मधुमक्खी पालन गतिविधि में परागण के लाभों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
- मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आय के स्रोत सृजित करने के अलावा, इसका अंतिम उद्देश्य देश को इन उत्पादों के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनाना है।

नोट :

मधुमक्खी पालन योजना में किये गए उपाय

- कारीगरों की आय में वृद्धि करने के उदेश्य से प्रस्तावित शहद उत्पादों के लिये अतिरिक्त मूल्य की व्यवस्था करना और मधुमक्खी पालन तथा प्रबंधन के लिये वैज्ञानिक उपायों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना।
- शहद आधारित उत्पादों की निर्यात वृद्धि में सहायता करना।
- वर्ष 2020-21 के दौरान योजना में प्रस्तावित तौर पर जुड़ने वाले 2050 मधुमक्खी पालक/उद्यमी/किसान/ बेरोज़गार युवा/आदिवासी इन परियोजनाओं/कार्यक्रमों से लाभान्वित होंगे।
- इसके लिये 2050 कारीगरों (स्वयं सहायता समूहों के 1,250 व्यक्ति और 800 प्रवासी कामगारों) को सहायता देने के लिये वर्ष 2020-21 के दौरान 13 करोड़ रुपये के वित्तीय समर्थन का प्रावधान किया गया है।
- साथ ही CSIR/आईआईटी या अन्य शीर्ष स्तर के संस्थानों के साथ मिलकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस (Centre of Excellence-CoE) शहद आधारित नए मूल्यवर्द्धित उत्पादों का विकास करेगा।
- मंत्रालय की 'SFURTI' योजना' के अंतर्गत हनी क्लस्टर्स के विकास के लिये अतिरिक्त 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

निष्कर्ष

इन दोनों कार्यक्रमों से देश में खपत की जाने वाली इन वस्तुओं/सामानों की घरेलू स्तर पर ही आपूर्ति होने से 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के क्रम में सहायता मिलेगी। प्रशिक्षण, कच्चे माल की आपूर्ति, विपणन और वित्तीय समर्थन के माध्यम से कारीगरों को सहयोग देने से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कारीगर, स्वयं सहायता समूह और 'प्रवासी कामगार' लाभान्वित होंगे। ये कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसरों में वृद्धि के अलावा उत्पादों के 'निर्यात बाज़ार' विकास में भी सहायक सिद्ध होंगे।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-PMGSY) के बारे में जानकारी दी।

प्रमुख बिंदु

योजना का परिचय

- एकमुश्त विशेष हस्तक्षेप के रूप में PMGSY के पहले चरण की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई। PMGSY का प्रमुख उद्देश्य निर्धारित जनसंख्या वाली असंबद्ध बस्तियों को ग्रामीण संपर्क नेटवर्क प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण करना है। योजना के अंतर्गत जनसंख्या का आकार मैदानी क्षेत्रों में 500+ और उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों, मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों में 250+ निर्धारित किया गया है।
- इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य निर्धारित मानकों को पूरा करने करने वाली असंबद्ध बस्तियों को सड़क नेटवर्क प्रदान करना है। प्रारंभ में राज्यों के लिये सड़कों की लंबाई/वित्तीय लक्ष्य/आवंटन के संदर्भ में कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गए थे। स्वीकृत परियोजनाओं के मूल्यों के अनुरूप राज्यों को निधि का आवंटन बाद के वर्षों में किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में समग्र दक्षता में सुधार हेतु ग्रामीण सड़क नेटवर्क में 50,000 किमी. के उन्नयन के लिये PMGSY-II की शुरुआत की गई।
- ग्रामीण कृषि बाज़ार (GrAMs), उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों को प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों से जोड़ने हेतु वर्ष 2019 में 1,25,000 किमी. के समेकन के लिये PMGSY-III को प्रारंभ किया गया।
- PMGSY के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण और विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में प्रस्तावित ज्यामितीय डिज़ाइन और भारतीय सड़क कॉन्ग्रेस (Indian Road Congress-IRC) के मैनुअल और अन्य प्रासंगिक IRC कोड और मैनुअल के अनुसार किया जाता है।

नोट :

- मंत्रालय द्वारा योजना के अंतर्गत कार्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत 'विस्तृत परियोजना रिपोर्ट' (Detailed Project Report-DPR) के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं।
- राज्यों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी करते समय लागत को प्रभावित करने वाले भौतिक और पर्यावरणीय कारकों, जैसे- स्थलाकृति, मिट्टी के प्रकार, जलवायु, यातायात घनत्व, वर्षा और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित तकनीकी विशिष्टताओं, जैसे- आवश्यक जल निकासी, नालियों और संरक्षण कार्यों की आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है।
- सड़क निर्माण कार्यों के लिये लागत अनुमान तैयार करते समय भौगोलिक और संबंधित कारकों को ध्यान में रखा जाता हैं। PMGSY-I के अंतर्गत पात्र बस्तियों के आधार पर और PMGSY-II तथा III के मामले में सड़कों की लंबाई के आधार पर लक्ष्य आवंटित किये जाते हैं।
- योजना में विशेष वितरण के उपाय के रूप में केंद्र सरकार पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में परियोजना लागत का 90% वहन करती है, जबकि अन्य राज्यों में केंद्र सरकार लागत का 60% वहन करती है।

योजना के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ

- PMGSY के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़क नेटवर्क को वर्तमान में मरम्मत की तत्काल आवश्यकता है, लेकिन राज्य इन सड़कों के रखरखाव के लिये पर्याप्त मात्रा में व्यय नहीं कर रहे हैं। योजना क्रियान्वयन के नोडल मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिये यह एक चिंता का विषय है।
- मंत्रालय के एक अनुमान के अनुसार, योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के रखरखाव के लिये वर्ष 2020-21 से प्रारंभ होकर अगले पाँच वर्षों की अवधि के दौरान 75,000-80,000 करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता होगी। राज्यों द्वारा चालू वित्त वर्ष में 11,500 करोड़ रुपए खर्च किये जाने की आवश्यकता है और वर्ष 2024-25 तक आवश्यक राशि बढ़कर 19,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
- योजना के प्रारंभ होने के पश्चात् से अब तक लगभग 1.5 लाख बस्तियों को आपस में जोड़ने के लिये 6.2 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। इन सड़कों में से लगभग 2.27 लाख किमी. से अधिक लंबाई की सड़कें 10 वर्ष से अधिक और लगभग 1.79 लाख किमी. लंबी सड़कें 5 से 10 वर्ष तक पुरानी है। इन सभी को मिलाकर लगभग 67% सड़कों के उचित रखरखाव की आवश्यकता है।
- राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों में प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों का बार-बार स्थानांतरण योजना निगरानी की प्रभावशीलता को बाधित करता है। कुछ राज्यों द्वारा ऑनलाइन निगरानी प्रबंधन और लेखा प्रणाली पर नियमित रूप से योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति को अद्यतन नहीं करना भी चिंता का विषय है।
- अपर्याप्त परियोजना निष्पादन और अनुबंध क्षमता, भूमि तथा वन मंज़ूरी में देरी होना, आदि भी योजना की भौतिक प्रगति में आने वाली कुछ प्रमुख बाधाएँ हैं। PMGSY के कैग ऑडिट में देखा गया कि बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित नौ राज्य सड़कों के निर्माण में पिछड़े हुए थे।

आगे की राह

- योजना में भ्रष्ट और संदिग्ध ठेकेदारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जाना चाहिये, जिससे भविष्य में उन्हें टेंडर देने से बचा जा सके।
- वर्तमान में विद्यमान मुद्दों के समाधान के लिये खरीद प्रक्रिया को उन्नत करने के साथ ही मंत्रालय को ठेकेदारों को समय पर भुगतान भी सुनिश्चित करना चाहिये ताकि श्रमिकों को समय पर भुगतान किया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार विकास पर IFSCA समिति की अंतरिम रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (International Financial Services Centre-IFSC) में 'अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार विकास' पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) की विशेषज्ञ समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट IFSCA के अध्यक्ष को सौंप दी है। अंतरिम रिपोर्ट में IFSC में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यवसायों के तीव्र और कुशल विकास के उद्देश्य से कई सुझावों को सम्मिलित किया गया है। यह प्रमुख रूप से बैंकिंग क्षेत्र पर केंद्रित है। बीमा, परिसंपत्ति प्रबंधन और पूंजी बाज़ार आदि अन्य प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र हैं, जिन्हें समिति की रिपोर्ट में कवर किया जाएगा ।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- IFSCA द्वारा IFSC में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार को विकसित करने, IFSC को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिये आकर्षक बनाने हेतु संभावित रणनीतियों का निर्माण करने, IFSC में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार के विकास के लिये एक रोडमैप प्रदान करने और IFSC के विकास में महत्वपूर्ण अन्य मुद्दों का परीक्षण और अनुशंसा करने के उद्देश्य से विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।
- समिति के सुझावों के अनुसार IFSC को निम्न लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये-
  1. भारत में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और व्यापार के विकास के लिये स्वयं को एक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करना।
  2. भारतीय डायस्पोरा और एशिया तथा अफ्रीका के व्यक्तियों को IFSC से वित्तीय सेवाओं की एक व्यापक श्रेणी प्रदान करना।
  3. उदारीकृत प्रेषण योजना को उपलब्ध कराते हुए घरेलू निवासियों की सेवा करना।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC)

- IFSC घरेलू अर्थव्यवस्था के क्षेत्राधिकार से बाहर के ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह देश की सीमाओं के पार वित्त, वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के प्रवाह संबंधी मामले देखता है।
- गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी कंपनी लिमिटेड (Gujarat International Finance Tech (GIFT)-City Company Limited) को देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया गया है।
- लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर की गिनती विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों में की जाती है। विश्व भर में कई उभरते IFSCs, जैसे- शंघाई और दुबई, आने वाले वर्षों में एक वैश्विक भूमिका निभाने की ओर अग्रसर हैं।
- वर्ष 2007 में विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री पर्सी मिस्त्री (Percy Mistry) की अध्यक्षता में विशेषज्ञ पैनल ने मुंबई को एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाने के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने भारत सहित विश्व के अन्य देशों को अपने वित्तीय क्षेत्रों को तेज़ी से खोलने के बारे में सतर्क किया था।

रिपोर्ट के अनुसार भारत के लिये महत्ता

- IFSC अपने 'FinServe from IFSC' के दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को पूरा करने में सहायता करेगा।
- IFSC में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार विकास को बढ़ावा देने के संदर्भ में काफी क्षमताएँ विद्यमान हैं और यदि कुशलतापूर्वक कार्य किया जाए तो यह प्रमुख रूप से तीन उद्देश्यों को पूरा करेगा -
  - रोज़गार सृजन में वृद्धि करना।
  - भारत के लिये अतिरिक्त राजस्व का सृजन करना।
  - भारत में आधारभूत ढाँचे के निर्माण के लिये वित्त (विशेष रूप से भारतीय प्रवासियों से) को आकर्षित करना।
- विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष प्रदीप शाह के अनुसार, IFSC को अपने वर्ग क्षेत्राधिकार में प्रतिष्ठा, विनियामक वातावरण, कराधान और परिचालन में आसानी आदि कारकों के माध्यम से स्वयं को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने का लक्ष्य रखना चाहिये।
- भारत सरकार ने IFSC में वित्तीय सेवा बाज़ार के विकास और विनियमन के लिये इस वर्ष की शुरुआत में श्री आई. श्रीनिवास की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) का गठन किया था।
- IFSCA प्राधिकरण गिफ्ट सिटी (GIFT City) स्थित IFSC को भारत के अपतटीय व्यवसाय को चैनलाइज़ करने और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिये इसे प्रवेश द्वार बनाने के अलावा लंदन, हांगकांग, सिंगापुर की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिये एक वैश्विक केंद्र बनाने का उद्देश्य रखता है।

आगे की राह

- भारत में IFSC को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिये एक पसंदीदा वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिये इसी वर्ष अप्रैल में स्थापित IFSCA कुशल नियामक प्रणाली प्रदान करने के लिये काम कर रहा है।
- समिति की अनुशंषाओं के आधार पर IFSC में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा बाज़ार विकास और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं और निवेशकों के लिये IFSC को आकर्षक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिये।

नोट :

रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली छह रबी फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Prices-MSP) में बढ़ोतरी की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार के अनुसार, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में यह वृद्धि स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरुप हैं।
- गेहूँ: वर्ष 2020-21 के लिये गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को 1,975 रूपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो कि वर्ष 2019-20 में 1,925 रूपए प्रति क्विंटल से 2.6 प्रतिशत अधिक है।
  - ध्यातव्य है कि गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में सरकार द्वारा की गई वृद्धि बीते 11 वर्ष में सबसे कम है।
- मसूर: सरकार ने सबसे अधिक बढ़ोतरी मसूर (Lentil) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में की है, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 5100 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो कि वर्ष 2019-20 की अपेक्षा 6.25 प्रतिशत अथवा 300 रूपए अधिक है।
  - बीते वर्ष मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 325 रूपए प्रति क्विंटल या 7.26 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी।
- चना: चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बीते वर्ष की तुलना में 225 रूपए अथवा 4.62 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, और इसका मूल्य 5,100 रूपए प्रति क्विंटल पर पहुँच गया है।
  - वर्ष 2019-20 में चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 255 रुपए प्रति क्विंटल या 5.52 फीसद की वृद्धि की गई थी।
- सरसों: इस वर्ष सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 4,650 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो कि वर्ष 2019-20 की तुलना में 225 रूपए या 5.08 प्रतिशत अधिक है।
  - प्रतिशत के लिहाज़ से सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि बीते वर्ष की तुलना में 5.36 प्रतिशत अधिक है।
- कुसुम: कुसुम का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 112 रूपए अथवा 2.15 प्रतिशत बढ़ाकर 5,327 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसमें 270 रूपए अथवा 5.46 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।
- जौ: वर्ष 2020-21 के लिये जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 75 रूपए (4.92 प्रतिशत) वृद्धि कर इसे 1,600 रूपए निर्धारित किया गया है, जो कि बीते वर्ष 1,525 रूपए प्रति क्विंटल पर था।

स्वामीनाथन आयोग

- 18 नवंबर, 2004 को भारत सरकार ने एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग (NCF) का गठन किया था, जिसे स्वामीनाथन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आयोग का मुख्य उद्देश्य कृषि प्रणाली को स्थिरता प्रदान करने हेतु एक व्यवस्था का निर्माण करना और कृषि क्षेत्र को अधिक लाभदायक और लागत प्रतिस्पर्द्धी बनाना था।
- आयोग की सिफारिशें:
  - स्वामीनाथन आयोग अथवा राष्ट्रीय कृषक आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के अंतर्गत इस बात पर विशेष ज़ोर दिया गया था कि छोटे किसान को प्राप्त होने वाले लाभ तथा उसकी उत्पादन क्षमता के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना की जानी चाहिये।
  - आयोग ने अपनी सिफारिशों में किसानों को फसल लागत मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात कही थी।
  - किसानों हेतु लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिये उन्हें अनुबंध कृषि की ओर प्रोत्साहित करने की भी सिफारिश की गई थी।

महत्त्व

- सरकार का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयकों को लेकर किसानों द्वारा काफी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों का मत है कि सरकार द्वारा किये जा रहे नए कृषि विपणन सुधारों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सार्वजनिक खरीद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- इस प्रकार सरकार अपने इस निर्णय से किसानों के मध्य यह संकेत देना चाहती है कि सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सार्वजनिक खरीद पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नोट :

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एक प्रकार का बाज़ार हस्तक्षेप होता है, जिसमें सरकार किसानों को एक तरह से मूल्य सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करती है।
- सरल शब्दों में कहें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह न्यूनतम मूल्य होता है, जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज को खरीदने की गारंटी देती है।
- जब बाज़ार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो, तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है।
  - सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बोने से पहले करती है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा सर्वप्रथम 1960 के दशक में की थी।
- इस न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices-CACP) की संस्तुति पर वर्ष में दो बार रबी और खरीफ के मौसम में की जाती है।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)

- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, जो कि जनवरी 1965 में अस्तित्त्व में आया था।
- इस आयोग की स्थापना कृषि उत्पादों की संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से की गई थी।
- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) भारत सरकार को रबी और खरीफ के मौसम में कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सलाह देता है।

महामारी और भारतीय कृषि क्षेत्र

- वैश्विक कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी और उसके कारण लागू किये गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बावजूद सरकार द्वारा समय पर किये गए हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 के लिये लगभग 39 मिलियन टन गेहूँ की सर्वकालिक रिकार्ड खरीद हुई है।
- स्वास्थ्य महामारी की वर्तमान स्थिति में किसानों के समक्ष मौजूद समस्याओं का निराकरण करने की दिशा में सरकार द्वारा समन्वित प्रयास किये जा रहे हैं।
- भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु सरकार द्वारा किये गए कुछ हालिया प्रयास
  - न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी करने के साथ-साथ खरीद प्रक्रिया को भी दुरुस्त किया जा रहा ताकि अधिक-से-अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके।
  - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत से अब तक 10 करोड़ किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है, और इस योजना के तहत अब तक कुल 93,000 करोड़ रूपए वितरित किये गए हैं।
  - पिछले 6 माह में 1.25 करोड़ नए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी किये गए हैं।
  - महामारी के दौरान ई-नाम मार्केट्स की संख्या 585 से बढकर 1000 हो गई है। गौरतलब है कि बीते वर्ष में ई-प्लेटफॉर्म पर लगभग 35 हजार करोड़ रूपए का व्यापार हुआ था।
  - आगामी पांच वर्षों के दौरान 10,000 नए किसान-उत्पादक संगठन (FPO) के गठन के लिये 6,850 करोड़ रूपए खर्च करने की योजना बनाई गई है।
  - फल-सब्जियों, मछली-मांस और दूध जैसी जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन को आसान बनाने के लिये किसान रेल की शुरुआत की गई है।

नोट :

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक,2020

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लोकसभा ने अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने के लिये आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- लोकसभा द्वारा पारित यह विधेयक 5 जून 2020 को जारी किये गए अध्यादेशों का स्थान लेगा और लोकसभा द्वारा इसे 15 सितंबर, 2020 को पारित किया गया था।

उद्देश्य

- आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 का उद्देश्य निजी निवेशकों के व्यावसायिक कार्यों में अत्यधिक विनियामक हस्तक्षेप की आशंकाओं को समाप्त करना है।

आवश्यकता

- यद्यपि भारत में अधिकतर कृषि वस्तुओं के उत्पादनव्यापक पैमाने पर इस प्रकार की बर्बादी को रोका जा सकता है।

लाभ

- इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने विनियामक वातावरण को उदार बनाने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाए। संशोधन विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है।
- इस संशोधन के माध्यम से न केवल किसानों के लिये बल्कि उपभोक्ताओं और निवेशकों के लिये भी सकारात्मक माहौल का निर्माण होगा और यह निश्चित रूप से हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाएगा।
- इस संशोधन से कृषि क्षेत्र की समग्र आपूर्ति श्रृंखला तंत्र को मज़बूती मिलेगी। इस संशोधन के माध्यम से इस कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर किसान की आय दोगुनी करने और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

- आवश्यक वस्तुओं या उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये तथा उन्हें जमाखोरी और कालाबाज़ारी से बचाने के लिये सरकार ने वर्ष 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया था।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। अधिनियम की धारा 2 (A) में कहा गया है कि 'आवश्यक वस्तु का अर्थ इसी अधिनियम की अनुसूची (Schedule) में निर्दिष्ट वस्तुओं से है।
- यह अधिनियम केंद्र सरकार को अधिनियम की अनुसूची में आवश्यक वस्तु के रूप में किसी एक विशिष्ट वस्तु को जोड़ने अथवा उसे हटाने का अधिकार देता है।
- यदि केंद्र सरकार सहमत है कि सार्वजनिक हित में किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करना आवश्यक है तो वह राज्य सरकारों की सहमति से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर सकती है।
- किसी वस्तु को 'आवश्यक वस्तु' घोषित करने से सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है, साथ ही सरकार उस वस्तु के संबंध में एक स्टॉक सीमा भी लागू कर सकती है।

अधिनियम की आलोचना

- ध्यातव्य है कि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को ऐसे समय में बनाया था जब पूरा देश खाद्यान्न उत्पादन के असामान्य स्तर के कारण खाद्य पदार्थों की कमी का सामना कर रहा था। उस समय भारत अधिकांशत: अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आयात और अन्य देशों से मिलने वाली सहायता पर निर्भर था।

नोट :

- ऐसे में खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और कालाबाज़ारी को रोकने के लिये वर्ष 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया, किंतु अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं, अब भारत खाद्यान्न उत्पादन की दिशा में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुका है, इसलिये इन बदली हुई परिस्थितियों में अधिनियम को बदलना भी आवश्यक है।

इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India- NHAI) ने इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (Infrastructure Investment Trusts- InvIT) को सड़क बुनियादी ढाँचे के निर्माण हेतु धन जुटाने के लिये एक उपकरण के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु:

इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT):

- InvITs ऐसे उपकरण हैं जो म्यूचुअल फंड की तरह कार्य करते हैं। ये संपत्ति में निवेश करने हेतु कई निवेशकों से धनराशि की छोटी रकम को हासिल करने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं जो एक समयावधि में नकदी प्रवाह देते हैं। इस नकदी प्रवाह के हिस्से को निवेशकों में लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है।
- एक 'InvIT इनिशियल पब्लिक ऑफर' (Initial Public Offer- IPO) में न्यूनतम निवेश राशि 10 लाख रुपए है इसलिये उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों, संस्थागत एवं गैर-संस्थागत निवेशकों के लिये InvITs उपयुक्त हैं।
  - IPO के माध्यम से स्टॉक की तरह ही एक्सचेंजों में भी InvITs सूचीबद्ध हैं।
- हालाँकि भारतीय InvIT बाज़ार अभी परिपक्व नहीं हुआ है और उसने अब तक 10 InvIT के गठन का समर्थन किया है जिनमें से केवल दो सूचीबद्ध हैं।
  - स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध InvIT, आईआरबी InvIT फंड (IRB InvIT Fund) एवं इंडिया ग्रिड ट्रस्ट (India Grid Trust) हैं।
- InvIT को सेबी (इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्टस) विनियमन, 2014 द्वारा विनियमित किया जाता है।

InvIT की संरचना:

- म्यूचुअल फंड की तरह, इसके पास ट्रस्टी, प्रायोजक, निवेश प्रबंधक एवं परियोजना प्रबंधक होते हैं।
  - ट्रस्टी के पास InvIT के प्रदर्शन का निरीक्षण करने की ज़िम्मेदारी है।
  - प्रायोजक (Sponsor) कंपनी के प्रमोटर हैं जिन्होंने InvIT स्थापित किया है।
  - निवेश प्रबंधक को InvIT की परिसंपत्तियों एवं निवेशों की देखरेख का कार्य सौंपा जाता है।
  - प्रोजेक्ट के निष्पादन के लिये परियोजना प्रबंधक ज़िम्मेदार होता है।

आवश्यकता क्यों ?

- अक्तूबर, 2017 में भारत सरकार ने 5,35,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 34,800 किलोमीटर की सड़कों के विकास के लिये भारतमाला परियोजना की शुरूआत की थी।
  - इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिये NHAI को पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता है, परियोजनाओं को पूरा करने हेतु धनराशि जुटाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में निवेश करने के लिये 'पूर्ण एवं परिचालित राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों' का मुद्रीकरण करना तथा निजी हितधारकों को आकर्षक योजनाएँ प्रदान करना है।

लाभ:

- ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के निवेश में गिरावट आई है, NHAI द्वारा फंड जुटाने एवं बुनियादी ढाँचे पर खर्च करने से न केवल अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी बल्कि निजी क्षेत्र के निवेश में भी बढ़ोतरी होगी।

नोट :

- NHAI का InvIT ऑफर जो जल्द ही आने की उम्मीद है, भारत सरकार द्वारा सड़कों एवं बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में सार्वजनिक खर्च को बढ़ावा देने के लिये वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों को खोलने का एक तरीका है।
- एक InvIT भी कंपनी को अपने ऋण दायित्त्वों को जल्द पूरा करने के लिये मार्ग प्रदान करता है।
- यदि InvIT इकाइयों को 3 वर्ष से अधिक समय तक रखा जाता है तो InvIT धारकों को भी अनुकूल कर मानदंडों से लाभ होता है जिसमें लाभांश आय पर छूट एवं कोई पूंजीगत लाभ कर शामिल नहीं होता है।

निवेशकों के लिये सुरक्षा उपाय:

- प्रायोजक को तीन वर्षों की लॉक-इन अवधि के साथ न्यूनतम 15% InvIT इकाइयों को बनाए रखना होता है।
- InvIT को अपने शुद्ध नकदी प्रवाह का 90% निवेशकों को वितरित करना होता है।
- InvIT राजस्व उत्पन्न करने वाली बुनियादी ढाँचा संपत्ति में न्यूनतम 80% निवेश करना आवश्यक है।

पूर्वव्यापी कराधान व्यवस्था और वोडाफोन कर विवाद

चर्चा में क्यों ?

दिग्गज ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) में भारत सरकार के विरुद्ध 22,100 करोड़ रूपए के कर विवाद में जीत हासिल की है।

प्रमुख बिंदु

- एक महत्त्वपूर्ण मामले में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) ने निर्णय दिया है कि वर्ष 2007 के सौदे के लिये ब्रिटिश टेलीकॉम पर पूंजीगत लाभ और विथहोल्डिंग कर' (Withholding Tax) के रूप में 22,100 करोड़ रूपए की भारत सरकार की मांग 'निष्पक्ष और न्यायसंगत वैधानिक उपचार की गारंटी का उल्लंघन करती है।

  विथहोल्डिंग कर' (Withholding Tax)
- यह एक ऐसी राशि है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की आय से सीधे काटी जाती है और सरकार को व्यक्तिगत कर देयता के हिस्से के रूप में भुगतान की जाती है।

निर्णय के निहितार्थ

- स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) द्वारा वोडाफोन के पक्ष में दिया गया फैसला भारत की पूर्वव्यापी कराधान (Retrospective Taxation) नीतियों के लिये एक बड़ा झटका है।
- इस फैसले के कारण यह संभावना भी बढ़ जाती है कि भारत सरकार को इसी तरह के अन्य मामलों में भी हार का सामना करना पड़ेगा।

वोडाफोन कर विवाद

- दरअसल इस मामले की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी जब मई माह में ब्रिटिश कंपनी वोडाफोन ने 11 बिलियन डॉलर की लागत से बहुराष्ट्रीय कंपनी हचिसन व्हेंपोआ (Hutchison Whampoa) के भारतीय दूरसंचार व्यवसाय का अधिग्रहण किया था।
- इस सौदे के बाद सितंबर 2007 में भारत सरकार ने पहली पूंजीगत लाभ और विथहोल्डिंग कर' (Withholding Tax) के रूप में यह कहते हुए 7,990 करोड़ रूपए की मांग की कि वोडाफोन को हचिसन व्हेंपोआ को भुगतान करने से पूर्व स्रोत पर कर (Tax at Source) की कटौती करनी चाहिये थी, जो कि नहीं की गई।
  - यह पूरा विवाद इस प्रश्न पर केंद्रित है कि क्या भारत में स्थित संपत्ति के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (i) के तहत कर लागू किया जा सकता है अथवा नहीं।
  - आयकर अधिनियम की यह धारा पूंजीगत संपत्ति के एक कंपनी से दूसरी कंपनी में प्रत्यक्ष हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ कर लगाने का निर्देश देती है।
- वोडाफोन ने सरकार की इस मांग को बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिसने सरकार और आयकर विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया।

नोट :

- इस निर्णय के पश्चात् वोडाफोन ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिसमे वर्ष 2012 में निर्णय दिया कि वोडाफोन समूह की वर्ष 1961 के आयकर अधिनियम की व्याख्या पूर्णत: सही है और उसे हचिसन व्हेंपोआ कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने के लिये किसी भी प्रकार का कर भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वित्त अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव देकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया। इस संशोधन के माध्यम से आयकर विभाग को इस प्रकार के सौदों पर पूर्वव्यापी कर (Retrospectively Tax) वसूलने की शक्ति प्रदान की।
- संसद द्वारा पारित इस संशोधन के माध्यम से वोडाफोन एक बार फिर कर के दायरे में आ गई।

पूर्वव्यापी कर और अधिनियम में संशोधन

- वोडाफोन मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (i) में संशोधन कर स्पष्ट कर दिया कि जब दो अनिवासी इकाइयों के बीच शेयर का लेनदेन होता है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में स्थित संपत्ति का अप्रत्यक्ष हस्तांतरण होता है, तो ऐसी आय पर भारत में कर लगाया जाएगा।
- हालाँकि वर्ष 2012 के आयकर अधिनियम में संशोधन की सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि इसे वर्ष 1962 से प्रभावी किया गया था यानी यह पूर्वव्यापी कराधान की व्यवस्था थी।
- एक पूर्वव्यापी कर कानून वह है जो पारित होने वाली तारीख से पूर्व किसी अन्य तारीख से प्रभावी होता है। उदाहरण के लिये आयकर अधिनियम में अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर कर लगाने की व्यवस्था वर्ष 2012 में की गई थी, किंतु यह कर उन सभी लेन-देनों पर लागू हुआ था, जो वर्ष 1962 के बाद की गईं थीं। ध्यातव्य है कि वर्ष 1962 में ही आयकर अधिनियम लागू हुआ था।
- सामान्यत: कर अधिरोपित करने वाले देशों द्वारा पूर्वव्यापी कराधान की व्यवस्था का उपयोग अपनी कराधान नीतियों में उन विसंगतियों को ठीक करने के लिये किया जाता है, जिनका प्रयोग पूर्व में कंपनियों द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये किया गया हो।
- भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और इटली समेत कई देशों ने में पूर्वव्यापी कराधान व्यवस्था का प्रयोग किया है।

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में मामला

- वर्ष 2012 में जब संसद ने वित्त अधिनियम में संशोधन पारित किया तो वोडाफोन पर एक बार फिर कर के भुगतान का दायित्त्व आ गया।
- सरकार द्वारा किये गए इस संशोधन की वैश्विक स्तर पर निवेशकों द्वारा काफी आलोचना की गई, और यह कहा गया कि यह 'विकृत' प्रकृति का संशोधन है।
- चौतरफा अंतर्राष्ट्रीय आलोचना होते देख भारत ने वोडाफोन के साथ मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने की कोशिश की, किंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया।
- वर्ष 2014 में जब वोडाफोन और वित्त मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे को निपटाने के सभी प्रयास विफल हो गए तब वोडाफोन समूह ने वर्ष 1995 में भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty-BIT) के अनुच्छेद 9 को लागू कर दिया और यह मामला स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के समक्ष पहुँच गया।
- द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के अनुच्छेद 9 के अनुसार, भारत और नीदरलैंड की इकाइयों के बीच निवेश के संबंध में होने वाले किसी भी विवाद को जहाँ तक संभव हो वार्ता के माध्यम से ही सौहार्दपूर्वक निपटाया जाना चाहिये।
- अपने फैसले में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) ने कहा कि अब चूँकि यह स्थापित हो चुका था कि भारत ने नीदरलैंड के साथ किये गए द्विपक्षीय निवेश संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिये अब वह वोडाफोन से किसी भी प्रकार से कर की मांग नहीं कर सकता है।

द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT)

- 6 नवंबर, 1995 को भारत और नीदरलैंड ने एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र में कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देने और कंपनियों को संरक्षण प्रदान करने के लिये द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर हस्ताक्षर किये थे।

नोट :

- इस संधि के तहत यह तय किया गया कि दोनों देश दूसरे देश के निवेशकों के लिये अनुकूल परिस्थितियों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे।
- संधि के तहत यह तय किया गया कि दोनों देश यह सुनिश्चित करेंगे कि एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र में मौजूद कंपनियों को निष्पक्ष और न्यायसंगत वैधानिक उपचार की गारंटी मिलेगी।
- भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 22 सितंबर, 2016 को समाप्त हो गई है।

भारतीय पर्यटन उद्योग: चुनौती और संभावनाएँ

चर्चा में क्यों ?

प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस (World Tourism Day) मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों को पर्यटन के प्रति जागरूक करना है। वर्ष 2020 में विश्व पर्यटन दिवस की 40वीं वर्षगांठ मनाई गई है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि विश्व पर्यटन दिवस आगामी भविष्य के निर्माण में पर्यटन की क्षमताओं को पहचानने का एक अवसर प्रदान करता है।
- इस दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) द्वारा की गई थी, और तब से प्रत्येक वर्ष अलग-अलग देश विश्व पर्यटन दिवस की मेज़बानी करते हैं।
  - विदित हो कि भारत ने वर्ष 2019 में इस दिवस की मेजबानी की थी।

विश्व पर्यटन दिवस 2020

- वर्ष 2020 के लिये विश्व पर्यटन दिवस की थीम 'पर्यटन और ग्रामीण विकास' रखी गई है। यह थीम बड़े शहरों के बाहर रोज़गार और विकास के अवसर प्रदान करने तथा विश्व भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने में पर्यटन की भूमिका को रेखांकित करती है।
- भारत में पर्यटन मंत्रालय ने 27 सितंबर, 2020 को वर्चुअल माध्यम से विश्व पर्यटन दिवस का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 'साथी' (SAATHI) नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया।

'साथी' एप्लीकेशन

- 'साथी' एप्लीकेशन, भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) के साथ पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है, जो कि आतिथ्य उद्योग को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिये और होटलों की सुरक्षा के बारे में कर्मचारियों और मेहमानों के बीच विश्वास पैदा करने में आतिथ्य उद्योग की सहायता करने हेतु शुरू की गई है।

कोरोना वायरस महामारी और पर्यटन उद्योग

- पर्यटन विश्व भर में लाखों लोगों के लिये आजीविका का अवसर प्रदान करता है और इससे भी कहीं अधिक लोगों को अलग-अलग संस्कृतियों और प्राकृतिक खूबसूरती को करीब से देखने का अवसर प्रदान करता है।
- गौरतलब है कि वैश्विक पर्यटन उद्योग महामारी के कारण सबसे अधिक प्रभावित होने वाले उद्योगों में से एक है और महामारी ने इस उद्योग को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित किया है।
- आर्थिक प्रभाव
  - वर्ष 2019 के आँकड़ों के अनुसार, इस वर्ष वैश्विक व्यापार में पर्यटन उद्योग ने कुल 7 प्रतिशत का योगदान दिया था और प्रत्येक दस में से एक व्यक्ति को रोज़गार दिया था।
  - अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बंद होने, होटल बंद होने और हवाई यात्रा में गिरावट आने आदि के कारण वर्ष 2020 के पहले पाँच महीनों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आवाजाही में कुल 56 प्रतिशत की कमी देखी गई है, जो कि वर्ष 2009 के वैश्विक आर्थिक संकट से भी तीन गुना अधिक है।

नोट :

- संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) के अनुसार, इस क्षेत्र के वर्तमान परिदृश्य से पता चलता है कि वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की कुल संख्या में 58-78 प्रतिशत की कमी आ सकती है, जिसके कारण आगंतुकों द्वारा किये जाने वाले खर्च में कमी होगी और यह अनुमानानुसार, 310-570 बिलियन डॉलर के बीच में रह सकता है, जबकि वर्ष 2019 में यह तकरीबन 1.5 ट्रिलियन था।
- विश्व पर्यटन संगठन का अनुमान है कि महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर पर्यटन उद्योग से संबंधित लगभग 100 मिलियन लोगों के रोज़गार पर खतरा उत्पन्न हो गया है।

- आजीविका पर प्रभाव
  - पर्यटन उद्योग पर महामारी के प्रभाव के कारण गरीबी (SDG 1) और असमानता (SDG 10) में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, इसके अलावा वैश्विक स्तर पर प्रकृति और सांस्कृतिक संरक्षण से संबंधित प्रयासों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
  - ध्यातव्य है कि महामारी ने सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति की गति को भी काफी धीमा कर दिया है।
  - पर्यटन उद्योग महिलाओं, ग्रामीण समुदायों और अन्य वंचित समूहों के लिये सदैव से ही आय का एक प्रमुख स्रोत रहा है, ऐसे में इस उद्योग पर महामारी के प्रभाव के कारण इन लोगों के समक्ष भी आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है।
- सांस्कृतिक प्रभाव
  - पर्यटन उद्योग पर महामारी के प्रभाव के कारण सांस्कृतिक क्षेत्र में विरासत संरक्षण के प्रयासों और समुदायों, विशेष रूप से स्वदेशी लोगों और जातीय समूहों के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने पर काफी दबाव पड़ता है।
  - उदाहरण के लिये, हस्तशिल्प उत्पादों और कढ़ाई-बुनाई से संबंधित उत्पादों के बाज़ार बंद होने के कारण ग्रामीण लोगों खासतौर पर स्वदेशी महिलाओं के राजस्व पर काफी प्रभाव पड़ा है।
  - पर्यटन संस्कृति को बढ़ावा देने और परस्पर संवाद तथा समझ को विकसित करने हेतु प्रमुख वाहनों में से एक है, किंतु महामारी के प्रभाव के कारण सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संवाद में स्थिरता आ गई है।

भारत और पर्यटन उद्योग

- पर्यटन और आतिथ्य उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी व्यापक प्रभाव पड़ता है और ये उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
- आँकड़ों के अनुसार, भारत के पर्यटन उद्योग ने कुल 42 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान किया है, जो कि भारत में कुल रोज़गार के अवसरों का लगभग 8.1 प्रतिशत है।
- वर्ष 2019 में भारत के पर्यटन उद्योग ने देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में तकरीबन 9.3 प्रतिशत का योगदान दिया था और कुल निवेश में इसका 5.9 प्रतिशत हिस्सा था।
- विशेषज्ञों का मानना है कि यह क्षेत्र लाखों लोगों को गुणवत्तापूर्ण रोज़गार प्रदान करने में सक्षम है, जो कि भारत जैसे देश के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है, जहाँ 72 प्रतिशत जनसंख्या 32 वर्ष से कम उम्र की है और औसत आयु 29 वर्ष है।
- भारत में पर्यटन क्षेत्र के संबंध में अद्भुत विविधता दिखाई पड़ती है। भारत में कुल 38 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं, जो कि भारत को पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण बनाते हैं।

भारतीय पर्यटन उद्योग से संबंधित समस्याएँ

- जटिल वीज़ा प्रक्रिया: ई-वीज़ा सुविधा शुरू करने के बावजूद अभी भी भारत में आने वाले अधिकांश पर्यटक और आगंतुक वीज़ा के लिये आवेदन करने की प्रक्रिया को काफी बोझिल और जटिल मानते हैं। महामारी के दौरान वीज़ा की यह प्रक्रिया और भी अधिक जटिल हो गई है।
- अवसंरचना और कनेक्टिविटी का मुद्दा: प्राय: बुनियादी ढाँचे की कमी और अपर्याप्त कनेक्टिविटी के कारण कई बार पर्यटकों को कुछ विरासत पर जाने के लिये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिये कंचनजंगा जैसे कई पर्यटन स्थल अभी भी आसानी से आम लोगों के लिये उपलब्ध नहीं हैं।
- प्रचार और जागरूकता की कमी: यद्यपि बीते कुछ वर्षों में भारत के पर्यटन क्षेत्र के प्रचार में काफी वृद्धि देखी गई है, किंतु अभी भी ऑनलाइन मचों पर भारत के पर्यटक स्थलों को लेकर प्रचार और जागरूकता की कमी स्पष्ट दिखाई देती है।

नोट :

- पर्यटक सूचना केंद्रों को सही ढंग से प्रबंधित नहीं किया जाता है, जिससे घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिये आवश्यक जानकारी प्राप्त करना काफी मुश्किल हो जाता है।

- आवश्यक कौशल की कमी: पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिये पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों की कम संख्या भारत के पर्यटन उद्योग के लिये एक बड़ी चुनौती है, जिसके कारण भारत आने वाले पर्यटकों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करना मुश्किल हो जाता है।
- पर्यटक सुरक्षा: भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों को प्राय: लूट और चोरी आदि का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनके मन में भारत और देश की कानून-व्यवस्था को लेकर एक नकारात्मक छवि उत्पन्न होती है।

आगे की राह

- महामारी की समाप्ति के बाद सरकार को विरासत स्थलों की स्वच्छता के विषय पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि भारतीय विरासत स्थलों की ओर पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। साथ ही सरकार घरेलू पर्यटन उद्योग को भी प्रोत्साहित करना चाहिये।
- पर्यटन स्थलों के अवसंरचना विकास और उनकी कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, ताकि यात्रियों को किसी भी पर्यटन स्थल पर जाने में कठिनाई का सामना न करना पड़े।
- साथ-ही-साथ पर्यटन क्षेत्र में कार्य करने के लिये व्यापक स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यक है, ताकि पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएँ प्रदान की जा सकें।
- पर्यटन स्थलों पर किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने हेतु बेहतर स्वास्थ्य अवसंरचना को विकसित करना चाहिये।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2020 का अनावरण

चर्चा में क्यों ?

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (Defence Acquisition Process-DAP)–2020 का अनावरण किया है। पहली रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) वर्ष 2002 में लागू की गई थी, जिसके पश्चात् घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिये इसे समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है। रक्षा मंत्री ने DAP–2020 तैयार करने के लिये अगस्त, 2019 में महानिदेशक (अधिग्रहण) श्री अपूर्वा चंद्रा की अध्यक्षता में मुख्य समीक्षा समिति के गठन को मंज़ूरी दी थी।

DAP-2020 में सम्मिलित सुधार

- DAP-2020 को 1 अक्तूबर, 2020 से लागू किया जाएगा। इसमें कई हितधारकों से मिली टिप्पणियों/सुझावों को सम्मिलित किया गया है।
- आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य
  - किसी उपकरण की खरीद आयात से पूर्व अधिसूचित समय सीमा के बाद नहीं की गई है, यह सुनिश्चित करने के लिये आयात पर प्रतिबंध के लिये हथियारों/मंचों की एक सूची को अधिसूचित करना।
  - कलपुर्ज़ों/छोटे उपकरणों के स्तर पर निर्माण और स्वदेशी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना के लिये संभावित विदेशी विक्रेताओं की इच्छा का पता लगाना।
  - खरीद की नई श्रेणी के माध्यम से भारत में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से उपकरणों/कलपुर्ज़ों का निर्माण, रख-रखाव और मरम्मत सुविधा का निर्माण करना।
  - अंतर-सरकारी समझौतों के माध्यम से सह-उत्पादन सुविधाओं की स्थापना और 'आयात प्रतिस्थापन' के लक्ष्य को हासिल करना।
  - संविदात्मक सक्षमता हासिल करते हुए इसमें स्वदेशी पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से जीवन चक्र समर्थन लागत प्रणाली संवर्द्धन को अनुकूलित करना।
  - रक्षा विनिर्माण में नई FDI नीति की घोषणा के साथ कई उपयुक्त प्रावधानों को शामिल किया गया है ताकि घरेलू उद्योग को आवश्यक संरक्षण प्रदान करते हुए विदेशी OEM (Original Equipment Manufacturer) को भारत में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से 'विनिर्माण/रख-रखाव संस्थाओं'की स्थापना के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।

नोट :

- समयबद्ध तरीके से रक्षा खरीद प्रक्रिया और तीव्रता से निर्णय लेना। आत्मनिर्भर भारत अभियान में घोषित रक्षा सुधार के एक हिस्से के रूप में अनुबंध प्रबंधन का समर्थन करने के लिये एक परियोजना प्रबंधन इकाई (Project Management Unit- PMU) की स्थापना अनिवार्य है। PMU अधिग्रहण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिये निर्दिष्ट क्षेत्रों में सलाहकार और परामर्श सहायता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- वैश्विक और घरेलू बाज़ारों में उपलब्ध 'तुलनात्मक' उपकरणों के विश्लेषण के आधार पर सत्यापन योग्य मापदंडों की पहचान पर अधिक ज़ोर देना।
- DAP-2020 पारदर्शिता, निष्पक्षता और सभी को समान अवसरों के सिद्धांत के आधार पर प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ परीक्षण करने की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।

- ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (Ease of Doing Business): ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को निम्नलिखित प्रावधानों के साथ अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया है-
  - प्रक्रियात्मक बदलाव
    - 500 करोड़ रुपए तक के सभी मामलों में AoN (Acceptance of Necessity) के एकल चरण समझौते को स्थापित किया गया है, जिससे समय कम लगेगा।
  - प्रस्ताव के लिये अनुरोध (Request for proposal-RFP) और मानक अनुबंध दस्तावेज़ (Standard Contract Document-SCD): फ्लो-चार्ट संचालित दिशा-निर्देशों, भंडारण संरक्षण के प्रावधान और संविदा के निरस्तीकरण के अनुसार RFD और SCD प्रावधानों को सक्षम करने के कुछ उपायों को शामिल किया गया है।

DAP-2020 की प्रमुख विशेषताएँ

- भारतीय विक्रेताओं के लिये श्रेणियों में आरक्षण: नए प्रावधानों के तहत कई तरह की खरीद को विशेष तौर पर भारतीय निर्माताओं के लिये ही आरक्षित किया गया है। यह आरक्षण घरेलू भारतीय उद्योग में भागीदारी को विशिष्टता प्रदान करेगा।
- स्वदेशी सामग्री का संवर्द्धन: स्वदेशी सामग्री (Indigenous Content-IC) में समग्र वृद्धि, स्वदेशी सामग्री के सत्यापन की एक सरल और व्यावहारिक प्रक्रिया, स्वदेशी कच्चे माल का उपयोग, स्वदेशी सॉफ्टवेयर, जैसे- फायर कंट्रोल सिस्टम, रडार, एन्क्रिप्शन, कम्युनिकेशंस आदि को अपनाकर स्वदेशी सामग्री के संवर्द्धन के प्रावधान किये गए हैं।
- परीक्षण और जांच प्रक्रियाओं का युक्तिकरण:
  - उपयुक्तता और अन्य शर्तों पर परीक्षण उपकरण के लिये कार्यात्मक प्रभावशीलता की पुष्टि करने वाले उचित प्रमाण पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं।
  - परीक्षणों का दायरा प्रमुख ऑपरेशनल मापदंडों के भौतिक मूल्यांकन तक सीमित रहेगा।
  - परीक्षणों के दोहराव से बचाव और छूट समनुरूपता प्रमाण पत्र के आधार पर दी जाएगी।
- निरीक्षण: निरीक्षण की कोई पुनरावृत्ति विशेष रूप से उपकरणों की स्वीकृति के दौरान नहीं की जाएगी। थर्ड पार्टी निरीक्षण भी किया जाएगा।
- निर्माण और नवाचार: आईडेक्स (An innovation ecosystem for Defence titled Innovations for Defence Excellence-iDEX), प्रौद्योगिकी विकास कोष और आंतरिक सेवा संगठनों जैसी विभिन्न पहलों के तहत 'नवाचार' के माध्यम से विकसित प्रोटोटाइप (Prototype) की खरीद की सुविधा दी गई है।
- डिजाइन और विकास: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान (Defence Research and Development Organisation-DRDO)/DPSU (Defence Public Sector Undertakings)/OFB (Ordnance Factory Board) द्वारा डिजाइन और विकसित प्रणालियों के अधिग्रहण के लिये DAP-2020 में अलग से एक समर्पित अध्याय शामिल किया गया है। प्रमाणीकरण और सिमुलेशन के माध्यम से मूल्यांकन पर अधिक ज़ोर देने और समय में कमी लाने के लिये एकीकृत एकल चरण परीक्षणों के साथ एक सरल प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
- उद्योग के अनुकूल वाणिज्यिक शर्तें:
  - विक्रेताओं द्वारा प्रारंभिक मूल्यों को बढ़ाने से रोकने और परियोजना की वास्तविक कीमत पर बड़े अनुबंधों के लिये मूल्य बदलाव खंड शामिल किया गया है।

नोट :

- विक्रेताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिये तय समयसीमा के अंदर डिजिटल सत्यापन के प्रावधानों को शामिल किया गया है।

ऑफसेट के प्रावधान में परिवर्तन

- ऑफसेट दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया है, जिसमें घटकों की बजाय पूर्ण रक्षा उत्पादों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।
- भारत की ऑफसेट नीति के अनुसार, विदेशी कंपनियों को अनुबंध का 30 प्रतिशत हिस्सा भारत में अनुसंधान या उपकरणों पर खर्च करना होता है। पुरानी रक्षा खरीद प्रक्रिया में रक्षा मंत्रालय ने यह ऑफसेट नीति विदेशी कंपनियों से 300 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा सौदों के लिये बनाई थी, जिसे DAP-2020 में बदल दिया गया है।
- कैग ने संसद में डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी (Defence Offset Policy) पर संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट के अनुसार, डसॉल्ट एविएशन से 59 हजार करोड़ रुपए में 36 राफेल विमानों की डील करते समय ऑफसेट समझौते में DRDO को कावेरी इंजन की तकनीक देकर 30 प्रतिशत ऑफसेट पूरा करने की बात तय हुई थी, लेकिन अभी तक यह वादा पूरा नहीं किया गया है।
- वर्ष 2005 से वर्ष 2018 तक विदेशी कंपनियों से 66 हज़ार करोड़ रुपए के कुल 46 ऑफसैट हस्ताक्षरित हुए। इनमें से 90 प्रतिशत मामलों में कंपनियों ने ऑफसेट के बदले में सिर्फ सामान खरीदा है, किसी भी केस में तकनीक हस्तांतरित नहीं हुई है। इस विफलता को देखते हुए सरकार ने ऑफसेट नीति में परिवर्तन किया है।

आगे की राह

एक वर्ष से भी अधिक समय में तैयार की गई DAP-2020 भारत सरकार के आत्म-निर्भर भारत के विज़न और मेक इन इंडिया के अनुकूल प्रक्रिया है। DAP-2020 दस्तावेज़ एक विश्वास पैदा करता है और यह रक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।

भारत में लोकप्रिय हो रहा ईएसजी फंड्स

चर्चा में क्यों ?

भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग में 'ईएसजी फंड' (ESG Funds) तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं। हाल ही में 'आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड' (ICICI Prudential Mutual Fund) ने अपने ईएसजी फंड की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु:

- पहला ईएसजी म्यूचुअल फंड 'भारतीय स्टेट बैंक' द्वारा लॉन्च किया गया था। जिसे 'एसबीआई मैग्नम इक्विटी ईएसजी फंड' (SBI Magnum Equity ESG Fund) के नाम से जाना जाता है।

ईएसजी फंड (ESG Funds):

- ईएसजी (ESG) तीन शब्दों अर्थात् पर्यावरण (Environment), सामाजिक (Social) और शासन (Governance) का संयोजन है।
- यह एक तरह का म्यूचुअल फंड है। इसमें निवेश स्थायी रूप से सतत् निवेश (Sustainable Investing) या सामाजिक रूप से उत्तरदायी निवेश (Socially Responsible Investing) के साथ किया जाता है।
- आमतौर पर म्युचुअल फंड किसी कंपनी के अच्छे स्टॉक को दर्शाता है जिसमें कमाई, प्रबंधन गुणवत्ता, नकदी प्रवाह, व्यवसाय संचालन, प्रतिस्पर्द्धा आदि की क्षमता होती है।
- हालाँकि निवेश के लिये एक स्टॉक का चयन करते समय सबसे पहले 'ESG फंड शॉर्टलिस्ट कंपनियों' के पर्यावरण, सामाजिक ज़िम्मेदारी एवं कॉर्पोरेट प्रशासन पर उच्च स्कोर को देखा जाता है, इसके बाद वित्तीय कारकों पर गौर किया जाता है।
  - इसलिये 'ईएसजी फंड' एवं अन्य फंडों के बीच महत्त्वपूर्ण अंतर 'निवेशक के विवेक' पर आधारित होता है अर्थात् ईएसजी फंड पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं, नैतिक व्यापार प्रथाओं एवं एक कर्मचारी-अनुकूल रिकॉर्ड वाली कंपनियों पर केंद्रित होता है।
- इस फंड को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित किया जाता है।

नोट :

लोकप्रियता का कारण:

- आधुनिक निवेशक पारंपरिक दृष्टिकोणों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं और पारंपरिक निवेश से पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों का भी मूल्यांकन कर रहे हैं। इस प्रकार निवेशकों ने अपनी निवेश प्रथाओं में ईएसजी कारकों को शामिल करना शुरू कर दिया है।
- 'यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट' (United Nations Principles for Responsible Investment- UN-PRI) नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निवेश निर्णय लेने में पर्यावरणीय, सामाजिक एवं कॉर्पोरेट प्रशासन कारकों के समावेश को बढ़ावा देने के लिये कार्य करता है।

प्रभाव:

- जैसे-जैसे भारत में 'ईएसजी फंड्स' को गति मिलेगी वैसे-वैसे कंपनियों को बेहतर प्रशासन, नैतिक प्रथाओं, पर्यावरण के अनुकूल उपायों एवं सामाजिक ज़िम्मेदारी का पालन करने के लिये भी मज़बूर होना पड़ेगा।
- जो कंपनियाँ 'सतत् व्यवसाय मॉडल' का पालन नहीं करती हैं उन्हें इक्विटी एवं ऋण दोनों जुटाने में मुश्किल होगी।
- वैश्विक स्तर पर पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड आदि में निवेश करने वाले निवेशक उन कंपनियों में निवेश नहीं करते हैं जिन्हें प्रदूषणकारी के रूप में देखा जाता है और जो सामाजिक ज़िम्मेदारी का पालन नहीं करती हैं जैसे- तंबाकू कंपनियाँ।
  - प्रति वर्ष वैश्विक तंबाकू उद्योग को 35 बिलियन अमेरिकी डालर का लाभ होता है। हालाँकि तंबाकू की वजह से प्रतिवर्ष लगभग 6 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। अत: निवेशक ऐसी वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं।

आगे की राह:

- ईएसजी अनुपालक कंपनियों (ESG Compliant Companies) का एक महत्त्वपूर्ण लाभ यह है कि ये तब और अधिक सुरक्षित हो जाएंगी जब नियामक और भी कठोर नियमों को लागू करेंगे।
- ईएसजी अनुपालक कंपनियों के लिये महत्त्वपूर्ण बाज़ार हिस्सेदारी हासिल करने की ज़रूरत उनके गैर-अनुपालन प्रतियोगियों की तुलना में अधिक होगी।
- ESG अनुपालन होने के कारण कंपनी की विश्वसनीयता एवं प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ जाती है और निवेशकों को उनकी स्थिरता के कारण आकर्षित करना सुनिश्चित हो जाता है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

इज़राइल-यूएई-बहरीन और अब्राहम एकॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में खाड़ी क्षेत्र के दो देशों बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने इज़राइल के साथ 'अब्राहम एकॉर्ड' (Abraham Accord) पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु:

- 'अब्राहम एकॉर्ड (Abraham Accord) इज़राइल और अरब देशों के बीच पिछले 26 वर्षों में पहला शांति समझौता है।
  - गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 1994 में इज़राइल और जॉर्डन के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, यह समझौता पूरे अरब क्षेत्र में व्यापक शांति स्थापना के लिये एक नींव का काम करेगा, हालाँकि इस समझौते में इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष के संदर्भ में कोई बात नहीं की गई है।
- ध्यातव्य है कि 13 अगस्त, 2020 को इज़राइल-यूएई शांति समझौते की घोषणा के बाद 11 सितंबर को बहरीन-इज़राइल समझौते की घोषणा की गई थी।
- अमेरिकी राष्ट्रपति ने अन्य अरब देशों के भी इस समझौते में शामिल होने के संकेत दिये हैं।

इज़राइल-संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल-बहरीन शांति समझौता

- इस समझौते के अनुसार, यूएई और बहरीन द्वारा इज़राइल में अपने दूतावास स्थापित करने के साथ पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- साथ ही इस समझौते के तहत इज़राइल ने वेस्ट बैंक की बस्तियों को इज़राइल में जोड़ने की अपनी योजना को 'स्थगित' कर दिया है।
- इज़राइल के प्रधानमंत्री के अनुसार, तीनों देशों द्वारा कोरोनावायरस की महामारी से निपटने के लिये सहयोग प्रारंभ कर दिया गया है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, इस समझौते के माध्यम से पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिये इज़राइल में ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करने और जेरूसलम में अल-अक्सा मस्जिद (इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल) में शांतिपूर्वक प्रार्थना करने का रास्ता साफ होगा।

कारण:

- इज़राइल के साथ अरब देशों की बढ़ती नज़दीकी का एक बड़ा कारण ईरान से इन देशों की शत्रुता को भी माना जा रहा है।
- हाल के कुछ वर्षों में खाड़ी देशों और इज़राइल के बीच संबंधों में कुछ सुधार देखने को मिला था, ध्यातव्य है कि इसी माह सऊदी अरब ने यूएई और इज़राइल के बीच विमान सेवाओं को अपने वायु क्षेत्र से होकर जाने की अनुमति दी थी।
- इज़राइल तथा अरब देशों के बीच इस समझौते के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण रही है।

अरब-इज़राइल विवाद:

- वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने ऑटोमन साम्राज्य से फिलिस्तीन को अपने कब्जे में लिया और 2 नवंबर, 1917 की बॅल्फोर घोषणा (Balfour Declaration) के तहत यहूदियों को इस स्थान पर एक 'राष्ट्रीय घर' (National Home) देने का वचन दिया।
- नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र संकल्प-181 के तहत फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में विभाजित कर दिया गया तथा जेरूसलम को अंतराष्ट्रीय नियंत्रण में रखा गया।
- इस विभाजन में पूर्वी जेरूसलम सहित वेस्ट बैंक का हिस्सा जॉर्डन के पास और गाजापट्टी का क्षेत्र मिस्र (Egypt) के पास चला गया, इसमें इज़राइल की सेना से बचते हुए लगभग 760,000 फिलिस्तीनी शरणार्थियों ने वेस्ट बैंक, गाजापट्टी तथा अन्य अरब देशों में जाकर शरण ली।

नोट :

- 14 मई, 1948 को इज़राइल की स्थापना हुई जिसके बाद लगभग 8 महीनों तक इज़राइल और अरब देशों में युद्ध चला।
- वर्ष 1967 की प्रसिद्ध 'सिक्स डे वॉर' (Six-Day War) के दौरान इज़राइल ने जॉर्डन, सीरिया और मिस्र को परास्त कर पूर्वी यरुशलम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स (Golan Heights) पर कब्जा कर लिया।
- वर्ष 1967 में अरब देशों ने खार्तूम बैठक में 'तीन नकारात्मक सिद्धांत (Three Nos)' का प्रस्ताव पेश किया जिसके अंतर्गत 'इज़राइल के साथ कोई शांति नहीं, इज़राइल के साथ कोई वार्ता नहीं और इज़राइल को किसी प्रकार की मान्यता नहीं' का प्रावधान किया गया।
  - हालाँकि इस सिद्धांत से हटते हुए वर्ष 1979 में मिस्र ने तथा जॉर्डन ने वर्ष 1994 में इज़राइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया था।

प्रभाव:

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को उम्मीद है कि इस समझौते के माध्यम से एक राजनेता के रूप में ट्रंप की छवि मज़बूत होगी।
  - गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अब लगभग दो माह से भी कम का समय बचा है और अब तक चुनाव प्रचार में कोरोनावायरस, नस्लभेद और अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे ही हावी रहें हैं, जबकि विदेशी नीति की कोई बड़ी भूमिका नहीं रही है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, यह समझौता अरब क्षेत्र में सक्रिय युद्धों को नहीं समाप्त करेगा परंतु यह दशकों से चल रही शत्रुता के बाद एक व्यापक अरब-इज़राइल मैत्री का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
- इज़राइल के प्रधानमंत्री ने इस समझौते को नई सुबह की शुरुआत बताया है, यह समझौता इज़राइली प्रधानमंत्री को देश की स्थानीय राजनीति में अपनी छवि मज़बूत करने में सहायता प्रदान कर सकता है।
- यूएई के विदेश मंत्री ने इस समझौते को क्षेत्र की शांति के लिये महत्त्वपूर्ण बताया है, उनहोंने कहा कि यह समझौता राजनीतिक लाभ की भावना से परे है और शांति के अलावा और कोई भी विकल्प विनाश, गरीबी और मानव पीड़ा को ही बढ़ावा देगा।
- यह समझौता यूएई को अपनी रूढ़िवादी छवि से बाहर आने में सहायता करेगा।
- बहरीन के विदेशमंत्री ने इज़राइल और बहरीन के बीच हुए समझौते को 'वास्तविक और स्थायी सुरक्षा तथा समृद्धि की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम बताया है।

फिलिस्तीन की प्रतिक्रिया:

- फिलिस्तीन ने इस समझौते का विरोध किया है, बहरीन द्वारा इस समझौते की घोषणा के बाद फिलिस्तीनी नेतृत्त्व ने इसे वापस लेने की मांग की थी। इस समझौते के बाद गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी कार्यकर्त्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।
- एक सर्वेक्षण के अनुसार, 86% फिलिस्तीनी लोगों ने का मानना है कि यह समझौता इज़राइल के हितों को पूरा करता है फिलिस्तीन के नहीं।

सऊदी अरब की भूमिका :

- विशेषज्ञों के अनुसार, सऊदी अरब की सहमति के बगैर बहरीन इस समझौते के लिये आगे नहीं बढ़ सकता।
- सऊदी अरब पर इज़राइल के साथ संबंधों को सामान्य करने का दबाव के बावजूद वह इस्लाम में सबसे पवित्र स्थल का संरक्षक होने की वजह से वह अभी इस समझौते में शामिल नहीं हो सकता।
- हालाँकि बहरीन को इज़राइल के साथ समझौते की अनुमति देकर सऊदी अरब अमेरिकी राष्ट्रपति से अपने अच्छे संबंधों को बनाए रख सकेगा।
  - गौरतलब है कि वर्ष 2011 में बहरीन में उठे जन-विद्रोह को नियंत्रित करने के लिये सऊदी अरब ने कुवैत और यूएई के साथ अपनी सेना भेजी थी।
  - इसके साथ ही वर्ष 2018 में सऊदी अरब ने बहरीन को 10 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई थी।

भारत पर प्रभाव:

- हाल के वर्षों में भारत और खाड़ी के देशों के संबंधों में बहुत सुधार देखने को मिला है, साथ ही इज़राइल के साथ भी रक्षा सहित कई अन्य क्षेत्रों में भारत ने बड़ी साझेदारी की है।

नोट :

- खाड़ी क्षेत्र के देश, ऊर्जा (खनिज तेल) और प्रवासी कामगारों के लिये रोज़गार की दृष्टि से भारत के लिये बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं, इस समझौते से क्षेत्र में स्थिरता के प्रयासों को बल मिलेगा जो भारत के लिये एक सकारात्मक संकेत है।
- इस समझौते से खाड़ी क्षेत्र के देशों में भारत की राजनीतिक पकड़ और अधिक मज़बूत होगी।

चुनौतियाँ:

- इस समझौते में फिलिस्तीन समस्या पर कोई बात नहीं की गई, जिससे भविष्य में फिलिस्तीन का संकट और भी बढ़ सकता है।
- इस समझौते पर इज़राइल में व्यापक समर्थन देखने को मिला है परंतु इज़राइल में ऐसी चिंताएँ बनी हुई हैं कि इस समझौते के परिणामस्वरूप बहरीन और यूएई के लिये अमेरिका से परिष्कृत हथियारों की खरीद संभव हो सकती है, जो क्षेत्र में इज़राइल की सैन्य बढ़त को प्रभावित कर सकता है।
- इस बात का भी अनुमान है कि बहरीन और यूएई में इस समझौते को इज़राइल की तरह व्यापक जन-समर्थन नहीं प्राप्त हुआ है, गौतलब है कि दोनों देशों ने इस समझौते के लिये अपने राज्य या सरकार के प्रमुखों को नहीं बल्कि विदेश मंत्रियों को भेजा था।
- बहरीन के शिया बाहुल्य विपक्षी समूह ने इस समझौते का विरोध किया है, गौरतलब है कि बहरीन में शिया मुस्लिमों की आबादी अधिक है परंतु बहरीन के वर्तमान राजा एक सुन्नी मुसलमान हैं।
- इस समझौते से अरब देशों के बीच शिया और सुन्नी का मतभेद और अधिक बढ़ सकता है।

आगे की राह:

- इस क्षेत्र में स्थायी शांति के लिये शिया और सुन्नी तथा फारसियों (Persian) एवं अरब के बीच संतुलन को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक होगा।
- हाल के वर्षों में अरब देशों में बड़े आर्थिक और राजनीतिक बदलाव देखने को मिले हैं, वर्तमान में क्षेत्र के अधिकाँश देशों ने खनिज तेल और इस्लामिक कट्टरपंथ से हटकर एक आधुनिक तथा प्रगतिशील देश के रूप में स्वयं को प्रकट करने का प्रयास किया है।
- भारत को इस क्षेत्र के उभरते बाज़ार में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये।

माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई की पुन: गणना

चर्चा में क्यों ?

विश्व के सबसे ऊँचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई को पुन: मापने के निर्णय के तकरीबन एक वर्ष बाद चीन और नेपाल जल्द ही इस संबंध में अपने आधिकारिक आँकड़े जारी करेंगे।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि चीन और नेपाल ने मिलकर विश्व के सबसे ऊँचे पर्वत को मापने के लिये वर्ष 2019 में एक समझौता ज्ञापन के तहत सहमति व्यक्त की थी, जिसके मुताबिक दोनों देश माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई के संबंध में एक साथ अपने निष्कर्षों की घोषणा करेंगे।
  - हालाँकि महामारी के कारण इस प्रकार की घोषणा में काफी देरी हुई है।

पुन: ऊँचाई मापने का कारण

- माउंट एवरेस्ट की वर्तमान आधिकारिक ऊँचाई 8,848 मीटर है, जिसकी गणना वर्ष 1956 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) की गई थी और अब इस संख्या को व्यापक स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है।
- हालाँकि बीते कुछ वर्षों में विभिन्न टेक्टोनिक गतिविधियों (Tectonic Activity) के कारण इस पर्वत की ऊँचाई में परिवर्तन आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उदाहरण के लिये वर्ष 2015 में नेपाल में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इस भूकंप के कारण बर्फ की चोटी में कुछ कमी आ सकती है।
- चर्चा एक अन्य महत्त्वपूर्ण विषय यह है कि माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई को उसकी उच्चतम चट्टान बिंदु के आधार पर मापी जाए अथवा उच्चतम बर्फ बिंदु के आधार पर।

नोट :

- वर्षों से नेपाल और चीन के बीच इसी मुद्दे को लेकर असहमति थी, किंतु अंततः इसे वर्ष 2010 में हल कर लिया गया था, जब नेपाल ने चीन के दावे को और चीन ने नेपाल के दावे को स्वीकार कर लिया था।
- पर्वत की ऊँचाई को पुनः मापने का एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि इसकी गणना अब तक केवल भारतीय, अमेरिकी या यूरोपीय सर्वेक्षणकर्त्ताओं द्वारा की गई है और चीन तथा नेपाल द्वारा किये जा रहे संयुक्त प्रयास दोनों देशों के राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व करेगा।

ऊँचाई संबंधी नए आँकड़े

- दोनों देशों के बीच सहमति बनने के पश्चात् वर्ष 2019 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल के दौरे पर गए तो दोनों देशों ने एवरेस्ट की ऊँचाई को पुनः मापने और इस संबंध में अपने-अपने निष्कर्षों को एक साथ घोषित करने पर सहमति व्यक्त की थी।
- गौरतलब है कि नेपाल के सर्वेक्षणकर्त्ताओं के समूह ने बीते वर्ष ही अपना कार्य पूरा कर लिया था, जबकि चीन के सर्वेक्षणकर्त्ताओं ने कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के बीच मई माह में अपना अभियान पूरा किया था।
- हालाँकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि उस स्थिति में क्या होगा जब दोनों देश अलग-अलग माप प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि दोनों देशों के समूहों ने पर्वत की ऊँचाई की गणना करने के लिये अलग-अलग पद्धतियों का इस्तेमाल किया है, अतः यह संभव है कि दोनों के आँकड़ों में कुछ अंतर हो।
  - चीन इससे पहले भी एवरेस्ट की ऊँचाई की गणना दो बार कर चुका है, जिसमें पहली बार वर्ष 1975 में और दूसरी बार वर्ष 2005 में की गई थी।
  - इस बार चीन के सर्वेक्षणकर्त्ताओं के समूह ने पर्वत की ऊँचाई की गणना करने के लिये चीन के घरेलू बाईडू नेवीगेशन सैटेलाइट सिस्टम का प्रयोग किया है।

माउंट एवरेस्ट के बारे में

- नेपाल और तिब्बत (चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र) के बीच स्थित तकरीबन 8,848 मीटर (29,035 फीट) ऊँचा माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक उच्च चोटी है, इसे पृथ्वी का सबसे ऊँचा बिंदु माना जाता है।
- इसकी वर्तमान आधिकारिक ऊँचाई 8,848 मीटर है, जो कि 'पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर' (Pakistan Occupied Kashmir-PoK) में स्थित विश्व के दूसरे सबसे ऊँचे पर्वत के-2 (K-2) से 200 मीटर अधिक है। ध्यातव्य है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित के-2 पर्वत की आधिकारिक ऊँचाई 8,611 मीटर है।
- 19वीं शताब्दी में इस पर्वत का नाम भारत के पूर्व महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट (George Everest) के नाम पर रखा गया था।
- इस पर्वत को तिब्बत में चोमोलुंग्मा (Chomolungma) और नेपाल में सागरमाथा (Sagarmatha) के नाम से जाना जाता है।
- एवरेस्ट पर चढ़ने का सबसे पहला रिकॉर्ड न्यूज़ीलैंड के एक पर्वतारोही एडमंड हिलेरी (Edmund Hillary) और उनके तिब्बती गाइड तेनजिंग नोर्गे (Tenzing Norgay) की नाम है।

योशीहिदे सुगा: जापान के नए प्रधानमंत्री

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जापान ने योशीहिदे सुगा (Yoshihide Suga) को अपना नया प्रधानमंत्री चुना। वह जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (Liberal Democratic Party- LDP) से संबंधित हैं।

प्रमुख बिंदु:

- मुख्य चुनौतियाँ:
  - जापान के नए प्रधानमंत्री को COVID-19 महामारी से निपटना होगा, जापानी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना होगा और वर्ष 2021 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों की योजना भी बनानी होगी।

नोट :

- जापान की राजनीतिक प्रणाली:
  - जापान में एक बहुदलीय, द्विसदनीय, संसदीय, प्रतिनिधि लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र (Representative Democratic Constitutional Monarchy) है।
  - संविधान: जापान ने संविधान की सर्वोच्चता के साथ एकात्मक मॉडल को अपनाया है।
    - जापान का संविधान, जापान का मौलिक कानून है जिसे 3 मई, 1947 को अधिनियमित किया गया था।
    - यह भारत के अलावा दुनिया में मौलिक कर्त्तव्यों वाले बहुत कम लोकतांत्रिक देशों (Democratic Constitutions) में से एक है।
- जापान की शासन प्रणाली में एक विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका शामिल हैं।
  - जापान का सम्राट राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री, सरकार एवं मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। सम्राट के पास नाममात्र के औपचारिक अधिकार होते है।
  - विधायिका को 'नेशनल डाइट' (National Diet) के रूप में जाना जाता है। इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुने जाते हैं।
  - नेशनल डाइट में दो सदन- प्रतिनिधियों का उच्च सदन (Upper House of Representatives) एवं पार्षदों/सभासदों का निचला सदन (Lower House of Councillors) होते हैं।
  - प्रधानमंत्री को 'नेशनल डाइट' द्वारा नामित किया जाता है किंतु केवल जापानी सम्राट को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार है।
- भारतीय संविधान में जापानी संविधान से ली गई विशेषताएँ:
  - भारतीय संविधान में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure established by Law) को जापान के संविधान से लिया गया है।
    - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि "किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है"।
    - यह अमेरिकी संविधान में निहित 'कानून की उचित प्रक्रिया' (Due process of law) की अभिव्यक्ति से भिन्न है जो न केवल यह जाँचता है कि क्या कानून किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि यह कानून उचित एवं न्यायपूर्ण है कि नहीं।
- हालाँकि वर्ष 1978 में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के संरक्षण को विधायी कार्यवाही तक बढ़ाते हुए निर्णय दिया कि किसी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कानून उचित, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत होना चाहिये।
  - इसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अर्थ मात्र एक जीव के अस्तित्व से कहीं अधिक है। मानवीय गरिमा के साथ जीना तथा वे सब पहलू जो जीवन को अर्थपूर्ण, पूर्ण तथा जीने योग्य बनाते हैं, इसमें शामिल हैं।
- भारत-जापान संबंधों में हालिया विकास:
  - हाल ही में भारत और जापान ने एक लॉजिस्टिक समझौते (Logistics Agreement) पर हस्ताक्षर किये हैं जो दोनों पक्षों के सशस्त्र बलों को सेवाओं एवं आपूर्ति में निकटता से समन्वय करने की अनुमति देगा।
    - इस समझौते को 'एक्वीज़ीशन एंड क्रॉस-सर्विसिंग एग्रीमेंट' (Acquisition and Cross-Servicing Agreement-ACSA) के रूप में जाना जाता है।
  - हाल ही में भारतीय और जापानी युद्धपोतों ने हिंद महासागर में नौसेना अभ्यास किया।
    - भारत और जापान के रक्षा बलों ने द्विपक्षीय अभ्यासों की एक श्रृंखला का आयोजन किया है। इसके तहत दोनों देशों की वायु सेनाओं के द्वारा "शिन्यु मैत्री" (Shinyuu Maitri) और थल सेनाओं द्वारा 'धर्म गार्जियन' (DHARMA GUARDIAN) नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है।
    - दोनों देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मालाबार अभ्यास में भी भाग लेते हैं।
- जापान, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चीन की आक्रामक राजनीतिक एवं सैन्य व्यवहार के मद्देनज़र चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिये एक त्रिपक्षीय 'सप्लाई चैन रेज़ीलिएंस इनीशिएटिव' (Supply Chain Resilience Initiative-SCRI) शुरू करने पर विचार कर रहा है।

नोट :

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में 'सप्लाई चैन रेज़ीलिएंस' (Supply Chain Resilience) एक ऐसा दृष्टिकोण है जो किसी देश को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वह अपनी संपूर्ण आपूर्ति के लिये किसी एक देश पर निर्भर होने के बजाय अपने आपूर्ति के जोखिम का विस्तार अलग-अलग आपूर्तिकर्त्ता देशों तक करे।

- भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2019 में जापान का दौरा किया था। भारत के राष्ट्रपति की यह यात्रा 29 वर्षों के अंतराल के बाद जापान की पहली राष्ट्रपति यात्रा थी।

भारत-अमेरिका की आगामी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता

चर्चा में क्यों ?

अमेरिका द्वारा भारत-अमेरिका की आगामी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच 'भू-स्थानिक सहयोग के लिये बुनियादी विनिमय तथा सहयोग समझौते' (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-Spatial cooperation- BECA) पर हस्ताक्षर की इच्छा ज़ाहिर की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- भारत-अमेरिका की आगामी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता का आयोजन अक्तूबर माह के अंत तक किये जाने का अनुमान है।
- भारत द्वारा इस संदर्भ में अपने सुझावों के साथ BECA का एक मसौदा अमेरिका को भेज दिया गया है।
- BECA, भारत को स्वचालित हार्डवेयर सिस्टम और हथियार जैसे क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइलों से सटीक हमले के लिये अमेरिकी भू-स्थानिक मानचित्रों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करेगा।
- गौरतलब है कि भारत-अमेरिका मंत्रिस्तरीय 2+2 वार्ता में दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण समझौते

- भारत और अमेरिका के बीच एक अन्य समुद्री सूचना समझौते को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है।
- अमेरिका के साथ इस समझौते के लागू होने के बाद भारत द्वारा क्वाड (QUAD) के अन्य देशों ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भी ऐसा समझौता लागू किया जाएगा।

भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी:

वर्ष 2016 के बाद से भारत और अमेरिका में तीन महत्त्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

- लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट (Logistics Exchange Memorandum of Agreement-LEMOA):
  - भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 2016 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे, यह समझौता दोनों देशों के रक्षा बलों को एक-दूसरे की सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। साथ ही उनके लिये रसद और सेवाओं की पहुंच को आसान बनाता है।
- संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (Communications Compatibility and Security Agreement-COMCASA):
  - भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 2018 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे, यह समझौता अमेरिका द्वारा भारत को उन्नत संचार उपकरण स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। ये उपकरण दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच डेटा और वास्तविक समय की जानकारी के सुरक्षित प्रसारण की सुविधा प्रदान करते हैं।
- सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा (General Security Of Military Information Agreement-GSMIA):
  - भारत और अमेरिका के बीच GSMIA पर वर्ष 2002 में ही हस्ताक्षर किये जा चुके थे परंतु दोनों देशों के बीच आयोजित पिछली 2+2 वार्ता के दौरान इससे जुड़े औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध (Industrial Security Annex- ISA) पर हस्ताक्षर किये गए।
    - ISA भारतीय और अमेरिकी रक्षा उद्योग के बीच गोपनीय सैन्य सूचनाओं के आदान-प्रदान और संरक्षण के लियेएक ढाँचा प्रदान करता है।

नोट :

नौसैनिक सहयोग :

- भारत और अमेरिका के सैन्य संपर्क में वृद्धि के प्रयासों के तहत अमेरिका द्वारा भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र- हिंद महासागर क्षेत्र [Information Fusion Centre for Indian Ocean Region (IFC-IOR)] पर एक सूचना अधिकार की नियुक्ति की गई है।
- भारत द्वारा हाल ही में बहरीन स्थित अमेरिकी नौसेना के मध्य कमान में एक संपर्क अधिकारी को तैनाती की गई है, साथ ही यू. एस. इंडो-पैसिफिक कमांड (U.S. Indo-Pacific Command -USINDOPACOM) और 'यू. एस. स्पेशल ऑपरेशंस कमांड' (U.S. Special Operations Command- USSOCOM) में संपर्क अधिकारियों की तैनाती के अमेरिकी अनुरोध पर भी विचार किया जा रहा है।

आगामी 2+2 वार्ता का महत्त्व:

- भारत-चीन तनाव में वृद्धि के बीच हाल के वर्षों में कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग में वृद्धि हुई है, इसी क्रम में आगामी 2+2 वार्ता में भी अन्य क्षेत्र के साथ रक्षा क्षेत्र के कई महत्त्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं।
- वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारत-चीन तनाव और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढती सक्रियता के अलावा पनडुब्बी रोधी युद्ध, एंटी मिसाइल डिफेंस, नेटवर्क सेंट्रल वारफेयर आदि इस बैठक के प्रमुख मुद्दे होंगे।
- इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच COMCASA पर भी व्यापक चर्चा की उम्मीद है।
- बैठक के प्रमुख मुद्दों में हाल ही में हुए संयुक्त अरब अमीरात-बहरीन-इज़राइल समझौते, पश्चिम एशिया में बढ़ती अशांति, हिंद-प्रशांत क्षेत्र, क्वाड, मानव रहित हवाई वाहन (UAV) का संयुक्त विकास आदि को शामिल किया जा सकता है।
- इस बैठक के दौरान अमेरिकी प्रशासन से 'एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली' (Integrated Air Defense Weapon System- IADWS) की बिक्री हेतु अनुमति-प्रत्र प्राप्त होने की भी उम्मीद है इस अनुमति पात्र के मिलने के बाद अमेरिका के रेथियॉन कॉरपोरेशन और कोंग्सबर्ग डिफेंस और एयरोस्पेस से वार्ता शुरू हो जाएगी।
- भारत-चीन तनाव को देखते हुए अमेरिका स्थित जनरल एटॉमिक्स से 30 UAV के लंबित सौदे पर भी वार्ता हो सकती है।
- गौरतलब है कि आगामी 2+2 वार्ता से पहले 9 सितंबर को आयोजित एक वर्चुअल बैठक में दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच COVID-19, आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुशासन और सतत् विकास का समर्थन तथा दक्षिण एशिया के साथ कई अन्य महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

चुनौतियाँ:

- अक्तूबर के अंत में संभावित आगामी 2+2 वार्ता के दौरान BECA को लागू किये जाने के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि अभी भी इस समझौते पर पूरी बातचीत समाप्त नहीं हुई है।
- इसके साथ ही इस वार्ता का समय नवंबर में आयोजित होने वाले अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति चुनावों के बिलकुल पास है परंतु अभी भी इसकी तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है।

आगे की राह:

- हाल के वर्षों में भारतीय सीमा पर पाकिस्तान और चीन की आक्रामकता में वृद्धि को देखते हुए भारत के लिये अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करना बहुत ही आवश्यक है।
- भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती चुनौती के खिलाफ सामान विचारधारा वाले देशों को साथ लाने का प्रयास करना चाहिये साथ ही क्वाड जैसे मंचों के माध्यम से अन्य क्षेत्रों के साथ नौसैनिक सहयोग को बढ़ाया जाना चाहिये।
- अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने में भारत के लिये रूस के साथ संबंध संतुलन को बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है, अत: भारत को इस दिशा में भी ध्यान देना होगा।

नोट :

गिलगित-बाल्टिस्तान: पूर्ण प्रांत का विवाद

चर्चा में क्यों ?

पाकिस्तान के एक वरिष्ठ मंत्री के बयान का हवाला देते हुए दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र को एक पूर्ण प्रांत का दर्जा देने पर विचार कर रही है।

प्रमुख बिंदु

- पाकिस्तान सरकार में कश्मीर एवं गिलगित-बाल्टिस्तान मामलों के मंत्री अली अमीन के मुताबिक सभी हितधारकों से विमर्श के बाद संघ सरकार ने गिलगित-बाल्टिस्तान को संवैधानिक अधिकार देने का फैसला किया है, इसके साथ ही गिलगित-बाल्टिस्तान को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली समेत सभी संवैधानिक निकायों में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। विदित हो कि पाकिस्तान सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
- वहीं भारत के कई अवसरों पर पाकिस्तान को स्पष्ट तौर पर कहा है कि कानूनी तौर पर संपूर्ण जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, जिसमें गिलगित-बाल्टिस्तान भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग हैं और इस लिहाज़ से पाकिस्तान को इनकी स्थिति में बदलाव का कोई अधिकार नहीं है।

गिलगित-बाल्टिस्तान

- गिलगित-बाल्टिस्तान जम्मू-कश्मीर के उत्तर-पश्चिमी में स्थित अत्यधिक ऊँचाई वाला एक पहाड़ी क्षेत्र है। यह क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा था, किंतु वर्ष 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना के आक्रमण के बाद से यह क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है।
- पाकिस्तान के नियंत्रण में आने के बाद इस क्षेत्र को उत्तरी (शुमाली) इलाका अर्थात् नॉर्दन एरियाज़ कहा गया और इसे इस्लामाबाद के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया।
- पाक अधिकृत कश्मीर (POK) और गिलगित-बाल्टिस्तान दोनों अलग-अलग इलाके हैं, जबकि भारत इन्हें जम्मू-कश्मीर का एक हिस्सा मानता है।
- अगस्त 2009 में पाकिस्तानी सरकार द्वारा इस उत्तरी इलाके के लिये 'गिलगित-बाल्टिस्तान सशक्तीकरण और स्वशासन आदेश' लागू किया गया और इसके पश्चात् इस क्षेत्र को गिलगित-बाल्टिस्तान के रूप में जाना जाने लगा।

विवाद और इतिहास

- दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के विपरीत पाकिस्तान को गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र का अधिकार दो ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों की मिलीभगत के कारण प्राप्त हुआ था।
- वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के पूर्व जम्मू-कश्मीर की रियासत में कुल पाँच क्षेत्र शामिल थे: जम्मू, कश्मीर घाटी, लद्दाख, गिलगित वज़ारात और गिलगित एजेंसी।
- ब्रिटिश भारत की उत्तरी सीमाओं पर गिलगित एजेंसी के रणनीतिक महत्त्व को देखते हुए वर्ष 1935 में अंग्रेज़ों ने जम्मू-कश्मीर रियासत के तहत इस क्षेत्र को जम्मू-कश्मीर के महाराजा से 60 वर्ष के लिये लीज़ पर ले लिया और वहाँ प्रशासक के तौर पर एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई, जबकि गिलगित वज़ारात में ब्रिटिश अधिकारियों ने पहले ही एक एजेंट की नियुक्त कर रखी थी।
- वहीं संयुक्त गिलगित क्षेत्र (गिलगित वज़ारात और गिलगित एजेंसी) के प्रशासन का कार्य 'गिलगित स्काउट्स' (Gilgit Scouts) नाम से सैन्य बल द्वारा किया जा रहा है, जिसकी कमान अंग्रेज़ अधिकारियों के हाथ में थी।
- वर्ष 1947 में भारत छोड़ने से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने लीज़ को रद्द कर दिया और इस क्षेत्र को वापस जम्मू-कश्मीर रियासत के महाराजा को सौंप दिया, हालाँकि वैकल्पिक व्यवस्था आने तक ब्रिटिश अधिकारियों ने इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को यथावत बनाए रखा।
- अक्तूबर 1947 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी पर आक्रमण किया, तब गिलगित स्काउट्स के दो ब्रिटिश अधिकारियों, मेजर डब्ल्यू. ए. ब्राउन और कप्तान ए. एस. मैथिसन ने वहाँ के एक प्रभावशाली सूबेदार मेजर बाबर खान की मदद से विद्रोह कर दिया।
- विद्रोहियों ने इस क्षेत्र के लिये जम्मू-कश्मीर की रियासत के महाराज द्वारा नियुक्त गवर्नर की हत्या कर दी और साथ ही कुछ सिख तथा गोरखा सैनिकों के एक छोटे समूह को मार दिया गया।

नोट :

- हालाँकि तब तक जम्मू-कश्मीर के महाराज ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये थे और जम्मू-कश्मीर कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बना गया था।
- 2 नवंबर, 1947 को ब्रिटिश अधिकारी मेजर ब्राउन ने गिलगित स्काउट्स के मुख्यालय में आधिकारिक रूप से पाकिस्तानी झंडा फहराया और यह घोषणा कर दी कि संयुक्त गिलगित क्षेत्र (गिलगित वज़रात और गिलगित एजेंसी) पाकिस्तान के नियंत्रण में है।
- तकरीबन दो सप्ताह बाद पाकिस्तान सरकार ने सरदार मोहम्मद आलम को इस क्षेत्र के लिये राजनीतिक एजेंट नियुक्त किया और इस क्षेत्र को पाकिस्तान के नियंत्रण में ले लिया गया।
- इस प्रकार यह पूरा विवाद दो ब्रिटिश अधिकारियों की गलती की वजह से शुरुआत हुआ।

गिलगित-बाल्टिस्तान की मौजूदा स्थिति

- वर्ष 1974 में पाकिस्तान ने एक अधिसूचना के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के महाराजा द्वारा वर्ष 1927 में लागू किये गए एक कानून को खारिज कर दिया, जिसमें बाहरी लोगों को संपत्ति के स्वामित्त्व से वंचित किया गया था। कानूनी बाधाओं के समाप्त होने के बाद पाकिस्तान ने सुन्नी मुस्लिमों को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से लाकर यहाँ बसाना शुरू कर दिया, जिसके कारण इस क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हो गई, जो कि आज तक जारी है।
- वर्तमान में गिलगित-बाल्टिस्तान के पास सीमित शक्तियों वाली एक विधानसभा है, जो कि पाकिस्तान सरकार में कश्मीर एवं गिलगित-बाल्टिस्तान मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती है।
- इसके अलावा इस क्षेत्र की वास्तविक शक्तियाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक परिषद में निहित हैं।

संयुक्त गिलगित क्षेत्र से गिलगित-बाल्टिस्तान तक

- पाकिस्तान द्वारा कब्ज़ा किये जाने के बाद वर्ष 1970 तक संयुक्त गिलगित क्षेत्र (गिलगित वज़रात और गिलगित एजेंसी) और पाकिस्तान द्वारा कब्ज़ा किया गया कश्मीर एक ही इकाई के रूप में मौजूद रहे, किंतु धीरे-धीरे पाकिस्तान को संयुक्त गिलगित क्षेत्र के प्रशासन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह क्षेत्र सुन्नी और पंजाबी बहुल पाकिस्तान के विपरीत बहु-भाषी शिया बहुल क्षेत्र था।
- वर्ष 1971 की लड़ाई में अपमानित होने के बाद पाकिस्तान ने संयुक्त गिलगित क्षेत्र को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) से अलग कर दिया, और इसे पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र या नॉर्दन एरियाज़ नाम दे दिया गया और यह प्रत्यक्ष रूप से संघ सरकार के नियंत्रण में आ गया।
- वर्ष 2009 में इस क्षेत्र का नाम 'नॉर्दन एरियाज़' से बदलकर गिलगित-बाल्टिस्तान कर दिया गया।

इस क्षेत्र पर भारत की स्थिति

- भारत गिलगित-बाल्टिस्तान को पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्ज़ा किये गए भारतीय क्षेत्र के हिस्से के रूप में देखता है।
- भारत का तर्क है कि दोनों ब्रिटिश अधिकारियों को संयुक्त गिलगित क्षेत्र (गिलगित वज़रात और गिलगित एजेंसी) के संबंध में कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था, इस प्रकार उनके द्वारा यह क्षेत्र पाकिस्तान को देना पूर्णत: गैर-कानूनी था और इसलिये यह क्षेत्र कानूनी तौर पर भारत का अभिन्न अंग है।
- दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के संविधान में गिलगित-बाल्टिस्तान का कहीं भी कोई ज़िक्र नहीं मिलता है, जिसके कारण पाकिस्तान इस क्षेत्र की स्थिति को लेकर अस्पष्टता बनाए रखता है।
- वर्ष 1994 में भारतीय संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह दोहराया था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान दोनों जम्मू-कश्मीर के अभिन्न हिस्से हैं।
- वहीं वर्ष 2017 में ब्रिटिश संसद ने भी एक प्रस्ताव पारित करते हुए यह कहा था कि गिलगित-बाल्टिस्तान कानूनी रूप से भारत का हिस्सा है।

पूर्ण प्रांत बनाने के निहितार्थ और भारत की चिंताएँ

- वर्तमान में बलूचिस्तान, खैबर-पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध, पाकिस्तान के चार प्रांत हैं, इस प्रकार यदि गिलगित-बाल्टिस्तान को पूर्ण प्रांत बनाने की घोषणा की जाती है तो यह पाकिस्तान का 5वाँ प्रांत होगा।

नोट :

- इस क्षेत्र के महत्त्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) इसी इलाके से होकर बनाया जा रहा है और चूँकि यह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है कि, इसलिये भविष्य में इस परियोजना के समक्ष समस्याएँ आ सकती हैं।
- किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद से बचने के लिये पाकिस्तान इस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देना चाहता है, क्योंकि इससे इस क्षेत्र पर पाकिस्तान की कानूनी स्थिति और मज़बूत हो जाएगी।
- भारत के लिये चिंता का विषय यह है कि गिलगित-बाल्टिस्तान का इलाका पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) से लगा हुआ है और अपनी भौगोलिक स्थिति की वज़ह से यह भारत के लिये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

गिलगित-बाल्टिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, हालाँकि ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा है, किंतु पाकिस्तान ने इस क्षेत्र की स्थिति पर पूर्णत: अस्पष्टता बना रखी है, आवश्यक है कि इस क्षेत्र की कानूनी स्थिति में कोई भी बदलाव करने से पूर्व इससे संबंधित क्षेत्रीय विवाद को हल किया जाए, इस क्रम में कूटनीतिक मंच का प्रयोग किया जा सकता है, हालाँकि यहाँ भी गिलगित-बाल्टिस्तान के स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना आवश्यक होगा, क्योंकि इस मामले का प्रत्यक्ष प्रभाव अंतत: उन्ही पर पड़ेगा।

ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ब्रिक्स (BRICS) समूह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSAs) ने आतंकवाद विरोधी रणनीति के मसौदे पर चर्चा की, जिसे ब्रिक्स के आगामी शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- आशंकाओं के विपरीत बैठक के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारत और चीन के बीच गतिरोध की पृष्ठभूमि में भारत और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSAs) ने कोई द्विपक्षीय चर्चा नहीं की, हालाँकि यह एक वर्चुअल बैठक थी और इसमें द्विपक्षीय वार्ता आयोजित करना संभव नहीं था।

बैठक के दौरान चर्चित मुद्दे

- रूस द्वारा आयोजित एक वर्चुअल बैठक में शामिल होने वाले पाँच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSAs) ने वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये चुनौतियों और खतरों पर भी चर्चा की।
- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSAs) ने जैविक सुरक्षा सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी सुरक्षा पर भी चर्चा की।
- इस बैठक के दौरान प्रतिभागियों ने ईरान, वेनेज़ुएला और सीरिया के आसपास तनाव बढ़ने पर चिंता व्यक्त की।
- इसके अलावा इस बैठक के दौरान अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती, अन्य देशों की अंतरिक्ष संपत्ति पर बल के प्रयोग और सैन्य अभियानों के लिये बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग से संबंधित अमेरिका की योजनाओं पर भी चर्चा की गई।
- बैठक के दौरान सभी सहभागियों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मंचों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र (UN) के साथ समन्वय पर कार्य करने के लिये सहमति व्यक्त की है।

आतंकवाद विरोधी रणनीति का मसौदा

- रूस द्वारा इस संबंध में जारी किये गए बयान के मुताबिक पाँच देशों ने संयुक्त तौर पर एक आतंकवाद विरोधी रणनीति का मसौदा तैयार किया है, जिसे आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जाएगा।
- आतंकवाद विरोधी रणनीति का यह मसौदा ब्रिक्स देशों के बुनियादी पहलुओं जैसे- आंतरिक मामलों में संप्रभुता और गैर-हस्तक्षेपता का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनुपालन और सुरक्षा मामलों में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका की मान्यता आदि को प्रतिबिंबित करता है।

नोट :

क्या है ब्रिक्स ?

- ब्रिक्स (BRICS) दुनिया की पाँच अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं- ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिये एक संक्षिप्त शब्द (Abbreviation) है।
- ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन नहीं है, न ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। इसे बस पाँच देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है।
- ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40 प्रतिशत है और इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत है।
- इसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता है और यह एक उभरता हुआ निवेश बाज़ार तथा वैश्विक शक्ति है।
- असल में इसकी शुरुआत सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी, जब ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ' नील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिये 'BRIC' शब्द का प्रयोग किया था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को BRIC में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया और तब से इसे 'ब्रिक्स' कहा जाने लगा।

आगे की राह

- ध्यातव्य है कि आतंकवाद भारत के लिये एक बड़ा खतरा है और यदि आगामी शिखर सम्मेलन में आतंकवाद विरोधी रणनीति का मसौदा ब्रिक्स सदस्यों देश द्वारा अपनाया जाता है, तो यह भारत के लिये आतंकवाद से मुकाबला करने में काफी मददगार साबित होगा।
- यद्यपि लद्दाख में भारत-चीन गतिरोध पर भारत और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSAs) के बीच कोई चर्चा नहीं की गई, किंतु ब्रिक्स दोनों देशों के लिये कूटनीतिक दृष्टिकोण से एक महत्त्वपूर्ण मंच हो सकता है।

विश्व बैंक ऋण के लिये सार्वभौमिक पात्रता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि COVID-19 से निपटने के लिये भारत द्वारा मई, 2020 में लिया गया 1 बिलियन डॉलर का ऋण खरीद (Procurements) में सार्वभौमिक पात्रता की शर्त के अंतर्गत आता है।

प्रमुख बिंदु:

- विश्व बैंक के पास खरीद दस्तावेज़ों की समीक्षा करने, परियोजना से संबंधित सभी खातों, रिकॉर्ड एवं अन्य फाइलों का निरीक्षण करने का अधिकार होता है।
  - विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली फंडिंग के लिये इन शर्तों का अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया है।
- विश्व बैंक के स्पष्टीकरण के बाद भारत सरकार ने अपनी सभी उत्पादन इकाइयों और अन्य प्रमुख प्रतिष्ठानों को निविदाओं में अधिमान्य संदर्भों को हटाने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कहा है कि ठेकेदार, विश्व बैंक के दिशा-निर्देशों के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने के लिये स्पष्ट रूप से सहमत हों।

प्रभाव:

- इसका अर्थ यह होगा कि सभी अधिमान्य बाज़ार पहुँच नीतियाँ, राष्ट्रीय परियोजना को लागू करते समय की गई खरीद पर लागू नहीं होंगी।
  - अधिमान्य बाज़ार पहुँच नीतियों में पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) नीति, स्टार्ट-अप्स को कुछ लाभ शामिल हैं।
- विश्व बैंक का यह स्पष्टीकरण मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के लिये एक झटका होगा।

पृष्ठभूमि:

- विश्व बैंक ने COVID-19 के खतरे को रोकने, पता लगाने एवं प्रतिक्रिया देने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों को मज़बूत करने के लिये मई, 2020 में एक ऋण की घोषणा की थी।

नोट :

- यह ऋण प्रवासियों, असंगठित श्रमिकों, अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित था और इसके माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जन धन, आधार एवं मोबाइल (जैम ट्रिनिटी) जैसे सुरक्षा जाल के मौजूदा बुनियादी ढाँचे के एकीकरण का निर्माण करना था।
- यह ऋण दो चरणों में वित्त पोषित और संचालित होगा:
- प्रथम चरण: वित्तीय वर्ष 2020 के लिये $750 मिलियन का तत्काल आवंटन।
  - इसे कमज़ोर समूहों विशेष रूप से प्रवासियों एवं अनौपचारिक श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana- PMGKY) के माध्यम से देश भर में लागू किया जाएगा।
- द्वितीय चरण: $250 मिलियन की दूसरी किस्त वित्तीय वर्ष 2021 के लिये उपलब्ध कराई जाएगी।
  - यह सामाजिक सुरक्षा पैकेज को और सुदृढ़ करेगा, जिससे राज्य सरकारों एवं पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणालियों के माध्यम से स्थानीय ज़रूरतों के आधार पर अतिरिक्त नकदी एवं अन्य लाभों को प्रदान किया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और सुरक्षा की आवश्यकता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न एक बैठक के बाद जापान, जर्मनी, ब्राज़ील और भारत (G-4) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council- UNSC) में सुधारों की अपनी मांग को दोहराते हुए एक समय सीमा के भीतर ठोस निर्णय लेने पर ज़ोर दिया।

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक के दौरान चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने वर्ष 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन में राष्ट्रों और शासनाध्यक्षों द्वारा परिकल्पित सुरक्षा परिषद के शीघ्र और व्यापक सुधार की दिशा में निर्णायक कदम उठाने के अपने संकल्प की पुष्टि की।
- सभी प्रतिभागियों ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में विश्व उस समय से बिल्कुल अलग है जब 75 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था। वर्तमान में परिस्थितियाँ बदल गई हैं, देशों की संख्या बढ़ गई है और चुनौतियाँ भी बढ़ गई हैं, ऐसे में इन नई चुनौतियों से निपटने के लिये नवीन समाधानों की आवश्यकता भी महसूस हो रही है।
- इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए जापान, जर्मनी, ब्राज़ील और भारत (G-4) के प्रतिभागियों ने समकालीन वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आमूलचूल बदलाव लाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और उसकी भूमिका

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), संयुक्त राष्ट्र (UN) की सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई है, जिसका प्राथमिक कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने अपना पहला सत्र 17 जनवरी, 1946 को वेस्टमिंस्टर, लंदन में आयोजित किया था।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, रूस और चीन शामिल हैं और स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है।
- पाँच स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को क्षेत्रीय आधार पर दो वर्ष के लिये अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में शामिल किया जाता है।
- यदि विश्व में कहीं भी सुरक्षा संकट उत्पन्न होता है तो उस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के समक्ष लाया जाता है, जिसके पश्चात् यह परिषद मध्यस्थता और विशेष दूत की नियुक्ति जैसी विधियों के माध्यम से विभिन्न पक्षों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करती है, इसके अलावा यह परिषद संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी उस विवाद को सुलझाने का अनुरोध कर सकती है।
  - इन सब के बावजूद यदि किसी क्षेत्र में मामला बढ़ता है तो सुरक्षा परिषद वहाँ युद्धविराम के निर्देश जारी कर सकता है और शांति सेना तथा सैन्य पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर सकता है।

नोट :

- यदि परिस्थितियाँ बहुत विकट होती हैं, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुरक्षात्मक प्रतिबंध और वित्तीय दंड भी अधिरोपित कर सकता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) शांति व्यवस्था और संघर्ष प्रबंधन के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक प्रमुख अंग है और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लिये गए निर्णयों के विपरीत इस परिषद के निर्णय सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं।
- इसका अर्थ है कि इस परिषद में काफी व्यापक शक्तियाँ निहित हैं और यह परिषद आवश्यकता पड़ने पर ऐसे निर्णय भी ले सकती है, जो किसी एक देश की संप्रभुता पर अतिक्रमण कर सकते हैं, उदाहरण के लिये किसी देश पर प्रतिबंध अधिरोपित करने का निर्णय।
- यद्यपि यह महत्त्वपूर्ण और आवश्यक भी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास इस प्रकार की शक्तियाँ होनी चाहिये, किंतु यदि हम चाहते हैं कि विश्व के सभी देश परिषद द्वारा लिये गए निर्णय का सम्मान करें तो यह आवश्यक है कि परिषद को अधिक-से-अधिक प्रतिनिधि बनाया जाए यानी इसमें ज़्यादा-से-ज़्यादा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना भी वर्ष 1945-46 की भू-राजनितिक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करती है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से कई देश इसमें शामिल हुए हैं, इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इन नए देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने में असफल रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से वैश्विक भू-राजनीति और वैश्विक मुद्दों में परिवर्तन आया है, इसलिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने नए मुद्दे ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं अत: संयुक्त राष्ट्र तथा इसकी सुरक्षा परिषद की संरचना और कार्यशैली में भी परिवर्तन होना अनिवार्य है।
- वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व दो गुटों विकासशील और विकसित में बँटा हुआ है लेकिन UNSC में केवल चीन ही एक विकासशील देश है, इसके अतिरिक्त अफ्रीका जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र की यहाँ पर उपस्थिति ही नहीं है।
- पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया के देश एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, इसके साथ ही भारत जैसे देश की वैश्विक स्तर पर बढ़ती भूमिका इसकी संयुक्त राष्ट्र में अधिक महत्त्वपूर्ण भागीदारी का आह्वान करती है।
- सुरक्षा परिषद में आवश्यक सुधार की अनुपस्थिति में एक खतरा यह है कि वैश्विक स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया किसी अन्य मंच पर स्थानांतरित हो सकती है, और इस तरह की प्रतियोगिता किसी के भी दीर्घकालिक हित में नहीं होगी।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और G-4 की भूमिका

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग के लिये जापान, जर्मनी, भारत और ब्राज़ील ने G-4 के नाम से एक गुट बनाया है और स्थायी सदस्यता के मामले में एक-दूसरे का समर्थन करते हैं।
- G-4 देश लगातार बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने के साथ ही UNSC की संरचना में सुधार की मांग कर रहे हैं।
- G-4 देश 21वीं शताब्दी की समकालीन ज़रूरतों के लिये संयुक्त राष्ट्र की स्वीकार्यता हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर ज़ोर दे रहे हैं।

भारत और सुरक्षा परिषद

- ध्यातव्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा शुरू की गईं सभी पहलों में सक्रिय रूप से भागीदार रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र के शुरुआती वर्षों में भारत को दो महाशक्तियों अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में शामिल होने की पेशकश की गई थी, हालाँकि, भारत ने उस समय शीत युद्ध की राजनीति के कारण इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
  - वहीं भारत को अब तक कुल आठ बार दो-वर्षीय कार्यकाल के लिये गैर-स्थायी सदस्य के रूप में चुना जा चुका है।
- वर्तमान में भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, यही कारण है कि कई विशेषज्ञ और यहाँ तक कि कई देश, भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार मानते हैं।
- भारत वैश्विक स्तर पर तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और यह न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के विकास के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है।
- साथ ही भारत अपनी विदेश नीति के माध्यम से ऐतिहासिक रूप से विश्व शांति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार यदि भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल किया जाता है तो इससे न केवल विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा, बल्कि इससे सुरक्षा परिषद को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने में मदद मिलेगी।

नोट :

सुरक्षा परिषद में विस्तार की बाधाएँ

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और इसके विस्तार में सबसे बड़ी बाधा तो सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य ही हैं, वे स्वयं ही किसी अन्य देश को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल नहीं होने देना चाहते। वहीं अभी तक ऐसा कोई उदाहरण मौजूद नहीं है जहाँ किसी देश ने अकेले इस प्रकार का दर्जा प्राप्त किया हो।
- इसके अलावा कई देश एक दूसरे की दावेदारी को नकार रहे हैं, उदाहरण के लिये- पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत स्थायी सदस्य बने, वहीं चीन इसके लिये जापान का विरोध कर रहा है, इसके अलावा इटली, जर्मनी का विरोध कर रहा है और अर्जेंटीना इस सीट के लिये ब्राज़ील का विरोध कर रहा है।
- अफ्रीका में अभी तक इस बात पर कोई सहमति नहीं बन पाई है कि कौन सा देश स्थायी सदस्य के रूप में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के निर्धारण के लिये अभी तक कोई भी मापदंड निर्धारित नहीं किया गया है।

सार्क एवं CICA बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आभासी तरीके से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के विदेश मंत्रियों की बैठक और 'कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस-बिल्डिंग मीज़र्स इन एशिया' (Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia- CICA) पर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ।

प्रमुख बिंदु:

- भारत-पाकिस्तान गतिरोध:
  - भारत ने आतंकवाद संकट से निपटने के लिये सार्क देशों से सामूहिक रूप से हल करने का आह्वान किया। आतंकवाद संकट में आतंक एवं संघर्ष के वातावरण का पोषण, समर्थन एवं प्रोत्साहित करना शामिल है।
    - भारत का यह कथन स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान की आलोचना को संदर्भित करता है जो सीमापार आतंकवाद में संलिप्त है।
  - पाकिस्तान ने 'लंबे समय से चले आ रहे विवादों' के समाधान पर एक विस्तृत बयान दिया जो जम्मू-कश्मीर के बारे में और भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने से संबंधित था।
- पृष्ठभूमि:
  - हाल ही में भारत ने कहा कि सामूहिक रूप से COVID-19 महामारी से लड़ने में सार्क के प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र की गंभीरता का अंदाजा उनके व्यवहार से लगाया जा सकता है। भारत का यह बयान दक्षिण एशियाई क्षेत्र में COVID-19 संकट से निपटने में भारत के नेतृत्त्व के लिये पाकिस्तान के विरोध से संबंधित था।
  - पाकिस्तानी समकक्ष द्वारा अपने मानचित्र में भारतीय क्षेत्र को शामिल करने के कारण सितंबर, 2020 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की एक आभासी बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए थे।
  - वर्ष 2019 में सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने एक-दूसरे के भाषणों का बहिष्कार किया था।
  - उरी हमलों के मद्देनज़र आतंकी समूहों को पाकिस्तान के निरंतर समर्थन के मुद्दे पर वर्ष 2016 में इस्लामाबाद में आयोजित होने वाले सार्क सम्मेलन के 19वें संस्करण में भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लेने से भी मना कर दिया था।
- COVID-19 संकट: सभी सार्क देशों ने COVID-19 महामारी से निपटने में सहयोग करने की आवश्यकता पर एक साझा रुख अपनाया।
  - COVID-19 से निपटने के लिये सार्क पहल: सार्क COVID-19 सूचना विनिमय मंच (Covid-19 Information Exchange Platform- COINEX), सार्क फूड बैंक तंत्र (SAARC Food Bank Mechanism), सार्क COVID-19 आपातकालीन कोष (SAARC Covid-19 Emergency Fund)।
  - भारत का योगदान: सार्क देशों के लिये भारत ने 'सार्क COVID-19 आपातकालीन कोष' में 10 मिलियन अमरीकी डालर और आवश्यक दवाओं, COVID संरक्षण एवं परीक्षण किट का योगदान दिया है।

नोट :

- सार्क की प्रासंगिकता: वर्ष 2016 के बाद से सार्क बहुत प्रभावी नहीं रहा है क्योंकि वर्ष 2014 में काठमांडू (नेपाल) में इसके द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से कोई शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है।
  - वर्ष 2016 में भारत, बांग्लादेश, भूटान एवं अफगानिस्तान ने योजनाबद्ध तरीके से इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया था।
- सार्क के अप्रासंगिक होने के कारण:
  - यद्यपि सार्क में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा नहीं की जा सकती है किंतु चूँकि सार्क संगठन सभी प्रमुख निर्णयों के लिये सर्वसम्मति के सिद्धांत पर निर्भर करता है इसलिये पाकिस्तान ने अक्सर सार्क में प्रस्तावित प्रमुख पहलों पर वीटो कर दिया। उदाहरण के लिये वर्ष 2014 में काठमांडू शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित सार्क मोटर वाहन समझौता।
  - भारत-पाकिस्तान संघर्ष के कारण सार्क की प्रासंगिकता घटी है। भारत के लिये विदेश नीति के एक साधन के रूप में पाकिस्तान द्वारा आतंक के उपयोग ने दोनों देशों के मध्य सामान्य व्यापार को असंभव बना दिया है।
  - डूरंड रेखा पर पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच विवाद भी इसका एक कारण है।
  - भारत की आर्थिक स्थिति सार्क देशों की तुलना में एक रणनीतिक साझेदार के बजाय 'बिग इकॉनोमिक पावर' (Big Economic Power) रूप में दर्शाती है।
  - सार्क, इस क्षेत्र की सामूहिक चेतना एवं अन्य संगठनों जैसे-बिम्सटेक (BIMSTEC) के लिये लगभग सीमांत हो गया है।

'कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस-बिल्डिंग मीजर्स इन एशिया' (CICA):

- भारत ने CICA के माध्यम से एशिया में एक बहुलवादी सहकारी सुरक्षा व्यवस्था के लिये अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इसने अफगान शांति प्रक्रिया के लिये अपने समर्थन की भी पुष्टि की है।

CICA के बारे में:

- CICA एशिया में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग बढ़ाने के लिये एक बहु-राष्ट्रीय मंच है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा के 47वें सत्र में, 5 अक्तूबर, 1992 को कज़ाकिस्तान गणराज्य के पहले राष्ट्रपति द्वारा CICA के आयोजन का विचार पहली बार प्रस्तावित किया गया था।
- CICA की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक सितंबर, 1999 में हुई थी।
- इसमें एशिया महाद्वीप से 27 सदस्य राष्ट्र जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, मिस्र, भारत आदि शामिल हैं जबकि जापान, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि इसके कुछ पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं।
- तज़ाकिस्तान गणराज्य वर्ष 2018-2020 की अवधि के लिये CICA का अध्यक्ष है।

आगे की राह:

- गौरतलब है कि सार्क को पाकिस्तान की वजह से अप्रासंगिक बनाना किसी के हित में नहीं है। सार्क की हालिया अप्रासंगिकता के बावजूद इसका पुनरुद्धार भारत को अपनी 'पड़ोसी पहले की नीति' के तहत चीन द्वारा शुरू की गई 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' के माध्यम से क्षेत्रीय रणनीतिक अतिक्रमण की चुनौती से निपटने की सुविधा प्रदान करेगा।

आर्मीनिया-अज़रबैजान विवाद

चर्चा में क्यों ?

विवादित नागोर्नो-करबख (Nagorno-Karabakh) क्षेत्र को लेकर आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच एक बार फिर हिंसक संघर्ष की शुरुआत हो गई है, जिसके कारण इस क्षेत्र विशिष्ट में स्थिरता लाने और शांति स्थापित करने के प्रयासों को लेकर चिंताएँ और अधिक बढ़ गई हैं।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, दोनों देशों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के कारण अब तक कुल 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं।
- ध्यातव्य है कि बीते लगभग चार दशक से भी अधिक समय से मध्य एशिया में आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच चल रहे क्षेत्रीय विवाद और जातीय संघर्ष ने नागोर्नो-करबाख क्षेत्र के आर्थिक-, सामाजिक और राजनीतिक विकास को भी खासा प्रभावित किया है।

विवाद: पृष्ठभूमि

- वर्तमान नागोर्नो-करबाख क्षेत्र को लेकर आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच विवाद की शुरुआत वर्ष 1918 में तब हुई थी, जब ये दोनों देश रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए थे।
- 1920 के दशक के प्रारंभ में, दक्षिण काकेशस में सोवियत शासन लागू किया गया और तत्कालीन सोवियत सरकार ने तकरीबन 95 प्रतिशत अर्मेनियाई आबादी वाले नागोर्नो-करबाख क्षेत्र को अज़रबैजान के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र बन दिया।
- यद्यपि स्वायत्त क्षेत्र बनने के बाद भी इस क्षेत्र को लेकर दोनों देशों (आर्मीनिया और अज़रबैजान) के बीच संघर्ष जारी रहा, हालाँकि सोवियत शासन के दौरान दोनों देशों के बीच संघर्ष को रोक दिया है।
- लेकिन जैसे-जैसे सोवियत संघ का पतन होना शुरू हुआ, वैसे-वैसे ही आर्मीनिया और अज़रबैजान पर इसकी पकड़ भी कमज़ोर होती गई। इसी दौरान वर्ष 1988 में अज़रबैजान की सीमाओं के भीतर होने के बावजूद नागोर्नो-काराबाख की विधायिका ने आर्मेनिया में शामिल होने का प्रस्ताव पारित किया।
- वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और नागोर्नो-काराबाख स्वायत्त क्षेत्र ने एक जनमत संग्रह के माध्यम से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, वहीं अज़रबैजान ने इस जनमत संग्रह को मानने से इनकार कर दिया।
- सोवियत संघ के विघटन के साथ ही रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण इस क्षेत्र को लेकर आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच भी युद्ध की शुरुआत हो गई।
  - उल्लेखनीय है कि आर्मीनिया और अज़रबैजान दोनों ही समय-समय पर एक दूसरे के ऊपर नागोर्नो-काराबाख स्वायत्त क्षेत्र में जातीय नरसंहार का आरोप लगाते रहे हैं।
- वर्ष 1992 तक इस क्षेत्र में हिंसा काफी तेज़ हो गई और इसके कारण हज़ारों नागरिक को विस्थापित होना पड़ा, जिसने अंतर्राष्ट्रीय निकायों और संस्थानों को इस क्षेत्र पर ध्यान देने और कार्यवाही करने के लिये मज़बूर किया।
- मई 1994 में दोनों देशों के बीच संघर्ष को बढ़ते देख रूस ने आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता की, किंतु तकरीबन तीन दशकों से यह संघर्ष आज भी जारी है और समय-समय पर संघर्ष विराम उल्लंघन और हिंसा के उदाहरण देखने को मिलते हैं।
- अप्रैल 2016 में इस क्षेत्र में हिंसक संघर्ष काफी तेज़ हो गया, जिसके कारण इस क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया था, इस संघर्ष को फोर-डे वॉर (Four-Day War) के रूप में भी जाना जाता है।

हालिया संघर्ष के निहितार्थ

- विवादित नागोर्नो-काराबाख स्वायत्त क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच वर्ष 1994 के बाद से ही छोटे-छोटे संघर्ष जारी हैं और मध्यस्थता के तमाम प्रयास दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने में विफल रहे हैं।
- हालाँकि इसके बावजूद अधिकांश जानकारों का मानना है कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच एक संपूर्ण युद्ध की संभावना काफी कम है।
- इस विवादित क्षेत्र में सैकड़ों नागरिक बस्तियाँ है, और यदि दोनों देशों के बीच व्यापक पैमाने पर युद्ध की शुरुआत होती है तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होंगे और काफी व्यापक पैमाने पर विस्थान दर्ज किया जाएगा।
- किसी भी प्रकार का व्यापक सैन्य संघर्ष तुर्की और रूस जैसी क्षेत्रीय शक्तियों को इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिये मज़बूर कर देगा और तुर्की तथा रूस दोनों ही देश इस युद्ध में शामिल होना नहीं चाहेंगे, इसलिये इस क्षेत्र में शांति स्थापित करना उनकी प्राथमिकता होगी।

नोट :

- व्यापक पैमाने पर युद्ध होने के कारण इस क्षेत्र से तेल और गैस का निर्यात भी बाधित होगा, ज्ञात हो कि अज़रबैजान, जो प्रति दिन लगभग 800,000 बैरल तेल का उत्पादन करता है, यूरोप और मध्य एशिया के लिये एक महत्त्वपूर्ण तेल और गैस निर्यातक है। यही सब कारण हैं जिसके दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना काफी कम है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

- अमेरिका, ईरान, रूस, फ्राँस और जर्मनी समेत कई अन्य देशों ने नागोर्नो-काराबाख स्वायत्त क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच को तत्काल समाप्त करने, युद्ध विराम के नियमों का पालन करने और जल्द-से-जल्द इस मामले को वार्ता के माध्यम से सुलझाने का आह्वान किया है।
- वहीं अज़रबैजान के सहयोगी तुर्की तथा पाकिस्तान ने अर्मेनिया को इस हमले के लिये ज़िम्मेदार ठहराया है और अज़रबैजान के लिये 'पूर्ण समर्थन' का वादा किया है।

भारत और आर्मेनिया-अज़रबैजान विवाद

- यद्यपि भारत ने अभी तक इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं है, किंतु क्षेत्रीय शांति और स्थिरता से संबंधित इस मामले पर भारत बारीकी से निगरानी रख रहा है। ज्ञात हो कि भारत के अर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं।
  - हाल के कुछ वर्षों में भारत और आर्मेनिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग में काफी तेज़ी देखी गई है। आर्मेनिया के लिये भारत के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना इस दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण हैं कि भारत, अज़रबैजान-पाकिस्तान-तुर्की के रणनीतिक गठजोड़ को एक संतुलन प्रदान करता है।
  - भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (INSTC) का हिस्सा है, जो कि भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अज़रबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल की आवाजाही के लिये जहाज़, रेल और सड़क मार्ग का एक नेटवर्क है।
  - उल्लेखनीय है कि अज़रबैजान, तुर्की की तरह कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की स्थिति का समर्थन करता है।

नागोर्नो-काराबाख स्वायत्त क्षेत्र

- नागोर्नो-काराबाख (Nagorno-Karabakh) दक्षिण-पश्चिमी अज़रबैजान में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है, जो कि तकरीबन 4,400 वर्ग किलोमीटर (1,700 वर्ग मील) तक फैला हुआ है।
- आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच विवादित नागोर्नो-काराबाख स्वायत्त क्षेत्र आर्मेनिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 50 किलोमीटर (30 मील) दूर स्थित है।
- इसके अलावा आर्मेनिया समर्थित कुछ स्थानीय अलगाववादी सैन्य समूहों कुछ क्षेत्र पर कब्ज़ा किया हुआ है।

यूरोपीय संघ से आव्रजन रोकने हेतु स्विट्ज़रलैंड में जनमत संग्रह

चर्चा में क्यों ?

स्विट्ज़रलैंड में मतदाताओं ने यूरोपीय संघ (European Union-EU) के साथ 'मुक्त आवागमन' (Free Movement) समझौते को समाप्त करने के एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। जनमत संग्रह (Referendum) में डाले गए कुल मतों में से लगभग 62% मुक्त आवागमन के पक्ष में थे, जबकि शेष 38% इसके खिलाफ थे।

प्रमुख बिंदु

- 27 सितंबर को किये गए इस जनमत संग्रह की पहल लोकलुभावन दक्षिणपंथी पार्टी 'स्विस पीपुल्स पार्टी' (Swiss People's Party-SVP) ने की थी, जिसमें कहा गया था कि वर्तमान नियम प्रतिवर्ष औसतन 75,000 यूरोपीय संघ के नागरिकों को स्विट्ज़रलैंड में आव्रजन की अनुमति देते हैं।
- SVP ने दावा किया था कि यूरोपियन संघ से अधिक मात्रा में आव्रजन के कारण अति जनसंख्या, आवास लागत में वृद्धि और एक तनावपूर्ण कल्याण प्रणाली का जन्म होता है। स्विट्ज़रलैंड की सरकार द्वारा SVP पार्टी की इस पहल का विरोध किया गया था।

नोट :

- यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने जनमत संग्रह के परिणामों को 'संबंधों को मज़बूत और गहरा करने के लिये एक सकारात्मक संकेत' कहा है।'
- इस पहल के आलोचकों का तर्क था कि युरोपियन संघ से मुक्त आव्रजन पर रोक से देश में कुशल श्रमिकों की कमी हो सकती है। लगभग 8.2 मिलियन की कुल आबादी वाले स्विट्ज़रलैंड में लगभग 1.4 मिलियन यूरोपीय संघ के नागरिक रहते हैं, जबकि यूरोपीय संघ के देशों में लगभग 500,000 स्विस रहते हैं।

स्विस पीपुल्स पार्टी (SVP) के बारे में

- SVP ने स्विट्ज़रलैंड के अंदर यूरोपीय संघ के प्रभाव की निंदा करने के मुद्दे को लेकर अपना मंच बनाया है। SVP ने चेतावनी दी कि देश 'अनियंत्रित और अत्यधिक आव्रजन' का सामना कर रहा है। पार्टी ने स्विट्ज़रलैंड और यूरोपीय संघ के देशों के बीच लोगों के मुक्त आव्रजन को समाप्त करने का आह्वान किया।
- स्वायत्तता से आव्रजन नीति पर निर्णय करने हेतु स्विट्ज़रलैंड द्वारा अपने संविधान में संशोधन करने के लिये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के हिस्से के रूप में जनमत संग्रह की पहल की गई थी।

स्विट्ज़रलैंड-यूरोपियन संघ के संबंधों पर प्रभाव

- जनमत संग्रह के परिणाम का एक अर्थ यह लगाया जा सकता है कि स्विस सरकार यूरोपीय संघ के साथ आव्रजन मुद्दे और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों को विनियमित करने के लिये एक समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ा सकती है।
- स्विट्ज़रलैंड के न्याय मंत्री के अनुसार, स्विस सरकार यूरोपीय संघ के साथ एक द्विपक्षीय मार्ग जारी रखना चाहेगी। स्विट्ज़रलैंड यूरोपियन संघ में शामिल हुए बिना आर्थिक संबंध बनाए रखेगी।
- वर्तमान COVID-19 महामारी संकट के दौरान कठिन आर्थिक स्थिति के समय स्विट्ज़रलैंड के अपने पड़ोसियों और यूरोपीय संघ के साथ अच्छे संबंध महत्त्वपूर्ण हैं।
- स्विट्ज़रलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। स्विट्ज़रलैंड कई द्विपक्षीय संधियों के माध्यम से ब्लॉक के एकल मार्केट (Single Market) का हिस्सा है, जो स्विट्ज़रलैंड और 27 यूरोपियन संघ के सदस्य देशों के मध्य लोगों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देता है।

जनमत संग्रह में उठाए गए अन्य मुद्दे

- जनमत संग्रह में उठाए गए अन्य मुद्दों में पितृत्त्व अवकाश, भेड़ियों (Wolves) को मारने के प्रतिबंधों में ढील, फाइटर जेट्स का अधिग्रहण और बाल देखभाल के लिये कर रियायत आदि सम्मिलित थे।
- 60% से अधिक मतदाताओं ने बच्चे के जन्म के पश्चात् पिता को दो सप्ताह के पितृत्त्व अवकाश देने की योजना का समर्थन किया है।
- मतदाताओं ने बाल देखभाल के लिये कर रियायत देने के विपक्ष में मतदान किया है।
- लगभग 51.9% मतदाताओं ने भेड़ियों के शिकार की अनुमति देने के उपायों को अस्वीकार कर दिया।
- जनमत संग्रह में लगभग 50.1% मतदाताओं ने नए फाइटर जेट खरीदने के पक्ष में मतदान किया।

आगे की राह

- वर्ष 2014 में भी इसी तरह के एक जनमत संग्रह में स्विट्ज़रलैंड में रहने और काम करने के लिये यूरोपीय संघ के नागरिकों के आव्रजन को सीमित करने के पक्ष में मतदान हुआ था। हालाँकि स्विस अर्थव्यवस्था पर बड़े पैमाने पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका के चलते स्विस सांसदों द्वारा जनमत संग्रह के परिणामों को लागू करने से इनकार कर दिया गया था।
- लोकलुभावन SVP ने इस वर्ष इस मुद्दे को फिर से जनमत संग्रह में पेश करने का निर्णय किया था। यूरोपियन संघ से मुक्त आव्रजन को सीमित करने को कुछ लोगों द्वारा 'Swexit' की संज्ञा दी जा रही थी, जो स्विस मतदाताओं के बीच लोकप्रिय नहीं है।
- वर्तमान COVID-19 महामारी के संकट को देखते हुए जनमत संग्रह के परिणाम स्विस सरकार और यूरोपियन संघ के मध्य सकारात्मक आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के क्रम में महत्त्वपूर्ण हैं।

नोट :

भारत -डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी

चर्चा में क्यों ?

भारत और डेनमार्क ने दूरगामी लक्ष्यों वाली 'हरित रणनीतिक साझेदारी' (Green Strategic Partnership) के रूप में एक नए युग की शुरुआत की है। यह कदम भारत को जलवायु परिवर्तन एवं अन्य वैश्विक समस्याओं से संबंधित स्थायी समाधान तलाशने में सहायता कर सकता है।

प्रमुख बिंदु

- डेनमार्क के अनुसार, यह समझौता हरित तकनीक (Green Tech) और अन्य क्षेत्रों, जैसे- पवन ऊर्जा, जल प्रौद्योगिकी और ऊर्जा दक्षता आदि में परस्पर निकट सहयोग की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। भारत में इन क्षेत्रों में डेनिश तकनीकों की बहुत माँग है और यह समझौता डेनमार्क से भारत को निर्यात और निवेश वृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
- डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने इस समझौते को कंपनियों को बाज़ार में नवीन अवसरों को उपलब्ध कराने के संदर्भ में अनूठे तरीके के रूप में वर्णित किया है। इस समझौते से कंपनियाँ अभी तक के अप्रयुक्त बाज़ारों का उपयोग करने में समर्थ हो सकती हैं।
- यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रेडरिक्सन द्वारा 28 सितंबर को आयोजित शिखर सम्मेलन में व्यक्त किये गए विज़न के अनुरूप है। भारत ने डेनमार्क की कंपनियों को लोगों का चयन करने में मदद करने के लिये 'भारत-डेनमार्क कौशल संस्थान' बनाने का भी समर्थन किया है, क्योंकि इन कंपनियों को स्थानीय कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है।
- भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में 140 से भी अधिक डेनिश कंपनियाँ भारत में 'मेक इन इंडिया' पहल में भाग ले रही हैं।

क्या है हरित रणनीतिक साझेदारी ?

- हरित रणनीतिक साझेदारी महत्त्वाकांक्षी 'पेरिस समझौते' और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 'सतत् विकास लक्ष्यों' के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ राजनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने, आर्थिक संबंधों और हरित विकास का विस्तार करने, रोज़गार सृजन और वैश्विक चुनौतियों एवं अवसरों के समाधान में सहयोग को मज़बूत करने की दिशा में एक पारस्परिक समझौता है।
- दोनों देशों ने हरित रणनीतिक साझेदारी की स्थापना के महत्त्व को स्वीकार करते हुए भारत और डेनमार्क के संबंधित मंत्रालयों, संस्थानों और हितधारकों के माध्यम से सहयोग करने का आश्वासन दिया है।

हरित रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत सम्मिलित प्रमुख क्षेत्र

1. ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन

- जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौतियों का समाधान तलाशने के लिये अपतटीय पवन ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा पर रणनीतिक क्षेत्रीय सहयोग में क्षमता निर्माण, ज्ञान-साझेदारी और प्रौद्योगिकी स्थानांतरण, ऊर्जा मॉडलिंग और नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन, हरित विकास और 'सतत् विकास की दिशा में साझा प्रतिबद्धताएँ व्यक्त की गई हैं।
- ऊर्जा साझेदारी को और अधिक मज़बूत बनाने एवं जलवायु तथा ऊर्जा पर अत्यंत महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने की पुष्टि भी की गई हैं जो पेरिस समझौते के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप है।

2. पर्यावरण/जल और चक्रीय अर्थव्यवस्था:

- दोनों देशों ने पर्यावरण/जल और चक्रीय अर्थव्यवस्था पर सहयोग को भविष्य में और अधिक विस्तारित तथा मज़बूत करने की दिशा में कार्य करने पर सहमति व्यक्त की है।
- 'भारत-डेनमार्क जल प्रौद्योगिकी गठबंधन' के माध्यम से जलापूर्ति, जल वितरण, अपशिष्ट जल प्रबंधन, सीवरेज़ सिस्टम, अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग, जल प्रबंधन, ऊर्जा अनुकूलन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संयुक्त इच्छा व्यक्त की गई है।

3. स्मार्ट शहरों सहित सतत् शहरी विकास

- गोवा में 'शहरी लिविंग लैब' के माध्यम से स्मार्ट शहरों सहित सतत् शहरी विकास में द्विपक्षीय सहयोग को मज़बूत बनाने तथा साथ ही 'उदयपुर और आरहूस', 'तुमकुरु और अलबोर्ग' के बीच मौजूदा नगर-से-नगर (City-to-City) सहयोग को भी पुष्ट बनाने पर सहमति जताई गई है।

नोट :

- डेनमार्क की कंपनियाँ भारत में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को तैयार करने और सतत् शहरी विकास के सभी क्षेत्रों में अधिक भागीदारी निभा रही हैं।

4. व्यापार, कारोबार और नौवहन

- दोनों देशों की सरकारों, संस्थानों और व्यवसायों के मध्य हरित और जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान देने के साथ आर्थिक साझेदारी विकसित करने का भी प्रयास किया जाएगा।
- साझेदारी में हरित ऊर्जा में सार्वजनिक और निजी निवेशों का समर्थन, पोत निर्माण एवं डिज़ाइन, समुद्री सेवाओं तथा हरित नौवहन में सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ बंदरगाह क्षमता का विकास भी सम्मिलित है।
- 'लघु और मध्यम उद्योग' (Small & Medium Enterprises-SME) के लिये व्यापार प्रतिनिधिमंडलों और बाज़ार गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही व्यापार में 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नस' सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
- भारत और डेनमार्क ने नवाचार, रचनात्मकता और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणालियों को आधुनिक और मज़बूत बनाने में सहयोग करने की भी पुष्टि की है।

5. विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और डिजिटलीकरण

- भारत और डेनमार्क ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership-PPP) के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (Science, Technology & Innovation-STI) में निवेश वृद्धि और सुविधा प्रदान करने के महत्त्व पर भी बल दिया है।
- दोनों देशों ने हरित परिवर्तन में डिजिटल समाधान एवं व्यापार मॉडल में अपनी साझा रुचि की पहचान करते हुए 'हरित स्थायी विकास' का समर्थन करने हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में विकास, नवाचार और निष्पादन को बढ़ाने के लिये सहयोग करने का निर्णय लिया है।

6. खाद्य और कृषि

- कृषि क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाओं को देखते हुए खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पशुपालन तथा डेयरी क्षेत्र में अधिकारियों, व्यवसायों और अनुसंधान संस्थानों के बीच घनिष्ठ और निकट सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

7. स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान

- दोनों पक्षों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में संवाद और सहयोग को और मज़बूत करने और भविष्य में COVID-19 जैसी महामारियों से निपटने के लिये महामारी और टीके सहित स्वास्थ्य नीति के मुद्दों पर वार्तालाप को बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

8. सांस्कृतिक सहयोग, लोगों से लोगों के बीच संपर्क और श्रम गतिशीलता:

- सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से दोनों देशों के लोगों के बीच जागरूकता और पारस्परिक समझ में वृद्धि करने पर भी सहमति व्यक्त की गई है।
- श्रम गतिशीलता की संभावनाओं का मूल्यांकन करने के साथ ही लोगों से लोगों (People to People) के मध्य व्यापक स्तर पर संवाद और पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को मज़बूत करने के लिये दोनों देशों के मध्य यात्रा में अधिक सुलभता प्रदान करने के प्रयास किये जाएंगे।

9. बहुपक्षीय सहयोग:

- दोनों देशों ने नियम-आधारित बहुपक्षीय प्रणाली के समर्थन और प्रोत्साहन के प्रयासों और पहलों में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से मज़बूत बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- दोनों पक्षों ने वैश्विक विकास और सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत एक खुली, समावेशी और नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को प्रोत्साहन देने में सहयोग की आवश्यकता का समर्थन किया गया है।
- यूरोपीय संघ और भारत के द्विपक्षीय संबंधों मज़बूत बनाने के लिये यूरोपीय संघ और भारत के बीच एक महत्त्वाकांक्षी, निष्पक्ष, और पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार और निवेश समझौते की दिशा में कार्य करने का प्रयास किया जाएगा।
- आर्कटिक परिषद के ढाँचे के भीतर आर्कटिक सहयोग पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में आर्कटिक परिषद के ढाँचे के भीतर दोनों देश परस्पर सहयोग करेंगे।

नोट :

- 'मानव अधिकारों,' 'लोकतंत्र' और 'विधि के शासन' के साझा मूल्यों को स्वीकार करते हुए लोकतंत्र और मानवाधिकारों को प्रोत्साहन देने के लिये बहुपक्षीय मंचों में सहयोग करने पर भी सहमति जताई गई है।

आगे की राह

- डेनमार्क और भारत के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी को स्थापित करने के एक निर्णय से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों को एक नई दिशा प्राप्त होगी।
- उपर्युक्त वर्णित क्षेत्रों के अंतर्गत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों और कार्यों की पहचान कर एक कार्य योजना को तैयार करते हुए शीघ्रता से इनके कार्यान्वयन को पूर्ण समर्थन दिया जाएगा।

सिंधु जल संधि के 60 वर्ष

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं।

प्रमुख बिंदु:

सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty):

- सिंधु नदी तंत्र में मुख्यत: 6 नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज शामिल हैं।
- इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र (Basin) को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है, हालाँकि इसका एक छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान में भी मिलता है।
- 19 सितंबर, 1960 को विश्व बैंक (World Bank) की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची (पाकिस्तान) में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किये गए।
- इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की तीन पूर्वी नदियों (रावी, सतलज और ब्यास) के जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया, जबकि तीन पश्चिमी नदियों (झेलम, चिनाब और सिंधु) के जल को पाकिस्तान को दिया गया (संधि के तहत भारत के लिये निर्दिष्ट घरेलू, गैर-उपभोग और कृषि उपयोग को छोड़कर)।
- इसके साथ ही भारत को पश्चिमी नदियों पर 'रन ऑफ द रिवर' (Run of the River- RoR) प्रोजेक्ट के तहत पनबिजली उत्पादन का अधिकार भी दिया गया है।
- स्थायी सिंधु आयोग: सिंधु जल संधि, 1960 के अनुच्छेद-8 के अंतर्गत इस संधि के क्रियान्वयन हेतु एक स्थायी सिंधु आयोग (Permanent Indus Commission) के गठन का प्रावधान किया गया है। इस संधि के तहत आयोग की बैठक वर्ष में कम-से-कम एक बार अवश्य आयोजित की जानी चाहिये तथा संधि के अनुसार, यह बैठक हर वर्ष बारी-बारी भारत और पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी।

संधि का परिणाम और भारत का दृष्टिकोण :

- इस समझौते से पाकिस्तान को सीधा लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि इसके तहत भारत ने 80.52% जल पाकिस्तान को देने पर सहमति व्यक्त की जबकि भारत को मात्र 19.48% जल ही प्राप्त हुआ।
- इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर नहरों के निर्माण के लिये 83 करोड़ रुपए (पाउंड स्टर्लिंग में) देने पर भी सहमति व्यक्त की।
- भारत ने पूर्वी नदियों पर पूर्ण अधिकार के लिये पश्चिमी नदियों पर अपनी मज़बूत स्थिति के बावजूद भी इसके जल को पाकिस्तान में जाने दिया।
- गौरतलब है कि पाकिस्तान के लगभग 2.6 करोड़ एकड़ ज़मीन की सिंचाई सिंधु नदी या इसकी सहायक नदियों पर निर्भर है।

नोट :

- स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास में जल की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण थी इसलिये प्रस्तावित राजस्थान नहर और भाखड़ा बांध के लिये 'पूर्वी नदियों' के जल को प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक था। इसके बिना पंजाब और राजस्थान में सूखा एवं कृषि उपज की भारी कमी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था।
- तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस बात को लेकर भी सचेत थे कि भाखड़ा नहरों के निर्माण के कारण पाकिस्तान को जल की आपूर्ति कम नहीं होनी चाहिये हालाँकि वे इस बात पर भी स्पष्ट थे कि पूर्वी नदियों पर भारत के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिये।
- इस दृष्टिकोण के पीछे उनका मत था कि भविष्य में भारत और पाकिस्तान भी अमेरिका तथा कनाडा की तरह मित्रवत एवं शिष्टाचारपूर्वक साथ रह सकेंगे।

विवाद और चुनौतियाँ :

- वर्ष 1976 के बाद से भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर 'सलाल पनबिजली परियोजना' (चिनाब नदी पर), वुलर बैराज परियोजना, बागलीहार जलविद्युत परियोजना और किशनगंगा पनबिजली परियोजना जैसी कई परियोजनाओं पर कार्य शुरू होने के बाद से ही पाकिस्तान ने भारत पर संधि के उल्लंघन तथा पाकिस्तान में पानी की कमी के लिये ज़िम्मेदार होने का आरोप लगाया है।
- पाकिस्तान के अनुसार, पश्चिमी नदियों पर भारत की परियोजनाएँ संधि के तहत निर्धारित तकनीकी शर्तों का पालन नहीं करती हैं।
- गौरतलब है कि सिंधु और सतलज नदी तिब्बत से निकलती है और वर्तमान में चीन इन नदियों के भारत में प्रवेश करने से पहले इन पर बांध निर्माण या अन्य परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है।

भारत का पक्ष:

- संधि के तहत पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों का पानी आवंटित किया गया है, परंतु यह भारत को इन नदियों के पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले जलविद्युत क्षमता का दोहन करने की अनुमति देता है।
- संधि के तहत भारत को सामान्य उद्देश्य, बिजली उत्पादन और फ्लड स्टोरेज के लिये पश्चिमी नदियों पर क्रमश: 1.25, 1.60, और 0.75 मिलियन एकड़ फीट (MAF) [कुल 3.6 MAF] भंडारण इकाइयों के निर्माण की अनुमति देता है। हालाँकि भारत ने अब तक किसी भंडारण इकाई का निर्माण नहीं किया है।
- साथ ही संधि के तहत पश्चिमी नदियों पर भारत द्वारा जल विद्युत परियोजना पर कोई मात्रात्मक सीमा या 'रन ऑफ द रिवर' परियोजनाओं की संख्या पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

संधि को निरस्त करने की मांग:

- पाकिस्तान द्वारा भारत में सीमापार आतंकवाद और चरमपंथ को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के बाद कई बार भारत में इस संधि (IWT) को निरस्त करने की मांग उठती रही है।
- इस संधि में किसी भी पक्ष के द्वारा एकतरफा तरीके से इसे समाप्त करने का प्रावधान नहीं है, हालाँकि भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी घटनाओं (वर्ष 2001 संसद हमला, वर्ष 2008 मुंबई हमला, वर्ष 2016 में उरी और वर्ष 2019 में पुलवामा आदि) के बाद भारत 'वियना समझौते' के लॉ ऑफ ट्रीटीज़ की धारा-62 के अंतर्गत इस संधि से अलग हो सकता था।
- हालाँकि संधि को निरस्त करने से क्षेत्र में एक बार पुन: अस्थिरता बढ़ने का खतरा बना रहेगा।

संधि का भविष्य:

- विशेषज्ञों के अनुसार, भारत और पाकिस्तान को सिंधु नदी तंत्र के जल के आर्थिक महत्त्व को देखते हुए इसकी क्षमता का अधिक-से-अधिक लाभ लेने के लिये IWT के अनुच्छेद-7 (भविष्य में सहयोग) के तहत इसके विकास हेतु साझा प्रयासों को बढ़ावा देने चाहिये।
- हालाँकि वर्तमान में पाकिस्तान और चीन के बीच इस क्षेत्र में बढ़ते सहयोग को देखते हुए पाकिस्तान के साथ साझा सहयोग पर कोई समझौता बहुत कठिन होगा।
- IWT के अनुच्छेद-12 के तहत किसी उद्देश्य के लिये इस संधि में संशोधन (दोनों सरकारों के बीच उस उद्देश्य के लिये एक विधिवत पुष्टि संधि के द्वारा) का प्रावधान है, परंतु पाकिस्तान संधि में संशोधन के माध्यम से वर्ष 1960 में मिले बड़े हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहेगा।

नोट :

- वर्तमान परिस्थिति में भारत के पास इस संधि के प्रावधानों का अधिकतम लाभ लेना ही सबसे बेहतर विकल्प होगा।
- भारत द्वारा बेहतर जल प्रबंधन परियोजनाओं के अभाव में 2-3 MAF जल पाकिस्तान में चला जाता है, इसके साथ ही पश्चिमी नदियों पर विद्युत उत्पादन की कुल अनुमानित क्षमता 11406 मेगावाट में से अब तक केवल 3034 मेगावाट का दोहन किया जा सका है।
- भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि के तहत प्राप्त अपने अधिकारों का पूरा लाभ लेने के लिये शीघ्र ही इन परियोजनाओं की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

दृष्टि The Vision

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

कैट क्यू वायरस

चर्चा में क्यों ?

जहाँ एक ओर भारत कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research-ICMR) के वैज्ञानिकों ने चीन के एक नए वायरस- कैट क्यू वायरस (Cat Que Virus-CQV) को लेकर चेतावनी जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- 'इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च' में इस वर्ष जुलाई माह में प्रकाशित एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दो मानवों में कैट क्यू वायरस (CQV) के विरुद्ध एंटीबॉडी की उपस्थिति का भी उल्लेख किया था।

क्या है कैट क्यू वायरस ?

- आर्थोपोड-जनित वायरस (Arthropod-Borne Virus) की श्रेणी में आने वाले कैट क्यू वायरस (CQV) को अब तक मुख्य तौर पर चीन और वियतमान में पाया गया है।
- अध्ययन के दौरान चीन में पालतू सूअरों (Domestic Pigs) को इस वायरस के संक्रमण का मुख्य स्रोत माना गया है, जबकि इसका संचरण मुख्य तौर पर मच्छरों से हो रहा है।
  - अध्ययन के अनुसार, चीन में स्थानीय रूप से पाले गए सूअरों में वायरस के विरुद्ध एंटीबॉडी पाई गई है, जिसका अर्थ है कि इस वायरस ने चीन में स्थानीय स्तर पर 'प्राकृतिक चक्र' स्थापित कर लिया है और इस वायरस में मच्छरों के माध्यम से सूअर तथा अन्य जानवरों की आबादी में फैलने की क्षमता है।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, कैट क्यू वायरस (CQV) की उपस्थिति सर्वप्रथम वर्ष 2004 में सामने आई थी और आर्थोपोड-जनित वायरस की श्रेणी वाले इस वायरस में मनुष्यों और पशु प्रजातियों को संक्रमित करने की क्षमता है।

कितना खतरनाक है यह वायरस ?

- अभी यह बात स्पष्ट नहीं हुई है कि मानव प्रजाति के लिये यह वायरस कितना खतरनाक हो सकता है। हालाँकि कैट क्यू वायरस (CQV) की तरह प्रसारित होने वाले इसी तरह के अन्य वायरस जैसे- कैश वैली वायरस के कारण मैनिंज़ाइटिस, ला क्रोसे वायरस के कारण मस्तिष्क में सूजन और ग्वारो वायरस के कारण तीव्र ज्वार जैसी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं।

भारत में कैट क्यू वायरस

- भारत में कैट क्यू वायरस (CQV) को लेकर वर्ष 2017-2018 में किये गए अध्ययन के लिये वर्ष 2014 से वर्ष 2017 के दौरान तीव्र बुखार से संबंधित बीमारियों से प्रभावित 1020 लोगों के नमूने एकत्र किये गए थे।
  - इन नमूनों में से अधिकांश नमूने कर्नाटक (806) से एकत्र किये गए थे, जिसके बाद महाराष्ट्र (116), केरल (51), मध्य प्रदेश (20) और गुजरात (27) का स्थान है।
- यद्यपि परीक्षण के दौरान उनमें से कोई भी नमूना कैट क्यू वायरस (CQV) से संक्रमित नहीं पाया गया, किंतु इन्हीं में से जब 883 नमूनों का वायरस की एंटीबाडी की उपस्थिति के लिये परीक्षण किया गया तो उनमें से दो नमूनों में वायरस की एंटीबाडी की उपस्थिति पाई गई थी, जिसका अर्थ था कि ये लोग कभी वायरस से संक्रमित हुए थे। ज्ञात हो कि ये दोनों नमूने कर्नाटक से लिये गए थे।
  - हालाँकि शोधकर्त्ता मानते हैं कि भारत में यह वायरस अभी तक निष्क्रिय है।

नोट :

आगे की राह

- कई जानकार मानते हैं कि वैश्विक तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप हमारी पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है और इसके कारण वायरस से संबंधित घटनाओं में बढ़ोतरी की प्रवृति देखी जा रही है।
- आवश्यक है कि कैट क्यू वायरस (CQV) और ऐसे ही अन्य वायरसों के संबंध में वैज्ञानिकों द्वारा अधिक-से-अधिक अनुसंधान किया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार के वायरस से निपटना अपेक्षाकृत आसान हो जाए।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति में विद्यार्थियों/युवाओं को प्रोत्साहन

चर्चा में क्यों ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और पृथ्वी विज्ञान केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब के माध्यम से जानकारी दी कि सरकार की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति में देश के विद्यार्थियों/युवाओं को प्रोत्साहित करना सम्मिलित है। सरकार देश के युवाओं/विद्यार्थियों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आकर्षित करने हेतु कई प्रोत्साहन योजनाएँ कार्यान्वित कर रही है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवोन्मेष नीति-2013 के तीन प्रमुख घटक:

- समाज के सभी स्तरों पर वैज्ञानिक प्रवृत्ति के प्रसार का संवर्द्धन करना।
- सभी सामाजिक स्तरों पर युवाओं में विज्ञान के अनुप्रयोगों संबंधी कौशल का विकास करना।
- प्रतिभावान एवं तीव्र बुद्धि वाले छात्रों के लिये विज्ञान, अनुसंधान तथा नवोन्मेष में जीवनवृत्ति (Carrier) निर्माण को आकर्षक बनाना।

S&T में युवाओं के प्रोत्साहन के लिये कार्यरत विभिन्न संस्थाएँ

- विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड (Science and Engineering Research Board- SERB) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology-DST) के अंतर्गत एक सांविधिक संस्थान है।
  - यह युवा वैज्ञानिकों के लिये लक्षित राष्ट्रीय-पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (N-PDF), स्टार्ट-अप अनुसंधान अनुदान (SRG), प्रधानमंत्री डॉक्टरल अनुसंधान अध्येतावृत्ति, स्वर्ण जयंती अध्येतावृत्तियाँ आदि कार्यक्रम संचालित कर रहा है। ये योजनाएँ युवा अनुसंधानकर्ताओं की पहचान करने और उन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के अग्रणी क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराने के लिये तैयार की गई हैं।
- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific & Industrial Research-CSIR) उन युवा विद्यार्थियों को लगभग 4500-5000 ऐसी अध्येतावृत्तियाँ प्रतिवर्ष प्रदान करती है जो भविष्य में वैज्ञानिक बनने का सपना रखते हैं। CSIR द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ प्रमुख अध्येवृत्तियों में (JRF-NET), श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्येतावृत्ति, SRF-DIRECT, अनुसंधान सहायकवृत्ति और CSIR-नेहरू विज्ञान पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान अध्येतावृत्ति (CSIR-NSPDF) आदि हैं।
  - CSIR विभिन्न श्रेणियों, जैसे- केन्द्रित मूलभूत अनुसंधान, अभिनव परियोजनाओं, हरित परियोजनाओं और मिशन परियोजनाओं में अनुसंधान एवं विकास (R&D) के साथ-साथ अंतरण परियोजना कार्यान्वित कर रही है।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Bio-technology-DBT) जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान के क्षेत्रों में स्नातक-पूर्व विज्ञान शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम, DBT-कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति कार्यक्रम, DBT-अनुसंधान सहायकवृत्ति और DBT-जैव प्रौद्योगिकी उद्योग प्रशिक्षण कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के लिये स्टार कॉलेज योजना सहित जैव प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है।
- राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (National Innovation Foundation-NIF) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सतत् नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिये द्विवार्षिक राष्ट्रीय मूलभूत नवप्रवर्तन एवं उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान पुरस्कार प्रदान करता है। NIF नवप्रवर्तकों को मूल्य संवर्द्धन एवं उद्भवन सहायता उपलब्ध कराता है ताकि उनकी प्रौद्योगिकियाँ बाज़ार तक पहुँच सकें।
  - जैव प्रौद्योगिकी विभाग वंशानुगत एवं आण्विक स्तर पर मानव रोगों के कारणों को समझने के लिये वहनीय स्वास्थ्य देखभाल तथा R&D में सहायता कर रहा है। DBT संक्रामक तथा पुराने रोगों, मानव वंशानुगति एवं जीनोम विश्लेषण, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पोषण, टीका अनुसंधान, जैव अभियांत्रिकी एवं बायो-डिज़ाइन, स्टेम कोशिका और पुनरूत्पादक औषधि जैसे क्षेत्रों में नवप्रवर्तक चिकित्सा अथवा निवारक उपायों के विकास के लिये कार्य कर रहा है।

नोट :

सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाएँ

- अभिप्रेरित अनुसंधान के लिये विज्ञान की खोज में नवोन्मेष (Innovation in Science Pursuit for Inspired Research-INSPIRE) मेधावी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विज्ञान विषय का अध्ययन तथा अनुसंधान और विकास (R&D) में जीवनवृत्ति का विकल्प देने की दृष्टि से उन्हें आकर्षित, अभिप्रेरित, पोषित तथा प्रशिक्षित करने वाली एक वृहत् योजना है। इस योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर देश में R&D के क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास करना है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने वर्ष 2016 में निधि (National Initiative For Developing And Harnessing Innovations-NIDHI) के अंतर्गत 'युवा एवं आकांक्षी प्रौद्योगिकी उद्यमी प्रोत्साहन एवं त्वरण' (प्रयास) नामक नया कार्यक्रम आरंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बड़ी संख्या में उन युवा नवप्रवर्तकों को आकर्षित करना है जो समस्या समाधान में उत्साह एवं क्षमता प्रदर्शित करते हैं।
- इंस्पायर पुरस्कार-MANAK (Million Minds Augmenting National Aspirations and Knowledge) योजना DST द्वारा NIF के साथ मिलकर चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य 10-15 वर्ष की आयु और कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत छात्रों को अध्ययन के लिये प्रेरित करना है। योजना का उद्देश्य विज्ञान और सामाजिक अनुप्रयोगों में निहित एक मिलियन मूल विचारों/नवाचारों को लक्षित करना है, जो स्कूली बच्चों के बीच रचनात्मकता और नवीन सोच की संस्कृति को बढ़ावा दे सके। देश भर के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 के लगभग 42,000 युवा छात्र इंस्पायर पुरस्कार-MANAK प्रति वर्ष प्राप्त करते हैं।

आगे की राह

अपने तीव्र आर्थिक विकास के साथ भारत को खाद्य असुरक्षा से लेकर बड़े पैमाने पर जनसंख्या की स्वास्थ्य देखभाल तक कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिनके लिये त्वरित और प्रभावी समाधानों की आवश्यकता होगी। इसलिये देश में वैज्ञानिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करना नितांत अपरिहार्य है।

बड़े ब्लैक होल की जाँच करने का एक नया तरीका

चर्चा में क्यों ?

भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (Indian Institute of Astrophysics) के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़े ब्लैक होल की जाँच करने का एक नया तरीका खोजा है, जिससे उसके द्रव्यमान एवं घूर्णन जैसी विशेषताओं का पता लगाकर यह पता लगाया जा सके कि वे तारों को कैसे भेदते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- जाँच मॉडल:
  - वैज्ञानिकों ने एक मॉडल तैयार किया है जिससे ब्लैक होल के द्रव्यमान एवं घूर्णन के बारे में जानकारी हासिल कर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ ब्लैक होल बड़ी आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाने वाले उच्च गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में खगोलीय पिंडों के आसपास आने पर तारों को कैसे भेदते हैं।
- ज्वारीय विघटन घटना (Tidal Disruption Events- TDE):
  - अधिकांश ब्लैक होल अलग-थलग होते हैं जिससे उनका अध्ययन करना असंभव होता है। खगोलविद् इन ब्लैक होल के आसपास के तारों एवं गैस पर प्रभावों को देखकर उनका अध्ययन करते हैं।
  - जब ब्लैक होल का ज्वारीय गुरुत्वाकर्षण तारों के अपने गुरुत्वाकर्षण से अधिक हो जाता है तो तारे विघटित हो जाते हैं और इस घटना को ज्वारीय विघटन घटना (Tidal Disruption Events) कहा जाता है।
- बड़े ब्लैक होल अपनी गुरुत्वाकर्षण क्षमता के भीतर परिक्रमा करने वाले तारों की गति को नियंत्रित करते हैं और उनकी ज्वारीय शक्तियाँ उनके आसपास आने वाले तारों को अलग या भेद सकती हैं।

नोट :

- भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिक जो पहले विघटन की दर एवं उसके आँकड़ों की गणना कर चुके थे, उन्होंने अपने नए अध्ययन में एक दिये गए तारकीय विघटन घटना (Stellar Disruption Event) के अवलोकन पर ध्यान केंद्रित किया और ब्लैक होल द्रव्यमान, तारों का द्रव्यमान और तारे की कक्षा के निकटतम दृष्टिकोण बिंदु का अनुमान लगाया।
- शोधकर्त्ताओं ने ज्वारीय विघटन घटना (Tidal Disruption Events) में अभिवृद्धि एवं बहिर्वाह की गतिशीलता का एक विस्तृत अर्द्ध-विश्लेषणात्मक मॉडल विकसित किया। उनका यह शोध न्यू एस्ट्रोनॉमी- 2020 (New Astronomy- 2020) में प्रकाशित हुआ था।

अभिवृद्धि डिस्क (Accretion Disk) का निर्माण:

- एक आकाशगंगा में तारों को नियंत्रित कर लाखों वर्षों में लगभग कई बार भेदा जाता है। बाधित मलबा केप्लरियन कक्षा (Keplerian Orbit) का अनुसरण करता है और यह समय के साथ घटने वाली द्रव्यमान दर में गिरावट के साथ लौटता है।
- अतिक्रमण करने वाले मलबे का बाहरी मलबे से संपर्क होता है जिसके परिणामस्वरूप गोलाकार (Circularization) और एक अभिवृद्धि डिस्क का निर्माण होता है।
  - अभिवृद्धि डिस्क, ब्लैक होल के अंदर जाने से पहले ब्लैक होल के बाहर पदार्थ का अस्थायी संचयन है। यह एक्स-रे से विभिन्न वर्णक्रमीय बैंडों (Spectral Bands) से निकलने वाला प्रकाश है जिसमें ऑप्टिकल से लेकर अवरक्त तरंगदैर्ध्य तक का विकिरण होता है।
- अभिवृद्धि डिस्क/चक्र किसी बड़ी खगोलीय वस्तु के इर्द-गिर्द बहुत तेज़ी से परिक्रमा कर रहे ब्रह्माण्ड के सबसे चमकीले पदार्थों का समूह होता है। अप्रैल 2019 में इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप (Event Horizen Telescope) द्वारा ली गई तस्वीर में ब्लैक होल के चारों ओर एक धुँधला प्रभामंडल (Halo) दिखाई दिया जिसे अभिवृद्धि डिस्क/चक्र कहा गया।
- अभिवृद्धि चक्र लगभग हमेशा ब्लैक होल के अभिविन्यास के कोण (जिसे ब्लैक होल के भूमध्यरेखीय तल के रूप में भी जाना जाता है) पर झुका होता है।

इस मॉडल का मुख्य विशेषताएँ:

- इस मॉडल का मुख्य आकर्षण सभी आवश्यक तत्वों का समावेश है जिनमें अभिवृद्धि, फॉल बैक एवं हवा, स्व-निरंतरता (Self-consistently) शामिल हैं जो एक सूत्रीकरण में संख्यात्मक रूप से तेज़ी से क्रियान्वित होता है और पहले की स्थिर संरचना अभिवृद्धि मॉडल की तुलना में निगरानी के लिये अच्छा है।
- यह समय-निर्भर मॉडल, प्रकाश का अनुकरण करता है जो ज्वारीय विघटन के लिये तारों को नियंत्रित करने की दर, ब्लैक होल डेमोग्राफिक्स (ब्रह्माण्ड में ब्लैक होल का संख्या वितरण) और सर्वेक्षण मिशन के साधन विनिर्देश के साथ विघटन की अपेक्षित दर का परिणाम देता है।
  - अवलोकन से पता लगाने की दर के साथ अपेक्षित पहचान दर की तुलना करके कोई ब्लैक होल डेमोग्राफिक्स की जाँच कर सकता है।
- प्रेक्षणों के अनुरूप तारे एवं ब्लैक होल के मानदंड मिलते हैं जो सांख्यिकीय अध्ययन के लिये उपयोगी होते हैं और ब्लैक होल डेमोग्राफिक्स का निर्माण करते हैं।

महत्त्व:

- इस मॉडल के द्वारा तारे के ज्वारीय विघटन के बाद उसका अवलोकन किया जा सकता है और यह ब्लैक होल द्रव्यमान एवं तारकीय द्रव्यमान (Stellar Mass) के मूल्यवान आँकड़ों के निर्माण के अलावा भौतिकी के बारे में हमारी समझ का विस्तार करने में मदद करेगा।
- ज्वारीय विघटन की घटनाएँ महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं जो अर्द्ध-आकाशगंगाओं में बड़े ब्लैक होल के द्रव्यमान का पता लगाने एवं भविष्यवाणी करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, अतिक्रमण करने वाला मलबा एक मूल अभिवृद्धि डिस्क का निर्माण करता है जो ब्लैक होल एवं वायु से बड़े पैमाने पर नुकसान के कारण विकसित होता है किंतु मलबे के गिरने से बड़े पैमाने पर लाभ होता है।

नोट :

बड़े ब्लैक होल की जाँच करने का एक नया तरीका

चर्चा में क्यों ?

भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (Indian Institute of Astrophysics) के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़े ब्लैक होल की जाँच करने का एक नया तरीका खोजा है, जिससे उसके द्रव्यमान एवं घूर्णन जैसी विशेषताओं का पता लगाकर यह पता लगाया जा सके कि वे तारों को कैसे भेदते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- जाँच मॉडल:
  - वैज्ञानिकों ने एक मॉडल तैयार किया है जिससे ब्लैक होल के द्रव्यमान एवं घूर्णन के बारे में जानकारी हासिल कर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ ब्लैक होल बड़ी आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाने वाले उच्च गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में खगोलीय पिंडों के आसपास आने पर तारों को कैसे भेदते हैं।
- ज्वारीय विघटन घटना (Tidal Disruption Events- TDE):
  - अधिकांश ब्लैक होल अलग-थलग होते हैं जिससे उनका अध्ययन करना असंभव होता है। खगोलविद् इन ब्लैक होल के आसपास के तारों एवं गैस पर प्रभावों को देखकर उनका अध्ययन करते हैं।
  - जब ब्लैक होल का ज्वारीय गुरुत्वाकर्षण तारों के अपने गुरुत्वाकर्षण से अधिक हो जाता है तो तारे विघटित हो जाते हैं और इस घटना को ज्वारीय विघटन घटना (Tidal Disruption Events) कहा जाता है।
- बड़े ब्लैक होल अपनी गुरुत्वाकर्षण क्षमता के भीतर परिक्रमा करने वाले तारों की गति को नियंत्रित करते हैं और उनकी ज्वारीय शक्तियाँ उनके आसपास आने वाले तारों को अलग या भेद सकती हैं।
- भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिक जो पहले विघटन की दर एवं उसके आँकड़ों की गणना कर चुके थे, उन्होंने अपने नए अध्ययन में एक दिये गए तारकीय विघटन घटना (Stellar Disruption Event) के अवलोकन पर ध्यान केंद्रित किया और ब्लैक होल द्रव्यमान, तारों का द्रव्यमान और तारे की कक्षा के निकटतम दृष्टिकोण बिंदु का अनुमान लगाया।
- शोधकर्त्ताओं ने ज्वारीय विघटन घटना (Tidal Disruption Events) में अभिवृद्धि एवं बहिर्वाह की गतिशीलता का एक विस्तृत अर्द्ध-विश्लेषणात्मक मॉडल विकसित किया। उनका यह शोध न्यू एस्ट्रोनॉमी- 2020 (New Astronomy- 2020) में प्रकाशित हुआ था।

अभिवृद्धि डिस्क (Accretion Disk) का निर्माण:

- एक आकाशगंगा में तारों को नियंत्रित कर लाखों वर्षों में लगभग कई बार भेदा जाता है। बाधित मलबा केप्लरियन कक्षा (Keplerian Orbit) का अनुसरण करता है और यह समय के साथ घटने वाली द्रव्यमान दर में गिरावट के साथ लौटता है।
- अतिक्रमण करने वाले मलबे का बाहरी मलबे से संपर्क होता है जिसके परिणामस्वरूप गोलाकार (Circularization) और एक अभिवृद्धि डिस्क का निर्माण होता है।
  - अभिवृद्धि डिस्क, ब्लैक होल के अंदर जाने से पहले ब्लैक होल के बाहर पदार्थ का अस्थायी संचयन है। यह एक्स-रे से विभिन्न वर्णक्रमीय बैंडों (Spectral Bands) से निकलने वाला प्रकाश है जिसमें ऑप्टिकल से लेकर अवरक्त तरंगदैर्ध्य तक का विकिरण होता है।
- अभिवृद्धि डिस्क/चक्र किसी बड़ी खगोलीय वस्तु के इर्द-गिर्द बहुत तेज़ी से परिक्रमा कर रहे ब्रह्माण्ड के सबसे चमकीले पदार्थों का समूह होता है। अप्रैल 2019 में इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप (Event Horizen Telescope) द्वारा ली गई तस्वीर में ब्लैक होल के चारों ओर एक धुँधला प्रभामंडल (Halo) दिखाई दिया जिसे अभिवृद्धि डिस्क/चक्र कहा गया।
- अभिवृद्धि चक्र लगभग हमेशा ब्लैक होल के अभिविन्यास के कोण (जिसे ब्लैक होल के भूमध्यरेखीय तल के रूप में भी जाना जाता है) पर झुका होता है।

नोट :

इस मॉडल का मुख्य विशेषताएँ:

- इस मॉडल का मुख्य आकर्षण सभी आवश्यक तत्वों का समावेश है जिनमें अभिवृद्धि, फॉल बैक एवं हवा, स्व-निरंतरता (Self-consistently) शामिल हैं जो एक सूत्रीकरण में संख्यात्मक रूप से तेज़ी से क्रियान्वित होता है और पहले की स्थिर संरचना अभिवृद्धि मॉडल की तुलना में निगरानी के लिये अच्छा है।
- यह समय-निर्भर मॉडल, प्रकाश का अनुकरण करता है जो ज्वारीय विघटन के लिये तारों को नियंत्रित करने की दर, ब्लैक होल डेमोग्राफिक्स (ब्रह्माण्ड में ब्लैक होल का संख्या वितरण) और सर्वेक्षण मिशन के साधन विनिर्देश के साथ विघटन की अपेक्षित दर का परिणाम देता है।
  - अवलोकन से पता लगाने की दर के साथ अपेक्षित पहचान दर की तुलना करके कोई ब्लैक होल डेमोग्राफिक्स की जाँच कर सकता है।
- प्रेक्षणों के अनुरूप तारे एवं ब्लैक होल के मानदंड मिलते हैं जो सांख्यिकीय अध्ययन के लिये उपयोगी होते हैं और ब्लैक होल डेमोग्राफिक्स का निर्माण करते हैं।

महत्त्व:

- इस मॉडल के द्वारा तारे के ज्वारीय विघटन के बाद उसका अवलोकन किया जा सकता है और यह ब्लैक होल द्रव्यमान एवं तारकीय द्रव्यमान (Stellar Mass) के मूल्यवान आँकड़ों के निर्माण के अलावा भौतिकी के बारे में हमारी समझ का विस्तार करने में मदद करेगा।
- ज्वारीय विघटन की घटनाएँ महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं जो अर्द्ध-आकाशगंगाओं में बड़े ब्लैक होल के द्रव्यमान का पता लगाने एवं भविष्यवाणी करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, अतिक्रमण करने वाला मलबा एक मूल अभिवृद्धि डिस्क का निर्माण करता है जो ब्लैक होल एवं वायु से बड़े पैमाने पर नुकसान के कारण विकसित होता है किंतु मलबे के गिरने से बड़े पैमाने पर लाभ होता है।

'रूल्स ऑफ ओरिजिन' संबंधी नियम

चर्चा में क्यों ?

वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार, 21 सितंबर, 2020 से देश भर के आयातकों को किसी भी वस्तु का आयात करने से पूर्व अपेक्षित सतर्कता बरतते हुए आयातित वस्तुओं पर 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (Rules Of Origin) से संबंधित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि 21 अगस्त, 2020 को राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के लिये उत्पत्ति नियमों के प्रशासन) नियम 21 सितंबर से लागू हो जाएगा।
- वित्त मंत्रालय ने आयातकों और अन्य हितधारकों को नए प्रावधानों से परिचित कराने और अपनी कार्यप्रणाली को इसके अनुरूप बनाने के लिये 30-दिन का समय दिया था, जो कि 21 सितंबर, 2020 को समाप्त हो जाएगा।

नए नियम

- नवीनतम नियमों के अनुसार, आयातकों को अब सीमा शुल्क अधिकारियों को आयातित किये गए माल के लिये उस देश में 35 प्रतिशत मूल्यवर्द्धन का प्रमाण देना होगा, जिसके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता (FTA) किया हुआ है और यदि वे यह प्रणाम-पत्र प्रदान करने में विफल रहते हैं तो उन्हें समझौते के तहत उपलब्ध विभिन्न रियायतें प्राप्त नहीं होंगी।
  - सरकार के इस निर्णय का अर्थ होगा कि चीन से उत्पादित और किसी अन्य देश के रास्ते भारत में आने वाली वस्तुओं को मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत सीमा शुल्क रियायतों का लाभ नहीं मिल पाएगा।
- इसके अलावा आयातकों को वस्तुओं का आयात करते समय प्रविष्ट बिल (Bill of Entry) पर वस्तु के उद्गम स्थान (वस्तु के उत्पादन के स्थान) (Origin) से संबंधित जानकारी भी प्रदान करनी होगी।

नोट :

उद्देश्य

- इस प्रकार की व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य चीन को भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) से अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकना है, दरअसल भारत ने आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है, जिसका लाभ प्राप्त करते हुए चीन अपने कई उत्पादों को आसियान देशों के माध्यम से भारत में बेचता है, जिसके कारण उसे इन उत्पादों के लिये किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है।

महत्त्व

- इस निर्णय के माध्यम से भारत के घरेलू उद्योगों को मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के कारण उत्पन्न होने वाली अनुचित प्रतिस्पर्द्धा से बचाया जा सकेगा।
- नए नियमों की मदद से सीमा शुल्क विभाग को मज़बूती मिलेगी और विभिन्न व्यापार समझौतों के तहत सीमा शुल्क में छूट का गलत लाभ लेने की कोशिशों पर लगाम लगेगी।

पृष्ठभूमि

- ध्यातव्य है कि भारत ने 10 आसियान देशों के साथ वर्ष 2009 में मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किये थे, जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल थे।
- यह मुक्त व्यापार समझौता 10 आसियान देशों की अधिकांश वस्तुओं के शून्य अथवा कुछ रियायती दरों के आधार पर आयात का प्रावधान करता है, हालाँकि भारत में अधिकांश आयात मुख्यत: पाँच सदस्य देशों- इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और वियतनाम से ही होता है।
- नियमों के अनुसार, रियायती सीमा शुल्क दर का लाभ केवल तभी दिया जाता है जब कोई आसियान सदस्य देश से आयात होने वाला माल पर 'कंट्री ऑफ ओरिजिन' के सिद्धांत को पूरा करे।
- 'कंट्री ऑफ ओरिजिन' के सिद्धांत का निर्धारण करते समय कुछ निश्चित शर्तों का प्रयोग किया जाता है, पूर्ववर्ती नियमों के मुताबिक यह आवश्यक है कि वस्तुओं के निर्यात मूल्य का कम-से-कम 35 प्रतिशत का मूल्यवर्द्धन आसियान सदस्य देश में ही हुआ हो, हालाँकि पहले यह सिद्ध करने के लिये आसियान देश में अधिसूचित एजेंसी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही काफी होता था, किंतु नए नियमों के अनुसार, आयातकों को अधिकारियों के समक्ष आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
  - कई बार जाँच में यह पाया गया है कि गैर-आसियान देशों की वस्तुओं में केवल कुछ छोटा-मोटा परिवर्तन करके उन्हें आसियान देशों के माध्यम से भारत भेजा जा रहा था और 35 प्रतिशत के मूल्यवर्द्धन नियम का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा था।

'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (Rules of Origin):

- रूल्स ऑफ ओरिजिन, किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत के निर्धारण के लिये आवश्यक मापदंड है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' बहुत ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कई मामलों में वस्तुओं पर शुल्क और प्रतिबंध का निर्धारण 'आयात के स्रोत' पर निर्भर करता है।
- इसका प्रयोग 'एंटी-डंपिंग शुल्क' (Anti-Dumping Duty) या देश की वाणिज्य नीति के तहत अन्य सुरक्षात्मक कदम उठाने, व्यापार आँकड़े तैयार करने व सरकारी खरीद आदि में किया जाता है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रोत्साहन के लिये उठाए गए कदम

चर्चा में क्यों ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा लोकसभा में दिये गए एक लिखित उत्तर में भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिये उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी गई।

'आयुष' चिकित्सा पद्धति

- आयुष (AYUSH) का अभिप्राय आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी से है। आयुष मंत्रालय इन सभी स्वास्थ्य प्रणालियों के संवर्द्धन एवं विकास, इन प्रणालियों के माध्यम से आमजन को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना तथा इनसे संबंधित चिकित्सा शिक्षा के संचालन का कार्य देखता है।

नोट :

- संबंधित चिकित्सा पद्धतियों के बारे में संक्षिप्त विवरण -
  - आयुर्वेद- पूर्णरूप से प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित आयुर्वेद विश्व का प्राचीनतम चिकित्सा विज्ञान है। आयुर्वेद के प्राचीनतम ग्रंथों में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एवं अष्टांग हृदयम प्रमुख हैं। आयुर्वेद प्रमुख रूप से त्रिदोष- वात, पित्त और कफ पर आधारित है। तीनों दोष जब शरीर में में सम अवस्था में रहतें हैं तब मनुष्य स्वस्थ रहता है तथा दोषों की विषम अवस्था होने पर रोग उत्पन्न होते हैं।
  - होम्योपैथी- होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का प्रादुर्भाव एक जर्मन डॉ. सैम्युल फ्रेडरिक हैनीमन द्वारा किया गया। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से विभिन्न रोगों का बहुत ही कम खर्च पर उपचार किया जा सकता है।
  - योग: योग मुख्यत: एक जीवन पद्धति है, जिसे पतंजलि ने क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया था। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि आठ अंग है।
  - यूनानी: इस चिकित्सा पद्धति का उद्भव व विकास यूनान में हुआ। भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति अरबों के द्वारा पहुँची और यहाँ के प्राकृतिक वातावरण एवं अनुकूल परिस्थितियों की वजह से इस पद्धति का बहुत विकास हुआ। भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति के महान चिकित्सक और समर्थक हकीम अजमल खान (1868-1927) ने इस पद्धति के प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इस पद्धति के मूल सिद्धांतों के अनुसार, रोग शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। शरीर में रोग उत्पन्न होने पर रोग के लक्षण शरीर की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।
  - सिद्ध: यह भारत में दवा की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है। 'सिद्ध' शब्द का अर्थ है उपलब्धियाँ। सिद्ध, संत पुरुष होते थे। कहा जाता है कि अठारह सिद्धों ने इस चिकित्सा प्रणाली के विकास की दिशा में योगदान दिया। सिद्ध साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। यह भारत के तमिल भाषी हिस्से तथा विदेश में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। सिद्ध प्रणाली काफी हद तक प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास रखती है।

उठाए गए प्रमुख कदम

- वैश्विक स्तर पर भारतीय चिकित्सा प्रणाली और आयुर्वेद की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये आयुष मंत्रालय ने विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ 13 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं। पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिये 23 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं जिनमें अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण, आदि में सहयोग के कुछ क्षेत्र भी शामिल हैं।
- आयुष मंत्रालय की फेलोशिप/छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भारत के प्रमुख संस्थानों में आयुष प्रणालियों में स्नातक, स्नातकोत्तर और Ph.D. पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिये 99 देशों के पात्र विदेशी नागरिकों को प्रतिवर्ष 104 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
- प्रमाणन प्रक्रिया के माध्यम से योग पद्धति में पेशेवरों की क्षमता के स्तर को प्रमाणित करने के लिये आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का प्रमुख उद्देश्य निवारक और स्वास्थ्य प्रोत्साहन के रूप में 'ड्रगलेस थेरेपी' (Drugless Therapy) के रूप में प्रामाणिक योग को बढ़ावा देना है। प्रमाणन कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर योग पेशेवरों के ज्ञान और कौशल में समन्वय, गुणवत्ता और एकरूपता लाने के उद्देश्य से योग प्रमाणन बोर्ड (Yoga Certification Board-YCB) की स्थापना की गई है।
- भारतीय चिकित्सा पद्धति के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्त्व को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष देश में आयुर्वेद दिवस, यूनानी दिवस और सिद्ध दिवस मनाए जाते हैं। 190 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 35 से अधिक देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। मंत्रालय वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन आयोजित कर रहा है।
- आयुष प्रणालियों के संवर्द्धन और विकास के लिये भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 'राष्ट्रीय आयुष मिशन' को क्रियान्वित कर रही है। आयुष ग्राम की अवधारणा के अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन, संचार और स्थानीय औषधीय जड़ी बूटियों की पहचान और उपयोग के लिये ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के माध्यम से आयुष आधारित जीवन शैली को प्रोत्साहित किया जाता है।
- आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) को प्रोत्साहित करने के लिये योजना के अंतर्गत आयुष मंत्रालय राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर AROGYA मेले, मल्टीमीडिया अभियान, ऑडियो विजुअल सामग्री सहित प्रचार सामग्री का वितरण करना आदि कार्य करता है। COVID-19 महामारी के समय आयुष मंत्रालय प्रचार और प्रसार के लिये इलेक्ट्रॉनिक और डिज़िटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग कर रहा है।

नोट :

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने की योजना (International Cooperation-IC Scheme) के अंतर्गत आयुष मंत्रालय संपूर्ण विश्व में आयुर्वेद सहित चिकित्सा की आयुष प्रणालियों को बढ़ावा देने और प्रचार-प्रसार के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों में भाग लेने के लिये विदेशों में आयुष विशेषज्ञों को नियुक्त करता है।
- आयुष प्रणाली और चिकित्सा के बारे में जनता के मध्य जागरूकता पैदा करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, व्यापार मेलों आदि में भाग लेने के लिये आयुष दवा निर्माताओं, उद्यमियों, आयुष संस्थानों आदि को प्रोत्साहन दिया जाता है।
- मंत्रालय की आईसी योजना (IC Scheme) के अंतर्गत अब तक केन्या, अमेरिका, रूस, लातविया, कनाडा, ओमान, ताज़िकिस्तान और श्रीलंका आदि 8 देशों में 50 से अधिक यूनानी और आयुर्वेद उत्पादों को पंजीकृत किया जा चुका है।
- आयुष प्रणालियों के बारे में प्रामाणिक जानकारी का प्रसार करने के लिये 31 देशों में 33 आयुष सूचना सेल की स्थापना की गई है। आयुष मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के ITEC कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्रालय, मलेशिया में दो विशेषज्ञों (आयुर्वेद और सिद्ध) की प्रतिनियुक्ति की है।
- समावेशी, सस्ती, साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने हेतु नीति आयोग द्वारा व्यापक एकीकृत स्वास्थ्य नीति के ढाँचे को प्रस्तावित करने के लिये एकीकृत स्वास्थ्य नीति के निर्माण पर एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है।
- 5 रेलवे ज़ोनल अस्पतालों में आयुष विंग्स की स्थापना के लिये आयुष मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
- रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (DGAFMS) के स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के अंतर्गत आयुर्वेद के एकीकरण के लिये रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

निष्कर्ष

सरकार द्वारा पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने के क्रम में उठाए गए इन कदमों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति करने, आयुष चिकित्सा पद्धति का विदेशों में प्रचार-प्रसार करने और लोगों तक सस्ती तथा प्रभावी उपचार सेवाएँ पहुँचाने में मदद मिलेगी। वर्तमान में COVID-19 महामारी को देखते हुए इस प्रकार के प्रयासों की नितांत आवश्यकता है।

भारतीय अनुसंधानकर्त्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिये योजनाएँ

चर्चा में क्यों ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री, डॉ. हर्षवर्धन ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से यह जानकारी दी है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विदेशों में रह रहे भारतीय अनुसंधानकर्त्ताओं को भारतीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में काम करने हेतु आकर्षक विकल्प और अवसर प्रदान करने के लिये कई योजनाओं का निर्माण किया है।

प्रमुख योजनाओं का विवरण

- वज्र (Visiting Advanced Joint Research-VAJRA) फ़ैकल्टी योजना
  - यह योजना अनिवासी भारतीयों (NRIs) और विदेशी भारतीय नागरिकों (OCIs) सहित विदेशी वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को भारत के सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों और विश्वविद्यालयों में एक विशिष्ट अवधि तक काम करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु प्रारंभ की गई है।
  - यह योजना भारतीय शोधकर्त्ताओं सहित विदेशी वैज्ञानिकों को एक या एक से अधिक भारतीय सहयोगियों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले सहयोगशील अनुसंधान करने के लिये एडजंक्ट/विज़िटिंग फैकल्टी असाइनमेंट (Adjunct/ Visiting Faculty Assignment) प्रदान करती है ।
- रामानुजन अध्येतावृत्ति (Ramanujan Fellowship)
  - यह अध्येतावृत्ति विदेशों में रह रहे क्षमतावान भारतीय शोधकर्त्ताओं को भारतीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों में काम करने के लिये विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के सभी क्षेत्रों में आकर्षक विकल्प और अवसर प्रदान करती है।

नोट :

- यह विदेशों से भारत लौटने के इच्छुक 40 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को लक्षित कर प्रारंभ की गई है।

- रामालिंगस्वामी पुन: प्रवेश अध्येतावृत्ति (Ramalingaswami Re entry Fellowship)
  - यह योजना देश के बाहर काम कर रहे भारतीय मूल के उन वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिये निर्मित की गई है, जो जीवन विज्ञान (Life Sciences), आधुनिक जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अपने अनुसंधान को जारी रखने के लिये भारत लौटने के इच्छुक हैं।
- बायो-मेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम (Bio-medicall Research Carrier Prograame-BRCP):
  - यह कार्यक्रम प्रारंभिक, मध्यवर्ती और वरिष्ठ स्तर के शोधकर्त्ताओं को भारत में आधारभूत जैव-चिकित्सा या नैदानिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य में अपने अनुसंधान और शैक्षणिक कैरियर को जारी रखने के लिये अवसर प्रदान करता है।
  - ये अध्येतावृत्तियाँ उन सभी पात्र शोधकर्त्ताओं के लिये उपलब्ध हैं जो भारत में शोधकार्य जारी रखने/प्रारंभ करने के इच्छुक हैं।
- भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला में भारतीय मूल के वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद् (Scientists/Technologists of Indian Origin-STIO):
  - भारतीय मूल के वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Counsil for Scientific & Industrial Research-CSIR) की प्रयोगशालाओं में अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने का उपबंध किया गया है।
- वरिष्ठ अनुसंधान एसोसिएटशिप (Senior Research Associateship-SRA) (वैज्ञानिक पूल योजना):
  - यह योजना मुख्य रूप से विदेशों से भारत लौट रहे उच्च योग्यता वाले उन भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रौद्योगिकीविदों और चिकित्सा कार्मिकों को अस्थायी प्लेसमेंट प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित की गई है, जिनका भारत में कोई स्थायी रोज़गार नहीं है।
  - वरिष्ठ अनुसंधान एसोसिएटशिप नियमित नियुक्ति नहीं है, बल्कि एक अस्थायी सुविधा है। जिससे एसोसिएट नियमित पद की तलाश करते हुए भारत में अनुसंधान/अध्यापन करने में समर्थ हो सकेंगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की स्थिति

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना प्रणाली (National Science and Technology Management Information System-NSTMIS) द्वारा किये गए राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण-2018 पर आधारित अनुसंधान और विकास सांख्यिकी तथा संकेतक 2019-20 के अनुसार, अनुसंधान और विकास में भारत का सकल व्यय वर्ष 2008 से वर्ष 2018 के मध्य बढ़कर तीन गुना हो गया है।
- वर्ष 2000 से प्रति मिलियन आबादी में शोधकर्त्ताओं की संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई है। भारत में प्रति मिलियन आबादी पर शोधकर्त्ताओं की संख्या बढ़कर वर्ष 2017 में 255 हो गई जो वर्ष 2015 और वर्ष 2010 में क्रमश: 218 और 110 थी।
- रेजिडेंट पेटेंट फाइलिंग गतिविधि के मामले में भारत विश्व में 9वें स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत में कुल 47,854 पेटेंट दर्ज किये गए थे, जिसमें से 15,550 (32%) पेटेंट भारतीयों द्वारा दायर किये गए थे।
- भारत में दायर किये गए पेटेंट आवेदनों में मैकेनिकल (यांत्रिकी), केमिकल (रासायनिक), कंप्यूटर/इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन (संचार) जैसे विषयों की संख्या अधिक थी।
- WIPO के अनुसार, भारत का पेटेंट कार्यालय विश्व के शीर्ष 10 पेटेंट दाखिल करने वाले कार्यालयों में 7वें स्थान पर है।

आगे की राह

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत से प्रतिभा पलायन को रोकने के लिये विभिन्न प्रतिस्पर्द्धात्मक योजनाओं/कार्यक्रमों, जैसे- कोर रिसर्च ग्रांट, रिसर्च फैलोशिप, (जे.सी. बोस और स्वर्ण जयंती फैलोशिप) आदि के कार्यान्वयन के माध्यम से वैश्विक स्तर के अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है।
- वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता प्राप्त करने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय लगभग 80 देशों और विभिन्न बहुपक्षीय संगठनों/एजेंसियों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय S & T सहयोग के माध्यम से भारतीय अनुसंधान को वैश्विक अनुसंधान से भी जोड़ रहा है।

नोट :

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)

- WIPO बौद्धिक संपदा (IP) सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिये स्थापित वैश्विक मंच है। यह 193 सदस्य राष्ट्रों के साथ संयुक्त राष्ट्र का एक स्व-वित्तपोषित अभिकरण (Agency) है।
- WIPO का मिशन एक संतुलित और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (IP) प्रणाली के विकास का नेतृत्त्व करना है, जो नवाचार और रचनात्मकता को सक्षम बनाता है।
- WIPO का मैंडेट, शासी निकाय और प्रक्रियाएँ WIPO कन्वेंशन में तय की गई हैं। इस कन्वेंशन के अंतर्गत ही वर्ष 1967 में WIPO की स्थापना की गई थी।

DRDO द्वारा अभ्यास का सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों ?

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research&Development Organisation- DRDO) द्वारा ओडिशा के बालासोर रेंज से अभ्यास (ABHYAS) 'हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट' (High Speed Expandable Aerial Target-HEAT) का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। परीक्षणों के दौरान दो प्रदर्शनात्मक वाहनों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

प्रमुख बिंदु

अभ्यास के बारे में

- यह वाहन एक ड्रोन है जिसे विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिये एक लक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग 'डिकॉय एयरक्राफ़्ट' (Decoy Aircraft) के रूप में किया जा सकता है। डिकॉय एयरक्राफ्ट की प्राथमिक भूमिका प्रक्षेपास्त्रों को विमान से दूर कर युद्धक विमानों की रक्षा करना होती है।
- अभ्यास को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (Aeronautical Development Establishment- ADE) द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। एयर वाहन को जुड़वाँ अंडरस्लैंग बूस्टर (Under Slung) का उपयोग करके लॉन्च किया गया है।
- यह एक छोटे गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित है। इसमें मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिये उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर के साथ नेविगेशन के लिये MEMS (Microelectromechanical Systems) आधारित इनरट्रियल नेविगेशन सिस्टम (INS) है।
- वाहन को पूरी तरह से स्वायत्त उड़ान के लिये क्रमादेशित किया गया है। एयर व्हीकल का परीक्षण लैपटॉप आधारित ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन (Ground Control System-GCS) का उपयोग करके किया जाता है।

रक्षा विकास एवं अनुसंधान संस्थान (DRDO)

- DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक अनुसंधान एवं विकास (R&D) विंग है, जो अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल कर भारत के सैन्य बलों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है।
- आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर अग्रसर DRDO ने विभिन्न रणनीतिक प्रणालियों और प्लेटफार्मों के सफल स्वदेशी विकास और उत्पादन, जैसे- मिसाइलों की अग्नि और पृथ्वी श्रृंखला; हल्के लड़ाकू विमान जैसे- तेजस; मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जैसे- पिनाका; वायु रक्षा प्रणाली, जैसे- आकाश; रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली की एक विस्तृत श्रृंखला आदि का विकास और उत्पादन करके भारत के सैन्य बलों को सशक्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।
- DRDO का गठन वर्ष 1958 में भारतीय सेना के तत्कालीन तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (Technical Developmennt Establishments-TDEs) और रक्षा विज्ञान संगठन (Defence Science Organisation-DSO) के तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय (the Directorate of Technical Development & Production-DTDP) को परस्पर मिलाकर किया गया था।

नोट :

- वर्तमान में DRDO में 50 से अधिक प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है, जो विभिन्न विषयों को कवर करने वाली रक्षा तकनीकों, जैसे- एयरोनॉटिक्स, आर्मामेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्बैट व्हीकल, इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल, एडवांस्ड कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, स्पेशल मटीरियल, नेवल सिस्टम , जीवन विज्ञान, प्रशिक्षण और सूचना प्रणाली को विकसित करने में संलग्न हैं।

वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (ADE)

- ADE एक प्रमुख वैमानिकी प्रणाली डिज़ाइन हाउस है जो भारतीय सैन्य बलों के लिये अत्याधुनिक मानवरहित एरियल व्हीकल्स और वैमानिकी प्रणाली एवं तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सलग्न है।

आगे की राह

- यह दूसरी बार है जब लक्ष्य वाहन अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इससे पूर्व मई 2019 में इसका सफल परीक्षण किया गया था। इस दूसरे परीक्षण के दौरान अभ्यास ने मूल्यांकन किये जा रहे सभी मापदंडों को पूरा किया है।
- DRDO के अनुसार, परीक्षण वाहन ने 5 किमी की ऊँची, 0.5 मैक (mach) की वाहन गति (ध्वनि की गति से आधी गति), 30 मिनट की सहनशक्ति (Endurance) और 2G टर्न आदि क्षमताओं के मापदंड को पूर्ण किया। अभ्यास का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के लिये लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।

नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नासा (National Aeronautics and Space Administration- NASA) ने अपने आर्टेमिस कार्यक्रम (Artemis Program) की रूपरेखा प्रकाशित की है, जिसमें वर्ष 2024 तक मनुष्य (एक महिला और एक पुरुष) को चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई गई है।

- गौरतलब है कि अंतिम बार नासा (NASA) ने चंद्रमा पर इंसानों को वर्ष 1972 में अपोलो मिशन (Apollo Mission) के दौरान भेजा था।

प्रमुख बिंदु

नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम

- आर्टेमिस कार्यक्रम (Artemis Program) के माध्यम से NASA वर्ष 2024 तक मनुष्य (एक महिला और एक पुरुष) को चंद्रमा पर भेजना चाहता है। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव सहित चंद्रमा की सतह पर अन्य जगहों पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना है।
- आर्टेमिस कार्यक्रम के माध्यम से नासा (NASA) अपनी नई प्रौद्योगिकियों, क्षमताओं और व्यापार दृष्टिकोण का प्रदर्शन करना चाहता है, जो अंततः भविष्य में मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिये आवश्यक होंगे।
- नासा ने अपने इस पूरे कार्यक्रम को तीन भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें
  - पहला भाग आर्टेमिस I (Artemis I) है जो कि पूरी तरह से मानवरहित होगा और इसमें नासा द्वारा प्रयोग किये जाने वाले स्पेस लॉन्च सिस्टम (Space Launch System- SLS) और ओरियन अंतरिक्ष यान (Orion Spacecraft) का परीक्षण किया जाएगा। इसे अगले वर्ष 2021 तक लॉन्च किया जाएगा।
  - दूसरा भाग आर्टेमिस II (Artemis II) है जिसमें मानव दल को शामिल किया जाएगा और इसे वर्ष 2023 तक लॉन्च किया जाएगा, हालाँकि मिशन के इस हिस्से में चंद्रमा की सतह पर लैंड नहीं किया जाएगा।
  - मिशन का तीसरा और अंतिम भाग आर्टेमिस II (Artemis III) है, जिसे वर्ष 2024 में लॉन्च किया जाएगा और मिशन के इस हिस्से के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा।

नोट :

कार्यक्रम को लेकर नासा की तैयारी

- आर्टेमिस कार्यक्रम के लिये नासा के नए रॉकेट जिसे स्पेस लॉन्च सिस्टम (Space Launch System- SLS) कहा जाता है, को चुना गया है। ध्यातव्य है कि यह रॉकेट ओरियन अंतरिक्ष यान (Orion Spacecraft) में सवार अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से चंद्रमा की कक्षा में ले जाएगा।
- इसके अलावा नासा ने अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने के लिये अपने कैनेडी स्पेस सेंटर में एक्सप्लोरेशन ग्राउंड सिस्टम (Exploration Ground Systems) भी स्थापित किया है, ताकि आर्टेमिस कार्यक्रम और नासा के अन्य भावी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया जा सके।
- आर्टेमिस मिशन के लिये जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिये नासा ने नए स्पेस-सूट डिज़ाइन किये हैं, जिन्हें एक्सप्लोरेशन एक्स्ट्रावेहिकुलर मोबिलिटी यूनिट (Exploration Extravehicular Mobility Unit) या xEMU कहा जा रहा है। इस स्पेस-सूट में उन्नत गतिशीलता और संचार तथा विनिमेय भागों (Interchangeable Parts) की सुविधा है, जिसे माइक्रोग्रैविटी में या ग्रहीय सतह पर स्पेसवॉक (Spacewalk) के लिये उपयुक्त आकार दिया जा सकता है।

नासा (NASA) और चंद्रमा से संबंधित मिशन

- अमेरिका ने वर्ष 1961 के बाद से ही लोगों को अंतरिक्ष में लाने की कोशिश शुरू कर दी थी। इसके आठ वर्ष बाद 20 जुलाई, 1969 को नील आर्मस्ट्रांग (Neil Armstrong) अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने थे।
  - उल्लेखनीय है कि अंतरिक्ष की सतह की ओर बढ़ते हुए नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था कि 'यह मनुष्य के लिये एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिये एक विशाल छलांग है।' अपोलो 11 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने एक संकेत के साथ चंद्रमा पर एक अमेरिकी ध्वज छोड़ा था।
- अंतरिक्ष अन्वेषण के अलावा NASA के इन प्रयासों का उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिकी नेतृत्व को प्रदर्शित करना और चंद्रमा पर अमेरिका की एक रणनीतिक उपस्थिति स्थापित करना है।

चंद्रमा पर अन्वेषण से संबंधित अन्य कार्यक्रम

- वर्ष 1959 में सोवियत संघ का लूना (Luna) 1 और 2 चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानवरहित रोवर बन गया। तब से लेकर अब तक इस कार्य में कुल 7 देश सफल हुए हैं।
- अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन को भेजने से पूर्व वर्ष 1961 से वर्ष 1968 के बीच रोबोटिक मिशनों के तीन वर्ग भी भेजे थे। इसके बाद जुलाई 1969 से वर्ष 1972 तक कुल 12 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चाँद की सतह तक पहुँचे।
- उल्लेखनीय है कि नासा के अपोलो मिशनों में शामिल अंतरिक्ष यात्री अध्ययन के लिये पृथ्वी पर 382 किलोग्राम चंद्रमा की चट्टान और मिट्टी लेकर आए हैं।
- 1990 के दशक में अमेरिका ने रोबोट मिशन क्लेमेंटाइन (Robotic Missions Clementine) और लूनर प्रॉस्पेक्टर (Lunar Prospector) के साथ चंद्रमा पर अन्वेषण कार्यक्रम फिर से शुरू किया।
- वर्ष 2009 में नासा (NASA) ने लूनर रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर (Lunar Reconnaissance Orbiter- LRO) और लूनर क्रेटर ऑब्ज़र्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट (Lunar Crater Observation and Sensing Satellite- LCROSS) के प्रक्षेपण के साथ चंद्रमा से संबंधित मिशनों की एक नई श्रृंखला शुरू की।
- अमेरिका के अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान, चीन और भारत की अंतरिक्ष एजेंसियों ने चंद्रमा के अन्वेषण के लिये मिशन भेजे हैं।
- वर्ष 2019 में चीन ने दो रोवर्स को चंद्रमा की सतह पर उतारा है जिससे चीन चंद्रमा के दूरस्थ भाग पर ऐसा करने वाला पहला देश बन गया।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान -3 की घोषणा की है जिसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल होगा।

नोट :

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट-2020

चर्चा में क्यों ?

'वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर' (World Wide Fund for Nature) द्वारा जारी 'लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट-2020' (Living Planet Report- 2020) के अनुसार, पिछली आधी शताब्दी में कशेरुक (Vertebrate) प्रजातियों की आबादी में बड़े पैमाने पर गिरावट आई है।

प्रमुख बिंदु:

- कशेरुक (Vertebrate):
  - कशेरुक वे जीव-जंतु होते हैं जिनमें रीढ़ या कशेरुक स्तंभ विद्यमान होते हैं। उनमें एक पेशी प्रणाली की भी विशेषता होती है जिसमें मुख्य रूप से द्विपक्षीय रूप से युग्मित द्रव्यमान होता है और एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो आंशिक रूप से रीढ़ की हड्डी के भीतर संलग्न होता है।
- लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ने कशेरुक प्रजातियों में गिरावट की गणना करने के लिये 'लिविंग प्लैनेट इंडेक्स' (Living Planet Index) का उपयोग किया गया है।
  - 'लिविंग प्लैनेट इंडेक्स' (Living Planet Index): यह स्थलीय, मीठे पानी एवं समुद्री आवासों में कशेरुक प्रजातियों की जनसंख्या के रुझान के आधार पर दुनिया की जैव विविधता की स्थिति का आकलन करता है।
    - यह 'इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ूलॉजी' (ज़ूलॉजिकल सोसायटी ऑफ लंदन) द्वारा जारी किया जाता है।
    - वर्ष 1826 में स्थापित 'ज़ूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन' वन्यजीव संरक्षण के लिये कार्य करने वाला एक 'इंटरनेशनल कंज़र्वेशन चैरिटी' है।
- 'लिविंग प्लैनेट इंडेक्स' में वर्ष 1970 से वर्ष 2016 के बीच 4000 से अधिक कशेरुक प्रजातियों के लगभग 21,000 जीवों को ट्रैक करके रिपोर्ट को तैयार किया गया है।

रिपोर्ट से प्राप्त निष्कर्ष:

- रिपोर्ट में वर्ष 1970 से वर्ष 2016 के बीच वैश्विक कशेरुकी प्रजातियों की आबादी में औसतन 68% की गिरावट का उल्लेख किया गया है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में यह गिरावट 45% है।
  - अमेरिका के उष्णकटिबंधीय उप-भागों के लिये लिविंग प्लैनेट इंडेक्स में 94% की गिरावट दुनिया के किसी भी हिस्से में दर्ज की गई सबसे बड़ी गिरावट है।
- मीठे जल की प्रजातियों की आबादी में वर्ष 1970 के बाद से औसतन 84% की कमी आई है।
  - मीठे जल की प्रजातियों की आबादी स्थलीय या समुद्री प्रजातियों की तुलना में तेज़ी से कम हो रही है। IUCN के अनुसार, मीठे जल की प्रजातियों में से लगभग एक तिहाई प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है।
  - मीठे जल के आवासों में वन्यजीवों की आबादी में 84% की गिरावट आई है जो विशेष रूप से लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन देशों में प्रति वर्ष 4% की गिरावट के बराबर है।
- आकार के संदर्भ में मेगाफौना (Megafauna) या बड़ी प्रजातियाँ अधिक असुरक्षित हैं क्योंकि वे गहन मानवजनित खतरों एवं अत्यधिक दोहन के अधीन हैं। उदाहरण- बांध निर्माण से बड़ी मछलियाँ भी प्रभावित होती हैं।
- वर्ष 1970 के बाद से पारिस्थितिकी पदचिह्न (Ecological Footprint) पृथ्वी की पारिस्थितिकी के पुनरुत्पादन की दर को अधिक है।

नोट :

- पारिस्थितिकी पदचिह्न, पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय मांग का एक मापक है। यह मानव की मांग की तुलना पृथ्वी की पारिस्थितिकी के पुनरुत्पादन क्षमता से करता है। इसका प्रयोग करते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित जीवनशैली का अनुसरण करे तो मानवता की सहायता के लिये पृथ्वी के कितने हिस्से की ज़रूरत होगी।

- वर्तमान में मानव की मांग पृथ्वी की पारिस्थितिकी के पुनरुत्पादन की दर की तुलना में 1.56 गुना अधिक है।

जैव विविधता के लिये खतरा:

- आवास की हानि एवं क्षरण: यह पर्यावरण में परिवर्तन को संदर्भित करता है जहाँ एक प्रजाति, प्रमुख निवास स्थान की गुणवत्ता में पूर्णत: गिरावट, विखंडन के बाद भी उसमें निवास करती है। इसके सामान्य कारण हैं- अस्थिर कृषि, लॉगिंग (Logging), परिवहन, नदियों के प्रवाह में परिवर्तन आदि।
- प्रजातियों का अतिदोहन: प्रत्यक्ष अतिदोहन अरक्षणीय (Unsustainable) शिकार एवं अवैध शिकार या दोहन को संदर्भित करता है। अप्रत्यक्ष अति दोहन तब घटित होता है जब गैर-लक्षित प्रजातियों को अनायास ही मार दिया जाता है उदाहरण के लिये मछली पकड़ने के दौरान अन्य प्रजातियों का जाल में फँसना।
- प्रदूषण: प्रदूषण, पर्यावरण में किसी प्रजाति के अस्तित्व को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित कर सकता है। यह खाद्य उपलब्धता या प्रजनन निष्पादन को प्रभावित करके अप्रत्यक्ष रूप से भी किसी प्रजाति को प्रभावित कर सकता है।
- आक्रामक प्रजातियाँ एवं रोग: आक्रामक प्रजातियाँ स्थान, भोजन तथा अन्य संसाधनों के लिये देशी प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकती हैं, वे ऐसे शिकारी हो सकते हैं या बीमारियाँ फैला सकते हैं जो पहले इस पर्यावरण में मौजूद नहीं थीं।
- जलवायु परिवर्तन: प्रजातियों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अधिकतर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तापमान में परिवर्तन उन संकेतों को उलझा सकता है जो मौसमी घटनाओं जैसे प्रवास एवं प्रजनन को बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण ये घटनाएँ गलत समय पर होती हैं। उदाहरण: पक्षियों के प्रवास पैटर्न में बदलाव।

आगे की राह:

- नि:संदेह यह सत्य है कि मानवता का अस्तित्व हमारी प्राकृतिक प्रणालियों पर निर्भर करता है, फिर भी हम एक खतरनाक दर से प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं।
- यह महत्त्वपूर्ण है कि प्रकृति एवं लोगों को ध्यान में रखते हुए जैव-विविधता हानि के वक्र (Curve) को मोड़ने के लिये एक नया वैश्विक समझौता किया जाना चाहिये और राजनीतिक रूप से प्रकृति की प्रासंगिकता बढ़े तथा राज्य एवं गैर-राज्य भागीदारों द्वारा एकजुट होकर आंदोलन को बढ़ावा दिया जाए।
- वर्ष 2017 में वैज्ञानिकों ने पेरिस जलवायु समझौते के एक भाग के रूप में 'प्रकृति के लिये एक नए वैश्विक समझौते' का प्रस्ताव पेश करते हुए एक लेख प्रकाशित किया। इसने आवास (Habitat) संरक्षण एवं पुनर्स्थापना, राष्ट्रीय और ईको-क्षेत्र पैमाने के आधार पर संरक्षण रणनीतियों को बढ़ावा देने तथा अपनी संप्रभु भूमि की रक्षा के लिये स्थानीय लोगों के सशक्तीकरण के बारे में बात की है।
- सतत् विकास एवं जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत वर्ष 2030 के एजेंडे को प्राप्त करने के लिये प्राकृतिक प्रणालियों में गिरावट के मद्देनज़र ऐसा समझौता आवश्यक है।

बंगाल की खाड़ी में फाइटोप्लैंकटन बायोमास की प्रवृत्तियाँ

चर्चा में क्यों ?

अनुसंधानकर्त्ताओं ने बंगाल की खाड़ी में वास्तविक समय में क्लोरोफिल-ए की मात्रा को मापने के तरीके की खोज की है। क्लोरोफिल-ए फाइटोप्लैंकटन कोशिका में पाया जाने वाला एक प्रमुख वर्णक है जो महासागर के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। यह अनुसंधान 'इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इनफॉर्मेशन सर्विसेज़' (Indian National Centre for Ocean Information Services-INCOIS) के वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा किया गया।

नोट :

अनुसंधान के बारे में

- वैज्ञानिकों के दल ने बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी भाग में क्लोरोफिल-ए की दीर्घकालिक प्रवृत्तियों को नजदीक से अवलोकित किया। अनुसंधानकर्त्ताओं ने क्लोरोफिल-ए में वृद्धि के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन किया। निष्कर्षों को 'पर्यावरण विज्ञान और प्रदूषण अनुसंधान' जर्नल में प्रकाशित किया गया था।
- INCOIS के वैज्ञानिकों ने 'एक्वा सैटेलाइट' (Aqua satellite) पर कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा (National Aeronautics and Space Administration-NASA) के 'मॉडरेट रेज़ोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर' (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer-MODIS) सेंसर से 36 स्पेक्ट्रल बैंड्स में डेटा प्राप्त करते हुए क्लोरोफिल-ए की वृद्धि की प्रवृत्तियों के विश्लेषण के लिये डेटा एकत्रित करना प्रारंभ किया था।
- सूओमी नेशनल पोलर परिक्रमा साझेदारी (National Polar orbiting Partnership -NPP) उपग्रह पर परिचालित नासा के VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) और ओशनसैट-2 उपग्रह पर कार्यरत इसरो (Indian Space Research Organisation) के OCM-2 (Ocean Colour Monitor-2) द्वारा अतिरिक्त डेटा प्राप्त किये गए।
- INCOIS वैज्ञानिकों ने नासा के SeaDAS (Sea-Viewing Wide Field-of-View Data Analysis System) सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उपग्रह डेटा को प्रसंस्कृत किया, जिसके द्वारा महासागर में क्लोरोफिल-ए वर्णक की सांद्रता के बारे में जानकारी एकत्रित की गई।
- बंगाल की खाड़ी के तटीय जल में क्लोरोफिल-ए की सांद्रता के बारे में जानकारी के संदर्भ में नासा के MODIS सेंसर से प्राप्त डेटा अधिक विश्वसनीय और सटीक हैं।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- यह अध्ययन पिछले 16 वर्षों के दौरान प्राप्त इन-सीटू (In-situ) और उपग्रह डेटा पर आधारित था। अध्ययन के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के पूर्व के समय में क्लोरोफिल-ए की सांद्रता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
- अध्ययन किये गए अन्य पैमानों में कुल निलंबित पदार्थ (Total Suspennded Matters-TSM) और रंगीन विघटित कार्बनिक पदार्थ (Coloured Dissolved Organic Matters-CDOM) थे, जो जल में प्रकाशीय रूप से सक्रिय पदार्थ हैं।
- बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी भाग के जल में दक्षिण-पश्चिम मानसून अवधि के दौरान TSM और CDOM की मात्रा में अधिकतम स्थानिक परिवर्तनशीलता देखी गई। क्लोरोफिल-ए की सांद्रता निम्न समयावधि के दौरान अधिकतम थी-
  - दक्षिण-पश्चिम मानसून के पूर्व के समय में आवर्ती फाइटोप्लैंकटन ब्लूम के कारण।
  - दक्षिण-पश्चिम मानसून के अंतिम समय के दौरान।
- अध्ययन में पाया गया कि फाइटोप्लैंकटन के अतिरिक्त क्लोरोफिल-ए की वृद्धि को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में भौतिक बल, जैसे- जल का ऊपर की ओर बढ़ना, पवनों द्वारा ऊर्ध्वाधर मिश्रण, संवहन और स्थानीय परिसंचरण प्रतिरूप आदि थे। नदी/स्थलीय अपवाह द्वारा विभिन्न स्रोतों से विघटित रासायनिक पदार्थों की आपूर्ति के साथ-साथ इन कारकों ने भी क्लोरोफिल-ए की सांद्रता को प्रभावित किया।
- फाइटोप्लैंकटन ब्लूम से क्लोरोफिल-ए की वृद्धि के कारण महासागरीय पर्यावरणीय मापदंडों पर जानकारी महत्त्वपूर्ण हो गई है क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन, नदी में जल बहाव की मात्रा और महासागरों में प्रदूषण के प्रभाव की निगरानी के लिये एक आधार के रूप में कार्य करता हैं।
- इस तरह की प्रवृत्तियों का विश्लेषण महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र रूप से बेहतर स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। सुपोषण (Eutrophication) के कारण फाइटोप्लैंकटन ब्लूम से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँच सकता है।
- कृषि भूमि से अपवाह के माध्यम से तटीय जल में पोषक तत्वों के एकत्रित होने से फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम के कारण समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचता है। जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी से समुद्री जीव, जैसे- मछलियाँ आदि बुरी तरह से प्रभावित होते हैं।

नोट :

फाइटोप्लैंकटन के बारे में

- फाइटोप्लैंकटन समुद्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म पौधे हैं। ये महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक संकेतक हैं, जो महासागरों में जीवन को नियंत्रित करते हैं।
- फाइटोप्लैंकटन सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं।
- सभी फाइटोप्लैंकटन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन कुछ फाइटोप्लैंकटन अन्य जीवों के उपभोग से भी अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
- फाइटोप्लैंकटन मानव द्वारा श्वसन की प्रक्रिया में सम्मिलित आधे से अधिक ऑक्सीजन में योगदान करते हैं। इसके अतरिक्त ये मानव-प्रेरित और निस्सृत कार्बन डाइऑक्साइड (ग्रीनहाउस गैस) को अवशोषित करके जलवायु को नियंत्रित करते हैं। फाइटोप्लैंकटन समुद्री खाद्य शृंखला के आधार के रूप में भी कार्य करते हैं।

आगे की राह

फाइटोप्लैंकटन की अधिकता के कारण सुपोषण की घटना से सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पन्न व्यवधान से निपटने के लिये सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र की सतत् निगरानी शमन प्रणाली तैयार किये जाने की आवश्यकता है।

वर्ष 2050 तक वन्यजीवों की पुनर्बहाली

चर्चा में क्यों ?

विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund-WWF) की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 50 वर्षों में वन्यजीवों की आबादी में दो-तिहाई से अधिक की कमी आई है। वैश्विक स्तर पर नदियों और झीलों में जीवों की तीव्र कमी दर्ज की गई है। ताजे जल में निवास करने वाले वन्यजीवों की संख्या में वर्ष 1970 के पश्चात् से 84 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

प्रमुख बिंदु

- 'जैव-विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' (United Nations Convention on Biological Diversity-UNCBD) में स्थलीय वन्यजीवों में हो रही कमी की वैश्विक प्रवृत्तियों को कम करने और वर्ष 2050 या उससे पूर्व इसे पुनर्बहाल करने के लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं।
- प्राचीन वन भूमि से लेकर वर्तमान कृषि भूमि/चरागाहों तक भूमि उपयोग में परिवर्तन ने वैश्विक स्तर पर स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता के लिये सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न किया है।
- मानव समाजों के विकास और समृद्धि में वृद्धि को बनाए रखते हुए 21 वीं सदी के दौरान जैव विविधता को संरक्षित और पुनर्बहाल करना एक बड़ी चुनौती है।
- प्रकृति और मानव के स्वास्थ्य सहज रूप से परस्पर संबंधित हैं। COVID-19 जैसी संक्रामक महामारी के उद्भव को वनों और परिस्थितिक तंत्र के विनाश से जोड़कर देखा जा रहा है। स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं और समाजों का आधार है।
- अधिक संख्या में प्रजातियों के विलुप्त होने से सभ्यताओं के लिये आवश्यक जीवन समर्थन प्रणालियों (Life Support Systems) के समक्ष खतरा उत्पन्न होने लगता है। विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum-WEF) द्वारा विश्व के समक्ष नौ बड़े खतरों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से छः प्रकृति के विनाश से संबंधित हैं।

उठाए जा सकने वाले कदम

- संपूर्ण विश्व स्तर पर सरकारों द्वारा जैव-विविधता के संरक्षण के लिये वैश्विक हॉटस्पॉट्स में बड़े पैमाने पर संरक्षण क्षेत्रों को स्थापित करने की आवश्यकता है। दुर्लभ प्रजातियों की उपस्थिति वाले छोटे द्वीपों को संरक्षित किया जाना चाहिये।
- वन्यजीवों के निवास करने और स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले इन संरक्षण क्षेत्रों को संपूर्ण विश्व की कम से कम 40% भूमि पर विस्तृत किये जाने की आवश्यकता है, जिससे विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों और संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र में हो रही गिरावट को रोककर वक्र को मोड़ा (Bending the Curve) जा सके।

नोट :

- इन संरक्षण क्षेत्रों के भौगोलिक विस्तार से अधिक महत्त्वपूर्ण इनकी भौगोलिक अवस्थिति और इनको प्रबंधित करने का तरीका है। अत: इन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।
- ऐसे स्थान जहाँ प्रजातियों के आवास विलुप्त होने के कगार पर हैं, वहाँ वन्यजीवों के आवासों की पुनर्बहाली और संरक्षण के प्रयासों को लक्षित करने की आवश्यकता है। आगामी 30 वर्ष पृथ्वी पर जैव विविधता के लिये महत्त्वपूर्ण होंगे।
- वर्तमान खाद्य प्रणालियों को परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता है। कम कृषि भूमि पर अधिक उत्पादन करने का प्रयास किया जाना चाहिये। यदि प्रत्येक किसान कृषि में उपलब्ध सर्वोत्तम साधनों का उपयोग करे तो खाद्य उत्पादन के लिये कृषि भूमि के कुल क्षेत्रफल का केवल आधा भाग ही आवश्यक होगा।
- परिवहन और खाद्य प्रसंस्करण के दौरान उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की मात्रा को कम करके भी बहुत सी अन्य अक्षमताओं की समस्याओं को हल किया जा सकता है।
- अवनायित भूमि की पुनर्बहाली के साथ-साथ बड़े पैमाने पर भोजन की बर्बादी को कम करके भी मानव समाज इस प्रयास में मदद कर सकता है।
- वर्ष 2050 तक विश्व की 8% भूमि को प्राकृतिक रूप में पुन: परिवर्तित किया जा सकता है। शेष भूमि का उपयोग करने के लिये उचित योजना बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि खाद्य उत्पादन और अन्य उपयोगों को वन संधाधनों के संरक्षण के साथ संतुलित किया जा सके।
- ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिये भी बड़े पैमाने पर प्रयास किये जाने चाहिये क्योंकि इस शताब्दी में जलवायु परिवर्तन द्वारा संपूर्ण विश्व स्तर पर वन्य जीवन को सर्वाधिक बुरी तरीके से प्रभावित करने की संभावना है। मानव के भूमि के साथ संबंधों को परिवर्तित करने और प्रदूषण में कमी लाने वाले नीतिगत उपायों को अपनाया जाना चाहिये।

जैव-विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

- जैव-विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो-डी-जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाई गई एक बहुपक्षीय संधि है। यह सतत् विकास के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (The United Nations Environment Programme-UNEP) के अंतर्गत आता है।
- जैव विविधता पर सम्मेलन (CBD) 29 दिसंबर, 1993 को लागू हुआ। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं:
  - जैव विविधता का संरक्षण।
  - जैव- विविधता के घटकों का सतत् उपयोग।
  - आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण।

आगे की राह

- रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन और भूमि उपयोग नियोजन जैव विविधता के संरक्षण और पुनर्बहाली में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संरक्षण के उपर्युक्त उपाय भूमि का न केवल पुन: प्राकृतिक रूप में परिवर्तन करने में सक्षम हैं, बल्कि ये जलवायु परिवर्तन की गति को धीमा करने, जल संसाधनों पर दबाव कम करने और नाइट्रोजन प्रदूषण को सीमित कर मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के क्रम में भी महत्त्वपूर्ण हैं।

विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund for Nature-WWF)

- WWF का गठन वर्ष 1961 में हुआ था तथा यह पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रख-रखाव संबंधी विषयों पर कार्य करता है।
- इसका उद्देश्य पृथ्वी पर पर्यावरण के अवनयन को रोकना और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके।
- WWF द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट (Living Planet Report), लिविंग प्लैनेट इंडेक्स (Living Planet Index) तथा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन (Ecological Footprint Calculation) प्रकाशित की जाती है।
- इसका मुख्यालय ग्लैंड (स्विट्ज़रलैंड) में है।

नोट :

जैव-विविधता के संरक्षण के लिये राजस्थान में आर्द्रभूमियों की पहचान

चर्चा में क्यों ?

आर्द्रभूमियों (Wetlands) की अवसादों और पोषक तत्त्वों के भंडारण में महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए राजस्थान में आर्द्रभूमियों की पहचान की जा रही है। इसके लिये आर्द्रभूमियों की उपयोगिता सुनिश्चित करने, उन पर अतिक्रमण रोकने और स्थानीय अधिकारियों को आर्द्रभूमियों को बनाए रखने के लिये सक्षम बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में 6 आर्द्रभूमियों की पहले से ही पहचान की जा चुकी है। 52 और आर्द्रभूमियों को समयबद्ध रूप से विकसित करने के लिये चिन्हित किया जा चुका है। पर्यावरण और वन राज्य मंत्री के अनुसार, जलीय क्षेत्रों में वानस्पतिक वृद्धि और जैव विविधता के संरक्षण के लिये आर्द्रभूमियों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
- किसी भी प्रकार के कचरे को आर्द्रभूमि में फेंकने पर रोक लगाने के साथ ही जल संरक्षण के लिये प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध सांभर झील में अवैध नमक खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जहाँ पिछले वर्ष बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई थी।
- ज़िला स्तर पर पर्यावरण समितियाँ आर्द्रभूमियों और जल निकायों के संरक्षण के लिये कार्य करेंगी।
- राज्य में अद्वितीय आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र के रूप में विद्यमान मीठे और नमकीन पानी की झीलों को 'आर्द्रभूमियाँ (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2019' के सख्त कार्यान्वयन के साथ संरक्षित किया जाएगा।

राजस्थान में आर्द्रभूमियाँ

रामसर सम्मेलन के अंतर्गत राजस्थान की दो आर्द्रभूमियाँ सम्मिलित हैं-

- सांभर झील:
  - जयपुर से 80 किमी और अजमेर से 65 किमी की दूरी पर अवस्थित खारे पानी की सांभर झील में सामोद, खारी, खंडेला, मेंढा, और रूपनगढ़ नदियाँ आकर मिलती हैं।
  - झील के अंतर्गत सम्मिलत क्षेत्रफल मौसम के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, जो मोटे तौर पर 190 और 230 वर्ग किमी. के मध्य है। झील की गहराई भी मौसम से प्रभावित होती है। ग्रीष्मकाल के दौरान 60 सेमी. तथा वर्षाकाल के दौरान इसकी गहराई 3 मीटर तक हो जाती है।
  - शीत ऋतु के दौरान फ्लेमिंगोज़ पक्षियों का यहाँ जमघट लगता है। एशिया के उत्तरी और मध्य भाग से प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। शैवालों और तापमान की अधिकता इन पक्षियों को प्रतिवर्ष भारी संख्या में आकर्षित करती है।
  - बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार, सांभर झील में प्रवासी पक्षियों की सामूहिक मृत्यु एवियन बॉटुलिज़्म के कारण होती है, जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। यह बीमारी इन प्रवासी पक्षियों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है।
- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान:
  - सघन जनसंख्या वाले राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित केवलादेव आर्द्रभूमि 10 भिन्न आकार की कृत्रिम, मौसमी लैगून्स का मिश्रण है। पूर्व में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, लेकिन ततपश्चात् इसे राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित कर दिया गया।
  - पानी की कमी तथा चरागाह के अनियंत्रित उपयोग के कारण इसे रामसर सम्मलेन के अंतर्गत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की उन आर्द्रभूमियों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनमें मानवीय अतिक्रमण और पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण संकट उत्पन्न हो गया है।
  - यह पक्षी विहार विभिन्न पक्षियों की प्रजातियों और उनकी संख्या के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ अब तक पक्षियों की लगभग 353 प्रजातियों की पहचान की चुकी है।

नोट :

आर्द्रभूमि पारितंत्र के बारे में

- रामसर कन्वेंशन के अनुसार, दलदल (Marsh), पंकभूमि (Fen), पीटभूमि या जल, कृत्रिम या प्राकृतिक, स्थायी या अस्थायी, स्थिर जल या गतिमान जल तथा ताजा, खारा व लवणयुक्त जल क्षेत्रों को आर्द्रभूमि कहते हैं।
- इसके अंतर्गत सागरीय क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जाता है। जहाँ निम्न ज्वार के समय भी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती है।

आर्द्रभूमि का उपयोग एवं महत्त्व

- प्रोविज़निंग सेवाएँ: इसके अंतर्गत आर्द्रभूमि से उपलब्ध उत्पादों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे- भोजन, स्वच्छ पानी, ईंधन एवं फाइबर, आनुवंशिक संसाधन, बायो-केमिकल उत्पाद आदि।
- विनियमन सेवाएँ: आर्द्रभूमि पारितंत्र को विनियमित करने से कई लाभ होते हैं, जैसे- जलवायु नियमन, हाइड्रोलॉजिकल रिज़ीम्स, मृदा अपरदन से सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण आदि।
- सांस्कृतिक सेवाएँ: इसके अंतर्गत आध्यात्मिकता एवं प्रेरणा, मनोरंजन, सौंदर्य, शैक्षिक, परंपरागत जीवन निर्वाह एवं ज्ञान आदि सम्मिलित हैं।
- सहायक सेवाएँ: ये दूसरे पारितंत्र के लिये आवश्यक सेवाएँ होती हैं, जैसे- मृदा निर्माण, पोषक तत्वों का चक्रण, प्राथमिक उत्पादन, परागण, जैव विविधता एवं खतरे में पड़ी जातियों के लिये आवास आदि

आर्द्रभूमियों पर रामसर सम्मेलन

- वर्ष 1971 में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिये रामसर (ईरान) में एक अंतरसरकारी और बहुउद्देशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें आर्द्रभूमियों व उनके संसाधनों के संरक्षण और युक्तियुक्त उपयोग के लिये राष्ट्रीय कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तय की गई।
- रामसर सम्मेलन एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जो किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित वैश्विक वातावरणीय संधि है। वर्ष 1975 में लागू इस समझौते में भारत वर्ष 1982 में शामिल हुआ।
- इसमें आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों की सूची में नामांकित करना, जहाँ तक संभव हो सके आर्द्रभूमियों का उनके क्षेत्रों में बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और आर्द्रभूमि रिज़र्व का निर्माण करना आदि सम्मिलित हैं।
- विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 1971 में इसी दिन रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था। हालांकि पहला विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ष 1997 में मनाया गया था।

भारत में आर्द्रभूमि का वितरण

- भारत का आर्द्रभूमि के अंतर्गत क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 4.7% है। भारत में आंतरिक आर्द्रभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल तटीय आर्द्रभूमि के भौगोलिक क्षेत्रफल से अधिक है।
- सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है। भारत वर्ष 1982 में जब रामसर समझौते का सदस्य बना, उस समय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा चिल्का झील को आर्द्रभूमि सूची में सम्मिलित किया गया था। जनवरी, 2019 में सुंदरबन क्षेत्र को 27वें आर्द्रभूमि क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया। जनवरी, 2020 में 10 और आर्द्रभूमियों को सम्मिलित करने से वर्तमान में रामसर सम्मेलन के अंतर्गत आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 37 हो गई हैं।

आर्द्रभूमियाँ (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2019

आर्द्रभूमियाँ (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2019 को लागू करने के लिये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिशा-निर्देश अधिसूचित किये हैं। ये नियम आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिये विभिन्न निकायों का गठन और उनकी शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करते हैं।

- ये नियम आर्द्रभूमियों के भीतर उद्योगों की स्थापना/विस्तार और कचरे के निपटान पर रोक लगाते हैं।
- प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश को एक प्राधिकरण की स्थापना करनी होगी जो अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आर्द्रभूमि के संरक्षण और इनके बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिये रणनीतियों को परिभाषित करेगा। प्राधिकरण इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सभी आर्द्रभूमियों की एक सूची तैयार करेगा।
- मंत्रालय ने इन आर्द्रभूमि नियमों के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी साझा करने के लिये एक वेब पोर्टल का भी निर्माण किया है।

नोट :

नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में स्लॉथ बीयर की मृत्यु

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ओडिशा के 'नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क' (Nandankanan Zoological Park) में लगातार दो स्लॉथ बीयर (Sloth Bear) की मृत्यु का मामला सामने आया है।

मुख्य बिंदु:

- नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में 16 सितंबर, 2020 को एक 7 वर्षीय नर 'स्लॉथ बीयर' की मृत्यु हो गई थी।
- इसके अगले ही दिन (17 सितंबर) को एक 25 वर्षीय मादा स्लॉथ बीयर की भी समान लक्षणों के बाद मृत्यु हो गई, इस मादा स्लॉथ बीयर को सितंबर 2013 में राँची चिड़िया घर से नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क लाया गया था।
- गौरतलब है कि 30 अगस्त, 2020 को नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में ही एक 28 वर्षीय हिमालयन ब्लैक बीयर (Himalayan black bear) की मृत्यु हो गई थी।
- वर्ष 2019 में 'एलीफैंट एंडोथिलियोट्रोपिक हर्पीसवायरस' (Elephant Endotheliotropic Herpesvirus- EEHV) के कारण एक माह के अंदर ही नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के 8 में से 4 हाथियों की भी मृत्यु हो गई थी।
  - EEHV से संक्रमित होने के बाद हाथियों के बिंबाणु या प्लेटलेट काउंट (Clatelet Count) में तीव्र गिरावट होती है जिससे उनमें आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है।

नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क (Nandankanan Zoological Park):

- नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी।
- यह 'WAZA' (World Association of Zoos & Aquarium) का सदस्य बनाने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर है।
  - WAZA, चिड़ियाघरों और एक्वैरियम, क्षेत्रीय संघों, राष्ट्रीय महासंघों का वैश्विक गठबंधन है, यह दुनिया भर में जानवरों और उनके आवासों की देखभाल और संरक्षण के लिये कार्य करता है।
- यह चिड़ियाघर दुनिया का पहला कैप्टिव मगरमच्छ प्रजनन केंद्र (Captive Crocodile Breeding Centre) था।
- भारतीय पैंगोलिन या इंडियन पैंगोलिन (Indian Pangolin) और सफेद बाघ (White Tiger) का प्रजनन केंद्र है।

सुस्त भालू या स्लॉथ बीयर (Sloth Bear):

- वैज्ञानिक नाम: मेलूरसस अर्सिनस (Melursus ursinus)
- वास स्थान: इसे हनी बीयर (Honey bear) और हिंदी भालु भी कहा जाता है, यह उर्सिडा/उर्सिडी (Ursidae) परिवार का हिस्सा है। ये भारत और श्रीलंका के उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

संरक्षण स्थिति:

- स्लॉथ बीयर को IUCN की रेडलिस्ट में सुभेद्य (Vulnerable) की श्रेणी में रखा गया है।
- इसे 'वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन' (The Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora- CITES) के परिशिष्ट-I में शामिल किया गया है।
- साथ ही भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के तहत स्लॉथ बीयर के शिकार को प्रतिबंधित किया गया है।
- खतरा: निवास स्थान की हानि, शरीर के अंगों के लिये अवैध शिकार स्लॉथ बीयर की प्रजाति के लिये सबसे बड़ा खतरा है। स्लॉथ बीयर को तमाशा दिखाने या प्रदर्शन में उपयोग के लिये पकड़ लिया जाता है। साथ ही उनके आक्रामक व्यवहार और फसलों को नुकसान पहुँचाने के कारण भी स्लॉथ बीयर का शिकार किया जाता है।

नोट :

हिमालयन काला भालू (Himalayan Black Bear):

- वैज्ञानिक नाम: उर्सस थिबेटेनस (Ursus thibetenus)
- वास स्थान: इसे एशियाई काला भालू (Asiatic Black Bear) भी कहा जाता है, ये दक्षिणी और पूर्वी एशिया के पहाड़ी और घने जंगली क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

संरक्षण स्थिति:

- एशियाई काले भालू को IUCN की रेडलिस्ट में सुभेद्य (Vulnerable) की श्रेणी में रखा गया है।
- एशियाई काले भालू को 'वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन' (The Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora- CITES) के परिशिष्ट-I में शामिल किया गया है।
- भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के तहत एशियाई काले भालू के शिकार को प्रतिबंधित किया गया है।

खतरा:

- एशियाई काले भालू का शरीर के अंगों की तस्करी के लिये अवैध शिकार किया जाता है। इसके साथ ही वनोंमूलन, मानव बस्तियों और सड़कों के विस्तार के कारण इनके प्राकृतिक निवास स्थान को भी भारी क्षति पहुँची है।

पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण

चर्चा में क्यों ?

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) द्वारा नियुक्त 'पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण' [Environment Pollution (Prevention and Control) Authority- EPCA] ने पंजाब एवं हरियाणा में फसल अवशेषों को जल्द जलाने को लेकर चिंता जताई।

प्रमुख बिंदु:

- भारत सरकार के तहत 'वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली' (System of Air Quality and Weather Forecasting and Research- SAFAR) के अनुमान के अनुसार, पिछले कुछ ही दिनों में फसल अवशेष जलाने की संख्या शून्य से बढ़कर 42 हो गई है।
  - सफर (SAFAR) ज़मीनी डेटा संगृहीत करने के लिये INSAT-3D एवं नासा (NASA) के उपग्रह का उपयोग करता है।
- वर्ष 2019 में, पंजाब में 20 मिलियन टन के कुल अनुमानित फसल अवशेष का लगभग 9.8 मिलियन टन फसल अवशेष जला दिया गया था।
  - इसी तरह हरियाणा में कुल 7 मिलियन टन फसल अवशेष में से 1.24 मिलियन टन फसल अवशेष को जला दिया गया था।

फसल अवशेष जलाना (Stubble Burning):

- पंजाब एवं हरियाणा में रबी फसल की बुवाई हेतु खेतों को तैयार करने के लिये फसल के अवशेष को साफ करना एक पारंपरिक प्रथा है।
- फसल अवशेष जलाने की प्रक्रिया अक्तूबर महीने के आसपास शुरू होती है और दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के साथ नवंबर के महीने में चरम पर पहुँच जाती है।
- परिणामत: दिल्ली में प्रदूषण के अन्य स्रोतों के साथ-साथ पंजाब एवं हरियाणा में धान की भूसी जलाने से होने वाले प्रदूषकों से दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों की वायु की गुणवत्ता अत्यंत खराब हो जाती है।

कारण:

- धान के रकबे में वृद्धि: चावल पर दी जाने वाली सब्सिडी एवं सुनिश्चित खरीद के कारण चावल की पैदावार में वृद्धि हुई है।

नोट :

- पंजाब संरक्षण अधोभूमि अधिनियम, 2009 (Punjab Preservation of Subsoil Water Act, 2009) के कारण भूजल निष्कर्षण को हतोत्साहित करने के लिये जून के अंत तक धान की बुवाई में देरी होती है।
  - परिणामत: धान की कटाई में भी देरी होती है जो दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के साथ फसल अवशेष जलाने की प्रक्रिया से पूरी तरह से मेल खाता है।
- तकनीक: कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास से बड़े रकबे वाले किसान धान कटाई के रूप में सिर्फ चावल के दाने वाले हिस्से को काटते हैं शेष डंठलों को खेत में ही छोड़ देते हैं। जिनको बाद में जला दिया जाता है।
  - इससे पहले इन फसल अवशेषों का उपयोग किसानों द्वारा खाना पकाने के लिये, पशुओं के स्थान को गर्म रखने आदि के रूप में किया जाता था।
- उच्च सिलिका सामग्री (High Silica Content): गैर-बासमती चावल के संदर्भ में धान की भूसी को चारे के रूप में इस्तेमाल करना खराब माना जाता है क्योंकि इसमें उच्च सिलिका सामग्री (High Silica Content) विद्यमान होती है।

प्रभाव:

- फसल अवशेषों को जलाने से वायुमंडल में बड़ी मात्रा में ज़हरीले प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है जिनमें मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और 'कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन' (Carcinogenic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) जैसी हानिकारक गैसें होती हैं।
- गेहूँ के भूसे को जलाने से पर्यावरण प्रदूषण होने के अलावा मिट्टी की उर्वरता में भी कमी आती है।
- इसके अतिरिक्त फसल अवशेषों को जलाने से उत्पन्न गर्मी मृदा में प्रवेश करती है, जिससे मृदा की नमी में कमी एवं लाभकारी रोगाणुओं की मृत्यु हो जाती है।

आगे की राह:

- अधिक मशीनीकरण, पशुधन में कमी, कंपोस्ट खाद बनाने हेतु दीर्घ-अवधि आवश्यकता तथा अवशेषों का कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं होने के कारण खेतों में फसलों के अवशेष जलाए जा रहे हैं। यह न केवल ग्लोबल वार्मिंग के लिये बल्कि वायु की गुणवत्ता, मिट्टी की सेहत और मानव स्वास्थ्य के लिये भी बेहद दुष्प्रभावी है।
- 'फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिये कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिये केंद्रीय क्षेत्रक योजना' के तहत किसानों को स्व-स्थाने (In-situ) फसल अवशेष प्रबंधन हेतु मशीनों को खरीदने के लिये 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और साथ ही स्व-स्थाने (In-situ) फसल अवशेष प्रबंधन हेतु मशीनरी के कस्टम हायरिंग केंद्रों (Custom Hiring Center) की स्थापना के लिये परियोजना लागत की 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- 'हैप्पी सीडर' (Turbo Happy Seeder-THS) के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हैप्पी सीडर (Turbo Happy Seeder-THS) ट्रैक्टर के साथ लगाई जाने वाली एक प्रकार की मशीन होती है जो फसल के अवशेषों को उनकी जड़ समेत उखाड़ फेंकती है।
- फसल अवशेषों को न जलाने से 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) को बढ़ावा मिलेगा, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक वार्षिक पीएम सांद्रता (PM Concentration) में 20-30% तक प्रदूषण को कम करना है।

जलवायु परिवर्तन के लिये कितना तैयार है भारत

चर्चा में क्यों ?

विश्व जोखिम सूचकांक (World Risk Index-WRI)- 2020 के अनुसार, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक सुभेद्यता के कारण भारत 'जलवायु वास्तविकता' से निपटने के लिये 'खराब रूप से तैयार' (Poorly Prepared) था।

सूचकांक के प्रमुख बिंदु

- WRI-2020 में भारत 181 देशों में 89वें स्थान पर था। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्चात् भारत जलवायु परिवर्तन के कारण दक्षिण एशिया में चौथा सबसे अधिक जोखिम वाला देश है।

नोट :

- रिपोर्ट के अनुसार, श्रीलंका, भूटान और मालदीव ने गंभीर आपदाओं से निपटने के लिये भारत की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत चरम घटनाओं से निपटने की तैयारियों के मामले में इन तीन पड़ोसी देशों से पीछे रह गया।
- भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों ने एक वर्ष के दौरान विश्व जोखिम सूचकांक में अपनी रैंकिंग में मामूली सुधार किया है। भूटान ने अपनी रैंकिंग में सबसे अधिक सुधार किया। भूटान के पश्चात् पाकिस्तान का स्थान रहा है।
- WRI-2019 की तुलना में सभी दक्षिण एशियाई देश जलवायु आपातकाल की वास्तविकता से निपटने के लिये रैंकिंग में अनुकूल क्षमता निर्माण के मामले में भी फिसल गए।

देश	अनुकूलन क्षमता (WRI-2020) (100 में से)	अनुकूलन क्षमता (WRI-2019) (100 में से)
अफगानिस्तान	92.09	59.75
बांग्लादेश	85.81	54.44
भूटान	72.82	46.65
भारत	78.15	48.4
मालदीव	76.51	36.29
नेपाल	83.34	48.85
पाकिस्तान	84.81	51.62
श्रीलंका	77.3	39.94

- भारत भी जलवायु परिवर्तन के अनुकूल क्षमताओं को मज़बूत करने में असफल रहा है। देश की पहली 'व्यापक जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन रिपोर्ट' में 'जलवायु संकट' के खतरों के बारे में चेतावनी दी गई है।
- सूचकांक के अनुसार, 52.73 से ऊपर के स्कोर वाले देश गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के अनुकूल अपनी क्षमताओं के निर्माण में 'बहुत खराब' (Very Poor) थे।

देश	विश्व जोखिम सूचकांक- 2020 में रैंक	विश्व जोखिम सूचकांक- 2019 में रैंक
अफगानिस्तान	57	53
बांग्लादेश	13	10
भूटान	152	143
भारत	89	85
मालदीव	171	169
नेपाल	121	116

छोटे द्वीपीय राष्ट्र

- सूचकांक के अनुसार, ओशिनिया सबसे अधिक जोखिम वाला महाद्वीप था, जिसके पश्चात् अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप थे।
- वानुअतु दुनिया भर में सबसे अधिक प्राकृतिक आपदा जोखिम वाला देश था। इसके पश्चात् टोंगा और डोमिनिका का स्थान था।
- छोटे द्वीपीय राज्य, विशेष रूप से दक्षिण प्रशांत महासागरीय और कैरिबियन द्वीप, अत्यधिक प्राकृतिक घटनाओं के कारण उच्च जोखिम वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। इनमें भूमंडलीय तापन के परिणामस्वरूप समुद्र जल स्तर में वृद्धि के कारण उत्पन्न जोखिम वाले देश भी शामिल थे।

नोट :

- जलवायु परिवर्तन में कम योगदान के बावजूद, छोटे द्वीपीय राष्ट्र सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण जलवायु परिवर्तन के परिणामों से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे।
- इन छोटे देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल क्षमता निर्माण के लिये केवल वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पहले से हो चुकी क्षति के लिये उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिये।
- सूचकांक के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण कतर सबसे कम जोखिम वाला देश (0.31) था।

अफ्रीका

- रिपोर्ट में अफ्रीका को सुभेद्यता के हॉटस्पॉट रूप में पहचाना गया है। दुनिया के सबसे सुभेद्य देशों में से दो-तिहाई से अधिक देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित थे।
- सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सबसे सुभेद्य देश था। इसके पश्चात् चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नाइजर और गिनी-बिसाऊ का स्थान था।

जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की अधिक सुभेद्यता

- भारत की सूखा, बाढ़ और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रति अधिक प्रवणता के कारण इस सदी के अंत तक जलवायु परिवर्तन भारत के लिये एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता है।
- 'पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय' के तत्त्वाधान में 'भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन' (Assessment Of Climate Change Over The Indian Region) शीर्षक वाली जलवायु परिवर्तन पर भारत सरकार की अब तक की पहली रिपोर्ट के अनुसार, इस सदी के अंत तक भारत के औसत तापमान में 4.4 डिग्री की वृद्धि हो सकती है, जिसका सीधा प्रभाव लू, हीट वेव्स और चक्रवाती तूफानों की बारंबारता में वृद्धि के साथ समुद्री जल स्तर में वृद्धि के रूप में दिखाई देगा।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, यदि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिये बड़े कदम नहीं उठाए गए तो हीट वेव्स की बारंबारता में 3 से 4 गुना की वृद्धि और समुद्र जल के स्तर में 30 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हो सकती है।
- पिछले 30 वर्षों (वर्ष 1986-वर्ष 2015) में सबसे गर्म दिन और सबसे ठंडी रात के तापमान में क्रमश: 0.63 डिग्री और 0.4 डिग्री की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि गर्म दिनों और गर्म रातों की बारंबारता में 55-70 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। भारत के लिये यह अनुमान अच्छी खबर नहीं है क्योंकि वह उन देशों में है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1951-वर्ष 2015 के बीच मानसून से होने वाली वर्षा में 6 प्रतिशत की कमी हुई है, जिसका प्रभाव गंगा के मैदानी भागों और पश्चिमी घाट पर देखा जा सकता है। वर्ष 1951-वर्ष 1980 की तुलना में वर्ष 1981-वर्ष 2011 के बीच सूखे की घटनाओं में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मध्य भारत में अतिवृष्टि की घटनाओं में वर्ष 1950 के पश्चात् से अब तक 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- इस सदी के प्रथम दो दशकों (वर्ष 2000-वर्ष 2018) में तटीय क्षेत्रों में आने वाले शक्तिशाली चक्रवाती तूफानों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। मौसमी कारकों की वजह से उत्तरी हिन्द महासागर में अब और अधिक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न हो सकते हैं।

विश्व जोखिम सूचकांक (WRI)

- WRI संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान (UNU-EHS) और बुंडनीस एंट्विक्लंग हिलफ्ट (Bundnis Entwicklung Hilft) द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट विश्वविद्यालय के सहयोग से 15 सितंबर को जारी विश्व जोखिम रिपोर्ट-2020 का हिस्सा है।
- WRI की गणना प्रत्येक देश के आधार पर जोखिम और सुभेद्यता के गुणन के माध्यम से की जाती है। WRI को 2011 के पश्चात् से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है।
- यह सूचकांक दर्शाता है कि कौन से देशों को चरम प्राकृतिक घटनाओं से निपटने और अनुकूलन के लिये क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।

आगे की राह

- भारत की 50% से अधिक कृषि वर्षा पर निर्भर है। यहाँ हिमालयी क्षेत्र में हजारों छोटे-बड़े ग्लेशियर हैं और पूरे देश में कई एग्रो-क्लाइमेटिक जोन हैं। विश्व बैंक के अनुसार, मौसम की अनिश्चितता और प्राकृतिक आपदाओं भारत को कई लाख करोड़ डॉलर की क्षति हो सकती है।

नोट :

- इस खतरे से निपटने के लिये भूमंडलीय तापन में योगदान करने वाली मानवजनित गतिविधियों पर नियंत्रण और जलवायु के बेहतर पूर्वानुमान की आवश्यकता है।

पेरिस समझौते के लिये चीन का नए सिरे से समर्थन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, विश्व को COVID-19 संकट से उबरने के लिये 'ग्रीन फोकस' (Green Focus) का आह्वान करते हुए चीन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेरिस समझौते के लिये नए सिरे से समर्थन की पेशकश की है।

प्रमुख बिंदु:

- चीन, दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषक उत्सर्जित करने वाला देश है और यह कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का एक चौथाई हिस्सा उत्सर्जित करता है।
- चीन का लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले कार्बन-डाइऑक्साइड उत्सर्जन की चरम सीमा तक पहुँचना और वर्ष 2060 से पहले कार्बन तटस्थता प्राप्त करना है।
  - गौरतलब है कि यूरोपीय संघ ने वर्ष 2050 तक 'जलवायु तटस्थता' के लक्ष्य को निर्धारित किया है।
    - जलवायु तटस्थता जिसे सामान्यत: शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की स्थिति के रूप में व्यक्त किया जाता है, देश के कार्बन उत्सर्जन को संतुलित करती है। इसके अंतर्गत वातावरण से ग्रीनहाउस गैसों का अवशोषण और निष्कासन जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त चीन पहले से ही अपनी 15% ऊर्जा माँग, गैर-जीवाश्म ईंधन से पूरी करता है और चीन का नवीकरणीय ऊर्जा ढाँचा विश्व के कुल नवीकरणीय ऊर्जा ढाँचे का 30% है।
- हालाँकि, वैश्विक विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का अपने देश में ही एवं विदेशों में कोयले एवं अन्य जीवाश्म ईंधन में बड़े पैमाने पर निवेश जारी है।
  - सैन फ्रांसिस्को स्थित एक पर्यावरण समूह 'ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर' (Global Energy Monitor) के अनुसार, या तो वर्तमान में चीन के पास 135 गीगावाट कोयला आधारित बिजली क्षमता मौजूद है या निर्माणाधीन है।
    - यह संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल कोयला आधारित बिजली क्षमता का लगभग आधा है जो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषक उत्सर्जक देश है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की आलोचना:

- चीन ने प्लास्टिक एवं कचरा निर्यात के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका की मांग पर भी प्रकाश डाला और प्रदूषक उत्सर्जन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में बाधा डालने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका की आलोचना की।
  - उल्लेखनीय है कि इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस समझौते से खुद को अलग कर लिया था और इसे अनुचित बताया तथा वैश्विक उत्सर्जन से निपटने हेतु गतिरोध के लिये चीन को ज़िम्मेदार ठहराया था।
- चीन के इस कदम ने संयुक्त राज्य अमेरिका-चीन संबंधों में एक नया मोड़ ला दिया है जो पहले से ही व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं मानवाधिकार जैसे मुद्दों के कारण तनावपूर्ण चल रहे हैं।

पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिये जैव-अपघटक तकनीक

चर्चा में क्यों ?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फसल अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने की जैव-अपघटन तकनीक का जायजा लेने के लिये 'भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान' (Indian Agriculture Research Institute-IARI) का दौरा किया। जैव-अपघटन तकनीक को फसल अपशिष्ट के जलने से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये एक लागत प्रभावी तरीका माना जाता है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

तकनीक के बारे में

- PUSA अपघटक (PUSA Decomposer) नामक तकनीक में 'अपघटक कैप्सूल' (Decomposer Capsule) और आसानी से उपलब्ध होने वाली आगतों (Inputs) का उपयोग करके तरल मिश्रण तैयार किया जाता है। फसल अपशिष्ट/पराली के 8 से 10 दिनों तक किण्वित होने के पश्चात् इसका जैव-अपघटन के उद्देश्य से खेतों में फसल अपशिष्टों/पराली पर छिड़काव किया जाता है।
- इस तकनीक से उर्वरकों के उपयोग में कमी आने के साथ-साथ खेतों में मृदा की उत्पादकता में भी वृद्धि होगी।
- दिल्ली के मुख्यमंत्री इस संबंध में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिलकर पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिये इस सरल, उल्लेखनीय और व्यावहारिक तकनीक के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा करेंगे।
- इस कैप्सूल की लागत बहुत कम है। चार कैप्सूल का उपयोग कर गुड़ और चने के आटे से किसान लगभग 25 लीटर तरल मिश्रण तैयार कर सकते हैं, जो 1 हेक्टेयर भूमि पर छिड़काव के लिये पर्याप्त है।

कैसे काम करती है तकनीक ?

- जब किसान फसल अपशिष्ट/पराली पर इस तरल मिश्रण का छिड़काव करता है, तो फसल अपशिष्ट/पराली नरम होकर 20 दिनों में पिघल जाती है। इसके परिणामस्वरूप बिना फसल अपशिष्ट/पराली को जलाए किसान फिर से बुवाई कर सकते हैं।
- इस तकनीक से मृदा की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार होता है क्योंकि जैव-अपघटित होकर यही फसल अपशिष्ट/पराली फसलों के लिये खाद का काम करती है। इससे भविष्य में भी उर्वरकों की कम खपत की आवश्यकता होगी।

पराली जलाने की समस्या

- पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसल अवशेषों/पराली को जलाने की समस्या देश के अन्य हिस्सों में भी विस्तृत हो रही है। प्रभावित क्षेत्रों में कई पर्यावरणीय और स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।
- फसल अवशेष जलाना भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code-IPC) की धारा-188 और वायु (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 के अंतर्गत एक अपराध है।
- फसल अवशेषों को जलाने से लगभग 149.24 MT कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), 9 MT से अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), 0.25 MT सल्फर ऑक्साइड (SOX), 1.28 MT पार्टिकुलेट मैटर और 0.07 MT ब्लैक कार्बन आदि प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। ये पर्यावरण प्रदूषण के साथ-साथ दिल्ली में धुंध और हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने के लिये भी ज़िम्मेदार हैं।
- धान की पराली को जलाने से उत्पन्न ऊष्मा के मृदा में 1 सेमी तक प्रवेश कर जाने से मृदा का तापमान 33.8 से 42.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इससे उपजाऊ मृदा में उपस्थित महत्त्वपूर्ण और उपयोगी बैक्टीरिया और कवक को बड़ी मात्रा में क्षति पहुँचती है।
- 'अनुकूल' कीटों को हानि पहुँचने और 'शत्रु' 'कीटों का प्रकोप बढ़ने के परिणामस्वरूप फसलों में बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। मृदा की ऊपरी परतों की घुलनशीलता क्षमता भी कम हो जाती है।
- एक रिपोर्ट के अनुसार, एक टन पराली जलाने से 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फॉस्फोरस, 25 किलोग्राम पोटेशियम और 1 किलोग्राम से अधिक सल्फर आदि पोषक तत्त्वों की हानि होती है।
- प्रभावित क्षेत्रों में लोगों में खाँसी और घबराहट जैसी स्वास्थ्य समस्याएँ देखी गई हैं। 'इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, बेंगलुरु' के अध्ययन में एक अनुमान के अनुसार, फसल अपशिष्ट जलाने से होने वाली बीमारियों का इलाज कराने के लिये पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग प्रतिवर्ष 7.6 करोड़ रुपए खर्च करते हैं।

समाधान/आगे की राह

- फसल अपशिष्ट/प्रबंधन के लिये जैव-अपघटक तकनीक एक बेहतर विकल्प है, जो पर्यावरणीय रूप से अनुकूल होने के साथ-साथ लागत प्रभावी भी है। इसके साथ-साथ अन्य विकल्पों को भी अपनाया जा सकता है।
- फसल अपशिष्ट/पराली को जलाने बजाए इसका उपयोग पशु चारा, खाद , ग्रामीण क्षेत्रों में छत निर्माण, बायोमास ऊर्जा, मशरूम की खेती, पैकेजिंग सामग्री, ईंधन, कागज, जैव-इथेनॉल और औद्योगिक उत्पादन आदि विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है।

नोट :

- वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय नीति जारी की गई जिसके पश्चात् फसल अवशेष प्रबंधन से मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने में मदद मिली है तथा खाद लागत में 2,000 रूपए/हेक्टेयर तक की बचत हुई है।
- हैप्पी सीडर (Happy Seeder), रोटावेटर (Rotavator), ज़ीरो टिल सीड ड्रिल (Zero till seed drill), धान स्ट्रा चॉपर (Paddy Straw Chopper), रीपर बाइंडर (Reaper Binder) आदि मशीनों का उपयोग करके भी किसान फसल अवशेषों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं।
- ये मशीनें बहुत महँगी हैं, अत: राज्य सरकारों को आगे आकर बेहतर सब्सिडी प्रदान करनी चाहिये।

लूसेर पारितंत्र के विनाश में शीर्ष कंपनियों की मिलीभगत

चर्चा में क्यों ?

खाद्य कंपनियाँ अपने उत्पादों में शून्य ट्रांसफैट सीमा को पूरा करने के लिये पाम ऑयल का उपयोग कर रही हैं। इसका प्रभाव इंडोनेशिया के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों पर पड़ रहा है, जो इन अधिकांश कंपनियों के लिये पाम तेल का प्रमुख स्रोत है।

प्रमुख बिंदु

- ग्लोबल वॉचडॉग 'रेनफॉरेस्ट एक्शन नेटवर्क' (Rainforest Action Network-RAN) की एक जाँच से से पता चला है कि खाद्य और कॉस्मेटिक्स उत्पादों के निर्माण में संलग्न कंपनियों और वित्तीय संस्थानों की मिलीभगत के कारण लूसेर पारितंत्र (Leuser Ecosystem) पर नष्ट होने का खतरा मँडरा रहा है।
- जाँच में दावा किया गया कि निम्नलिखित कंपनियों ने रॉयल गोल्डन ईगल (Royal Golden Eagle-RGE) समूह से पाम ऑयल की खरीद की। RGE समूह द्वारा अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से लूसेर पारितंत्र में विनाशकारी पाम ऑयल और पल्प के बागान (Oil Palm and Pulp Plantations) स्थापित किये गए हैं -
  - खाद्य कंपनियाँ, जैसे- नेस्ले (Nestle), मोंडेलज़ (Mondelez) इंटरनेशनल (International), इंक (Inc) और यूनिलीवर (Unilever)।
  - कॉस्मेटिक्स कंपनियाँ, जैसे- कोलगेट-पामोलिव (Colgate-Palmolive) और काओ कॉर्प (Kao Corp)।
  - बैंक, जैसे- जापान के मित्सुबिशी यू.एफ.जे फाइनेंशियल ग्रुप (Mitsubishi UFJ Financial Group of Japan), इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (Industrial and Commercial Bank of China) और ABN AMRO बैंक ऑफ डेनमार्क (ABN AMRO Bank of Denmark)।
- जाँच में दावा किया गया है कि RGE एक मिल से पाम तेल खरीदता है, जिसे लूसेर पारितंत्र में स्थापित टी. तुआलंग राया द्वारा आपूर्ति की जाती है।
- पी.टी. तुआलंग राया के बारे में कहा जाता है कि इसके द्वारा पिछले छह माह में कम से कम 60 हेक्टेयर भूमि में वर्षा वनों को साफ किया गया। पिछले छह माह में वर्षा वनों को साफ करने की दर तीन गुना अधिक रही है।
- RAN की जाँच में बताया गया है कि इनमें से कई कंपनियों और बैंकों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया था। उदाहरण के लिये, उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण में संलग्न जापानी कंपनी काओ 'No Deforestation, No Peatland and No Exploitation' नीति अपनाने वाली पहली कंपनी थी।
- इसी प्रकार MUFG और ABN AMRO, जो RGE को वित्तपोषित करते हैं, उत्तरदायी बैंकिंग के संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों पर हस्ताक्षरकर्ता हैं। इनके द्वारा टिकाऊ पाम तेल (Sustainable Palm Oil) के वित्तपोषण पर नीतियाँ भी निर्मित की गई हैं।
- जैसे-जैसे दुनिया खाना पकाने के माध्यमों में औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांसफैट को शून्य करने की स्थिति की ओर बढ़ रही है, वैसे-वैसे पाम ऑयल को अधिक अपनाया जा रहा है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से संतृप्त है।

नोट :

पाम ऑयल के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी

- पाम ऑयल विश्व के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के समान भौगोलिक क्षेत्रों में पनपने वाली फसल है, जो खाद्य और घरेलू उत्पादों के प्रयोजन हेतु प्रयुक्त की जाती है। पाम ऑयल वनस्पति तेल के मुख्य वैश्विक स्रोत के रूप में उभरा है, जो दुनिया के उत्पादन मिश्रण का लगभग 33% है।
- भारत दुनिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है, जो इंडोनेशिया और मलेशिया से कुल वैश्विक मांग का लगभग 23%आयात करता है।
- इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड और कम्बोडिया आदि देश विश्व में FFB (Fresh Fruit Brunches) के कुल उत्पादन में 90% से अधिक हिस्सा रखते हैं।
- वर्तमान में भारत में आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु पाम ऑयल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। आंध्र प्रदेश देश के कुल पाम ऑयल के 80% से अधिक उत्पादन के साथ प्रथम स्थान पर है।

भारत सरकार की पहलें

- पाम ऑयल की खेती के महत्त्व को देखते हुए कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने 1991-92 में संभावित राज्यों में तिलहन और दलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन (TMOP) शुरू किया था।
- आठवीं और नौवीं पचवर्षीय योजना के दौरान एक व्यापक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में तेल पाम विकास कार्यक्रम (OPDP) शुरू किया गया।
- दसवीं और ग्यारहवीं योजना के दौरान, भारत सरकार ने तिलहन, दलहन, पाम ऑयल और मक्का की एकीकृत योजना (ISOPOM) के अंतर्गत पाम ऑयल की खेती के लिये सहायता प्रदान की।
- पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने वर्ष 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पाम ऑयल के क्षेत्र विस्तार (OPAE) पर एक विशेष कार्यक्रम का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य पाम ऑयल की खेती के अंतर्गत 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र को लाना था, जो मार्च 2014 तक जारी रहा।
- बारहवीं योजना के दौरान, तिलहन और पाम ऑयल (NMOOP) पर राष्ट्रीय मिशन (NMOOP) शुरू किया गया, जिसमें मिनी मिशन- II (MM-II) पाम ऑयल क्षेत्र के विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि के लिये समर्पित है।
- भारत में लंबी समयावधि से पाम ऑयल के रोपण की संभावनाओं का पता लगया जा रहा है। वर्ष 2019 में अंडमान और निकोबार प्रशासन ने नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र में एकल कृषि वृक्षारोपण पर 16 वर्ष पूर्व लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिये उच्चतम न्यायालय दरवाजा खटखटाया था।
- वर्ष 2014 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों से पाम ऑयल पर विचार करने का आग्रह किया था क्योंकि द्वीप की गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु इसके विकास के लिये उपयुक्त थी।

लूसेर पारितंत्र (Leuser Ecosystem)

- यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर एक वन क्षेत्र है। लूसेर पारितंत्र सबसे प्राचीन और जीवन-समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है।
- यह पृथ्वी पर अंतिम स्थान है जहाँ सुमात्रा के ऑरंगुटान (orangutans) , हाथी (elephants), बाघ (tigers), गैंडे (rhinos) और सन बियर्स (Sun Bears) अभी भी एक ही पारिस्थितिकी आवास में घूमते हैं।

आगे की राह

जब तक कॉर्पोरेट समूह (Corporate Groups) 'No Deforestation, No Peatland and No Exploitation' बेंचमार्क के साथ अपने अनुपालन पर खरा नहीं उतरता, तब तक इन खाद्य और कॉस्मेटिक्स कंपनियों तथा बैंकों को रॉयल गोल्डन ईगल समूह और उसकी सभी सहायक कंपनियों से सोर्सिंग/संयुक्त-उद्यम/वित्तपोषण को निलंबित करना चाहिये।

नोट :

'फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर' द्वारा विरोध प्रदर्शन

चर्चा में क्यों ?

'जलवायु न्याय' (Climate Justice) के उद्देश्य से चलाए जा रहे वैश्विक आंदोलन 'फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर' (Fridays For Future-FFF) के बैनर तले छात्रों और युवाओं ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया।

प्रमुख बिंदु:

फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर के बारे में

- फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर एक वैश्विक 'जलवायु हड़ताल आंदोलन' है जो अगस्त, 2018 में 15 वर्षीय ग्रेटा थुनबर्ग द्वारा स्वीडन में हड़ताल प्रारंभ करने के साथ ही शुरू हुआ था।
- ग्रेटा थुनबर्ग ने स्वीडिश चुनावों से तीन सप्ताह पहले स्वीडिश संसद के बाहर हड़ताल करना प्रारंभ किया था।
- ग्रेटा थुनबर्ग की प्रमुख मांग जलवायु संकट पर तत्काल कार्रवाई करने को लेकर थी। यह आंदोलन आगे चलकर एक वैश्विक आंदोलन में परिवर्तित हो गया।
- इस वैश्विक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नीति-निर्माताओं पर नैतिक दबाव डालना है, जिससे वे पर्यावरण वैज्ञानिकों द्वारा दी जा रही चेतावनियों पर ध्यान दें और 'ग्लोबल वार्मिंग' (Global Warming) को सीमित करने के लिये कार्रवाई करें।

विरोध प्रदर्शन के कारण

- विरोध प्रदर्शनों में प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई प्रमुख मांगों में अरावली को बचाना, यमुना के प्रदूषण को रोकने के लिये सीवेज प्रबंधन संयंत्रों में सुधार, नीति-निर्माण में सार्वजनिक भागीदारी और स्कूलों में बेहतर पर्यावरणीय शिक्षा को सम्मिलित करना आदि शामिल हैं।
- एक प्रदर्शनकारी के अनुसार, 'आज वैश्विक जलवायु हड़ताल है और इस वर्ष का विषय 'जलवायु अन्याय से लड़ना' (To Fight Climate Injustice) है। विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित लोगों, जैसे- शहरी गरीबों और आदिवासी समुदायों पर ध्यान केंद्रित कर उनकी समस्याओं को उजागर करना है।'
- प्रदर्शनकारी के अनुसार, 'अगले सप्ताह हम और अन्य युवा संगठन जलवायु संकट से लड़ने की रणनीति के बारे में एक विज़न डॉक्यूमेंट जारी करने की योजना बना रहे हैं।'
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बाहर विरोध करने का मुख्य कारण सरकार द्वारा कई कानून और नियम पारित करने में सार्वजनिक परामर्शों को शामिल नहीं करना है। इसमें मुख्य रूप से पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मसौदा- 2020 (Environmental Impact assessment Draft) का विरोध किया गया है।
- एक अन्य युवा प्रदर्शनकारी के अनुसार, 'किसी समस्या को हल करने के लिये सबसे पहले उस समस्या को पहचानना आवश्यक होता है, लेकिन सरकार जलवायु संकट की समस्या को पहचानने में विफल रही है। चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति तेज़ी से बढ़ रही है और सरकार द्वारा इसके लिये पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA)

- EIA प्रक्रिया किसी प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन की एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह एक परियोजना, जैसे- खान, सिंचाई, बांध, औद्योगिक इकाई या अपशिष्ट उपचार संयंत्र आदि के संभावित प्रभावों का वैज्ञानिक अनुमान लगाती है।
- EIA की प्रक्रिया में किसी भी विकास परियोजना या गतिविधि को अंतिम स्वीकृति देते समय सार्वजनिक परामर्श को ध्यान में रखा जाता है। मूल रूप से यह एक निर्णय लेने वाला उपकरण है जो यह तय करता है कि परियोजना को मंज़ूरी दी जानी चाहिये या नहीं।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा मसौदा अधिसूचना (Draft Notification) जारी की जाती है।
- सरकार के अनुसार, ऑनलाइन प्रणाली के क्रियान्वयन, तार्किककरण और मानकीकरण द्वारा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समीचीन बनाने के लिये नई अधिसूचना लाई जा रही है।

नोट :

पृष्ठभूमि

- पर्यावरण पर स्टॉकहोम घोषणा (1972) के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत ने जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये शीघ्र ही कानून बनाए। वर्ष 1984 में भोपाल गैस रिसाव आपदा के बाद देश में वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण के लिये एक अम्ब्रेला अधिनियम पारित किया गया।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत, भारत ने वर्ष 1994 में अपने पहले EIA मानदंडों को अधिसूचित किया, जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, उपभोग और प्रदूषण को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को विनियमित करने के लिये एक विधिक तंत्र स्थापित करता है। प्रत्येक विकास परियोजना को पहले पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिये EIA प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है।

EIA मसौदा- 2020 के विवादास्पद मुद्दे

- प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समीचीन बनाने के उद्देश्य से नयी मसौदा अधिसूचना को जारी किया गया है, लेकिन वास्तव में यह मसौदा कई गतिविधियों को सार्वजनिक परामर्श के दायरे से हटाने का प्रस्ताव करता है।
- मसौदे में लगभग 40 अलग-अलग परियोजनाओं, जैसे- मिट्टी और रेत का खनन, कुओं की खुदाई, इमारतों का निर्माण, सौर तापीय बिजली संयंत्र और सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों आदि को EIA से छूट प्रदान की गई है।
- कई परियोजनाओं, जैसे सभी बी-2 श्रेणी की परियोजनाएँ, सिंचाई परियोजनाएँ, हैलोजन्स का उत्पादन, रासायनिक उर्वरक, एसिड निर्माण, जैव चिकित्सा, अपशिष्ट उपचार सुविधाएँ, भवन निर्माण और क्षेत्र विकास, एलिवेटेड रोड और फ्लाई ओवर, राजमार्ग या एक्सप्रेस वे आदि को सार्वजनिक परामर्श से छूट दी गई है।
- बी2 श्रेणी की गतिविधियों, विस्तार और आधुनिकीकरण परियोजनाओं को EIA और सार्वजनिक परामर्श से छूट देने का पर्यावरण पर संभावित गंभीर प्रभाव के कारण EIA मसौदा -2020 का अधिक विरोध किया जा रहा है।
- जन सुनवाई के लिये नोटिस की अवधि 30 दिन से कम करके 20 दिन कर दी गई है। इससे EIA रिपोर्ट का अध्ययन करना मुश्किल हो जाएगा। यह समस्या तब और भी गंभीर हो सकती है, जब रिपोर्ट क्षेत्रीय भाषा में व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हो।
- EIA मसौदा- 2020 उल्लंघन और गैर-अनुपालन स्थिति में जनता द्वारा रिपोर्टिंग को EIA से बाहर रखती है। सरकार केवल उल्लंघनकर्ता-प्रवर्तक, सरकारी प्राधिकरण, मूल्यांकन समिति या नियामक प्राधिकरण से रिपोर्टों का संज्ञान लेगी। फिर ऐसी परियोजनाओं को शर्तों के साथ मंज़ूरी दी जा सकती है, जिसमें पारिस्थितिक क्षति के निवारण के लिये प्रावधान हो। हालाँकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB) के दिशा-निर्देशों का पालन करना आवशयक होगा।

बी2 श्रेणी की परियोजनाएँ

बी2 श्रेणी की परियोजनाओं के अंतर्गत अपतटीय एवं तटीय तेल, प्राकृतिक गैस और शैल गैस की खोज; 25 मेगावाट तक की जलविद्युत परियोजनाएँ; 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच की सिंचाई परियोजनाएँ; छोटी और मध्यम खनिज लाभकारी इकाइयाँ; रि-रोलिंग मिल्स की कुछ श्रेणियाँ; छोटे और मध्यम सीमेंट संयंत्र; क्लिंकर पीसने वाली छोटी इकाइयाँ; फॉस्फोरिक/अमोनिया/सल्फ्यूरिक अम्ल के अलावा अन्य अम्ल; थोक दवाएँ; सिंथेटिक रबर; मध्यम आकार की रंग-रोगन इकाइयाँ; सभी अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाएँ; परिभाषित मापदंडों के साथ 25 किमी से 100 किमी के बीच राजमार्गों का विस्तार; पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में हवाई रोपवे और निर्दिष्ट भवन निर्माण परियोजनाएँ आदि सम्मिलित है।

आगे की राह

- पर्यावरणीय मानदंडों में परिवर्तन या पर्यावरणीय नियम-कानून बनाते समय सार्वजनिक परामर्श अवश्य लिया जाना चाहिये।
- किसी प्रतिकूल पर्यावरणीय परियोजना की स्थापना से स्थानीय वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, साथ ही व्यक्ति की आजीविका को खतरा उत्पन्न हो सकता है, घाटी में बाढ़ आ सकती है और जैव-विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं।
- सरकार को पर्यावरणविदों के द्वारा रेखांकित की गई चिंताओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। मानवीय जीवन के गरिमामयी विकास के लिये स्वच्छ पर्यावरण अति आवश्यक है।

नोट :

जलवायु परिवर्तन और वनाग्नि के मध्य संबंध

चर्चा में क्यों ?

जलवायु परिवर्तन और वनाग्नि जोखिम के मध्य संबंध स्थापित करने की कोशिश करने वाली जनवरी, 2020 से प्रकाशित वैज्ञानिक लेखों की एक अद्यतन समीक्षा के अनुसार, मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन वनाग्नि को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों में वृद्धि करता है। यह अद्यतन समीक्षा वर्ष 2019-2020 में पश्चिमी अमेरिका और दक्षिण-पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में वनाग्नि की घटनाओं पर केंद्रित है।

प्रमुख बिंदु

- समीक्षा लेखकों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन संपूर्ण विश्व में वनाग्नि के मौसम की आवृत्ति और गंभीरता में वृद्धि करता है। वनाग्नि की आवृत्ति एवं तीव्रता में वृद्धि की व्याख्या केवल खराब भूमि प्रबंधन से नहीं की जा सकती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण शुष्क मौसम में वृद्धि से वनाग्नि के जोखिम में भी वृद्धि होती है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया में वनाग्नि की घटनाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन के ज़िम्मेदार होने की संभावनाओं को खारिज़ किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसके लिये खराब वन प्रबंधन को दोषी ठहराया है।
- इससे पहले भी वर्ष 2018 में कैलिफोर्निया में विनाशकारी वनाग्नि के मौसम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि "कैलिफोर्निया में इतने बड़े पैमाने पर खतरनाक वनाग्नि का प्रमुख कारण खराब वन प्रबंधन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। वनों के कुप्रबंधन के कारण प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में जान-माल की हानि होती है, जिसके लिये अरबों डॉलर की सहायता प्रदान की जाती है।"

वनाग्नि के मौसम को प्रभावित करने वाले कारक

- वर्ष 2013 में प्रकाशित 'जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल' (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) की पाँचवीं आकलन रिपोर्ट (Fifth Assessment Report) में वनाग्नि की घटनाओं को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों की पहचान की गई है।
- इन कारकों में औसत तापमान में वैश्विक वृद्धि, हीट वेव्स की तीव्रता एवं आवृत्ति में वैश्विक वृद्धि और प्रादेशिक रूप से सूखे की आवृत्ति, अवधि और तीव्रता में वृद्धि आदि सम्मिलित है।
- गर्मी के महीनों में कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया के गर्म और शुष्क मौसम की स्थिति वाले क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में वनाग्नि की घटनाएँ सामान्य है, लेकिन हाल के वर्षों में वनाग्नि की घटनाओं तथा तीव्रता में बड़े पैमाने पर वृद्धि के कारण मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन और वनाग्नि के जोखिम के बीच संबंध के बारे में अध्ययन के लिये वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित हुआ है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, वनाग्नि की घटनाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन के अलावा अन्य कारण, जैसे- प्राकृतिक परिवर्तनशीलता आदि भी हो सकते है। हालाँकि नए विश्लेषण के परिणामों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप बढ़ती गर्म और शुष्क परिस्थितियों का प्राकृतिक परिवर्तनशीलता पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वनाग्नि के मौसम में अधिक वृद्धि हुई है।

पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया में वनाग्नि की घटना

- पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया में वनाग्नि की घटना संपूर्ण विश्व में सुर्खियों में थी। हालाँकि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में वनाग्नि की घटनाएँ होती रहती है, लेकिन पिछले वर्ष वनाग्नि की घटना का पैमाना बहुत व्यापक था और तीव्रता भी अभूतपूर्व थी।
- वनाग्नि के कारण हज़ारों जानवरों की मृत्यु के साथ-साथ 10 मिलियन हेक्टेयर से भी अधिक वन भूमि बुरी तरह से प्रभावित हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में वनाग्नि की घटना को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है।

वनाग्नि के प्रकार

- सतह वनाग्नि: सतह वनाग्नि भूमि पर अवशिष्ट पदार्थों, जैसे- सूखी पत्तियों, टहनियों और सूखी घास के सहारे वन की सतह पर फैलती है।
- शीर्ष वनाग्नि: इसमें वृक्षों और झाड़ियों के शीर्ष भाग जल जाते हैं। किसी शंकुधारी वन में शीर्ष वनाग्नि खतरनाक सिद्ध हो सकती है।

भारत में वनाग्नि का जोखिम

- देश के पश्चिमी घाट एवं पूर्वोत्तर में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से लेकर उत्तर में हिमालय क्षेत्र में विस्तृत अल्पाइन वनों तक भिन्न-भिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इन दो चरम स्थितियों के मध्य अर्द्ध-सदाबहार वन, पतझड़ वन, उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्तियों वाले वन, उपोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन और पर्वतीय समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं।

नोट :

- जनसंख्या वृद्धि, औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के कारण अन्य कारकों के साथ वनाग्नि भारत में वनों के ह्रास का प्रमुख कारण है। भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) की रिपोर्ट के अनुसार, देश के लगभग 50% वन क्षेत्र अग्नि प्रवण है।
- भारतीय वनों की सुभेद्यता, वनस्पति के प्रकार, जलवायु तथा अन्य प्राकृतिक और मानवजनित कारणों के आधार पर देश के विभिन्न भागों में एकसमान नहीं है। उदाहरणस्वरूप हिमालय क्षेत्र में शंकुधारी वन, जैसे- देवदार और स्प्रूस वनाग्नि के प्रति अधिक प्रवण हैं। वहीं पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा घनत्व के कारण वनाग्नि का खतरा कम रहता है।
- गंगा-यमुना का मैदानी क्षेत्र वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्र है। वर्ष 1999 में इस क्षेत्र में एक बड़ी वनाग्नि का सामना करना पड़ा, जिसने 80,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को राख में परिवर्तित कर दिया।

भारत में वनाग्नि का प्रबंधन

- इस संबंध में उठाया गया पहला प्रगतिशील कदम वर्ष 1952 में राष्ट्रीय वन नीति का निर्माण था। वर्ष 1988 में राष्ट्रीय वन नीति में संशोधन किया गया जो अतिक्रमण, आग और चराई के खिलाफ वनों के संरक्षण पर ज़ोर देती है।
- वर्ष 1927 के भारतीय वन अधिनियम की धारा- 26 और 33 के अंतर्गत संरक्षित वनों में आग जलाना या आग जलाने की अनुमति देना एक अपराध है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा- 30 में वन्यजीव अभयारण्यों में आग लगाना प्रतिबंधित है।
- भारत में वनाग्नि रोकथाम और प्रबंधन के लिये कई एजेंसियाँ कार्यरत हैं, जैसे- केंद्रीय स्तर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (Indian Council of Forestry Research and Education-ICFRE) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority-NDMA)आदि।
- राज्य स्तर पर राज्यों के वन विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा सामुदायिक स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियाँ भी वनाग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं ।
- वनाग्नि पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (National Action Plan on Forest Fires-NAPFF) आग की रोकथाम, नियंत्रण, आग के बाद की गतिविधियों, सामुदायिक भागीदारी सहित वनाग्नि के समग्र प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है।
- वनाग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन (Forest Fire Prevention and Management-FFPM) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जो विशेष रूप से वनाग्नि से निपटने में राज्यों की सहायता के लिये समर्पित है।

चुनौतियाँ

- भारत में वनाग्नि की समस्या व्यापक और संकेंद्रित है जिसका अलगावपूर्ण दृष्टिकोण द्वारा प्रबंधन करना बहुत मुश्किल है।
- वनाग्नि की रोकथाम और प्रबंधन के लिये स्पष्ट रणनीतिक दिशा के साथ एक एकीकृत नीति ढाँचे की अनुपस्थिति है।
- FFPM पर वर्ष 2000 में जारी राष्ट्रीय दिशा निर्देश अभी भी काफी हद तक लागू नहीं किये गए हैं।
- केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक समर्पित FFPM कोष की कमी FFPM प्रक्रिया को असफल बना रही है।
- वनाग्नि संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिये मानक प्रोटोकॉल का अभाव है। राज्यों को अनुसंधान और मानक प्रतिक्रिया, रोकथाम और शमन प्रोटोकॉल के विकास में केंद्र सरकार से मदद की आवश्यकता है।
- आग के उपयोग के साथ पारंपरिक सामुदायिक प्रथाओं को परिवर्तित करने में जन जागरूकता की कमी है।

आगे की राह

- IPCC की वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भूमंडलीय तापन (Global Warming) को 1.5 डिग्री सेल्शियस तक सीमित कर विश्व स्तर पर औसत वनाग्नि की घटनाओं को कम किया जा सकता है। इसलिये सभी देशों को मिलकर पेरिस समझौते के सफल क्रियान्वयन का प्रयास करना चाहिये।
- साथ ही उपग्रह-आधारित चेतावनी सिस्टम और भूमि-आधारित अनुसंधान प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिये।

नोट :

नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड में छह मेगा परियोजनाएँ

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज सुबह 11 बजे 'नमामि गंगे मिशन' के अंतर्गत उत्तराखंड में छह मेगा परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया गया।

परियोजनाओं के बारे में

- हरिद्वार के जगजीतपुर में 68 मिलियन लीटर प्रतिदिन (Millions of Liters Per Day-MLD) की क्षमता वाले 'अपशिष्ट जल-शोधन संयत्र' (Sewage Treatment plant-STP) का निर्माण और 27 MLD की क्षमता वाले एक अपशिष्ट जल-शोधन संयत्र का उन्नयन किया गया है।
- हरिद्वार के ही सराय में 12.99 करोड़ की लागत से निर्मित 18 MLD की क्षमता के अपशिष्ट जल-शोधन संयत्र का उद्घाटन किया गया है।
- चोरपानी में 5 MLD की क्षमता वाले एक अपशिष्ट जल-शोधन संयत्र का निर्माण किया गया है।
- प्रधानमंत्री द्वारा बद्रीनाथ में 1 MLD तथा 0.01 MLD की क्षमता वाले दो अपशिष्ट जल-शोधन संयंत्रों का भी उद्घाटन किया गया है।
- ऋषिकेश के लक्कड़घाट में 158 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 26 MLD की क्षमता वाले अपशिष्ट जल-शोधन संयत्र का निर्माण किया गया है ।
- चंद्रेश्वर नगर में मुनि की रेती कस्बे में 7.5 MLD की क्षमता वाले अपशिष्ट जल-शोधन संयत्र का निर्माण किया गया है, जो देश में पहला 4 मंजिला अपशिष्ट जल-शोधन संयंत्र है। यहाँ भूमि की सीमित उपलब्धता को एक अवसर के रूप में परिवर्तित किया गया है । अपशिष्ट जल-शोधन संयंत्र का निर्माण 900 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र में किया गया है जो इतनी क्षमता वाले अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के निर्माण के लिये सामान्य रूप से आवश्यक क्षेत्र का केवल 30 प्रतिशत है।

नमामि गंगे परियोजना

- गंगा नदी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्त्व होने के साथ-साथ देश की लगभग 40% जनसंख्या गंगा नदी पर आर्थिक रूप से निर्भर है। वर्ष 2014 में न्यूयॉर्क में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 'गंगा की सफाई एक आर्थिक एजेंडा भी है'।
- इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण निवारण और नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जून, 2014 में 'नमामि गंगे' नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नदी की सफाई के लिये बजट को चार गुना करते हुए वर्ष 2019-2020 तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की केंद्र की प्रस्तावित कार्य योजना को मंज़ूरी दे दी।
- गंगा नदी संरक्षण की बहु-क्षेत्रीय और बहु-आयामी चुनौतियों को देखते हुए इसमें कई हितधारकों की भूमिकाओं में वृद्धि, विभिन्न मंत्रालयों एवं केंद्र-राज्यों के मध्य बेहतर समन्वय और कार्य योजना की तैयारी में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए केंद्र एवं राज्य स्तर पर निगरानी तंत्र को बेहतर करने के प्रयास किये गए हैं।
- प्रारंभिक स्तर की गतिविधियों के अंतर्गत नदी की ऊपरी सतह की सफाई से लेकर बहते हुए ठोस कचरे की समस्या को हल करना; ग्रामीण क्षेत्रों की नालियों में प्रवाहित अपशिष्ट (ठोस एवं तरल) की समस्या को हल करना; शौचालयों के निर्माण करवाना; शवदाह गृह का आधुनिकीकरण करके आंशिक रूप से जले हुए शव को नदी में बहाने से रोकना; घाटों का निर्माण, मरम्मत और आधुनिकीकरण करना आदि सम्मिलित हैं।
- मध्यम अवधि की गतिविधियों के अंतर्गत नदी में नगर निगम और उद्योगों से आने वाले अपशिष्ट की समस्या को हल करने पर ध्यान दिया जाएगा। नगर निगम से आने वाले कचरे की समस्या को हल करने के लिये आगामी 5 वर्षों में 2500 ML अपशिष्ट जल-शोधन की अतिरिक्त क्षमता सृजित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- दीर्घावधि में इस कार्यक्रम को बेहतर और संपोषणीय (Sustainable) बनाने के लिये प्रमुख वित्तीय सुधार किये जा रहे हैं। परियोजना के कार्यान्वयन के लिये वर्तमान में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर आधारित सार्वजानिक-निजी सहभागिता पर विचार किया जा रहा है।

नोट :

- औद्योगिक प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये गंगा नदी के किनारे स्थित ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को गंदे पानी की मात्रा कम करने या इसे पूर्ण तरीके से समाप्त करने के निर्देश दिये गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board-CPCB) द्वारा इन निर्देशों के कार्यान्वयन के लिये कार्य-योजना तैयार की गई है। सभी उद्योगों को गंदे पानी के बहाव के लिये रियल टाइम ऑनलाइन निगरानी केंद्र स्थापित करना होगा।
- नमामि गंगे कार्यक्रम में इन गतिविधियों के अलावा जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण और पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण प्रजातियों, जैसे – गोल्डन महासीर, डॉल्फिन, घड़ियाल, कछुए, ऊदबिलाव आदि के संरक्षण के लिये कार्यक्रम पहले से ही प्रारंभ किये जा चुके हैं।
- लंबी अवधि की गतिविधियों के अंतर्गत बेहतर जल उपयोग क्षमता और सतही सिंचाई की क्षमता को बेहतर करके नदी में जल का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (Hybrid Annuity Model-HAM)

- HAM मॉडल EPC (Engineering, Procurement and Construction) एवं BOT (Build-Operate-Transfer) का एक मिश्रित रूप है। यह जोखिम का विवेकपूर्ण बंटवारा करने, वित्तपोषण संबंधी समस्याओं को हल करने एवं निजी क्षेत्र की क्षमता के पूर्ण उपयोग करने हेतु एक लचीला एवं उचित उपाय है।
- HAM एक नए प्रकार का सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private partnership- PPP) मॉडल है।
- इसके अंतर्गत सरकार कार्य आरंभ करने के लिये डेवलपर (किसी भूखंड पर निर्माण कार्य में संलग्न व्यक्ति या संघ) को परियोजना लागत का 40 प्रतिशत उपलब्ध कराती है। शेष निवेश निजी डेवलपर को करना होता है।

आगे की राह

- गंगा नदी के प्रदूषण निवारण और नदी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य इसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्त्व के लिये इसका दोहन करने के कारण अत्यंत जटिल कार्य है। इस तरह के जटिल कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिये समुदाय की भागीदारी आवश्यक है।
- गंगा के पुनर्जीवन के लिये भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता है। सरकार द्वारा पहले ही बजट को चार गुना करने के पश्चात् भी आवश्यकताओं के हिसाब से यह पर्याप्त नहीं होगा।
- सरकार नालियों से संबंधित आधारभूत संरचना का निर्माण कर रही है, लेकिन नागरिक कचरे और पानी के उपयोग को कम कर सकते हैं। उपयोग किये गए पानी, जैविक कचरे एवं प्लास्टिक के पुनर्चक्रण और इसके पुन: उपयोग से इस कार्यक्रम को बहुत लाभ हो सकता है।

आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की संख्या में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संसद में साझा किये गए आँकड़ों के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों (2015-20) में भारत में आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की संख्या में 145% की वृद्धि हुई है।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 2015 में भारत में 1800 आर्सेनिक-प्रभावित बस्तियाँ थीं। जिनकी संख्या सितंबर, 2020 तक बढ़कर 4421 हो गई।
  - बस्तियाँ या वास स्थान (Habitations), एक गाँव में सामुदायिक स्तर पर परिवारों का समूह होती हैं। इसे सेटेलमेंट (Settlements) का सबसे छोटा स्तर कहा जाता है जिसमें घरों की संख्या 10-100 के बीच हो सकती है।
- प्रभावित क्षेत्र: आर्सेनिक से प्रभावित अधिकांश बस्तियाँ गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के जलोढ़ मैदानों में अवस्थित हैं। अर्थात् असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में।
  - प्रभावित वास स्थानों के मामले में असम (1853) पहले स्थान पर, जबकि पश्चिम बंगाल (1383) दूसरे स्थान पर है।
  - झारखंड, जहाँ वर्ष 2015 में ऐसा कोई वास स्थान नहीं था वहाँ वर्तमान में आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की संख्या 2 है।

नोट :

- हालाँकि, कर्नाटक में वर्ष 2015 में आर्सेनिक प्रभावित वास स्थानों की संख्या 9 थीं, वहाँ वर्ष 2020 में कोई भी ऐसा वास स्थान नहीं है।

- फ्लोराइड प्रभावित वासस्थानों की संख्या में कमी:
  - फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों की संख्या वर्ष 2015 में 12727 से घटकर सितंबर, 2020 तक 5485 हो गई है।
    - फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों की संख्या के मामले में राजस्थान (2956) पहले स्थान पर जबकि बिहार (861) दूसरे स्थान पर था।
- जब तक कि नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति नहीं की जाती है तब तक जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission- JJM) के तहत, पेयजल एवं खाना पकाने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों (Community Water Purification Plants- CWPP) के माध्यम से ऐसी गुणवत्ता (आर्सेनिक एवं फ्लोराइड) प्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता दी गई है।
  - जल जीवन मिशन (JJM) को वर्ष 2019 में वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर में पाइप के द्वारा जलापूर्ति करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
  - जल जीवन मिशन (JJM) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटन राशि का 2% तक का उपयोग जल गुणवत्ता जाँच एवं निगरानी (Water Quality Monitoring & Surveillance- WQM & S) गतिविधियों के लिये किया जा सकता है।
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के तहत एक नया उप कार्यक्रम राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (National Water Quality Sub-Mission- NWQSM) वर्ष 2017 में शुरू किया गया था ताकि लगभग 28000 आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित वास स्थानों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता को पूरा किया जा सके।
  - NWQSM का लक्ष्य मार्च 2021 तक स्थायी आधार पर स्वच्छ पेयजल के साथ आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में सभी ग्रामीण आबादी को कवर करना है।
    - NWQSM को 25000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था।
  - NRDWP को वर्ष 2009 में शुरू किया गया था जहाँ जल की उपलब्धता को स्थिरता, पर्याप्तता, सुविधा, सामर्थ्य एवं इक्विटी के संदर्भ में सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया गया था।
    - NRDWP एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच राशि का वितरण 50:50 के आधार पर निर्धारित किया गया है।

आर्सेनिक विषाक्तता:

- आर्सेनिक प्राकृतिक रूप से कई देशों की भू-सतह एवं भू-जल में उच्च स्तर पर मौज़ूद है। यह अकार्बनिक रूप में अत्यधिक विषाक्त होता है।
- पीने, भोजन तैयार करने एवं खाद्य फसलों की सिंचाई के लिये उपयोग किये जाने वाले दूषित जल में आर्सेनिक स्तर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये सबसे बड़ा खतरा है।
- पेयजल एवं भोजन के उपयोग में लाये जाने वाले जल में लंबे समय तक आर्सेनिक की मौजूदगी से कैंसर, त्वचा रोग, हृदय रोग एवं मधुमेह हो सकता है।
- पीने के पानी की गुणवत्ता के लिये वर्ष 2011 के विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, भू-जल में आर्सेनिक की वैध सीमा 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर है।
  - हालाँकि, भारत में पेयजल की वैध सीमा को हाल ही में 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर से 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर तक संशोधित किया गया है।

फ्लोराइड विषाक्तता:

- अत्यधिक फ्लोराइड का उपभोग स्वाभाविक रूप से समृद्ध भूजल की अत्यधिक खपत के कारण होता है विशेष रूप से गर्म जलवायु में जहाँ जल की खपत अधिक होती है या जहाँ उच्च फ्लोराइडयुक्त जल का उपयोग भोजन की तैयारी या फसलों की सिंचाई में किया जाता है।
- अत्यधिक फ्लोराइड के उपभोग से डेंटल फ्लोरोसिस (दाँतों की सड़न) या क्रिपलिंग स्कल्टन फ्लोरोसिस (Crippling Skeletal Fluorosis) हो सकता है जो अस्थि विकृति से संबंधित है।

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

मेडिकेंस की आवृत्ति में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण भूमध्य सागर में अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान (Extra Tropical Cyclone), जिसे 'मेडिकेंस' (Medicanes) या 'भूमध्यसागरीय हरिकेन' (Mediterranean Hurricanes) के रूप में जाना जाता है, की आवृत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है।

प्रमुख बिंदु:

मेडिकेंस (Medicanes):

- 'मेडिकेंस' (Medicanes) उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तरह होते हैं जो भूमध्य सागर के ऊपर बनते हैं।
  - आसपास की शुष्क जलवायु और समुद्र की अपेक्षा उथले जल के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसी घटनाएँ अक्सर होती रहती हैं।
- ये आम तौर पर सर्दियों के महीनों में निर्मित होते हैं, ऐसी घटनाएँ वर्ष में एक या दो बार होती हैं।
- 18 सितंबर, 2020 को लानोस (Lanos) नामक एक मेडिकेन ग्रीस के तट से टकराया था जिसके कारण ग्रीस एवं आसपास के द्वीपों में भारी वर्षा के साथ बाढ़ की स्थिति बन गई थी।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के साथ मेडिकेंस की तुलना:

- ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात, हरिकेन एवं टाइफून की तुलना में अपेक्षाकृत ठंडे जल में अधिक विकसित होते हैं। इसलिये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के गर्म कोर की तुलना में इन तूफानों की कोर भी ठंडी होती है किंतु अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवातों (Extra Tropical Cyclones) की तुलना में गर्म होती है।
- आमतौर पर इनका व्यास छोटा होता है और मूल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में इनमें हवा की गति कम होती है।
- कभी-कभी गर्म-कोर वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठंडे-कोर वाले अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवातों (Extra Tropical Cyclone) में बदल जाते हैं किंतु कभी-कभी कुछ मामलों में, यह स्थिति विपरीत भी हो सकती है।
  - अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Extra Tropical Cyclone) के उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने की ऐसी घटना नवंबर, 2011 में हुई थी जिसके कारण स्पेन, इटली एवं फ्राँस के कुछ हिस्सों में भयंकर बाढ़ के कारण 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी।

मेडिकेंस की संख्या में वृद्धि:

- पिछली आधी शताब्दी में मेडिकेंस की संख्या में वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2005 एवं वर्ष 2012 में आए मेडिकेंस काला सागर के ऊपर विकसित हुए थे जो भूमध्य सागर की तुलना में बहुत छोटा जल निकाय है।
- ग्लोबल वार्मिंग के कारण, भू-मध्य सागर में समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि होने के कारण सामान्य तूफान, उष्णकटिबंधीय तूफान में परिवर्तित हो सकते हैं, जिनमें हवा की गति तीव्र होने से तूफानों की तीव्रता में भी वृद्धि हो सकती है जिससे भारी वर्षा की स्थिति बन जाती है।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization) के अनुसार, यह वर्ष एक निम्न ला नीना (Mild La Niña) की स्थिति वाला वर्ष है। ला नीना की स्थिति, हरिकेन की आवृति को कम करने की कोशिश करती है। भले ही यह वर्ष निम्न ला नीना का वर्ष हो किंतु हरिकेन का मौसम बहुत सक्रिय है। इसका तात्पर्य यह है कि अल नीनो दक्षिणी दोलन (El Niño Southern Oscillation- ENSO) के प्रभाव भूमध्य सागर सहित सभी महासागरों में ग्लोबल वार्मिंग द्वारा संशोधित किये जा रहे हैं।

नोट :

- वर्ष 2019 में बदलती जलवायु में महासागर एवं क्रायोस्फीयर पर विशेष रिपोर्ट (Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate) जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change- IPCC) द्वारा जारी की जाती है, में बढ़ते तापमान एवं लगातार चरम एल नीनो एवं ला नीना घटनाओं की चेतावनी दी गई थी।

संकट:

- मेडिकेंस की आवृत्ति में वृद्धि होने से उत्तरी अफ्रीका में रहने वाली पहले से ही कमज़ोर आबादी के लिये संकट उत्पन्न होगा जिससे उनका पलायन बढ़ेगा।
- मेडिकेंस इटली एवं ग्रीस जैसे यूरोपीय देशों के लिये भी एक खतरा हो सकते हैं।

सौर्यिक गतिविधि में कमी का भूमंडलीय तापन पर प्रभाव नहीं

चर्चा में क्यों ?

वैज्ञानिकों के अनुसार, 11 वर्ष का नया सौर चक्र अर्थात् 25वां सौर चक्र प्रारंभ हो गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सौर कलंकों की तीव्रता पिछले 100 वर्षों में वर्ष 2019 में सबसे कम रही है। इसे 'सौर न्यूनतम' (Solar Minimum) के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 2020 में भी सौर कलंकों की तीव्रता कम देखी गई है।

सौर्यिक गतिवधि में कमी एवं शीतलन

- संयुक्त राज्य अमेरिका के 'नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन' (National Oceanic and Atmospheric Administration-NOAA) के स्पेस एनवायरनमेंट सेंटर (Space Environment Centre-SEC) के अनुसार, वर्ष 2020 में, 21 सितंबर तक, सूर्य के 71% भाग पर सौर कलंकों की अनुपस्थिति अवलोकित की गई है। इसी वर्ष मई माह में सौर कलंकों की अनुपस्थिति वाली सतह का हिस्सा 78% तक था। वैज्ञानिकों के अनुसार, इससे मिनी हिमयुग (Little Ice Age) की आशंकाओं को बल मिलता है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, वर्ष 2020 से वर्ष 2053 तक सूर्य 'मॉर्डन ग्रैंड सोलर मिनिमम' (Modern Grand Solar Minimum) गतिविधि की लंबी अवधि से गुजर रहा है। पिछली बार इस तरह की घटना माउंडर मिनिमम (Mounder Minimum) के दौरान घटित हुई थी।
- एक अध्ययन के अनुसार, मॉडर्न ग्रैंड सोलर मिनिमम के दौरान सौर्यिक चुंबकीय गतिविधि में 70% की कमी के कारण पृथ्वी की सतह का तापमान कम होने की संभावना है।
- यूनाइटेड किंगडम के नॉर्थम्ब्रिया विश्वविद्यालय की वेलेंटीना ज़रखोवा ने 4 अगस्त, 2020 को 'Temperature' में प्रकाशित अपने लेख में सूर्य के आंतरिक भाग में जटिल चुंबकीय गतिविधि तथा सौर विकिरणों पर इसके प्रभावों का अध्ययन किया।
- सौर विकिरणों की मात्रा में भिन्नताएँ पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत के तापमान और पृथ्वी की सतह की ओर सौर ऊर्जा के परिवहन को भी प्रभावित करती हैं।
- ज़रखोवा ने सौर पृष्ठभूमि के माध्यम से चुंबकीय गतिविधि के अध्ययन में पाया कि सौर कलंकों की तीव्रता 24वें तथा 25वें चक्रों में कम होती जा रही है। 26वें सौर चक्र में इसके लगभग शून्य हो जाने की आशंका है।

पृथ्वी का शीतलन: कारण

- माउंडर मिनिमम के दौरान उत्तरी अटलांटिक दोलन (North Atlantic Oscillation-NAO) को नकारात्मक (Negative) स्थिति में देखा गया था। NAO ग्रीनलैंड के पास एक स्थायी रूप से कम दबाव और इसके दक्षिण में एक स्थायी उच्च दबाव प्रणाली के मध्य संतुलन की एक स्थिति है। इस नकारात्मक संतुलन की स्थिति के कारण यूरोप का तापमान सामान्य तापमान से काफी नीचे चला गया।
- शीतलन का दूसरा कारण प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी को कॉस्मिक और आकाशगंगा संबंधी (Galactic) हानिकारक विकिरणों से बचाता है। ज़रखोवा के अनुसार, पृथ्वी पर पहुँचने वाली हानिकारक किरणों में कमी और वायुमंडल में उच्च बादलों के निर्माण के कारण पृथ्वी के शीतलन की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है।

नोट :

- ज़रखोवा ने अनुमान लगाया है कि वर्तमान सोलर मिनिमम के दौरान पृथ्वी के सतह पर तापमान 1°C तक कम हो सकता है। तापमान में संभावित कमी के कारण वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि सोलर मिनिमम के दौरान पृथ्वी सतह का शीतलन हिमयुग का कारण बन सकता है। यह भूमंडलीय तापन (Global Warming) के कारण बढ़ते तापमान के प्रभावों को प्रतिसंतुलित कर सकता है।

क्या भूमंडलीय तापन के प्रभावों में कमी आएगी ?

- इसी वर्ष 29 मई को नासा के एक अंतरिक्ष यान ने अक्तूबर 2017 के पश्चात् बड़ी संख्या में सौर कलंकों के एक समूह का पता लगाया। बड़ी संख्या में ये सौर कलंक कोरोनल मास इजेक्शन्स (Coronal Mass Ejection-CME) का कारण बन सकते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन्स सूर्य के कोरोना से प्लाज़्मा एवं चुंबकीय क्षेत्र का विस्फोट है जिसमें अरबों टन कोरोनल सामग्री उत्सर्जित होती है तथा इससे पिंडों के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है।
- नासा के अनुसार, मॉडर्न ग्रैंड सोलर मिनिमम के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक उत्सर्जन के कारण भूमंडलीय तापन का प्रभाव मॉडर्न ग्रैंड सोलर मिनिमम की वजह से होने वाले शीतलन से छह गुना अधिक होगा। इस अवधि के लंबे समय तक चलने के बावजूद पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि ही होगी।

सोलर मिनिमम क्या है ?

- जब न्यूनतम सौर कलंक सक्रियता की अवधि दीर्घकाल तक रहती है तो इसे 'माउंडर मिनिमम' कहते हैं।
- वर्ष 1645-1715 के बीच की अवधि में सौर कलंक परिघटना में विराम देखा गया जिसे 'माउंडर मिनिमम' कहा जाता है। यह अवधि तीव्र शीतकाल से युक्त रही, अत: सौर कलंक अवधारणा को जलवायु परिवर्तन के साथ जोड़ा जाता है।
- माउंडर मिनिमम के अंतिम समय के दौरान सौर विकिरण में 0.22% की कमी अवलोकित की गई थी।

सौर कलंक

- सौर-कलंक सूर्य की सतह का ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी सतह आसपास के हिस्सों की तुलना अपेक्षाकृत काली (DARK) होती है तथा तापमान कम होता है। इनका व्यास लगभग 50,000 किमी. होता है।
- ये सूर्य की बाहरी सतह अर्थात फोटोस्फीयर (Photosphere) के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ किसी तारे का चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है। यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की तुलना में लगभग 2,500 गुना अधिक होता है।
- सामान्यत: चुंबकीय क्षेत्र तथा तापमान में व्युत्क्रमनुपाती संबंध होता है , अर्थात तापमान बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र घटता है।

सौर चक्र

- अधिकांश सौर-कलंक समूहों में दिखाई देते हैं तथा उनका अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसकी ध्रुवीयता लगभग 11 वर्ष में बदलती है जिसे एक 'सौर चक्र' (Solar Cycle) कहा जाता है।
- सौर-कलंकों की संख्या में लगभग 11 वर्षों के चक्र के दौरान वृद्धि तथा कमी होती है जिन्हें क्रमश: सौर कलंक के विकास तथा ह्रास का चरण कहा जाता है, वर्तमान में इस चक्र की न्यूनतम संख्या या ह्रास का चरण चल रहा है।
- वर्तमान सौर चक्र की शुरुआत वर्ष 2008 से मानी जाती है जो अपने 'सौर न्यूनतम' (Solar Minimum) चरण में है।
- 'सौर न्यूनतम' के दौरान सौर-कलंकों और सौर फ्लेयर्स (Solar Flares) की संख्या में कमी देखी जाती है।

सौर चक्र के कारण प्रभावित होने वाली गतिविधियाँ

- ऑरोरा
  - जब एक सौर तूफान पृथ्वी की ओर आता है तो ऊर्जा के कुछ कण पृथ्वी के वायुमंडल में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर चुंबकीय रेखाओं तक पहुँच जाते हैं।
  - ऊर्जा के ये छोटे कण वायुमंडल में गैसों के साथ संपर्क करते हैं जिसके परिणामस्वरुप आकाश में आकर्षक प्रकाश दिखाई देता है। ऑक्सीजन हरे तथा लाल रंग में जबकि नाइट्रोजन नीले और बैगनी रंग में चमकती है।
  - उत्तरी ध्रुव पर इसे 'ऑरोरा बोरेलिस' (Aurora Borealis) तथा दक्षिणी ध्रुव पर इसे 'ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस' (Aurora Australis) कहते हैं।

नोट :

- रेडियो संचार
  - एक रेडियो तरंग विद्युत स्पेक्ट्रम का हिस्सा है जो चुंबकीय और विद्युत ऊर्जा दोनों तरंगों की एक शृंखला है। ये तरंगें भिन्न-भिन्न आवृत्तियों वाली होती हैं।
  - ये आवृत्ति संदेश पृथ्वी के वायुमंडल में आयनमंडल से परावर्तित होते हैं।
  - अधिकतम सौर्यिक प्रकाश और सौर तूफान के दौरान सूर्य से बड़ी मात्रा में उत्पन्न असामान्य रूप से सक्रिय कणों के प्रभाव में रेडियो तरंगें कम समय में अधिक दूरी तय करने लगती है।
  - सौर न्यूनतम के दौरान आयनमंडल की सामान्य ऊर्जा में कमी के कारण रेडियो तरंगों का पर्याप्त रूप में परावर्तन नहीं हो पाता है।
- जलवायु परिवर्तन
  - पिछले तीन सौर चक्रों के दौरान सौर कलंकों की गतिविधि में एक कमज़ोर प्रवृत्ति दिखाई देती है।
  - वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसके कारण मिनी हिमयुग और ठंडी जलवायु का आविर्भाव हो सकता है।
- विद्युत पारेषण
  - धात्विक संरचनाओं, जैसे- ट्रांसमिशन लाइंस और सूर्य से आने वाले कई ऊर्जावान आवेशित कणों की गति द्वारा निर्मित विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य संपर्क के कारण विद्युत प्रणालियों के बाधित होने का खतरा बना रहता है।
  - यद्यपि इस तरह की घटनाएँ बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन फिर भी ये काफी हानिकारक हो सकती हैं।
- उपग्रह
  - सौर गतिविधि उपग्रह प्रक्षेपण को प्रभावित करने के साथ-साथ उनके जीवनकाल को भी सीमित कर सकती है।
  - अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (Internation Space Station-ISS) के बाहर काम करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिये विकिरण का खतरा हो सकता है।
  - यदि वैज्ञानिक सौर चक्र में सक्रिय समय की सटीक भविष्यवाणी करते हैं तो उपग्रहों को सुरक्षित मोड में रखा जा सकता है और अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेसवॉक को रोक सकते हैं।

आगे की राह

सूर्य की गतिविधि को अभी पूर्ण रूप से समझा नहीं जा सका है। अभी तक किये गए अवलोकनों के अनुसार, सूर्य की गतिविधि को समझने के लिये वैज्ञानिकों को 6 माह से एक वर्ष का और समय लग सकता है।

नोट :

सामाजिक न्याय

सिंगल मदर्स के बच्चों के लिये जाति प्रमाणपत्र

चर्चा में क्यों ?

अपने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति की सिंगल मदर्स (Single Mothers) के बच्चों, जिनके पिता ऊँची जाति के हैं, को तब तक जाति प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा जब तक यह स्थापित न हो जाए कि उन्हें विशिष्ट समुदाय के कारण अभाव, अपमान और बाधाओं का सामना करना पड़ा हो।

प्रमुख बिंदु

- न्यायालय का निर्णय
  - दो अलग-अलग जातियों और समुदायों के बीच अंतर-जातीय विवाह में आने वाले वंश की जाति का निर्धारण प्रत्येक मामले में शामिल तथ्यों के आधार पर तय किया चाहिये।
  - यहाँ यह तथ्य सिद्ध करना आवश्यक होगा कि पिता से अलग-अलग होने के कारण क्या बच्चों को किसी भी प्रकार से भेदभाव, अपमान अथवा बाधाओं का सामना करना पड़ा है अथवा नहीं।
- पृष्ठभूमि
  - ध्यातव्य है कि सर्वप्रथम अनुसूचित जाति की एक महिला ने न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों के लिये प्रमाणपत्र जारी करने की मांग की थी।
  - दरअसल वह महिला असम की एक वरिष्ठ रैंकिंग की वायु सेना अधिकारी हैं, जिसने वायु सेना के ही अपने एक सहयोगी से विवाह किया था।
  - वर्ष 2009 में उनके तलाक के बाद उनके दो बच्चे अपनी माँ के साथ रह रहे थे, उस महिला के मुताबिक उनके बच्चे अपने पिता के साथ कभी बड़े नहीं हुए हैं और इसलिये वे अपने पिता के समुदाय का हिस्सा नहीं हैं।
- महिला के पक्ष में तर्क
  - महिला ने तर्क दिया है यदि कोई पिता अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है और अकेले बच्चों की परवरिश कर रहा है, तो उसके बच्चों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये सक्षम माना जाता है।
  - वहीं दूसरी ओर यदि कोई महिला अनुसूचित जाति से संबंधित है और अकेले बच्चों की परवरिश कर रही है, तो उसके बच्चों को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है।
  - इस प्रकार ऐसी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।
- न्यायालय का निर्णय
  - न्यायालय ने रेखांकित किया है कि माता-पिता के अलग होने के बाद भी होने के बाद भी बच्चे अपने पिता का उपनाम प्रयोग कर रहे हैं, जो कि दर्शाता है कि बच्चे अभी भी अपने पिता के समुदाय से जुड़े हुए हैं।
  - न्यायलय ने स्पष्ट किया कि यदि वायु सेना में कार्यरत वरिष्ठ महिला अधिकारी के बच्चों को जाति प्रमाणपत्र जारी किया जाता है तो इससे उच्च शिक्षा और सार्वजनिक सेवा में आरक्षित अनुसूचित जाति की सीटों की सीमित संख्या के लिये पात्रता का दावा करने के लिये योग्य लोगों इससे वंचित हो जाएंगे।

नोट :

आदिम जनजातियों में संक्रमण का खतरा

चर्चा में क्यों ?

ओडिशा में दो आदिम जनजातियों के छह सदस्यों के कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित होने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes- NCST) ने राज्य सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के अनुसार, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups- PVTGs) के अंतर्गत वर्गीकृत दो आदिम जनजातियों के छह सदस्यों का इस तरह वायरस से संक्रमित होना एक 'गंभीर चिंता का विषय' है।
- ध्यातव्य है कि अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में बोंडा (Bonda) जनजाति का एक सदस्य और दीदाई (Didayi) जनजाति के पाँच सदस्य कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित पाए गए थे।

आदिम जनजातियों में संक्रमण- चिंता का विषय

- अधिकांश आदिम जनजाति के लोग सामुदायिक जीवन जीते हैं और यदि उनमें से कोई व्यक्ति भी संक्रमित होता है तो सभी के बीच संक्रमण फैलने की संभावना काफी बढ़ जाती है, जिसके कारण जनजाति के लोगों पर विशेष ध्यान देना काफी आवश्यक हो जाता है।
- पिछले 20-30 वर्षों में आदिम जनजातियों के लोगों के जीवन जीने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है, अब वे भी प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए राशन पर निर्भर हैं, हालाँकि उनकी प्रतिरक्षा (Immunity) क्षमता अभी भी काफी कम है, जिसके कारण वे वायरस के प्रति काफी संवेदनशील हैं।

आदिम जनजाति की संवेदनशील स्थिति

- ओड़िशा सरकार की गरीबी और मानव विकास निगरानी एजेंसी (PHDMA) के वर्ष 2018 के संवादपत्र (Newsletter) के अनुसार, राज्य में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) की स्वास्थ्य स्थिति विभिन्न कारकों जैसे- गरीबी, निरक्षरता, सुरक्षित पेयजल की कमी, कुपोषण, मातृत्त्व एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की खराब स्थिति, अंधविश्वास और निर्वनीकरण आदि के कारण काफी निम्न है।
- सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किये गए संवादपत्र (Newsletter) के अनुसार, इस प्रकार के जनजाति समूहों में श्वसन समस्या, मलेरिया, जठरांत्र संबंधी विकार, सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी और त्वचा संक्रमण जैसे रोग काफी आम हैं।
- ऐसी स्थिति में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के लोग किसी भी प्रकार के वायरस और महामारी के प्रति काफी संवेदनशील हो जाते हैं।
- दूरदराज के आवासीय क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास आवश्यक न्यूनतम प्रशासनिक सेट-अप और बुनियादी ढाँचे की भी कमी है।

कैसे संक्रमित हुए ओड़िशा के आदिवासी ?

- पहले आदिम जनजातियों के लोग केवल अपने समुदाय और निवास स्थान तक सीमित रहते थे, किंतु बीते कुछ वर्षों में आजीविका के अवसरों की कमी के कारण अब लोगों ने अन्य ज़िलों में पलायन करना शुरू कर दिया है।
- हालाँकि अभी भी ओडिशा की आदिम जनजातियों में प्रसारित संक्रमण का स्रोत ज्ञात नहीं हुआ है, किंतु अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में संक्रमण का स्रोत वही लोग हैं जो आजीविका की तलाश में किसी दूसरे स्थान पर गए थे।

विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTGs)

- PVTGs (जिन्हें पूर्व में आदिम जनजातीय समूह (PTG) के रूप में जाना जाता था) भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला वर्गीकरण है जो विशेष रूप से निम्न विकास सूचकांकों वाले कुछ समुदायों की स्थितियों में सुधार को सक्षम करने के उद्देश्य से सृजित किया गया है।
- ऐसे समूह की प्रमुख विशेषताओं में एक आदिम-कृषि प्रणाली का प्रचलन, शिकार और खाद्य संग्रहण का अभ्यास, शून्य या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि, अन्य जनजातीय समूहों की तुलना में साक्षरता का अत्यंत निम्न स्तर और लिखित भाषा की अनुपस्थिति आदि शामिल हैं।

नोट :

- इसका सृजन ढेबर आयोग की रिपोर्ट (1960) के आधार पर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जनजातियों के भीतर भी विकास दर में काफी असमानता है।
- चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास के निचले स्तर पर मौजूद समूहों की पहचान करने के लिये अनुसूचित जनजातियों के भीतर एक उप-श्रेणी बनाई गई थी। इस उप-श्रेणी को आदिम जनजाति समूह (PTG) कहा जाता था, जिसका नाम बदलकर बाद में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTGs) कर दिया गया।
- ओडिशा में 62 आदिवासी समूहों में से 13 को PVTGs के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जो कि देश में सबसे अधिक है। वर्तमान में ओडिशा में PVTGs से संबंधित 2.5 लाख की आबादी है, जो कि 11 ज़िलों के लगभग 1,429 गांवों में रहते हैं।

सरकारी विद्यालय में शौचालयों पर CAG सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General- CAG) द्वारा संसद में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा शिक्षा के अधिकार के हिस्से के रूप में सरकारी विद्यालयों में निर्मित 1.4 लाख शौचालयों में से लगभग 40 प्रतिशत अस्तित्त्वहीन (Non-Existent), आंशिक रूप से निर्मित और अप्रयुक्त हैं।

प्रमुख बिंदु

- आँकड़ों के अनुसार, देश भर में तकरीबन 10.8 लाख सरकारी विद्यालय हैं, जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों (CPSEs) की सहायता से कुल 1.4 लाख शौचालय बनाए गए हैं।
- भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) ने अपनी रिपोर्ट में 15 राज्यों के 2,695 सरकारी विद्यालयों के शौचालयों का सर्वेक्षण किया है।

प्रमुख निष्कर्ष

- संसद में प्रस्तुत नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश भर के सरकारी विद्यालयों में निर्मित 70 प्रतिशत से अधिक शौचालयों में पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहीं 75 प्रतिशत शौचालयों में निर्धारित मानकों का सही ढंग से पालन नहीं किया गया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों द्वारा पहचाने गए ऐसे कुल 83 शौचालय हैं, जिनका निर्माण अभी तक नहीं किया गया है।
  - वहीं अन्य 200 शौचालयों का निर्माण तो पूरा हो गया है, किंतु वे अभी भी अस्तित्त्वहीन हैं, जबकि 86 शौचालय ऐसे हैं जिनका निर्माण केवल आंशिक रूप से किया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, 691 शौचालय ऐसे हैं, जिन्हें पानी की कमी, टूट-फूट या अन्य कारणों से उपयोग में नहीं लाया जा रहा है।
- सर्वेक्षण में शामिल किये गए 1,967 विद्यालयों में से 99 विद्यालयों में किसी भी प्रकार का शौचालय नहीं है, जबकि 436 विद्यालयों में केवल एक शौचालय है, जिसका अर्थ है कि 27 प्रतिशत स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिये अलग-अलग शौचालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है।
- सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि जहाँ 72 प्रतिशत विद्यालयों में स्वच्छ पानी की उपलब्धता नहीं है, वहीं 55 प्रतिशत में हाथ धोने की कोई सुविधा नहीं थी।
- सर्वेक्षण के अनुसार, सरकारी विद्यालयों में 75 प्रतिशत शौचालय ऐसे हैं जहाँ दिन में कम-से-कम एक बार अनिवार्य सफाई के मानक का पालन नहीं किया जा रहा है।

स्वच्छ विद्यालय अभियान के बारे में

- स्वच्छ विद्यालय अभियान को सितंबर 2014 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) द्वारा लॉन्च किया गया था।

नोट :

- इसका उद्देश्य शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के जनादेश को पूरा करना है, जिसके अनुसार सभी विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों के लिये अलग-अलग शौचालय होने चाहिये।
- छात्रों के व्यवहार को बदलने के लिये स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत यह निर्धारित किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यम (CPSE) स्वच्छ पानी और हाथ धोने की सुविधा के साथ सरकारी विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण करेंगे और तकरीबन तीन से पाँच वर्ष तक उनका रख-रखाव करेंगे।

विद्यालयों में शौचालयों का महत्त्व

- गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि सभी बच्चों को प्रत्येक दिन कम-से-कम छह घंटे विद्यालय में बिताने होंगे। इतनी लंबी अवधि के लिये विद्यालय में रुकने के लिये शौचालय काफी महत्त्वपूर्ण हैं।
  - अधिनियम में यह निर्धारित किया गया है कि सभी विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों के लिये अलग-अलग शौचालय होने अनिवार्य हैं।
- विद्यालय में पानी, स्वच्छता और स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान एक स्वस्थ वातावरण के निर्माण में सहायता करता है और विद्यालय के बच्चों को बीमारी से बचाता है।
  - विदित हो कि स्कूल में मिड-डे मील खाने से पूर्व साबुन से हाथ धोने से काफी आसानी से बीमारियों के संचरण को रोका जा सकता है।
- कई सामाजिक कार्यकर्त्ता मानते हैं कि लड़कियों के लिये अलग शौचालय का अभाव ही उनके विद्यालय छोड़ना का एक बड़ा कारण है। विद्यालय में लड़कियों के लिये एक अलग शौचालय होने से विद्यालय में नामांकन दर में काफी वृद्धि होती है।

आगे की राह

- विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के विकास से संबंधित इस तरह के कार्यक्रमों की सफलता के लिये नियमित निगरानी काफी महत्त्वपूर्ण है।
- फंड, सफाई, स्वच्छता प्रशिक्षण और शौचालयों के रखरखाव आदि के अलावा जवाबदेही तय करने के मुद्दे पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

महिलाओं और अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि-NCRB रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Record Bureau-NCRB) की वार्षिक रूप से प्रकाशित 'भारत में अपराध-2019' (Crime in India-2019) रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी समयावधि में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराधों में भी 7.3 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है।

महिलाओं से संबंधित अपराध के मामले

- वर्ष 2019 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,05,861 मामले दर्ज किये गए। यह संख्या वर्ष 2018 में दर्ज मामलों की संख्या (3,78,236) से 7.3% अधिक थी। प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सर्वाधिक दर असम में दर्ज की गई।
- भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code-IPC) के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के दर्ज मामलों में सर्वाधिक मामले 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' (Cruelty by husband or his relatives) से संबंधित थे। महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल मामलों में इनकी संख्या 30.9% थी।
- इसके पश्चात् 'महिला की शीलता का अपमान करने के उद्देश्य से हमला' (21.8%), अपहरण (17.9%) और बलात्कार (7.9%) से संबंधित महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को दर्ज किया गया।
- NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में प्रति लाख महिलाओं की जनसंख्या पर अपराध के मामलों की दर 62.4 है। इसकी तुलना में वर्ष 2018 में प्रति लाख महिलाओं की जनसंख्या पर अपराध की दर 58.8 थी।
- देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों (59,853) की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या देश में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों के कुल मामलों का 14.7% है। उत्तर प्रदेश के पश्चात् राजस्थान (41,550 मामले; 10.2%) और महाराष्ट्र (37,144 मामले; 9.2%) का स्थान था।

नोट :

- असम में प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 177.8 दर्ज की गई। इस मामले में असम के पश्चात् राजस्थान (110.4) और हरियाणा (108.5) का स्थान आता है।
- राजस्थान में सर्वाधिक बलात्कार के मामले (5,997) दर्ज किये गए हैं। राजस्थान के पश्चात् उत्तर प्रदेश (3,065) और मध्य प्रदेश (2,485) में बलात्कार के मामलों की संख्या सबसे अधिक थी।
- प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के बलात्कार से संबंधित मामलों की दर राजस्थान में सर्वाधिक (15.9) थी। इसके पश्चात् केरल (11.1) और हरियाणा (10.9) सर्वाधिक दर वाले राज्य थे।
- पॉक्सो अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act-POCSO) के तहत बालिकाओं के खिलाफ अपराध के मामलों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई। राज्य में पॉक्सो अधिनियम के तहत बालिकाओं के खिलाफ अपराध के मामलों की संख्या 7,444 थी। इसके बाद महाराष्ट्र (6,402) और मध्य प्रदेश (6,053) का स्थान था।
- प्रति लाख महिलाओं की जनसंख्या पर पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज अपराधों की उच्चतम दर सिक्किम (27.1), मध्य प्रदेश (15.1), और हरियाणा (14.6) में दर्ज की गई।
- उत्तर प्रदेश में प्रति लाख महिलाओं की जनसंख्या पर दहेज़ के मामलों की दर सर्वाधिक (2.2) थी। उत्तर प्रदेश में दहेज़ के कुल 2,410 मामले दर्ज किये गए। उत्तर प्रदेश के पश्चात् बिहार (1,120) का स्थान था। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में 150 'एसिड हमले' (Acid Attacks) के मामले दर्ज किये गए, जिनमें से 42 उत्तर प्रदेश में और 36 पश्चिम बंगाल में हुए।

अनुसूचित जाति से संबंधित अपराध के मामले

- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 के दौरान अनुसूचित जाति (Schedule Cast-SC) के खिलाफ अपराध के रूप में कुल 45,935 मामले दर्ज किये गए।
- अनुसूचित जाति की प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध की दर वर्ष 2018 की 21.2 से बढ़कर वर्ष 2019 में 22.8 हो गई है। वर्ष 2019 में अनुसूचित जाति के खिलाफ हुए अपराध के कुल मामलों में से 28.9% मामले (13,273) साधारण चोटों से संबंधित थे।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत कुल 9.0% (4,129) मामले दर्ज किये गए। इनके अलावा अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के 7.6% मामले (3,486) बलात्कार से संबंधित थे।
- उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध के सबसे अधिक मामले (11,829) दर्ज किये गए हैं। यह देश में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के कुल दर्ज मामलों का 25.8% है। इसके पश्चात् राजस्थान (6,794 मामले; 14.8%) और बिहार (6,544; 14.2%) का स्थान आता है। हालाँकि प्रति लाख जनसंख्या पर ऐसे मामलों की सबसे अधिक दर वाले तीन राज्य राजस्थान (55.6), मध्य प्रदेश (46.7) और बिहार (39.5) थे।
- राजस्थान में दलित महिलाओं के बलात्कार से संबंधित सर्वाधिक मामले (554) दर्ज किये गए। राजस्थान के पश्चात् उत्तर प्रदेश (537) और मध्यप्रदेश (510) का स्थान था। प्रति लाख अनुसूचित जाति की जनसंख्या पर दलित महिलाओं के बलात्कार के मामलों की दर में केरल सबसे आगे था। केरल में यह दर 4.6 थी। केरल के पश्चात् मध्य प्रदेश (4.5) और राजस्थान (4.5) में यह दर सर्वाधिक थी।

आगे की राह

- महिलाओं और अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराधों से संबंधित वर्तमान कानूनों, जैसे-दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम, 1961; बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929; महिलाओं का असुरक्षित प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986; महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा (रोकथाम) अधिनियम, 2005; आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 67; IPC की धारा-354 (शीलता का अपमान करने के इरादे से महिलाओं पर हमला); IPC की धारा-376 (बलात्कार) se; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 आदि को सख्ती से लागू किया जाना चाहिये।
- सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूकता वृद्धि, मामलों की जाँच से संबंधित सामुदायिक निगरानी प्रणाली का विकास, कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित करना आदि प्रयास किये जाने चाहिये।

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

जिबूती आचार संहिता और समुद्री डकैती

चर्चा में क्यों ?

हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत जिबूती आचार संहिता (Djibouti Code of Conduct-DCOC) में बतौर पर्यवेक्षक (Observer) शामिल हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 'जिबूती आचार संहिता (DCOC) में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होकर भारत इसके सदस्य देशों के साथ मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने में योगदान देने के लिये तत्पर है।

भारत के लिये इसके निहितार्थ

- यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब भारत अपनी इंडो-पैसिफिक नीति के तहत हिंद महासागर और इसके आस-पास के क्षेत्रों में अपनी भूमिका को और मज़बूत करने की कोशिश कर रहा है।
- भारत ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ पारस्परिक सैन्य लॉजिस्टिक्स समर्थन समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं, ताकि इन देशों की नौसेनाओं के साथ अंतर-संचालनीयता को बढ़ावा दिया जा सके।
- अगस्त 2017 में जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा बनाने के पश्चात् से ही चीन हिंद महासागर क्षेत्र में तीव्र विस्तार की रणनीति अपना रहा है, ऐसे में चीन की इस विस्तारवादी रणनीति की पृष्ठभूमि में भारत के लिये इस प्रकार के समझौते और कदम काफी महत्त्वपूर्ण हैं।

जिबूती आचार संहिता (DCOC)

- जिबूती आचार संहिता (DCOC) को पश्चिमी हिंद महासागर और अदन की खाड़ी में समुद्री चोरी और सशस्त्र डकैती को रोकने के विषय से संबंधित एक आचार संहिता एक रूप में जाना जाता है।
- पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर में समुद्री जहाज़ों पर होने वाली चोरी और सशस्त्र डकैती का मुकाबला करने के लिये जिबूती आचार संहिता (DCOC) को 29 जनवरी 2009 को अपनाया गया था।
- इस संहिता पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने मुख्य तौर पर निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है:
  - उन लोगों की जाँच करना और गिरफ्तारी करना जिन पर समुद्री जहाज़ों पर चोरी करने अथवा समुद्री डकैती करने का संदेह है, इसमें किसी अन्य व्यक्ति को इस कृत्य के लिये उकसाने वाले और इस कार्य को सुविधाजनक बनाने वाले लोग भी शामिल हैं।
  - संदिग्ध जहाज़ों को रोकना और उस पर मौजूद सामान को ज़ब्त करना।
  - समुद्री चोरी और डकैती से प्रभावित जहाज़ों, व्यक्तियों और संपत्तियों को बचाना और उनकी उचित देखभाल करना तथा साथ ही समुद्री चोरी और डकैती जैसे कृत्यों में बंदी बनाए गए मल्लाहों, मछुआरों, जहाज़ पर नियुक्त कर्मचारियों और यात्रियों आदि का प्रत्यावासन (Repatriation) करना।
- इसके अलावा यह संहिता मुख्यत: चार स्तंभों यथा- (1) समुद्री डकैती को रोकने के संबंध में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रशिक्षण (2) राष्ट्रीय कानून को मज़बूत करना (3) सूचना साझाकरण और समुद्री डोमेन जागरूकता (4) समुद्री डकैती के विरुद्ध क्षमता निर्माण, के तहत संचार, समन्वय और सहयोग के लिये एक रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

नोट :

जेद्दा संशोधन

- वर्ष 2017 में सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित 'जिबूती आचार संहिता' के लिये हस्ताक्षरकर्त्ताओं की एक उच्च-स्तरीय बैठक ने एक संशोधित आचार संहिता को अपनाया है, जिसे जिबूती आचार संहिता में जेद्दा संशोधन के रूप में जाना जाता है।
- जेद्दा संशोधन 'ब्लू इकोनॉमी' (Blue Economy) की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है जिसमें शिपिंग, फिशरीज़ और टूरिज़्म में सतत् आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा, रोज़गार, समृद्धि और स्थिरता का समर्थन करना शामिल है।

समुद्री डकैती की समस्या

- समुद्री डकैती से अभिप्राय किसी जहाज़, व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध निजी प्रयोजनों के लिये की गई हिंसात्मक कार्यवाही से होता है।
- समुद्री क्षेत्रों में व्यापारी जहाज़ों में होने वाली चोरी और समुद्री डकैती की समस्या विश्व शिपिंग क्षेत्र के लिये एक महत्त्वपूर्ण खतरा है।
- कोलाराडो स्थित वन अर्थ फाउंडेशन (One Earth Foundation) की रिपोर्ट के अनुसार, समुद्री डकैती की वजह से दुनियाभर के देशों को प्रतिवर्ष 7 से 12 अरब डॉलर का व्यय करना पड़ता है।
- इसमें डकैतियों के लिये दी जाने वाली फिरौती, जहाज़ों का रास्ता बदलने के कारण हुआ खर्च, समुद्री लुटेरों से लड़ने के लिये कई देशों की तरफ से नौसेना की तैनाती और कई संगठनों के बजट इस अतिरिक्त व्यय में शामिल हैं।

दृष्टि The Vision

नोट :

चर्चा में

हरिकेन सैली Hurricane Sally

13 सितंबर, 2020 को तूफान की श्रेणी 2 (Category 2) के अंतर्गत आने वाला हरिकेन सैली (Hurricane Sally) जिसकी गति 90 मील प्रति घंटा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लुसियाना (Louisiana) के तट से टकराया।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि हरिकेन सैली से लगभग तीन सप्ताह पहले हरिकेन लौरा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लुइसियाना के एक तिहाई से अधिक क्षेत्र को आपदा ग्रस्त क्षेत्र में बदल दिया था।
- हरिकेन सैली के मद्देनज़र संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय तूफान केंद्र (National Hurricane Center- NHC) ने 'जीवन के लिये खतरनाक स्थिति' (Life-threatening Conditions) की चेतावनी जारी की है।
- हरिकेन सैली वर्ष 2020 के अटलांटिक हरिकेन मौसम (Atlantic Hurricane Season) का 7वाँ हरिकेन है।
  - अटलांटिक हरिकेन मौसम की अवधि 1 जून से 30 नवंबर के मध्य होती है और 'नेशनल ओशनिक एंड एटमास्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन' (National Oceanic and Atmospheric Administration- NOAA) के अनुसार, एक औसत हरिकेन मौसम में लगभग 12 हरिकेन आते हैं जिनमें से तीन प्रमुख हरिकेन के साथ छह सामान्य हरिकेन बन जाते हैं।
  - जबकि पूर्वी प्रशांत तट पर हरिकेन मौसम की अवधि 15 मई से 30 नवंबर के मध्य होती है।

हरिकेन का वर्गीकरण:

- हरिकेन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical cyclone) को सैफिर-सिंपसन विंड स्केल (Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale) के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जिसमें हवा की गति के आधार पर 1 से 5 तक की रेटिंग दी जाती है।

एंटी सैटेलाइट मिसाइल (ए- सैट) Anti-Satellite (A-SAT)

15 सितंबर, 2020 को इंजीनियर्स दिवस (Engineers Day) के अवसर पर डाक विभाग द्वारा भारत के पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल (A-SAT) के नाम पर एक स्वनिर्धारित डाक टिकट जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने 27 मार्च, 2019 को ओडिशा के डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप (Dr APJ Abdul Kalam Island) से एंटी-सैटेलाइट (A-SAT) मिसाइल परीक्षण 'मिशन शक्ति' (Mission Shakti) का सफल परीक्षण किया।
- ए-सैट मिसाइल 'लो अर्थ ऑर्बिट' (LEO) में एक 'इंडियन ऑर्बिटिंग टारगेट सैटेलाइट' (Indian Orbiting Target Satellite) है जिसे 'हिट टू किल' मोड ('Hit to Kill' Mode) में शामिल किया गया है।
- डाक टिकट जारी करना भारत की तकनीकी उपलब्धि को दर्शाता है जिसने राष्ट्र को गौरवान्वित किया है।

कलिंगा क्रिकेट फ्रॉग Kalinga Cricket Frog

भारतीय वैज्ञानिकों ने कलिंगा क्रिकेट फ्रॉग (Kalinga Cricket Frog) में 'मॉर्फोलॉज़िकल फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी' (Morphological Phenotypic Plasticity- MPP) की पहली तरह की खोज की सूचना दी है।

नोट :

'मॉर्फोलॉज़िकल फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी' (MPP):

- MPP एक जीव की क्षमता है जो प्राकृतिक पर्यावरणीय विविधताओं या उत्तेजनाओं के प्रतिकार में कठोर रूपात्मक (भौतिक विशेषताएँ) विविधताओं को प्रदर्शित करता है।

कलिंगा क्रिकेट फ्रॉग (Kalinga Cricket Frog):

- इस मेंढक प्रजाति से संबंधित जानकारियों का प्रलेखन वर्ष 2018 में किया गया था।
- इसे 'कलिंगा क्रिकेट फ्रॉग' या KCF या 'फेजेर्वराया कलिंगा' भी कहा जाता है।
- इस प्रजाति को प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी घाट से खोजा गया था। इसे पूर्वी घाट की पहाड़ी श्रृंखलाओं के लिये स्थानिक माना जाता था।
  - पूर्वी घाट में यह प्रजाति ओडिशा और आंध्र प्रदेश की ऊँची-ऊँची पहाड़ी श्रेणियों पर पाई जाती है।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में यह प्रजाति पूरी तरह से पश्चिमी घाट की फेजेर्वराया/मिनेर्वराया प्रजातियों (Fejervaraya/Minervarya) से भिन्न होती हैं।

भौगोलिक क्षेत्र (Geographical Zones):

- भारत में पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट दो अलग-अलग जैव-भौगोलिक क्षेत्र (Biogeographic Zones) हैं।
- पश्चिमी घाट को जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है जबकि पूर्वी घाट के साथ ऐसा नहीं है।
- भूगर्भीय रूप से पश्चिमी घाट अत्यंत प्राचीन हैं और गोंडवानालैंड दक्षिण में वनों को सुविधा प्रदान करता है जबकि पूर्वी घाट अत्यंत नवीन है।
- दोनों परिदृश्यों (पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट) में विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र विद्यमान हैं जिनमें विशेष माइक्रोक्लाइमेट्स (Microclimates) एवं माइक्रोहैबिटेट्स (Microhabitats) हैं जो उभयचर सहित अन्य विविधताओं की एक बड़ी संख्या का समर्थन करते हैं।

ज़ूटाक्सा (Zootaxa):

- इस खोज से संबंधित निष्कर्ष को हाल ही में ज़ूटाक्सा (Zootaxa) जर्नल में प्रकाशित किया गया।

एआईसीटीई विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर्स अवार्ड-2020
AICTE Visvesvaraya Best Teacher Awards-2020

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद' (All India Council for Technical Education-AICTE) से मान्यता प्राप्त संस्थानों के 12 संकाय सदस्यों को प्रथम 'एआईसीटीई विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर्स अवार्ड-2020' (AICTE Visvesvaraya Best Teacher Awards-2020) से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु:

- असाधारण शिक्षकों की पहचान हेतु इस पुरस्कार को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर उच्च तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में डिग्री एवं डिप्लोमा संस्थानों हेतु उत्कृष्टता, उत्तम कार्य व्यवहार एवं नवाचारों को मान्यता देने के लिये प्रस्तुत किया गया है।
- इस पुरस्कार का लक्ष्य प्रत्येक वर्ष इंजीनियर्स दिवस पर राष्ट्रीय स्तर पर मेधावी संकायों की पहचान करना और उन्हें वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा की लगातार बदलती ज़रूरतों के अनुरूप खुद को तैयार करने के लिये प्रोत्साहित करना है जिसके द्वारा वे समाज के लिये एक प्रभावशाली योगदानकर्त्ता बन सकते हैं।
- शोध, 360 डिग्री फीडबैक, छात्र विकास में योगदान एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान की प्राथमिकता के साथ मूल्यांकन के मापदंड़ों के आधार पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- इस पुरस्कार के लिये अंतिम रूप से 12 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। जो निम्नलिखित हैं:

डॉ. प्रशांत पवार (महाराष्ट्र)
डॉ.मालती आर (तमिलनाडु)
डॉ. मोहम्मद यार (नई दिल्ली)

नोट :

डॉ. शैलजा पाटिल (महाराष्ट्र)
डॉ. जानेत जयराज (तमिलनाडु)
डॉ. मनीष कोकारे (महाराष्ट्र)
डॉ. तेजल गाँधी (गुजरात)
डॉ. श्रीपद भातलावंडे (महाराष्ट्र)
डॉ. फारुख अहमद काज़ी (महाराष्ट्र)
डॉ. मनीष शर्मा (छतीसगढ़)
डॉ. जयवंदन पटेल (गुजरात)
डॉ. नंद कुमार माडा (तमिलनाडु)

स्पाइसेज़ (SPICES):

- इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिये उनके बीच सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये 'स्पाइसेज़' (SPICES- Scheme for Promoting Interests, Creativity and Ethics among Students) अर्थात् 'छात्रों के बीच रुचि, रचनात्मकता एवं नैतिकता को बढ़ावा देने के लिये योजना' का भी उद्घाटन किया।

कोसी रेल महासेतु KOSI RAIL MAHASETU

18 सितंबर, 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु (KOSI RAIL MAHA-SETU) राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

प्रमुख बिंदु:

- कोसी रेल महासेतु 1.9 किलोमीटर लंबा है और इसकी निर्माण लागत 516 करोड़ रुपए है।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1887 में निर्माली एवं भापतियाही (सरायगढ़) के बीच एक मीटर गेज लाइन शुरू की गई थी। किंतु वर्ष 1934 में आई भयानक बाढ़ और भारत-नेपाल में आए भूकंप के कारण यह रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी।
- कोसी नदी की प्रकृति (बार-बार अपवाह मार्ग बदलना) के चलते लंबे समय तक इस रेल मार्ग को शुरू किये जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।
- कोसी रेल महासेतु परियोजना के लिये तत्कालीन केंद्र सरकार ने वर्ष 2003-04 में मंज़ूरी दी थी।

महत्त्व:

- भारत-नेपाल सीमा के करीब होने के कारण इस पुल का रणनीतिक महत्त्व भी है।
- कोसी रेल महासेतु से न सिर्फ बिहार का विकास होगा बल्कि इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र से भी संपर्क स्थापित हो सकेगा।

कोसी नदी:

- यह एक सीमापारीय नदी (Trans-Boundary River) है जो तिब्बत, नेपाल एवं भारत से होकर बहती है।
- यह तिब्बत में हिमालय के उत्तरी ढलानों और नेपाल में दक्षिणी ढलानों से होकर बहती है।
- चात्रा गार्ज (Chatra Gorge) के उत्तर में सहायक नदियों के एक प्रमुख संगम से कोसी नदी को अपनी सात ऊपरी सहायक नदियों के लिये सप्तकोशी (Saptakoshi) के नाम से भी जाना जाता है।
  - कोसी नदी की 7 धाराएँ हैं जिनमें अरुणा नदी प्रमुख है।
- सप्तकोशी भारत के उत्तरी बिहार में कटिहार ज़िले के कुर्सेला के पास गंगा में मिलने से पहले कई शाखाओं में बँट जाती है।
- यह नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिये प्रसिद्ध है इसलिये इसे बिहार का शोक कहा जाता है।

नोट :

- कोसी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में विभिन्न ऊँचाइयों पर अलग-अलग छह भू-वैज्ञानिक एवं जलवायु बेल्ट शामिल हैं जिनमें तिब्बत का पठार, हिमालय, हिमालय मध्य-पहाड़ी बेल्ट, महाभारत श्रंखला, शिवालिक पहाड़ी शामिल हैं।

इम्पैक्ट 2020 IMPACT 2020

16-18 सितंबर, 2020 के मध्य पहली बार आयोजित होने वाले ऑनलाइन सम्मेलन सह कार्यशाला 'इम्पैक्ट 2020' (IMPACT 2020) की मेजबानी 'सशस्त्र सेना मेडिकल कॉलेज' (Armed Forces Medical College- AFMC) कर रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- इस तीन दिवसीय सम्मेलन में लेखकों, समीक्षकों एवं संपादकों के विशिष्ट संकाय शामिल होंगे जो चिकित्सा प्रकाशन में समकालीन मुद्दों पर इंटरेक्टिव सत्र आयोजित करेंगे।
- यह सम्मेलन 'मेडिकल जर्नल आर्म्ड फोर्सेज़ इंडिया' (Medical Journal Armed Forces India- MJAFI) द्वारा आयोजित किया जा रहा है जो देश की सबसे पुरानी एवं सबसे बड़ी मल्टी स्पेशलिटी शोध पत्रिकाओं में से एक है।
  - पुणे स्थित AFMC के पोर्टलों से प्रकाशित 'MJAFI' इस वर्ष अपना 76वाँ प्रकाशन संस्करण उत्सव मना रहा है।
  - पिछले 76 वर्षों में यह जर्नल दुनिया भर के शोधकर्त्ताओं द्वारा लेख प्रस्तुत करने के साथ एक अच्छी तरह से अनुक्रमित चिकित्सा प्रकाशन बन गया है।
- IMPACT 2020 के हिस्से के रूप में चिकित्सा लेखन पर कार्यशालाओं, समीक्षा, जैव सांख्यिकी, अनुसंधान में नैतिकता जैसे कई सत्र आयोजित होंगे।
- AFMC के संकाय एवं छात्रों के अलावा देशभर से लगभग 100 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।
- इस सम्मेलन की टैगलाइन 'मेक योर रिसर्च काउंट...' (Make Your Research Count...) है।
- यह सम्मेलन दुनियाभर में अपने शोध को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने एवं चिकित्सा पद्धति व नीतियों को बदलने हेतु वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिये चिकित्सा क्षेत्र में वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।

'सशस्त्र सेना मेडिकल कॉलेज' (Armed Forces Medical College- AFMC):

- AFMC, भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे में एक मेडिकल कॉलेज है। इस कॉलेज का प्रबंधन भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया जाता है।
- इसे मई, 1948 में बीसी रॉय समिति (BC Roy Committee) की सिफारिश पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था।
- AFMC की स्नातक विंग (Undergraduate Wing) को 4 अगस्त, 1962 को स्थापित किया गया था।

'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये प्राध्यापकों के विकास' पर एक वेबिनार
A Webinar on 'Faculty Development for Quality Education'

15 सितंबर, 2020 को शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक पर्व (Shikshak Parv) पहल के तहत 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये प्राध्यापकों के विकास' पर एक वेबिनार का आयोजन किया।

प्रमुख बिंदु:

- नई शिक्षा नीति (NEP) के मद्देनज़र शिक्षकों की भूमिकाओं एवं ज़िम्मेदारियों को प्रतिबिंबित करने तथा संकाय के क्षमता विकास एवं कैरियर प्रगति के विभिन्न पहलुओं को समझने के उद्देश्य से इस वेबिनार का आयोजन किया गया।
- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति-2020 को आगे बढ़ाने के लिये 8 सितंबर से 25 सितंबर, 2020 तक शिक्षक पर्व मना रहा है।

नोट :

एक राष्ट्रीय वेबिनार:

- 16 सितंबर, 2020 को शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक पर्व पहल के तहत राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC), नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS) एवं उन्नत भारत अभियान (UBA) के वॉलंटियर्स के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया।
- इस वेबिनार में देशभर से राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र संगठन एवं उन्नत भारत अभियान के वॉलंटियर्स भी वर्चुअल माध्यमों से शामिल हुए।
- इस वेबिनार के आयोजन पर एक हैंडबुक 'नई शिक्षा नीति- 2020 की सूचनाओं के प्रसार के लिये NSS, NCC, NYKS एवं UBA वॉलंटियर्स के लिये वेब रिसोर्स' (Web Resources for NSS, NCC, NYKS and UBA Volunteers for Dissemination of Information on New Education Policy 2020) का प्रकाशन भी किया गया।

जी 20 देशों की पर्यावरण मंत्रिस्तरीय बैठक (ईएमएम)
Environment Ministerial Meeting (EMM) of the G20 Countries

16 सितंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सऊदी अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में जी-20 देशों की पर्यावरण मंत्रिस्तरीय बैठक (Environment Ministerial Meeting- EMM) आयोजित हुई।

प्रमुख बिंदु:

- इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं वन मंत्री ने भारत के राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम (National Coastal Mission Programme) द्वारा किये गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। जिसके तहत भारत सरकार ने देश में कोरल रीफ के संरक्षण के लिये कई कदम उठाए हैं।
  - उन्होंने भू-क्षरण रोकने तथा जलवायु परिवर्तन शमन एवं अनुकूलन के वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये भारत के प्रयासों को भी साझा किया।

राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम (National Coastal Mission Programme):

- इस मिशन की परिकल्पना 'जलवायु परिवर्तन के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना' (National Action Plan on climate change) के तहत की गई है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल तटीय पर्यावरण का संरक्षण करना बल्कि विकास को बढ़ावा देना, राजस्व उत्पन्न करना और रोज़गार प्रदान करना है।
- राष्ट्रीय तटीय मिशन में आईसीजेडएम परियोजना (ICZM Project) के सभी चरण शामिल किये गए हैं।
  - भारत सरकार ने तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिये वर्ष 2010 में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (Integrated Coastal Zone Management Project- ICZM Project) शुरू की है।

भू-क्षरण कम करने के लिये वैश्विक पहल
(Global Initiative on Reducing Land Degradation):

- इस वैश्विक पहल का उद्देश्य G-20 सदस्य देशों में भू-क्षरण को रोकने की मौजूदा कार्य योजना पर कार्य करना है।
- इसके अलावा वैश्विक स्तर पर सतत् विकास के लक्ष्य व एसडीजी की उपलब्धि पर संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अन्य किसी को नुकसान न पहुँचाने के सिद्धांत का पालन करने के लिये मौजूदा ढाँचे के कार्यान्वयन को मज़बूत करना है।

वैश्विक कोरल रीफ अनुसंधान एवं विकास में वृद्धि का मंच
(Global Coral Reef R&D Accelerator Platform):

- यह एक अभिनव पहल है जिसका उद्देश्य वैश्विक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम तैयार करना है जो कोरल रीफ संरक्षण, पुनर्स्थापन एवं अनुकूलन के सभी पहलुओं में अनुसंधान, नवाचार एवं क्षमता निर्माण को गति देकर इस दिशा में किये गए प्रयासों को मज़बूत करता हो।

नोट :

- इसके अलावा इस पहल का उद्देश्य कोरल रीफ के संरक्षण एवं उनके नुकसान को रोकने के लिये किये गए उपायों एवं प्रतिबद्धताओं को मज़बूती प्रदान करना है।

संयुक्त राज्य अमेरिका का 'राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह' 'National Hispanic Heritage Month' of USA

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह (National Hispanic Heritage Month) की शुरुआत हुई। यह वार्षिक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर से 15 अक्तूबर तक मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह में उन अमेरिकी नागरिकों के इतिहास, संस्कृति एवं योगदान का सम्मान किया जाता है जिनके पूर्वज स्पेन, मैक्सिको, कैरिबियन और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका से आए थे।
- इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1968 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन (Lyndon Johnson) द्वारा 'हिस्पैनिक विरासत सप्ताह' (Hispanic Heritage Week) के रूप में की गई थी।
  - वर्ष 1988 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन (Ronald Reagan) द्वारा इस कार्यक्रम की अवधि को बढ़ाकर एक माह कर दिया गया था। वर्ष 1988 में ही इस कार्यक्रम को कानूनी रूप में मान्यता मिली।

संयुक्त राज्य अमेरिका में हिस्पैनिक:

- हिस्पैनिक अमेरिकी (Hispanic Americans) वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल आबादी का पाँचवा हिस्सा है।
- इस समूह में अधिकांश लोग मैक्सिकन मूल के हैं, इसके बाद पोर्टो रीको (Puerto Rico) के हैं।
- इस समुदाय को हिस्पैनिक, लैटिनो या लैटिनएक्स के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि ये 'शब्द' लोगों की जाति/प्रजाति पर विचार किये बिना व्यक्ति की उत्पत्ति या संस्कृति को संदर्भित करते हैं।

महत्त्व:

- इस कार्यक्रम की शुरुआत सितंबर महीने के मध्य से होती है क्योंकि 15 सितंबर का दिन लैटिन अमेरिकी इतिहास के लिये अति महत्त्वपूर्ण है।
  - उल्लेखनीय है कि 15 सितंबर, 1821 में कोस्टा रिका, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास एवं निकारागुआ को स्पेन से स्वतंत्रता मिली थी।
- वर्ष 1810 में स्पेनिश शासन से 16 सितंबर एवं 18 सितंबर को क्रमश: मेक्सिको और चिली स्वतंत्र हुए थे।
- अमेरिकी महाद्वीप में स्थित एक राष्ट्र बेलीज़ (Belize) भी 21 सितंबर, 1981 को ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ।
- कोलंबस दिवस (Columbus Day) या दिया डे ला राज़ा (Día de la Raza), नामक एक सांस्कृतिक उत्सव जो 30 दिन तक मनाया जाता है, की शुरुआत 12 अक्तूबर से होती है।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees' State Insurance Corporation- ESIC) ने हाल में बेरोज़गार हुए ESIC लाभार्थी सदस्यों को विस्तारित अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana) के अंतर्गत आवेदन के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि श्रम एवं रोज़गार मंत्री की अध्यक्षता में ESIC ने अटल बीमित कल्याण योजना का 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021 यानी 1 वर्ष के लिये और विस्तार करने का निर्णय किया है।

नोट :

- COVID-19 महामारी के मद्देनज़र लॉकडाउन के कारण अपना रोज़गार गँवाने वालों का बेरोज़गारी राहत भत्ता भी बढ़ाकर 50% करने का फैसला किया गया है जो पहले 25% था।
  - बेरोज़गारी राहत भत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया जो पहले जटिल थी, को भी आसान करने का निर्णय लिया गया है।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana):

- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का प्रारंभ 1 जुलाई, 2018 को किया गया था।
- इस योजना के तहत बीमित व्यक्तियों को बेरोज़गारी की दशा में नकद मुआवजा प्रदान किया जाता है।
- इस योजना का कार्यान्वयन 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम' (ESIC) द्वारा किया जा रहा है।
  - वर्तमान में ESIC 3.49 करोड़ परिवारों को लाभ एवं सेवाएँ उपलब्ध करा रहा है और 13.56 करोड़ लाभार्थियों को नकद लाभ तथा सस्ती दर पर चिकित्सा देखभाल सेवाएँ उपलब्ध करा रहा है।
- इस योजना को प्रारंभ में दो वर्ष के लिये पायलट आधार पर शुरू किया गया था।

एकीकृत वस्त्र पार्क योजना Scheme for Integrated Textile Park

भारत सरकार 'एकीकृत वस्त्र पार्क योजना' (Scheme for Integrated Textile Park- SITP) की शुरुआत कर रही है, यह योजना कपड़ा इकाइयों की स्थापना के लिये विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिये सहायता प्रदान करती है।

प्रमुख बिंदु:

- इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा परियोजना लागत का 40% तक का अनुदान दिया जाता है और कुछ विशेष राज्यों जैसे- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की पहली दो परियोजनाओं (प्रत्येक) के लिये परियोजना लागत का 90% तक का अनुदान देती है जिसमें प्रत्येक टेक्सटाइल पार्क के लिये 40 करोड़ रुपए की धनराशि सुनिश्चित की गई है।
- स्थानीय उद्योग, वित्तीय संस्थानों, राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना निगमों और केंद्र एवं राज्य सरकारों के वे संगठन जो कंपनी अधिनियम के तहत एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में पंजीकृत हैं, के प्रतिनिधियों द्वारा गठित विशेष प्रयोज्य वाहन (SPV) अपने प्रस्ताव को सीधे मंत्रालय को विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।
  - इस प्रकार SITP एक मांग संचालित योजना है।
- इसके अतिरिक्त, कपड़ा मंत्रालय द्वारा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव चर्चा के चरण में है।
- कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए कार्यक्रमों का विवरण और कपड़ा निर्माण श्रमिकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन को नीचे दर्शाया गया है:
  - बुनाई और बुना हुआ कपड़ा क्षेत्र (Knitting and Knitwear Sector): बुनाई एवं बुना हुआ कपड़ा समूहों में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिये एक अलग योजना शुरू की है जो लुधियाना, कोलकाता एवं तिरुपुर में बुनाई एवं बुना हुआ कपड़ा क्लस्टर में उत्पादन बढ़ाती है।
  - संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (Amended Technology Up-gradation Fund Scheme- ATUFS): भारत सरकार वर्ष 2016-2022 के दौरान 17,822 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु कपड़ा उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (ATUFS) लागू कर रही है।
    - इससे वर्ष 2022 तक कपड़ा क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और 35.62 लाख रोज़गार सृजित होने की संभावना है।
  - राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (National Handicrafts Development Programme- NHDP) एवं व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजनाएँ (Comprehensive Handicraft Cluster Development Schemes) का उद्देश्य डिज़ाइन, प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन, बुनियादी ढाँचे के विकास, बाज़ार समर्थन आदि पर सहायता प्रदान करके एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से हस्तशिल्प समूहों का समग्र विकास करना है।

नोट :

- पॉवरटेक्स इंडिया (PowerTex India): पावरलूम क्षेत्र के लिये एक व्यापक योजना जिसमें पावरलूम अपग्रेडेशन, बुनियादी ढाँचा निर्माण, ऋण के लिये रियायती पहुँच आदि से संबंधित घटक शामिल हैं।
- सिल्क समग्र (Silk Samagra): यह अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मूल संगठन एवं समन्वय, बाज़ार विकास, गुणवत्ता प्रमाणन एवं निर्यात के घटकों के साथ रेशम उद्योग के विकास के लिये एक एकीकृत योजना है।
- उत्तर-पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्द्धन योजना (North East Region Textile Promotion Scheme- NERTPS): इस योजना का उद्देश्य कपड़ा उद्योग से संबंधित सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे, क्षमता निर्माण एवं विपणन सहायता प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना है।

सौर चक्र 25 Solar Cycle 25

15 सितंबर, 2020 को नासा (NASA) और 'नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन' (National Oceanic and Atmospheric Administration- NOAA) ने संयुक्त रूप से एक सहमति पत्र जारी किया जिसमें सौर चक्र 25 (Solar Cycle 25) के शुरू होने की घोषणा की गई।

प्रमुख बिंदु:

- हमारे सौर मंडल को विनियमित करने वाले तारे के रूप में सूर्य की गतिविधियाँ पृथ्वी एवं समग्र अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करती हैं।

सौर चक्र (Solar Cycle):

- पृथ्वी पर मौसम की तरह, सूर्य भी 11 वर्ष के चक्र का अनुसरण करता है जिस दौरान सौर गतिविधियों में सोलर मिनिमा (Solar Minima) और सोलर मैक्सिमा (Solar Maxima) के बीच उतार-चढ़ाव होता है।
  - सूर्य पर पाए जाने वाले सूर्य धब्बों (Sunspots) की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक इसे सौर मैक्सिमा (उच्चतम सूर्य धब्बे) या सौर मिनिमा (सबसे कम सूर्य धब्बे) कहते हैं।
  - सूर्य धब्बे छोटे एवं गहरे होते हैं, ये सौर सतह पर ठंडे क्षेत्रों का निर्माण करते हैं जहाँ मज़बूत चुंबकीय बल विद्यमान होता है।
  - ये सूर्य के उच्च अक्षांशों पर दिखाई देते हैं और बाद में सौर चक्र की प्रगति के साथ सूर्य के मध्य भाग की ओर खिसक जाते हैं।
- संक्षेप में जब सूर्य सक्रिय होता है तो कम सक्रिय चरण (Lesser Active Phase) के दौरान कम सूर्य धब्बों की तुलना में अधिक सूर्य धब्बे होते हैं।
- सोलर मिनिमा (Solar Minima) और सोलर मैक्सिमा (Solar Maxima) 11 वर्ष के चक्र मंr एक विशिष्ट अवधि नहीं है किंतु एक ऐसी अवधि है जो कुछ वर्षों तक रह सकती है।

सौर चक्र कैसे निर्धारित होते हैं?

- एक नया सौर चक्र तब शुरू होता है जब सूर्य अपने न्यूनतम संभव मिनिमा फेज़ (Lowest Possible Minima Phase) में पहुँच जाता है। जब भी सौर चक्र बदलता है सूर्य का चुंबकीय ध्रुव उल्टा हो जाता है।
- चूँकि सूर्य एक अत्यधिक परिवर्तनशील तारा है इसलिये सूर्य धब्बों के निर्माण एवं उनकी प्रगति के आँकड़ों पर कड़ी निगरानी की ज़रूरत होती है।
  - छह से आठ महीने के डेटा की पुष्टि करने के लिये यह आवश्यक है कि क्या सूर्य एक मिनिमा फेज़ से गुजर चुका है।
- परंपरागत रूप से वर्ष 1755 के बाद से टेलीस्कोप का उपयोग सूर्य धब्बों को रिकॉर्ड करने के लिये किया गया था। किंतु हाल के दशकों में प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, उपग्रहों का उपयोग रियल टाइम सूर्य धब्बों के अवलोकन में किया जाता है।
  - इस आधार पर वैज्ञानिकों ने सौर चक्र 24 (Solar Cycle 24) के समाप्त होने की घोषणा की जिसकी अवधि दिसंबर, 2008 से दिसंबर, 2019 तक थी।
- दो सौर चक्रों के बीच सूर्य की गतिविधियाँ के अपने न्यूनतम मिनिमा फेज़ तक पहुँचने के साथ अब नया सौर चक्र 25 (Solar Cycle 25) शुरू हो गया है।

नोट :

सौर चक्रों 24 और 25 के बीच संक्रमण (Transition between Solar Cycles 24 and 25):

- वर्ष 2019 और वर्ष 2020 की शुरुआत में सूर्य की गतिविधियाँ काफी कम थीं। वर्ष 2019 में अंतिम 281 दिनों के लिये और वर्ष 2020 में शुरुआती 181 दिनों के लिये कोई सूर्य धब्बे (Sunspots) नहीं थे।
  - दिसंबर 2019 के बाद से सौर गतिविधियों में धीरे-धीरे वृद्धि हुई और नए सौर चक्र की शुरुआत की पुष्टि की गई।
- शोधकर्त्ताओं ने सौर चक्र 25 को एक कमज़ोर सौर चक्र बताया है जिसकी तीव्रता सौर चक्र 24 के ही समान है।
  - यह औसत से भी नीचे का सौर चक्र है किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि अंतरिक्ष में चरम सौर मौसम का कोई खतरा नहीं है। उग्र सौर विस्फोट कभी भी हो सकता है।
  - वर्ष 1755 के बाद से सौर चक्र 24 तीव्रता में चौथा सबसे छोटा सौर चक्र था। अप्रैल, 2014 में यह चक्र जब अपने चरम पर था तब सौर धब्बों की सबसे अधिक संख्या 114 थी जबकि औसत संख्या 179 होनी चाहिये।
  - पूर्वानुमान से पता चलता है कि जुलाई, 2025 में सौर चक्र 25 अपने चरम पर होगा और तब सौर धब्बों की संख्या लगभग 115 होगी।

पृथ्वी पर कौन-सी सौर गतिविधियाँ हमें प्रभावित करती हैं?

- सौर गतिविधियों में सौर फ्लेयर्स, सौर ऊर्जावान कण, उच्च गति वाली सौर हवा और कोरोनल मास इज़ेक्शंस (Coronal Mass Ejections- CME) शामिल हैं। ये अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करती हैं जो सूर्य से उत्पन्न होती हैं।
  - 500 किमी./सेकंड की गति से यात्रा करने वाले कोरोनल मास इज़ेक्शंस (CME) पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर (Earth's Magnetosphere) में गड़बड़ी पैदा करते हैं। जो पृथ्वी के आसपास सुरक्षा कवच का कार्य करता है।
  - अंतरिक्ष यात्रा के दौरान यात्रियों को पृथ्वी के सुरक्षात्मक वातावरण के बाहर सौर विकिरण के संपर्क में आने से स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ता है।
- सौर तूफान या फ्लायर आमतौर पर जीपीएस, रेडियो एवं उपग्रह संचार जैसे अंतरिक्ष-निर्भर संचालन को प्रभावित कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त ये वायुयान संचालन, पावर ग्रिड एवं अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम में भी बाधा उत्पन्न करते हैं।

विश्व बांस दिवस World Bamboo Day

18 सितंबर, 2020 को विश्व बांस दिवस (World Bamboo Day) के अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने बेंत एवं बाँस प्रौद्योगिकी केंद्र (Cane and Bamboo Technology Centre- CBTC) तथा भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry- CII) द्वारा आयोजित बाँस वेबिनार को संबोधित किया।

प्रमुख बिंदु:

- इस अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने कहा कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन किया गया है ताकि घरेलू बांस को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जा सके।
  - इसके माध्यम से लोगों की आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।
- भारत सरकार ने कच्चे बांस की वस्तुओं पर आयात शुल्क 25% बढ़ाया है।
  - भारत सरकार के इस निर्णय से घरेलू बांस उद्योगों जैसे फर्नीचर, हस्तशिल्प एवं अगरबत्ती बनाने में बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी और भवन निर्माण सामग्री के लिये बांस के उपयोग को बढ़ावा भी मिलेगा।
- जम्मू क्षेत्र में कटरा, जम्मू एवं सांबा कस्बों में बांस की टोकरी, अगरबत्ती एवं बांस चारकोल बनाने के लिये तीन बांस क्लस्टर विकसित किये जाएंगे जो लगभग 25000 लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर प्रदान करेंगे।
  - इसके अतिरिक्त जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन द्वारा भूमि आवंटन के दो वर्ष के भीतर ही जम्मू के पास एक मेगा बांस औद्योगिक पार्क और बांस प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जाएगा।

विश्व बांस दिवस (World Bamboo Day) पृष्ठभूमि:

- विश्व स्तर पर विश्व बांस दिवस प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है।
- यह दिन बांस के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने और रोज़मर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिये मनाया जाता है।

नोट :

थीम:

- विश्व बांस दिवस-2020 (WBD-2020) की थीम 'BAMBOO Now' है।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2009 में बैंकाक (थाईलैंड) में आयोजित 8वीं विश्व बांस कॉन्ग्रेस (World Bamboo Congress) में विश्व बांस संगठन (World Bamboo Organization) ने आधिकारिक रूप से 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस (WBD) मनाए जाने की घोषणा की।

विश्व बांस संगठन (World Bamboo Organization):

- विश्व बांस संगठन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण की रक्षा के लिये स्थायी उपयोग सुनिश्चित करने हेतु दुनिया भर के क्षेत्रों में नए उद्योगों के लिये बांस की खेती को बढ़ावा देना साथ ही सामुदायिक आर्थिक विकास के लिये स्थानीय रूप से पारंपरिक उपयोगों को बढ़ावा देना है।
- विश्व बांस संगठन (World Bamboo Organization) की स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय एंटवर्प (बेल्जियम) में है।

ब्लू फ्लैग Blue Flag

भारत के आठ समुद्र तटों को प्रतिष्ठित 'ब्लू फ्लैग' (Blue Flag) अंतर्राष्ट्रीय ईको-लेबल के लिये अनुशंसित किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 1986 के बाद से 100 देशों में मनाए गए 'इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन-अप डे' (International Coastal Clean-Up Day) की पूर्व संध्या पर बोलते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने बताया कि पहली बार ब्लू फ्लैग प्रमाणन (Blue Flag Certification) के लिये भारत के आठ तटों की सिफारिश की गई है।

ब्लू फ्लैग प्रमाणन (Blue Flag Certification):

- ब्लू फ्लैग प्रमाणन, विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको-लेबल है जो एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी 'फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, डेनमार्क' (Foundation for Environment Education, Denmark) द्वारा प्रदान किया जाता है।
  - यह चार प्रमुख घटकों- पर्यावरण शिक्षा एवं सूचना, नहाने वाले जल की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण और सुरक्षा एवं सेवाओं में 33 कठोर मानदंडों के आधार पर प्रदान किया जाता है।

'ब्लू फ्लैग' (Blue Flag):

- 'ब्लू फ्लैग' समुद्र तटों का एक ईको-टूरिज़्म मॉडल है जो समुद्र तट के पर्यटकों को नहाने के लिये स्वच्छ जल, सुविधाओं, सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के साथ क्षेत्र के सतत् विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
- भारत ने एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (ICZM) परियोजना के तहत अपना इको-लेबल 'बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विस' (Beach Environment and Aesthetics Management Services- BEAMS) की भी घोषणा की है।
  - भारत सरकार ने तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिये वर्ष 2010 में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (Integrated Coastal Zone Management Project- ICZM Project) शुरू की है।
- BEAMS के तहत सुझाए गए आठ समुद्र तटों में गुजरात में शिवराजपुर, दमन एवं दीव में घोघला और कर्नाटक में कासरकोड एवं पदुबिद्री (Padubidri), केरल में कप्पड़, आंध्र प्रदेश में रूशीकोंडा, ओडिशा में गोल्डन और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में राधा नगर शामिल हैं।

नोट :

समर्थ योजना Samarth Scheme

भारत सरकार का कपड़ा मंत्रालय, कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिये समर्थ योजना (Samarth Scheme) का क्रियान्वयन कर रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- यह एक प्लेसमेंट उन्मुख कार्यक्रम है जो संगठित क्षेत्र में कताई एवं बुनाई को छोड़कर, वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य शृंखला में 10 लाख युवाओं के कौशल विकास को लक्षित करता है।
- समर्थ योजना की कुछ उन्नत सुविधाओं में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (Training of Trainers), आधार सक्षम बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (Aadhar Enabled Biometric Attendance System- AEBAS), प्रशिक्षण कार्यक्रम की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, हेल्पलाइन नंबर के साथ समर्पित कॉल सेंटर, मोबाइल एप आधारित प्रबंधन प्रणाली (MIS) और प्रशिक्षण प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी शामिल हैं।
- समर्थ योजना के तहत 18 राज्य सरकारों को पारंपरिक एवं संगठित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिये 3.6 लाख लाभार्थियों का प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किया गया है।
  - इसके अतिरिक्त कपड़ा मंत्रालय ने संगठित क्षेत्रों में उद्योग उन्मुख प्रवेश स्तर के कौशल कार्यक्रमों के उपक्रम के लिये उद्योग/उद्योग संघों की प्रक्रिया शुरू की।
  - प्रवेश स्तर के कौशल (Entry level skilling) के तहत कुल 76 उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया है और 1.36 लाख लाभार्थियों का प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किया गया है।
  - इसके अतिरिक्त अपस्किलिंग कार्यक्रम (Upskilling Programme) के लिये 44 उद्योगों को 30,000 लाभार्थियों का प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किया गया है।
- भारत सरकार ने 1300 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ समर्थ योजना को मंज़ूरी दी थी।

बायोटेक-कृषि नवाचार विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क
Biotech-Krishi Innovation Science Application Network

पिछले 3 वर्षों के दौरान बायोटेक किसान कार्यक्रम/बायोटेक-कृषि नवाचार विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क (Biotech-Krishi Innovation Science Application Network) कार्यक्रम के माध्यम से कृषि में जैव-प्रौद्योगिकी के प्रयोग सहित जैविक कृषि को समर्थन देने के लिये 310 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- बायोटेक-किसान कार्यक्रम नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों को किसानों तक पहुँचाने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम को आकांक्षी ज़िलों सहित पूरे देश में समर्थन दिया गया है।
- भारत सरकार कृषि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जिसमें जैविक कृषि शामिल है, प्रतिस्पर्द्धी अनुसंधान एवं विकास तथा प्रदर्शन गतिविधियों के लिये अनुसंधान संस्थानों, केंद्रीय तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को समर्थन देती है।

एकीकृत जैव प्रौद्योगिकी मानव संसाधन विकास कार्यक्रम:

- भारत सरकार ने बायोटेक्नोलॉजी विभाग (Department of Biotechnology-DBT) के माध्यम से कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने के लिये एक एकीकृत जैव प्रौद्योगिकी मानव संसाधन विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया है।
- कुशल तथा प्रशिक्षित जनशक्ति के लिये प्रमुख कार्यक्रमों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम, डीबीटी-जूनियर रिसर्च फेलोशिप कार्यक्रम, डीबीटी-रिसर्च एसोसिएटशिप तथा डीबीटी-जैव प्रौद्योगिकी उद्योग प्रशिक्षण कार्यक्रम (एप्रेंटिसशिप) आदि शामिल हैं।

नोट :

बायोटेक किसान कार्यक्रम:

- बायोटेक-किसान योजना एक किसान केंद्रित योजना है।
- इसका मुख्य उद्देश्य छोटे जोत वाले किसानों की व्यक्तिगत समस्याओं को समझना एवं उनका समाधान बताना है।
- यह एक पैन-इंडिया कार्यक्रम है जो किसानों (पुरुष एवं महिला) को सशक्त बनाने के लिये उद्यमशीलता एवं नवाचार को प्रोत्साहित करता है।
- बायोटेक-किसान कार्यक्रम द्वारा किसानों (पुरुष एवं महिला) में स्थानीय कृषि नेतृत्त्व को पहचानने और बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - इस तरह के नेतृत्त्व से ज्ञान के हस्तांतरण की सुविधा के अलावा विज्ञान आधारित खेती को विकसित करने में मदद मिलती है।
- इसे भारत के 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, ताकि स्थानीय किसानों की समस्या को समझकर नई तकनीकों को खेती से जोड़ा जा सके।
- अब तक विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में कुल 8 बायोटेक-किसान हब स्थापित किये गए हैं।

वैभव शिखर सम्मेलन Vaibhav Summit

2 अक्तूबर, 2020 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन (VAIshwik BHAratiya Vaigyanik Summit- VAIBHAV Summit) का उद्घाटन करेंगे।

वैभव शिखर सम्मेलन के बारे में:

- यह प्रवासी भारतीय एवं देश के वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है।
- महीने भर तक चलने वाले इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन तरीके से शोधकर्त्ताओं के बीच विचार-विमर्श सत्र आयोजित किये जाएंगे।
- चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल होंगे: क्वांटम प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग, संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटेशनल एवं डेटा विज्ञान तथा एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी आदि।

वैभव शिखर सम्मेलन का उद्देश्य:

- उभरती चुनौतियों को हल करने हेतु वैश्विक भारतीय शोधकर्त्ताओं की विशेषज्ञता एवं ज्ञान का लाभ उठाने के लिये एक व्यापक रोडमैप तैयार करना।
- भारत में शिक्षाविदों एवं वैज्ञानिकों के साथ सहभागिता तथा सहकारी साधनों के बारे में गहराई से चिंतन करना।
- ग्लोबल आउटरीच के माध्यम से देश में ज्ञान एवं नवाचार का एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।

वैभव शिखर सम्मेलन के आयोजक:

- यह शिखर सम्मेलन विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा शैक्षणिक संगठनों का एक संयुक्त प्रयास है जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) शामिल हैं।

महत्त्व:

- भारत में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिये वैभव शिखर सम्मेलन अटल इनोवेशन मिशन (AIM) में एक नया आयाम जोड़ेगा।
- यह शिखर सम्मेलन नई शिक्षा नीति के साथ संरेखण में भारत में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिये प्रवासी भारतीयों के सक्रिय समर्थन और विचार विमर्श को बढ़ावा देगा।
- विश्व के विभिन्न देशों में कार्य कर रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिक, शोधकर्त्ता एवं शिक्षाविद अपने वैश्विक दृष्टिकोण एवं अनुभव के साथ 'आत्मनिर्भर भारत' पहल में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

नोट :

काकतीय वंश Kakatiya Dynasty

वर्तमान आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के पास धारानिकोटा (Dharanikota) में काकतीय राजवंश (Kakatiya Dynasty) के एक शासक 'गणपति देव' (Ganapati Deva) द्वारा निर्मित एक मंदिर को स्थानीय देवी बालूसुलाम्मा (Balusulamma) अर्थात् देवी दुर्गा के मंदिर में बदल दिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- 13वीं शताब्दी का यह मंदिर पीठासीन देवी 'काकती देवी' (Kakati Devi) से संबंधित था जो काकतीय शासकों की कुलदेवी थी।
- गणपति देव पहले राजा हैं जिन्होंने अपने राज्य की सीमा के बाहर और आंध्र के तटीय क्षेत्र में काकती देवी की पूजा की थी। बाद में इस निवास स्थान को गणपति देव की बेटी गणपम्बा (Ganapamba) के संरक्षण में विकसित किया गया था।

मूर्ति की विशेषता:

- इस मंदिर से प्राप्त मूर्ति में काकती देवी आठ भुजाओं के साथ पद्मासन की मुद्रा में विराजमान हैं। इस मूर्ति की शारीरिक विशेषताओं में अंडाकार चेहरा, पतले गाल, विस्तृत खुली आँखें, लंबी नाक और बंद होंठ शामिल हैं।
- काकतीय वंश की यह सबसे दुर्लभ एवं अनोखी मूर्ति है जो विशिष्ट कुल देवी को संदर्भित करती है।

मंदिर की विशेषता:

- मंदिर की छतों को कमल के फूलों से सजाया गया है किंतु मंदिर के शीर्ष पर कोई शिखर नहीं है।
- काकतीय वंश का मूल क्षेत्र जहाँ हनुमानकोंडा एवं वारंगल किले आदि अवस्थित हैं, में पाई जाने वाली स्थापत्यकला से काकती मंदिर वास्तुकला विशेषताएँ पूरी तरह से समान हैं।
- वर्तमान में काकती देवी की मूर्ति को मंदिर के दक्षिणी तरफ एक छोटे से स्थान पर रखा गया है जिसे स्थानीय रूप से गोल्लाभामा गुड़ी (Gollabhama Gudi) के नाम से जाना जाता है।

मंदिर सर्वेक्षण परियोजना (Temple Survey Project):

- काकतीय राजवंश के दौरान विकसित हुए भव्य मंदिरों की खोज एवं स्थापत्यकला का सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की मंदिर सर्वेक्षण परियोजना के तहत किया जा रहा है, इस परियोजना के तहत पुरातत्वविदों ने कृष्णा नदी के तट पर इस विशिष्ट मंदिर (काकती देवी मंदिर) की खोज की।

वारंगल का काकतीय राजवंश (12वीं -14वीं शताब्दी तक):

- प्रोला-II (Prola-II) नामक काकतीय शासक ने चालुक्यों को हराकर कृष्णा एवं गोदावरी नदी के मध्य के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और हनुमाकोंडा को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया।
- प्रतापरुद्र-I (Prataparudra-I), प्रोला-II का पुत्र था जिसने अपनी राजधानी को वारंगल स्थानांतरित किया।
- गणपति देव, काकतीय राजवंश का महान शासक था। जिसने चोलों से कांची तक के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। उसने कलिंग एवं पश्चिमी आंध्र क्षेत्र पर भी आक्रमण किया।
- गणपति देव के बाद उसकी पुत्री रुद्रमा ने कुछ वर्षों तक शासन किया।
- 1309 ईस्वी में मलिक काफूर ने प्रतापरुद्र-II (Prataparudra-II) के शासन के दौरान वारंगल पर आक्रमण किया।

न्यूट्रास्युटिकल बैम्बू शूट Nutraceutical Bamboo Shoot

विशेषज्ञों के अनुसार, बैम्बू शूट (Bamboo Shoot) में न्यूट्रास्यूटिकल (Nutraceutical) गुण पाए जाते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- न्यूट्रास्यूटिकल (Nutraceutical) शब्द का इस्तेमाल औषधीय या पौष्टिक रूप से प्रकार्यात्मक खाद्य पदार्थों का वर्णन करने के लिये किया जाता है।

नोट :

- बैम्बू शूट (Bamboo shoots) या अंकुरित बाँस (Bamboo Sprouts), बाँस के सुपाच्य नए अंकुरित बेंत होते हैं जो मिट्टी की सतह के नीचे ही निर्मित होते हैं।
- बैम्बू शूट (Bamboo shoots) उच्च-मूल्य एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ के रूप में उभर रहे हैं और ये वायरल हमलों के लिये मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिये सबसे सस्ती इम्युनिटी बूस्टर का कार्य भी करते हैं।
- ताज़े बैम्बू शूट में प्रोटीन की मात्रा 1.49-4.04% के बीच हो सकती है। इसमें 17 अमीनो एसिड भी होते हैं जिनमें से 8 मानव शरीर के लिये आवश्यक हैं।

COVID-19 के लिये उपयोगी:

- COVID-19 से निपटने के लिये फिलीपींस के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किये गए नए रोगाणुरोधी साबुनों (Antimicrobial Soaps) एवं हैंड मिस्ट्स (Hand Mists) में बाँस एक प्रमुख घटक रहा है।

बैम्बू शूट का वैश्विक बाज़ार:

- इसका वर्तमान वैश्विक बाज़ार लगभग 1,700 मिलियन अमेरिकी डालर का है।
- प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर 3 मिलियन टन से अधिक बैम्बू शूट का उपभोग किया जाता है।
- 'इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर बैम्बू एंड रतन' (International Network for Bamboo and Rattan- INBAR) के अनुसार, चीन दुनिया के 68% बाँस एवं रतन (एक प्रकार का पाम फाइबर) उत्पादों का निर्यात करता है जिनकी कीमत 1112 मिलियन अमेरिकी डालर है।
  - INBAR एक बहुपक्षीय विकास संगठन है जिसे वर्ष 1997 में स्थापित किया गया था जो बाँस एवं रतन का उपयोग करके पर्यावरण के सतत् विकास को बढ़ावा देता है।

भारतीय परिदृश्य:

- राष्ट्रीय बाँस मिशन के अनुसार, 13.96 मिलियन हेक्टेयर के बांस क्षेत्र के साथ भारत विश्व में पहले स्थान पर है।
- बांस की 136 प्रजातियों के साथ बाँस विविधता के मामले में भारत, चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।
- भारत में बाँस का वार्षिक उत्पादन 14.6 मिलियन टन है और वर्ष 2017 में बाँस-रतन उद्योग की कुल कीमत 28,005 करोड़ रुपए थी।
- भारत में बैम्बू शूट का उत्पादन एवं खपत ज्यादातर उत्तर-पूर्वी राज्यों तक ही सीमित है।

चेंदमंगलम साड़ी Chendamangalam Sari

केरल के एर्नाकुलम के पास एक छोटा से शहर चेंदमंगलम (Chendamangalam) की साड़ियाँ अपने पुलियिलाकारा बॉर्डर (Puliyilakara Border) के कारण एक अगल पहचान रखती हैं।

चेंदमंगलम (Chendamangalam):

- चेंदमंगलम, केरल के एर्नाकुलम के पास एक छोटा सा शहर है जो अपने प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति के कारण प्रसिद्ध है।
- यहूदी, ईसाई, मुस्लिम एवं हिंदू पूजा स्थलों के साथ यह शहर प्राचीन बंदरगाह मुज़िरिस (Muziris) का हिस्सा था।
- यह शहर मूल रूप से कर्नाटक के बुनकर समुदाय 'देवांग चेट्टियारों' (Devanga Chettiars) द्वारा महीन सूत कटाई के लिये जाना जाता है।

चेंदमंगलम साड़ी (Chendamangalam Sari):

- भौगोलिक संकेतक (जीआई-टैग) प्राप्त ये चेंदमंगलम साड़ी अपनी पुलियिलाकारा बॉर्डर (Puliyilakara Border) से पहचानी जा सकती है जो पतली काली रेखाएँ हैं और ये साड़ी के स्लीवेज (Selvedge) के साथ डिज़ाइन की जाती है।
- अतिरिक्त-वज़न वाले चुट्टीकारा (Chuttikara) एवं धारियों तथा अलग-अलग चौड़ाई की बनावट के साथ इन साड़ियों की डिज़ाइन थोड़ी बदल गई है।

नोट :

- बारीक सूती धागे से निर्मित इन साड़ियों को तैयार करने में डिज़ाइन के अनुसार तीन से चार दिन लगते हैं।
- नवाचार के रूप में इन साड़ियों में ग्राफिक-एज फिनिशिंग (Graphic-edged Finishing) एवं कासवु ज़री बॉर्डर (Kasavu Zari Borders) जैसी विशेषताओं को भी अपनाया गया है।

केयर 4 चेंदमंगलम (Care 4 Chendamangalam- C4C) पहल:

- यह स्थानीय स्तर पर शुरू की गई एक निजी पहल है।
- C4C पहल के दो उद्देश्य हैं:
  - पारंपरिक चेंदमंगलम क्लस्टर को पुनर्जीवित करना।
  - चेंदमंगलम साड़ी के लिये अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करना।

ओ-स्मार्ट योजना O-SMART SCHEME

वर्ष 2018 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences) की एक व्यापक योजना 'महासागरीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी, निगरानी, संसाधन प्रतिरूपण एवं विज्ञान' (Ocean Services, Modelling, Applications, Resources and Technology: O-SMART)' योजना को मंज़ूरी दी गई थी।

ओ-स्मार्ट योजना के उद्देश्य:

- भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) में 'मरीन लिविंग रिसोर्सेज़' (Marine Living Resources) एवं भौतिक पर्यावरण के साथ उनके संबंधों के बारे में सूचना एकत्र करना और उसे नियमित रूप से अपडेट करना।
- समय-समय पर भारत के तटीय जल का स्वच्छता मूल्यांकन करने के लिये समुद्री जल प्रदूषकों के स्तर की निगरानी करना। प्राकृतिक एवं मानवजनित गतिविधियों के कारण तटीय क्षरण के मूल्यांकन के लिये तटरेखा परिवर्तन मानचित्र विकसित करना।
- भारत के आसपास के समुद्रों से रियल टाइम डेटा के लिये अत्याधुनिक महासागरीय अवलोकन प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित करना।
- सामाजिक लाभ के लिये उपयोगकर्त्ता-उन्मुख महासागरीय सूचना, सलाह, चेतावनी, डेटा एवं डेटा उत्पादों का एक पैकेज तैयार करना एवं उसका प्रसारण करना।
- महासागर पूर्वानुमान एवं पुनर्विश्लेषण प्रणाली के लिये 'हाई रिज़ोल्यूशन मॉडल' विकसित करना।
- तटीय अनुसंधान हेतु उपग्रह डेटा के सत्यापन के लिये एल्गोरिदम विकसित करना।
- समुद्री जैव संसाधनों की जाँच एवं निगरानी करने के लिये प्रौद्योगिकियों को विकसित करना।
- समुद्र से मीठे जल एवं ऊर्जा उत्पन्न करने वाली प्रौद्योगिकियों को विकसित करना।
- अंडरवाटर वाहनों एवं प्रौद्योगिकियों को विकसित करना।
- गिट्टी जल उपचार (Ballast Water Treatment) सुविधा की स्थापना करना।
- महासागरीय सर्वेक्षण/निगरानी/प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रमों के लिये 5 अनुसंधान जहाज़ों के संचालन एवं रखरखाव का समर्थन करना।
- गैस हाइड्रेट्स की जाँच करने के लिये मध्य हिंद महासागर बेसिन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत को आवंटित किये गए 75000 वर्ग किमी. के स्थान पर 5500 मीटर तक की गहराई से पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स (Polymetallic Nodules) की खोज को पूरा करना।
- रोड्रिग्स ट्रिपल जंक्शन (Rodrigues Triple Junction) के पास 10000 वर्ग किमी. क्षेत्र (यह क्षेत्र भारत को अंतर्राष्ट्रीय जल प्राधिकरण/संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल में आवंटित किया गया है) में पॉलिमेटेलिक सल्फाइड (Polymetallic Sulphides) की खोज करना।

रोड्रिग्स ट्रिपल जंक्शन (Rodrigues Triple Junction):

- रोड्रिग्स ट्रिपल जंक्शन (RTJ), जिसे मध्य हिंद (महासागर) ट्रिपल जंक्शन [Central Indian (Ocean) Triple Junction-CITJ] के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिणी हिंद महासागर में एक भूगर्भिक ट्रिपल जंक्शन है जहाँ तीन विवर्तनिक प्लेटें (अफ्रीकी प्लेट, भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट एवं अंटार्कटिक प्लेट) आपस में मिलती हैं।

नोट :

- वैज्ञानिक डेटा द्वारा समर्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के स्थलाकृतिक सर्वेक्षण से परे महाद्वीपीय शेल्फ पर भारत के दावे का प्रस्तुतीकरण करना।

'इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर' (ITEWC):

- वर्ष 2007 में 'इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर' (ITEWC) की स्थापना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में 'इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज़' (Indian National Centre for Ocean Information Services- INCOIS), हैदराबाद में की गई थी।
- यह विभिन्न हितधारकों को समय-समय पर सुनामी से संबंधित जानकारी प्रदान करता है।

डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020 Destination North East-2020

21 सितंबर, 2020 को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020' (Destination North East-2020) महोत्सव के लिये लोगो एवं गीत का अनावरण किया।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्रीय गृह मंत्री 27 सितंबर, 2020 को इस चार दिवसीय कार्यक्रम का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे।
- यह उत्सव पूर्वोत्तर भारत में उपलब्ध समृद्ध, अस्पष्टीकृत संभावनाओं एवं अवसरों के उपयोग को बढ़ावा देगा।
- यह उत्सव COVID-19 के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र को पसंदीदा पर्यटन एवं व्यावसायिक स्थलों में से एक के रूप में उभारने में मदद करेगा और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र के साथ 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के लिये एक महत्त्वपूर्ण इंजन का कार्य करेगा।
- इस उत्सव का उद्देश्य भारत के लोगों को विदेश में कहीं भी जाने के बजाय देश के ही सभी रमणीय स्थानों का भ्रमण करने के लिये आकर्षित करना है।
- पिछले दो वर्षों से लगातार देशभर में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है।
- यह महोत्सव केवल पर्यटन के बारे में नहीं है बल्कि यह संगठनों एवं विशेष रूप से युवा उद्यमियों के लिये भी है जो कि इस क्षेत्र की असीमित संभावनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं।

डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट-2019:

- वर्ष 2019 में इस उत्सव का आयोजन उत्तरप्रदेश के वाराणसी में किया गया था, जिसका उद्देश्य गंगा एवं पूर्वोत्तर की ब्रह्मपुत्र की संस्कृतियों को जोड़ना था।

पूर्वोत्तर भारत: सांस्कृतिक विरासत:

- पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी संस्कृति, व्यंजनों, उद्यमिता कौशल एवं प्राकृतिक विशेषताओं के अलावा अपने समाज से बहुत कुछ सीखने के लिये शेष भारत को प्रेरित करता है।
- पूर्वोत्तर में बाँस, हस्तशिल्प, कपड़ा एवं हथकरघा क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध व्यवसाय परंपरा विद्यमान है।

बोत्सवाना हाथियों की मौत Deaths of Botswana Elephants

हाल ही में बोत्सवाना में अधिकारियों ने जाँच में पाया कि जल में साइनोबैक्टीरिया द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों के कारण इस वर्ष बोत्सवाना में 300 से अधिक हाथियों की मृत्यु हो गई थी।

प्रमुख बिंदु:

- साइनोबैक्टीरिया सूक्ष्म जीव हैं जो आमतौर पर जल में पाए जाते हैं और कभी-कभी ये मिट्टी में भी पाए जाते हैं।
  - सभी साइनोबैक्टीरिया विषाक्त पदार्थों का उत्पादन नहीं करते हैं किंतु वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान बढ़ने से विषाक्तता की घटना बार-बार हो रही है।

नोट :

बोत्सवाना:

- अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी में स्थित बोत्सवाना एक भू-आबद्ध देश है।
- बोत्सवाना दुनिया की सबसे बड़ी हाथी आबादी वाला देश है जहाँ हाथियों की अनुमानित संख्या लगभग 130,000 है।
- यहाँ के ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र के उत्तर में मृत हाथियों की संख्या 300 से अधिक दर्ज की गई थी।
  - इन मृत हाथियों की संख्या को एक वन्यजीव संरक्षण चैरिटी 'एलीफैंट विदाउट बॉर्डर्स' (Elephants Without Borders-EWB) द्वारा चिह्नित किया गया था।

कोमोडो ड्रैगन Komodo Dragon

हाल ही में हुए एक नए अध्ययन में कहा गया है कि कोमोडो ड्रैगन (Komodo Dragon) जिसे दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली कहा जाता है, जलवायु परिवर्तन के कारण अगले कुछ दशकों में विलुप्त हो सकता है।

प्रमुख बिंदु:

- इस अध्ययन को ऑस्ट्रेलिया के एडीलेड विश्वविद्यालय (University of Adelaide) एवं डाईकिन विश्वविद्यालय (Deakin University) द्वारा आयोजित किया गया था।
- कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया के पाँच द्वीपों में से तीन द्वीपों से विलुप्त हो सकता है जहाँ यह वर्तमान में पाया जाता है।
- इस अध्ययन को 'पारिस्थितिकी एवं विकास' (Ecology and Evolution) पत्रिका में प्रकाशित किया गया था।

कारण:

- इस अध्ययन में जलवायु परिवर्तन के कारण कोमोडो ड्रैगन के आवास की उपलब्धता में गिरावट की संभावना को व्यक्त किया गया है जिससे उनकी आबादी में भी कमी आएगी।

कोमोडो ड्रैगन (Komodo Dragon):

- कोमोडो ड्रैगन छिपकली की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है।
- इसे IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य (Vulnerable) श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।
- कोमोडो ड्रैगन अकशेरुकी जीवों, पक्षियों एवं स्तनधारियों का शिकार करते हैं।
- कोमोडो ड्रैगन में विष ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो विषाक्त पदार्थों से भरी होती हैं।
- इसे कोमोडो मॉनीटर (Komodo Monitor) के रूप में भी जाना जाता है, जो इंडोनेशियाई द्वीपों के कोमोडो (Komodo), रिनका (Rinca), फ्लोरेस (Flores) और गिली मोटंग (Gili Motang) में पाई जाती है।

ज्योति जोत Jyoti Jot

पिछले वर्ष करतारपुर कॉरिडोर (Kartarpur Corridor) खुलने के बाद पहली बार 23 सितंबर, 2020 को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के ज्योति जोत (पुण्यतिथि की प्रार्थना) को पाकिस्तान में उनके अंतिम विश्राम स्थल गुरुद्वारा दरबार साहिब (Gurdwara Darbar Sahib) में आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- यह आयोजन 20 सितंबर, 2020 को शुरू हुआ और 23 सितंबर, 2020 को नगर कीर्तन के साथ ज़ीरो लाइन (भारत-पाकिस्तान सीमा) पर समाप्त हुआ।
  - गुरु नानक देव की ज्योति जोत (पुण्यतिथि की प्रार्थना) का करतारपुर में बहुत महत्त्व है जो सिख धर्म के संस्थापक के अंतिम विश्राम स्थल के रूप में जाना जाता है।
    - माना जाता है कि गुरु नानक देव की मृत्यु 22 सितंबर, 1539 को करतारपुर में हुई थी।

नोट :

- इस समारोह में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा एवं सिंध से बड़ी संख्या में सिख/नानक नाम लेवा संगत (Nanak Naam Lewa Sangat) ने भाग लिया।

नानक नाम लेवा संगत (Nanak Naam Lewa Sangat):

- कोई भी व्यक्ति जो गुरु नानक देव के बताए मार्ग पर विश्वास करता है और जीवन में उसकी शिक्षाओं का पालन करता है चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित हो नानक नाम लेवा (Nanak Naam Lewa) या नानकपंथी (Nanakpanthi) कहलाता है।
- गुरु नानक देव जी ने एकता का संदेश दिया जिसके कारण विभिन्न धर्मों के लोग उनके अनुयायी बन गए। उनके दर्शन का मूल सार 'सबना जिया का इक दाता' (Sabhna jiya ka ik daata) अर्थात् जीवन देने वाला ईश्वर एक है, और 'ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान'।
- एक अनुमान के अनुसार, दुनिया भर में 12-15 करोड़ नानकपंथी हैं।

गुरुद्वारा दरबार साहिब (Gurdwara Darbar Sahib):

- करतारपुर साहिब गुरुद्वारा या गुरुद्वारा दरबार साहिब पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे बना है। पाकिस्तान के नारोवाल ज़िले में स्थित यह गुरुद्वारा भारत की सीमा से केवल 4 किलोमीटर दूर है।

गुरु नानक देव:

- गुरु नानक देव 10 सिख गुरुओं में से पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक हैं।
- उनका जन्म वर्ष 1469 में ननकाना साहिब (वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है) में हुआ था
- उन्होंने भक्ति के 'निर्गुण' रूप की शिक्षा दी।
- उन्होंने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया और सामूहिक पूजा (संगत) के लिये कुछ नियम बनाए।
- सिख धर्म के अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा (जिसका अर्थ है 'शुद्ध') पंथ की स्थापना की जो सैनिक-संतों का विशिष्ट समूह था। खालसा प्रतिबद्धता, समर्पण और सामाजिक चेतना के सर्वोच्च सिख गुणों को उजागर करता है।
- खालसा ऐसे पुरुष और महिलाएँ हैं जिन्होंने सिख बपतिस्मा समारोह में भाग लिया हो और जो सिख आचार संहिता एवं परंपराओं का सख्ती से पालन करते हैं तथा पंथ की पाँच निर्धारित भौतिक वस्तुओं – केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण धारण करते हैं।

युवाह: युवा कौशल पहल YuWaah: Youth Skilling Initiative

20 जुलाई, 2020 को भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children Fund- UNICEF) ने भारत में वैश्विक मल्टी-स्टेकहोल्डर प्लेटफॉर्म 'युवाह: जनरेशन अनलिमिटेड' (YuWaah: Generation Unlimited- GenU) की स्थापना करने के लिये 'स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट' (Statement of Intent) पर हस्ताक्षर किये थे।

प्रमुख बिंदु:

- इस परियोजना के उद्देश्य हैं:
  - युवा उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिये सफल उद्यमियों एवं विशेषज्ञों के माध्यम से उद्यमिता कक्षाएँ (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन) आयोजित कराके युवाओं को प्रोत्साहित करना।
  - 21वीं सदी के कौशल, जीवन कौशल, डिजिटल कौशल पर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन चैनलों के माध्यम से युवा लोगों को अपग्रेड करना और उनके उत्पादक जीवन एवं भविष्य में कार्य करने के लिये स्व-शिक्षण के माध्यम से उनका समर्थन करना।
  - स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के साथ रोज़गार के अवसरों से युवाओं को जोड़ने के लिये आकांक्षी आर्थिक अवसरों के साथ संबंध विकसित करना। इसके लिये अभिनव समाधान एवं प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देना।
  - युवाओं को कैरियर पोर्टल के साथ-साथ नौकरी पोर्टल के द्वारा आत्म-अन्वेषण सत्रों के माध्यम से कैरियर मार्गदर्शन सहायता प्रदान करना।
- इस परियोजना में युवा मामलों के विभाग की भूमिका युवा तकनीकी कार्य समूहों/कार्य बलों में भाग लेने के लिये उपयुक्त विशेषज्ञ प्रदान करना है।

नोट :

ग्लोबल जनरेशन अनलिमिटेड (Global Generation Unlimited):

- ग्लोबल जनरेशन अनलिमिटेड की शुरुआत वर्ष 2018 में UNICEF द्वारा की गई थी।
- यह सभी देशों को युवाओं की शिक्षा, कौशल और सशक्तीकरण हेतु समर्थन करने तथा विस्तार करने के लिये एक एजेंडा प्रदान करता है।

शुचि योजना Shuchi Scheme

COVID-19 के मद्देनज़र कर्नाटक सरकार द्वारा शुचि योजना (Shuchi Scheme) जो एक प्रकार की मासिक धर्म स्वच्छता परियोजना (Menstrual Hygiene Project) है, के लिये कोई धनराशि आवंटित नहीं किये जाने के कारण इस योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका।

प्रमुख बिंदु:

- इस वर्ष COVID-19 के मद्देनज़र कर्नाटक सरकार द्वारा शुचि योजना के तहत वितरित किये जाने वाले सेनेटरी नैपकिन (Sanitary Napkins) का वितरण रुक गया है।
- उल्लेखनीय है कि 5 मार्च, 2020 को कर्नाटक सरकार द्वारा लाए गए राज्य के बजट में शुचि योजना के लिये कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई थी जिसके कारण अब कर्नाटक के स्कूल एवं कॉलेज की 17 लाख से अधिक लड़कियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

शुचि योजना (Shuchi Scheme):

- वर्ष 2013-14 में शुरू की गई यह योजना शुरूआत में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित थी।
- हालाँकि, वर्ष 2015-16 में केंद्र सरकार ने राज्यों को से पूरी तरह से इस योजना की ज़िम्मेदारी उठाने के लिये कहा था।

शुचि योजना का उद्देश्य:

- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाना था।
- प्रत्येक वर्ष कर्नाटक सरकार इस योजना पर 49 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है।

चिकित्सा उपकरण पार्क Medical Devices Park

24 सितंबर, 2020 को केरल में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क (Medical Devices Park) का शिलान्यास किया जाएगा जो उच्च जोखिम वाले चिकित्सकीय उपकरणों पर आधारित होगा।

उद्देश्य:

- इस पार्क का उद्देश्य चिकित्सकीय उपकरण उद्योग को अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण एवं मूल्यांकन जैसी सेवाओं की एक पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध कराना है।

संयुक्त पहल:

- भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के श्री चित्रा तिरूनाल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology- SCTIMST) और केरल सरकार की औद्योगिक एवं निवेश संवर्द्धन एजेंसी केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (Kerala State Industrial Development Corporation Ltd- KSIDC) की संयुक्त पहल के आधार पर चिकित्सकीय उपकरण पार्क को केरल के तिरूवनंतपुरम ज़िले के थोनक्कल (Thonnakkal) स्थित लाइफ साइंस पार्क (Life Science Park) में स्थापित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- यह चिकित्सकीय उपकरण पार्क चिकित्सकीय प्रत्यारोपण (Medical Implants) एवं बाह्य उपकरणों (Extracorporeal Devices) समेत उच्च जोखिम वाले चिकित्सकीय उपकरणों पर केंद्रित होगा।

नोट :

महत्त्व:

- यह पार्क चिकित्सकीय उपकरण उद्योग से संबंधित ज्ञान का प्रसार भी करेगा। जिससे इस क्षेत्र के छोटे एवं मंझोले उद्योगों को भी लाभ होगा।
- यह चिकित्सकीय पार्क, केरल राज्य के उच्च जोखिम वाले चिकित्सकीय उपकरण निर्माण के मौजूदा ढाँचे का उन्नयन करेगा और भारत के चिकित्सकीय उपकरण निर्माण उद्योग के लिये एक आकर्षक गंतव्य के तौर पर विकसित होगा।

केरल ही क्यों ?

- वर्तमान में केरल में बहुत सी चिकित्सकीय उपकरण निर्माण कंपनियाँ हैं जिनका कारोबार 750 करोड़ रूपए वार्षिक है। इनमें से ज्यादातर SCTIMST से हस्तांतरित प्रौद्योगिकी से निर्माण कार्य करती हैं।

SCTIMST की भूमिका:

- SCTIMST ने पिछले तीस वर्षों से भी अधिक समय से जैव चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के विकास में अहम योगदान दिया है और स्वयं को इस क्षेत्र के अग्रणी संस्थान के रूप में स्थापित किया है।

ब्रुसेला एबोर्टस S19 प्रति वैक्सीन Brucella Abortus S19 Per Vaccine

22 सितंबर, 2020 को आभासी मंच के माध्यम से आईसीएआर-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (Indian Veterinary Research Institute-IVRI) द्वारा विकसित 'ब्रुसेला अबॉर्टस एस19 प्रति वैक्सीन' (Brucella Abortus S19 Per Vaccine) पर एक प्रौद्योगिकी लाइसेंस समझौता (Technology License Agreement- TLA) समारोह आयोजित किया गया।

ब्रुसेलोसिस (Brucellosis):

- ब्रुसेलोसिस दुनिया भर में सबसे महत्त्वपूर्ण ज़ूनोटिक रोगों में से एक है और यह बीमारी भारत में भी स्थानिक है।

ज़ूनोटिक रोग:

- ऐसे रोग जो पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलते है उन्हें ज़ूनोसिस या ज़ूनोटिक रोग कहा जाता है।
- ज़ूनोटिक संक्रमण प्रकृति या मनुष्यों में जानवरों के अलावा बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी के माध्यम से फैलता है।
- एचआईवी-एड्स, इबोला, मलेरिया, रेबीज़ तथा वर्तमान कोरोनावायरस रोग (COVID-19) ज़ूनोटिक संक्रमण के कारण फैलने वाले रोग हैं।
- इससे बांझपन, गर्भपात, पशु के कमज़ोर बच्चे का जन्म और कम उत्पादकता के कारण डेयरी उद्योग को आर्थिक नुकसान पहुँचता है।
- भारत में ब्रुसेलोसिस रोग के नियंत्रण के लिये काफ-हूड (Calf-hood) टीकाकरण के रूप में ब्रुसेला अबॉर्टस एस19 स्ट्रेन (Brucella abortus S19 strain) का उपयोग किया जाता है।
  - ब्रुसेला अबॉर्टस एस19 स्ट्रेन एक बहुत मज़बूत प्रतिरक्षाजन (Immunogen) है जो पशु को आजीवन प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

'ब्रुसेला अबॉर्टस एस-19 स्ट्रेन' में कमियाँ:

- हालाँकि, इस वैक्सीन के स्ट्रेन में कई कमियाँ हैं जैसे-
  - मानव एवं पशुओं में अवशिष्ट वायरल के प्रसार का खतरा बना रहता है।
  - वयस्क पशुओं के लिये यह टीकाकरण उपयुक्त नहीं है।
  - गर्भधारित पशुओं में इस टीके के इस्तेमाल होने पर गर्भपात का खतरा बना रहता है।
  - इस टीके से नैदानिक संक्रमण के सीरो-निदान में भी हस्तक्षेप होता है।

'ब्रुसेला अबॉर्टस एस-19' का एक संशोधित स्ट्रेन:

- उपर्युक्त में से कुछ कमियों को दूर करने के लिये आईसीएआर-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा ब्रुसेला अबॉर्टस एस-19 का एक संशोधित स्ट्रेन विकसित किया गया है।

नोट :

ब्रुसेलोसिस नेटवर्क प्रोग्राम (Brucellosis Network Program):

- ब्रुसेला अबॉर्टस एस-19 के इस संशोधित स्ट्रेन को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित 'ब्रुसेलोसिस नेटवर्क प्रोग्राम' के तहत विकसित किया गया था।
- 'ब्रुसेला अबॉर्टस एस19 स्ट्रेन' को संशोधित करने की प्रक्रिया में जीव के लिपोपॉलेसेकेराइड (Lipopolysaccharide- LPS) संरचना को विलोपन उत्परिवर्तन (Deletion Mutation) के माध्यम से बदल दिया गया था।
- नए विकसित स्ट्रेन को 'ब्रुसेला अबॉर्टस एस19 (Brucella abortus S19Δper) नाम दिया गया।
  - इस वैक्सीन क्षमता का मूल्यांकन प्रायोगिक आधार पर छोटे पशुओं में और भैंस के बछड़ों में भी किया गया है।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (Indian Veterinary Research Institute-IVRI):

- यह उत्तर प्रदेश के इज़्ज़तनगर (Izatnagar), बरेली में अवस्थित है।
- यह पशु चिकित्सा एवं संबद्ध शाखाओं के क्षेत्र में भारत की प्रमुख उन्नत अनुसंधान सुविधा प्रदान करता है।
- इस संस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), नई दिल्ली के अधीन है।

प्लास्टिक पार्क Plastic Park

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि 'डोमेस्टिक डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग' (Domestic Down-stream Plastic Processing Industry) की क्षमताओं को समेकित एवं समन्वित करने के लिये भारत सरकार क्लस्टर विकास के दृष्टिकोण के साथ अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु प्लास्टिक पार्कों (Plastic Parks) की स्थापना की योजना लेकर आई है।

प्रमुख बिंदु:

- इस योजना के तहत भारत सरकार परियोजना लागत का 50% तक अनुदान प्रदान करती है जो प्रति प्रोजेक्ट 40 करोड़ रुपए होता है। शेष परियोजना लागत को राज्य सरकार, लाभार्थी उद्योगों एवं वित्तीय संस्थानों से लिये गए ऋण द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।
- रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंज़ूरी दी है जिसमें से 6 पार्कों को अंतिम मंज़ूरी दी चुकी है जो असम, मध्य प्रदेश (दो पार्क), ओडिशा, तमिलनाडु एवं झारखंड में स्थापित किये जाएंगे।

कौशल एवं तकनीकी सहायता केंद्र (Centre for Skilling and Technical Support- CSTS):

- 'सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी' (CIPET) ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कौशल एवं तकनीकी सहायता केंद्र (Centre for Skilling and Technical Support- CSTS) की स्थापना की है जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डिप्लोमा एवं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करता है।

'सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी' (CIPET):

- हाल ही में 'सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी' (CIPET) का नाम बदलकर 'सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी' (CIPET) कर दिया गया है।
- परिवर्तित नाम तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1975 (Tamil Nadu Societies Registration Act, 1975) के तहत पंजीकृत किया गया है।
- CIPET, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1968 में भारत सरकार ने चेन्नई (तमिलनाडु) में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की सहायता से की थी।
- CIPET का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा एवं अनुसंधान के संयुक्त कार्यक्रम के माध्यम से प्लास्टिक उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है।

व्हेल Whale

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 450 से अधिक व्हेलों (Whales) की मृत्यु हो गई जिसे ऑस्ट्रेलिया में व्हेलों का सबसे बड़ा स्थानीय अंतर्पणन (Biggest Stranding of Whales) कहा जा रहा है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- अपने विशाल आकार के कारण व्हेल दुनिया भर में समुद्र तटों पर फंस जाने वाली मछली के रूप में जानी जाती है, ऐसी घटना उनके साथ व्यक्तिगत या सामूहिक आधार पर होती है।
  - हालाँकि व्हेल का व्यक्तिगत स्थानीय अंतर्पणन (Individual Strandings) ज्यादातर चोट या बीमारी के कारण होता है किंतु यह स्पष्ट नहीं है कि समुद्र तटों पर सामूहिक स्थानीय अंतरपणन की घटना क्यों होती है।

व्हेलों के सामूहिक स्थानीय अंतरपणन का कारण:

- माना जाता है कि कुछ व्हेल मछलियाँ शिकार को पकड़ने के लिये उथले जल में उनको फॉलो करती हैं जिसके कारण ये भटकाव का शिकार हो जाती है परिणामस्वरूप ये समुद्र तटों में फंस जाती हैं।
- स्पर्म व्हेल, किलर व्हेल (Killer Whales) या शार्क (Sharks) मछलियों से बचने के कारण ये समुद्र तटों में फंस जाती हैं।
  - उपरोक्त कारणों के अलावा, व्हेलों के सामूहिक स्थानीय अंतर्पणन में समुद्र तट एवं तट रेखा के आकार की भी भूमिका हो सकती है। उदाहरण के लिये यदि समुद्र तट में मंद ढलान है तो व्हेल जो नेवीगेशन के लिये इकोलोकेशन (Echolocation) पर निर्भर होती हैं, अपने मार्ग से भटक सकती है।

इकोलोकेशन (Echolocation):

- इकोलोकेशन, ध्वनि तरंगों एवं गूँज का उपयोग यह निर्धारित करने के लिये किया जाता है कि आसपास के क्षेत्र में वस्तुएँ कहाँ अवस्थित हैं।
- चमगादड़ नेवीगेशन एवं अंधेरे में भोजन खोजने के लिये इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं।
- इससे पहले वर्ष 1935 में तस्मानिया में व्हेलों की सबसे बड़ी स्थानीय अंतरपणन की घटना हुई थी जहाँ 294 व्हेल फंसे हुए थे। इसमें लंबे पंख वाले पायलट व्हेल (Long-finned Pilot Whales) भी शामिल थे।

तस्मानिया:

- तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीपीय राज्य है।
- यह आस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि के दक्षिण में 240 किमी. की दूरी पर अवस्थित है जो आस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि से बास स्ट्रेट (Bass Strait) द्वारा अलग होता है।

न्यू गिनी: दुनिया का सबसे ऊँचा प्लांट डायवर्सिटी हॉटस्पॉट
New Guinea: World's highest plant diversity hotspot

हाल ही में वनस्पति विज्ञानियों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय द्वीप न्यू गिनी (New Guinea) पर 13,000 से अधिक पौधों की प्रजातियों का दस्तावेज़ीकरण किया।

प्रमुख बिंदु:

- न्यू गिनी एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यहाँ पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी-बूटियाँ, पाम आदि पौधे पाए जाते हैं।
  - यहाँ पक्षियों की 800 से अधिक प्रजातियाँ, कीटों की लगभग 150,000 ज्ञात प्रजातियाँ और मीठे पानी की मछली की 300 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- न्यू गिनी विश्व के महासागर के सबसे विविध क्षेत्र 'कोरल त्रिभुज' (Coral Triangle) के अंतर्गत आता है।

'कोरल त्रिभुज' (Coral Triangle):

- इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलोमन द्वीप और तिमोर के ऊपर कोरल त्रिभुज 6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला समुद्र का एक हिस्सा है।
- 'नेचर' (Nature) पत्रिका में 13,000 से अधिक पौधों की सूची को प्रकाशित किया गया है।
  - न्यू गिनी द्वीप के अविश्वसनीय पौधों की विविधता को व्यवस्थित तरीके से पेश करने का यह पहला प्रयास है।

नोट :

- न्यू गिनी में पौधों की 13,500 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से दो-तिहाई स्थानिक हैं।
- इस नए अध्ययन के अनुसार, यहाँ (न्यू गिनी द्वीप) दुनिया में किसी भी द्वीप की सबसे बड़ी वनस्पति विविधता विद्यमान है अर्थात् मेडागास्कर से 19% अधिक।

आरएआईएसई-2020 RAISE-2020

5 से 9 अक्तूबर, 2020 के मध्य केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर मेगा वर्चुअल सम्मेलन 'आरएआईएसई-2020' (सामाजिक सशक्तीकरण के लिये उत्तरदायी अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस- Responsible AI for Social Empowerment-2020) का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- इस सम्मेलन में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा एवं स्मार्ट मोबिलिटी जैसे अन्य क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन, समावेश एवं सशक्तिकरण हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिये विचारों का आदान-प्रदान किया जाएगा।
- RAISE 2020 शिखर सम्मेलन में, दुनिया भर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध, नीति एवं नवाचार से संबंधित प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञ शामिल होंगे।

चर्चा के प्रमुख विषय:

- इस सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख विषय निम्नलिखित होंगे-
  - COVID-19 से निपटने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका
  - डिजिटलाइज़ेशन के लिये नवाचार को प्रोत्साहन
  - समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
  - सफल नवाचार के लिये साझेदारी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप पिच फेस्ट (AI Startup Pitch Fest):

- इस शिखर सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाले कुछ प्रमुख स्टार्टअप्स भी भाग लेंगे।
- 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान प्रतियोगिता' (AI Solution Challenge) के माध्यम से चुने गए ये स्टार्टअप्स 6 अक्तूबर, 2020 को होने वाले 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप पिच फेस्ट' में अपने कार्यों को प्रदर्शित करेंगे।

भारत: एक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र:

- भारत, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है, यह आईआईटी जैसे उत्कृष्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मज़बूत एवं सर्वव्यापी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रत्येक वर्ष लाखों नव-निर्मित STEM स्नातकों वाला देश है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है।
- विश्लेषकों का अनुमान है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वर्ष 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 957 बिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है।

ज्ञानपीठ पुरस्कार-2019 Jnanpith Award-2019

24 सितंबर, 2020 को मलयालम (Malyalam) साहित्य के मशहूर कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी (Akkitham Achuthan Namboothiri) को केरल के कुमारानाल्लूर (Kumaranallur) ज़िले में स्थित उनके आवास पर आयोजित किये गए एक विशेष कार्यक्रम में ज्ञानपीठ पुरस्कार (Jnanpith Award) से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- यह ज्ञानपीठ पुरस्कार का 55वाँ संस्करण है।

नोट :

- भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिये दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी, मलयालम साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छठे लेखक हैं।
  - गौरतलब है कि COVID-19 के मद्देनज़र लॉकडाउन के कारण इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने में देरी हुई है।

ज्ञानपीठ पुरस्कार (Jnanpith Award):

- भारतीय ज्ञानपीठ (Bhartiiya Jnanpith) द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भारतीय भाषाओं में लेखन करने वाले साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
- इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति-पत्र तथा वाग्देवी की काँसे की प्रतिमा प्रदान की जाती है।
- पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में मलयालम साहित्यकार जी. शंकर कुरुप को दिया गया था।

अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी:

- अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी ने अपनी मलयालम कविता में कई दशक पहले ही 'सार्थक आधुनिकतावाद' (Meaningful Modernism) के बारे में बताया था।
- ये एकमात्र जीवित कवि हैं जिन्हें मलयालम का महाकवि (महान कवि) कहा जाता है।
- अपने करियर के शुरुआती वर्षों में अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी का कम्युनिस्ट विचारक ई.एम.एस. नंबूदरीपाद (E.M.S. Namboodiripad) के साथ घनिष्ठ संबंध था।
  - भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के सदस्य के रूप में ई.एम.एस. नंबूदरीपाद केरल राज्य के पहले तथा भारतीय गणतंत्र में पहले गैर-कॉन्ग्रेसी मुख्यमंत्री थे।
- 'बालीदर्शनम' (Balidarshanam) के कारण वर्ष 1972-73 में इन्हें राज्य एवं केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था।
- ये मंगलोदयम (Mangalodayam) एवं योगक्षेमम् (Yogakshemam) पत्रिकाओं के सह-संपादक भी रह चुके हैं।
- वर्ष 2017 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

लोक अदालत Lok Adalat

ओडिशा के कंधमाल ज़िले में एक आदमी ने 20 से अधिक प्रयासों के बाद भी अपना आधार कार्ड प्राप्त करने में विफल रहने के बाद लोक अदालत (Lok Adalat) में शिकायत दर्ज कराई, इस मामले में अभी सुनवाई शुरू होना बाकी है।

लोक अदालत (Lok Adalat):

- लोक अदालतें ऐसे मंच या फोरम होते हैं जहाँ मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है।
- यह सामान्य न्यायालयों से अलग होता है, क्योंकि यहाँ विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है।
- लोक अदालतों का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा अन्य हितधारकों के साथ मिल कर किया जाता है।
- लोक अदालतों में सभी दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, नागरिक मामले, भूमि विवाद, मज़दूर विवाद, संपत्ति बँटवारे संबंधी विवाद, बीमा और बिजली संबंधी विवादों का निपटारा किया जाता है।
- विधि के तहत ऐसे अपराध जिनमें राजीनामा नहीं हो सकता तथा ऐसे मामले जहाँ संपत्ति का मूल्य एक करोड़ रुपए से अधिक है, का निपटारा लोक अदालतों में नहीं हो सकता है।
- लोक अदालत की स्थापना का सर्वप्रथम विचार भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी. एन. भगवती द्वारा दिया गया था।
  - सबसे पहली लोक अदालत का आयोजन वर्ष 1982 में गुजरात में किया गया था। वर्ष 2002 से लोक अदालतों को स्थायी बना दिया गया।

नोट :

नैनोजेट Nanojet

21 सितंबर, 2020 को 'नेचर एस्ट्रोनॉमी' (Nature Astronomy) में प्रकाशित एक पेपर के अनुसार, पहली बार शोधकर्त्ताओं ने नैनोजेट्स (Nanojets) की स्पष्ट छवियों को दर्ज किया है।

प्रमुख बिंदु:

- नैनोजेट्स (Nanojet), तीक्ष्ण चमकीली रोशनी की तरह होते हैं जो सौर वायुमंडल में चुंबकीय संरचनाओं के लंबवत यात्रा करते हैं जिसे कोरोना (Corona) कहा जाता है।
  - एक सिद्धांत के अनुसार, कोरोना में ताप, सूक्ष्म स्तर पर होने वाले विस्फोट जिन्हें नैनोफ्लेयर्स कहा जाता है, के कारण पैदा होता है, लेकिन यह विस्फोट इतने सूक्ष्म स्तर पर होता है कि इसे किसी भी माध्यम से देखना अत्यंत मुश्किल होता है।

नैनोफ्लेयर्स (Nanoflares):

- ये सूर्य पर होने वाले छोटे विस्फोट हैं किंतु इनको स्पॉट करना मुश्किल है।
- ये बहुत तीक्ष्ण एवं छोटे होते हैं जिसका अर्थ है कि इनको सूर्य की चमकदार सतह के बाहर स्पॉट करना बहुत मुश्किल है।
- सूर्य का वातावरण सतह की तुलना में बहुत अधिक गर्म क्यों है तथा इस ताप के बारे में अन्य जानकारी जुटाने के लिये शोधकर्त्ताओं ने नासा (NASA) के 'इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ' (Interface Region Imaging Spectrograph- IRIS) मिशन का उपयोग किया।
- 3 अप्रैल, 2014 को सूर्य की सतह पर घटित एक घटना जिसे 'कोरोनल रेन इवेंट' (Coronal Rain Event) के रूप में जाना जाता है, के कारण जब कोरोना से सूर्य की सतह पर ठंडे प्लाज़्मा की धाराएँ एक विशाल जलप्रपात की तरह दिखाई देती हैं तब शोधकर्त्ताओं ने इस घटना के अंत में दिखाई देने वाले चमकीले नैनोजेट्स की छवि को दर्ज किया।
- नैनोजेट्स को 'स्मोकिंग गन' (Smoking Gun) भी कहा जाता है जो नैनोफ्लेयर्स की उपस्थिति का प्रमुख प्रमाण हैं।
- माना जाता है कि प्रत्येक नैनोजेट की शुरुआत एक प्रक्रिया द्वारा होती है जिसे चुंबकीय पुनर्संयोजन (Magnetic Reconnection) के रूप में जाना जाता है जहाँ ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड (Twisted Magnetic Fields) विस्फोटक रूप से पुन: संगठित होती है।
- सूर्य के कोरोना में नैनोज़ेट्स का निर्माण करते हुए एक पुनर्संयोजन, दूसरे पुनर्संयोजन को स्थापित करता है, इसी प्रकार यह प्रक्रिया आगे भी तब तक चलती रहती है जब तक कोरोना को गर्म करने वाली ऊर्जा विकसित न हो जाए।

जिमेक्स 20 JIMEX 20

26 से 28 सितंबर, 2020 के मध्य उत्तरी अरब सागर में भारत-जापान के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'जिमेक्स 20' (JIMEX 20) के चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- यह नौसैनिक अभ्यास भारतीय नौसेना एवं जापानी समुद्री आत्म-रक्षा बल (Japanese Maritime Self-Defense Force-JMSDF) के बीच द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है।
- अक्तूबर, 2018 में जिमेक्स (JIMEX) के तीसरे संस्करण को भारत के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था।

भारत-जापान नौसैनिक सहयोग:

- भारत और जापान के बीच नौसेना सहयोग पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़ा है।
- भारत और जापान के मध्य जनवरी, 2012 में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ जिमेक्स (JIMEX) श्रृंखलाओं की शुरुआत हुई थी।

नोट :

'जिमेक्स 20' (JIMEX 20):

- JIMEX 20 समुद्री संचालन के क्षेत्र में उन्नत अभ्यासों के माध्यम से उच्च-संचालन एवं संयुक्त परिचालन कौशल का प्रदर्शन करेगा।
- COVID-19 के मद्देनज़र तीन दिनों तक चलने वाले JIMEX 20 का आयोजन 'नॉन-कॉन्टैक्ट एट-सी-ओनली फॉर्मेट' (Non-contact at-sea-only Format) के आधार पर आयोजित किया जा रहा है।

महत्त्व:

- JIMEX 20 दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग एवं आपसी विश्वास को और बढ़ाएगा तथा दोनों देशों के बीच लंबे समय तक आपसी सहयोग को मज़बूत करेगा।

फेम इंडिया स्कीम FAME India Scheme

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार ने 'फेम इंडिया योजना' (FAME India Scheme) के दूसरे चरण के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात एवं चंडीगढ़ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 670 इलेक्ट्रिक बसों और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात एवं पोर्ट ब्लेयर में 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु:

- भारत सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना एवं वाहनों से प्रदूषक उत्सर्जन की समस्या से निपटना है।
- भारत सरकार के भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत भारी उद्योग विभाग (Department of Heavy Industries) अप्रैल, 2015 से ही 'फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम' अर्थात् 'फेम इंडिया योजना' का संचालन कर रहा है ताकि देश में इलेक्ट्रिक/ हाइब्रिड वाहनों के अपनाए जाने को प्रोत्साहित किया जा सके।
- इस योजना के पहले चरण में 31 मार्च, 2019 तक लगभग 2,80,987 हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को मांग प्रोत्साहन के माध्यम से लगभग 359 करोड़ रुपए की सहायता दी गई थी।
- इसके अलावा भारी उद्योग विभाग (Department of Heavy Industries) ने देश के विभिन्न शहरों में लगभग 280 करोड़ रुपए की लागत वाली 425 इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड बसों को मंज़ूरी दी है।
- फेम इंडिया योजना के पहले चरण के तहत भारी उद्योग विभाग ने बंगलूरु, चंडीगढ़, जयपुर एवं दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में करीब 43 करोड़ रुपए की लागत से 520 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को भी मज़ूरी दी थी।
- वर्तमान में फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को 3 वर्ष की अवधि के लिये लागू किया जा रहा है। इसे कुल 10,000 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी किया गया है।
  - इस चरण के तहत सार्वजनिक एवं साझा परिवहन के विद्युतीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही लगभग 7000 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहिया वाहनों, 55000 ई-यात्री कारों और 10 लाख ई-दोपहिया वाहनों के लिये सब्सिडी के ज़रिये समर्थन करने का लक्ष्य रखा गया है।
    - इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्त्ताओं के बीच बुनियादी ढाँचे को लेकर चिंता को दूर करने के लिये उसके निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana

25 सितंबर, 2020 को अंत्योदय दिवस के अवसर पर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana- DDU-GKY) का स्थापना दिवस मनाया।

प्रमुख बिंदु:

- इस योजना के माध्यम से अब तक 10.51 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर 6.65 लाख युवाओं को सफलतापूर्वक रोज़गार से जोड़ा गया है।

नोट :

एग्रीप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (Agripreneurship Program):

- इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री ने 'एग्रीप्रेन्योरशिप प्रोग्राम' (Agripreneurship Program) का उद्घाटन किया तथा इस कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित का विमोचन किया।
  - DDU-GKY के तहत कैप्टिव इम्प्लॉयमेंट (Captive Employment) के दिशा-निर्देश
  - एकीकृत कृषि क्लस्टर (Integrated Farming Cluster) के प्रोत्साहन के लिये दिशा-निर्देश
  - DDU-GKY के उम्मीदवारों की सफलता की कहानियों का संग्रह
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) के स्थापना दिवस को 'कौशल से कल बदलेंगे' कार्यक्रम के रूप में मनाया गया है।
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मज़दूरी के बराबर या उससे अधिक मासिक मज़दूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।
  - यह ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिये की गई पहलों में से एक है।

M87 आकाशगंगा M87 Galaxy

अप्रैल, 2019 में 'इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप' (Event Horizon Telescope- EHT) ने एक ब्लैक होल की पहली प्रत्यक्ष छवि जारी की। यह छवि M87 आकाशगंगा (M87 Galaxy) में सुपरमैसिव ब्लैक होल की एक रेडियो इमेज़ थी।

प्रमुख बिंदु:

- बहुत सी गुरुत्वाकर्षण केंद्रित रेडियो प्रकाश छवियाँ पृथ्वी की ओर केंद्रित थी किंतु ब्लैक होल के पास गैस एवं धूल से उत्सर्जित कुछ प्रकाश भी मौजूद था।
- इस घटना को वैज्ञानिकों ने 'इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप' (Event Horizon Telescope- EHT) के माध्यम से देखा है।
  - अधिकांश ब्लैक होल्स का अवलोकन संबंधी डेटा वर्ष 2017 के बाद से एकत्र किया गया है किंतु कुछ वेधशालाएँ वर्ष 2009 से अवलोकन कर रही थीं।
    - इसका मतलब है कि हमारे पास एक दशक से अधिक की छवियाँ मौजूद हैं, हालाँकि शुरुआती छवियाँ बहुत अधिक धुँधली हैं।
  - यदि हम ब्लैक होल की एक स्पष्ट छवि को कैप्चर कर सकते हैं तो यह प्रकाश की पतली रिंग के रूप में दिखाई देगा।
    - रिंग जैसी दिखने वाली छवि का गठन ब्लैक होल के किनारों पर प्रकाश की मौजूदगी के कारण होता है जो सीधे पृथ्वी की ओर केंद्रित होती है।
  - ब्लैक होल के घूमने के कारण रिंग का एक किनारा हमेशा दूसरे की तुलना में चमकदार होता है।
- एक दशक के डेटा का अवलोकन करने पर पता चलता है कि समय के साथ रिंग का आकार भी बदलता रहता है।
- वर्ष 2021 में दो और रेडियो वेधशालाएँ 'इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप' में शामिल हो जाएंगी जो हमें ब्लैक होल के बारे में अधिक स्पष्ट जानकारी देंगी।

ब्लैक होल:

- ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिकी भौतिकविद् जॉन व्हीलर ने 1960 के दशक के मध्य में किया था।
- ब्लैक होल्स अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे छिद्र हैं जहाँ गुरुत्व बल इतना अधिक होता है कि यहाँ से प्रकाश का पारगमन नहीं होता। चूँकि इनसे प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता, अत: हमें ब्लैक होल दिखाई नहीं देते, वे अदृश्य होते हैं।

भगत सिंह Bhagat Singh

27 सितंबर, 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती से एक दिन पहले उनको श्रद्धांजलि दी और उन्हें बहादुरी एवं साहस का प्रतीक बताया।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर, 1907 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के लायलपुर ज़िले में हुआ था। जो वर्तमान में पाकिस्तान में है।
- वर्ष 1919 में 12 साल की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के स्थल का दौरा किया था जहाँ एक सार्वजनिक सभा के दौरान हज़ारों निहत्थे लोगों को मार दिया गया था।
- चौरी-चौरा घटना के कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त कर देने के कारण भगत सिंह का गांधी जी के अहिंसा दर्शन से मोह भंग हो गया।
  - इसके बाद भगत सिंह 'युवा क्रांतिकारी आंदोलन' (Young Revolutionary Movement) में शामिल हो गए और भारत से ब्रिटिश सरकार को हिंसक तरीके से हटाने की वकालत करने लगे।
- वर्ष 1923 में भगत सिंह ने लाहौर के 'नेशनल कॉलेज' में दाखिला लिया जहाँ उन्होंने नाट्य समाज की तरह पाठ्येतर गतिविधियों (Extra-curricular Activities) में भी भाग लिया।
- भगत सिंह, करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श मानते थे। जो गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य थे।
- भगत सिंह अराजकतावाद (Anarchism) एवं साम्यवाद (Communism) के प्रति आकर्षित थे। वह मिखाइल बकुनिन (Mikhail Bakunin) की शिक्षाओं के एक उत्साही पाठक थे और कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन और लियोन ट्रॉट्स्की (Leon Trotsky) को भी पढ़ते थे।
- ज्युसेपे मैज़िनी (Giuseppe Mazzini) के 'युवा इटली आंदोलन' (Young Italy Movement) से प्रेरित होकर उन्होंने मार्च, 1926 में भारतीय समाजवादी युवा संगठन 'नौजवान भारत सभा' (Naujawan Bharat Sabha) की स्थापना की।
  - ज्युसेपे मैज़िनी इटली के राजनेता, पत्रकार, इटली के एकीकरण के लिये एक कार्यकर्ता एवं इतालवी क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख थे।
  - वे राजतंत्र के घोर विरोधी थे। उनके प्रयासों से इटली स्वतंत्र एवं एकीकृत हुआ।
  - वीर सावरकर मैज़िनी को अपना आदर्श नायक और लाला लाजपत राय मैज़िनी को अपना राजनीतिक गुरू मानते थे। बाद में लाला लाजपत राय ने मैज़िनी की प्रसिद्ध रचना 'द ड्यूटीज़ ऑफ मैन' (The Duties of Man) का उर्दू में अनुवाद किया।
- भगत सिंह 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' (Hindustan Republican Association) में भी शामिल हुए जिसके प्रमुख नेता चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल एवं शाहिद अशफाकल्लाह खान थे।
  - देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' (Hindustan Republican Association) नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इसके संस्थापक शचींद्र नाथ सान्याल (अध्यक्ष), राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद थे।
  - वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्त्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' का नाम बदलकर 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' (Hindustan Socialist Republican Association-HSRA) कर दिया गया जिसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी, गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था।
- साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों का प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सांडर्स की 30 अक्तूबर, 1928 को भगत सिंह, चंद्र शेखर आज़ाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन (HSRA) की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी।
- HSRA के दो सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल, 1929 को दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 16 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया।
- भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। 23 मार्च, 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई।
- चोरी-छिपे उनका अंतिम संस्कार पंजाब प्रांत के फिरोजपुर ज़िले में सतलज नदी के तट पर किया गया जहाँ वर्तमान में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है।
- 'इंकलाब जिंदाबाद' का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह ने ही इस नारे को चर्चित बनाया था।

नोट :

सैंडलवुड स्पाइक डिसीज़ Sandalwood Spike Disease

भारत में सैंडलवुड अर्थात् चंदन के वृक्ष विनाशकारी सैंडलवुड स्पाइक डिसीज़ (Sandalwood Spike Disease- SSD) के कारण एक गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु:

- सैंडलवुड अर्थात् चंदन के वृक्षों को भारत विशेषकर कर्नाटक का गौरव माना जाता है।
- उल्लेखनीय है कि कर्नाटक एवं केरल में इन सुगंधित वृक्षों के प्राकृतिक आवास में सैंडलवुड स्पाइक डिसीज़ का संक्रमण फिर से फैल गया है।
- केरल के मरयूर (Marayoor) में चंदन के पेड़ों की प्राकृतिक आबादी और कर्नाटक में एमएम हिल्स (MM Hills) सहित विभिन्न आरक्षित वन, सैंडलवुड स्पाइक डिसीज़ (SSD) से बहुत अधिक संक्रमित हैं जिसका कोई इलाज नहीं है।
- वर्तमान में इस रोग के प्रसार को रोकने के लिये संक्रमित पेड़ को काटने एवं हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

सैंडलवुड स्पाइक डिसीज़ Sandalwood Spike Disease- SSD):

- सैंडलवुड स्पाइक डिसीज़ (SSD), फाइटोप्लाज़्मा (Phytoplasma) अर्थात् 'पौधे के ऊतकों के जीवाणु परजीवी' के कारण होता है जो कीट वैक्टर (Insect Vectors) द्वारा प्रेषित होते हैं।
- इस रोग के कारण प्रत्येक वर्ष 1 से 5% चंदन के पेड़ नष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि इसके प्रसार को रोकने के लिये उपाय नहीं किये गए तो यह रोग चंदन के वृक्षों की पूरी प्राकृतिक आबादी को नष्ट कर सकता है।
  - इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस संक्रमण को रोकने में देरी की गई तो यह बीमारी अपरिपक्व चंदन के वृक्षों में भी फैल सकती है।

संक्रमण को रोकने के लिये किये गए उपाय:

- वर्ष 1899 में कर्नाटक के कोडागु (Kodagu) ज़िले में पहली बार इस रोग के बारे में सूचना मिली थी। वर्ष 1903 से वर्ष 1916 के बीच कोडागु (Kodagu) एवं मैसूर क्षेत्र में एक मिलियन से अधिक चंदन के पेड़ हटा दिये गए।
- वर्ष 1907 में तत्कालीन मैसूर के महाराजा ने इस रोग का इलाज खोजने वाले को 10,000 का इनाम देने की घोषणा की थी।
- बाद में वर्ष 1917-1925 के दौरान इस रोग के कारण सलेम में भी 98,734 चंदन के पेड़ काट दिये गए।

IUCN की रेड लिस्ट में स्थिति:

- चंदन के वृक्षों के प्राकृतिक आवासों में विनाशकारी रोग के कारण चंदन को वर्ष 1998 में IUCN की रेड लिस्ट में 'सुभेद्य' (Vulnerable) श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।

वर्तमान में सैंडलवुड का क्षेत्र:

- वर्तमान में चंदन की प्राकृतिक आबादी केरल के मरयूर में और कर्नाटक में आरक्षित वनों एवं आसपास के क्षेत्रों के कुछ स्थानों में फैली हुई है। जो सैंडलवुड स्पाइक डिसीज़ (SSD) से बहुत अधिक संक्रमित हैं।

रोग का प्रभाव:

- देश में एक सदी से अधिक समय से चंदन के उत्पादन में गिरावट का एक प्रमुख कारण सैंडलवुड स्पाइक डिसीज़ (SSD) रहा है।
- उत्पादन में कमी के कारण मुख्य रूप से 20% की दर से वर्ष 1995 से भारतीय चंदन एवं उसके तेल की कीमत में काफी वृद्धि हुई है।

सैंडलवुड का ऐतिहासिक महत्त्व:

- भारत इत्र एवं फार्मास्यूटिकल्स के लिये चंदन के तेल उत्पादन का पारंपरिक देश रहा है। वर्ष 1792 की शुरुआत में, टीपू सुल्तान ने इसे मैसूर का 'रॉयल ट्री' घोषित किया था।

नोट :

कक्षाओं के लिये रेडियो Radio for Classes

ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान मोबाइल कनेक्टिविटी न होने के कारण अधिकांश छात्र/छात्राएँ शिक्षा से वंचित हो रहे हैं इसलिये ओडिशा सरकार ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुँचाने के लिये अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय किया है।

प्रमुख बिंदु:

- ओडिशा सरकार के इस निर्णय के तहत ओडिशा का स्कूल एवं मास एजुकेशन डिपार्टमेंट (School and Mass Education Department) 28 सितंबर, 2020 से ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कक्षा शिक्षण शुरू करेगा।
- चूँकि COVID-19 महामारी के मद्देनज़र स्कूल न खोले जाने के कारण स्मार्ट फोन के द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से छात्रों तक पहुँचने की कोशिश की गई थी।
  - जिनमें से ओडिशा के 60 लाख छात्रों में से लॉकडाउन के दौरान मुश्किल से 22 लाख तक ही ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम पहुँचा जा रहा था।
  - किंतु लॉकडाउन खुलने के बाद घरों में माता-पिता द्वारा एकमात्र स्मार्ट फोन को लेकर ऑफिस या कार्य पर जाने के कारण इस यह संख्या घटकर लगभग 6 से 7 लाख ही रह गई।

रेडियो आधारित कक्षाएँ:

- महंगे स्मार्ट फोन की तुलना में रेडियो सस्ता है और इसकी आवर्ती लागत भी कम है। अत: रेडियो स्कूल कार्यक्रम के साथ और अधिक छात्रों को शामिल करने की उम्मीद की गई है।
- कक्षा एक से आठवीं तक के छात्र 15 मिनट के शिक्षण के माध्यम से अनुभवी शिक्षकों द्वारा रेडियो के माध्यम से अपना पाठ सीख सकते हैं।
  - एक छात्र रेडियो कार्यक्रम के 15 मिनट के भीतर अपनी पाठ्यपुस्तक के छह पृष्ठों को कवर कर सकता है।
- यह रोजाना सुबह 10 बजे से 10.15 बजे तक उपलब्ध रहेगा।
- गौरतलब है कि ओडिशा में स्कूल 17 मार्च से बंद हैं। हालाँकि बच्चों को पाठ्यपुस्तकें प्रदान की गई हैं।
  - चूँकि स्कूलों को बंद करने के कारण काफी समय नष्ट हो गया है इसलिये स्कूल के सिलेबस में 30% की कमी की गई है।

डेटा सोनिफिकेशन Data Sonification

यद्यपि टेलीस्कोप, 'डिजिटल डेटा' को आश्चर्यजनक छवियों में परिवर्तित करके बाहरी स्थान की झलक प्रदान करते हैं, अत: नासा (NASA) के चंद्र एक्स-रे केंद्र (Chandra X-Ray Center- CXC) ने एक नई 'सोनिफिकेशन परियोजना' (Sonification Project) का अनावरण किया है जो खगोलीय छवियों से प्राप्त डेटा को ऑडियो में परिवर्तित करता है।

प्रमुख बिंदु:

- उपयोगकर्त्ता अब 'गैलेक्टिक सेंटर' (Galactic Centre) की छवियों को सुन सकते हैं।
  - गैलेक्टिक सेंटर में कैसिओपिया ए (Cassiopeia A) नामक सुपरनोवा का अवशेष और साथ ही 'पिलर्स ऑफ क्रिएशन नेबुला' (Pillars of Creation Nebula) शामिल हैं ये सभी पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर एक क्षेत्र में स्थित हैं।
- डेटा को नासा के चंद्र एक्स-रे आब्ज़र्वेटरी, हबल स्पेस टेलीस्कोप एवं स्पिटज़र स्पेस टेलीस्कोप द्वारा एकत्र किया गया है, जिनमें से प्रत्येक को एक अलग संगीत 'इंस्ट्रूमेंट' द्वारा दर्शाया गया है।

डेटा सोनिफिकेशन:

- डेटा सोनिफिकेशन, वास्तविक डेटा को प्रदर्शित करने के लिये ध्वनि तरंगों के उपयोग को संदर्भित करता है। अर्थात् यह डेटा विज़ुअलाइज़ेशन (Data Visualisation) का श्रवण संस्करण (Auditory Version) है। उदाहरण के लिये नासा की हालिया चंद्र परियोजना (Chandra Project) में, कई संगीत ध्वनियों का उपयोग करके डेटा को प्रदर्शित करने के लिये किया जाता है।

नोट :

- इस डेटा सोनिफिकेशन परियोजना के तहत उपयोगकर्त्ता अब एक खगोलीय अनुभव के रूप में खगोलीय छवियों में कैद विभिन्न घटनाओं का श्रवण संबंधी अनुभव कर सकते हैं। जैसे- एक तारे का जन्म, धूल का एक बादल, एक ब्लैक होल की उच्च या निम्न पिच वाली ध्वनि के रूप में सुना जा सकता है।

'गैलेक्टिक सेंटर' (Galactic Centre):

- गैलेक्टिक सेंटर का सबसे प्रमुख उदहारण मिल्की वे आकाशगंगा का घूर्णन केंद्र है। इसमें खगोलीय पिंडों का एक संग्रह न्यूट्रॉन एवं सफेद बौने तारे, धूल एवं गैस के बादल, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जिसे धनु A* (Sagittarius A*) कहा जाता है जिसका वजन सूर्य के द्रव्यमान का चार मिलियन गुना है, शामिल हैं।

कैसिओपिया ए (Cassiopeia A):

- नासा के अनुसार, उत्तरी कैसिओपिया नक्षत्र (northern Cassiopeia constellation) में पृथ्वी से लगभग 11,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित कैसिओपिया ए एक सुपरमैसिव तारे के सबसे प्रसिद्ध अवशेषों में से एक है जो लगभग 325 वर्ष पहले एक सुपरनोवा विस्फोट से नष्ट हो गया था।

'पिलर्स ऑफ क्रिएशन' (Pillars of Creation):

- 'पिलर्स ऑफ क्रिएशन', ईगल नेबुला (Eagle Nebula) के केंद्र में अवस्थित है, जिसे मेसियर 16 (Messier 16) के रूप में भी जाना जाता है।

महत्त्व:

- नासा के यूनिवर्स ऑफ लर्निंग प्रोग्राम (Universe of Learning Program) के सहयोग से चंद्रा एक्स-रे केंद्र के नेतृत्त्व में इस परियोजना को क्रियान्वित किया गया। जिसका उद्देश्य सभी उम्र के शिक्षार्थियों के लिये प्रभावी रूप से एवं कुशलता से सीखने के लिये नासा विज्ञान सामग्री को शामिल करना है।

उमंग एप पर नई सेवाएँ New Services on Umang App

उमंग एप (Umang App) पर पहले से उपलब्ध 16 सेवाओं के अलावा, अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation-EPFO) ने एक अन्य सुविधा शुरू करके कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के सदस्यों को कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (Employees Pension Scheme, 1995) के अंतर्गत योजना के प्रमाण पत्र के लिये आवेदन करने में सक्षम बना दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि COVID-19 महामारी के दौरान EPF खाताधारकों में उमंग एप के प्रति अधिक जागरूकता देखने को मिली जिसने उन्हें इस मुश्किल दौर में घरों पर ही सहजता से सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया।

कर्मचारी पेंशन योजना प्रमाण पत्र:

- कर्मचारी पेंशन योजना का प्रमाण पत्र ऐसे सदस्यों को जारी किया जाता है जो अपना EPF अंशदान निकाल लेते हैं किंतु सेवानिवृत्ति की उम्र पर पेंशन लाभ लेने के लिये EPFO के साथ अपनी सदस्यता बरकरार रखना चाहते हैं।
- एक सदस्य सिर्फ तभी पेंशन के लिये पात्र होता है, जब वह कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत कम-से-कम 10 वर्ष तक सदस्य रहता है।
- नई नौकरी से जुड़ने के बाद योजना प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करता है कि पिछली पेंशन योग्य सेवा को नए नियोक्ता के साथ प्रदान की गई पेंशन योग्य सेवा के साथ जोड़ दिया जाए जिससे पेंशन लाभ बढ़ जाता है।
- इसके अलावा, पात्र सदस्य की मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों द्वारा पेंशन प्राप्त करने में भी योजना प्रमाण पत्र उपयोगी होता है।

नोट :

उमंग एप द्वारा लाभ:

- उमंग एप के माध्यम से योजना प्रमाण पत्र के लिये आवेदन आसान होने से सदस्यों को अब भौतिक रूप से आवेदन करने की अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। विशेष रूप से इससे COVID-19 महामारी के दौरान लाभ होगा और अनावश्यक कागजी कार्यवाही से भी मुक्ति मिलेगी।
- इस सुविधा से 5.89 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को लाभ होगा। उमंग एप पर सेवाएँ हासिल करने के लिये एक सक्रिय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number- UAN) और EPFO के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।

उमंग एप:

- भारत में मोबाइल गवर्नेंस को गति देने के लिये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नेशनल ई-गवर्नेंस डिविज़न (National e-Governance Division- NeGD) ने उमंग (यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज़ गवर्नेंस- Unified Mobile Application for New-age Governance) का विकास किया है।

हड़प्पा सभ्यता की खोज की शताब्दी को चिह्नित करने के लिये व्याख्यान श्रृंखला
Lecture series to mark centenary of discovery of Harappan civilization

मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सभ्यता की खोज के शताब्दी वर्ष को चिह्नित करने के लिये पुरातत्त्व एवं संग्रहालय निदेशालय, महाराष्ट्र (Directorate of Archaeology and Museums, Maharashtra) के सहयोग से 'इंडिया स्टडी सेंटर ट्रस्ट' (India Study Centre Trust) 5 अक्तूबर से 10-दिवसीय ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन करेगा।

प्रमुख बिंदु:

- इस कार्यक्रम के तहत दुनिया के विभिन्न हिस्सों के 10 से अधिक वक्ता जो विभिन्न पुरातात्विक परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं, व्याख्यान श्रृंखला के दौरान अपनी अंतर्दृष्टि साझा करेंगे।
  - मोहनजोदड़ो की खोज दुनिया में सबसे महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक है।
- हड़प्पा सभ्यता की खोज ने दुनिया का ध्यान भारतीय उपमहाद्वीप की ओर खींचा जिससे खोजकर्त्ताओं ने यहाँ की संस्कृति, समाज एवं अतीत का अध्ययन करने में रुचि दिखाई।
  - ब्रिटिश पुरातत्त्वशास्त्रियों के अनुसार, हड़प्पा सभ्यता की खोज से पहले 'मिस्र' पुरानी सभ्यताओं के अध्ययन का केंद्र था।
- 'इंडिया स्टडी सेंटर ट्रस्ट' ने पुरातत्त्व, भूविज्ञान एवं जैव विविधता के क्षेत्रों में मुख्य ध्यान केंद्रित किया है।

मोहनजोदड़ो:

- मोहनजोदड़ो को 'मृतकों का टीला' भी कहा जाता है। इसकी खोज वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी।
- मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है।
- मोहनजोदड़ो में की गई खोजों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - विशाल स्नानागर
  - अन्नागार
  - कांस्य की नर्तकी की मूर्ति
  - पशुपति महादेव की मुहर
  - दाड़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति
  - बुने हुए कपड़े
- मोहनजोदड़ो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक था जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है।

नोट :

- मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी, सड़कें सीधी दिशा में एक-दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार एवं चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थीं।
- यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिये नालियों की व्यवस्था थी।

'इंडिया स्टडी सेंटर ट्रस्ट' (India Study Centre Trust):

- 'इंडिया स्टडी सेंटर' एक ऐसा संगठन है जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, कला, भाषाओं और साहित्य, दर्शन, वास्तुकला, चिकित्सा विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान और गणित का अध्ययन करने के लिये प्रतिबद्ध है।

सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य Sajjangarh wildlife sanctuary

राजस्थान के उदयपुर ज़िले के प्रसिद्ध सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य (Sajjangarh Wildlife Sanctuary) में आक्रामक लैंटाना झाड़ियों (Lantana Bushes) को उखाड़ने के लिये एक विशेष अभियान ने घास के मैदानों की पारिस्थितिक पुनर्स्थापन एवं जैव विविधता को बचाने में मदद की है।

प्रमुख बिंदु:

- डेढ़ महीने के इस अभियान में देशी प्रजातियों के रोपण के साथ-साथ भूमि की साफ सफाई भी की गई है।

सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य (Sajjangarh Wildlife Sanctuary):

- दक्षिणी अरावली पहाड़ियों में यह छोटा अभयारण्य जो 5.19 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला हुआ है, बड़ी संख्या में शाकाहारी जीव-जंतुओं का निवास स्थल हैं।
- यहाँ एक कृत्रिम झील है जिसे 'जियान सागर' (Jiyan Sagar) के नाम से जाना जाता है, इसे 'टाइगर लेक' के नाम से भी जाना जाता है।
- इसे वर्ष 1987 में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था।

लैंटाना कैमरा (Lantana Camara):

- लैंटाना कैमरा (Lantana Camara) नामक घनी झाड़ियों ने इस अभयारण्य के विशाल भाग को कवर किया है जिससे अभयारण्य की वनस्पतियों के लिये पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश एवं पोषण नहीं मिल पाता है।
  - भारत में पहली बार वर्ष 1807 में 'लैंटाना कैमरा' का पता लगाया गया था।
- इसके पत्ते एवं पके फलों में ज़हरीले पदार्थ ने कई जानवरों को प्रभावित किया जबकि इसके विस्तार ने घास एवं अन्य झाड़ियों की प्राकृतिक वृद्धि को रोक दिया है।
- वनस्पति का पर्याप्त विकास न होने के कारण शाकाहारी जीवों को पर्याप्त चारा नहीं मिलता था परिणामत: मांसाहारी जीवों के शिकार का आधार कम हो रहा था, जिससे खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हो गया था।

मिशन लैंटाना (Mission Lantana):

- 'मिशन लैंटाना' को एक वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने अपने प्राकृतिक आवास के क्रमिक सिकुड़न के साथ चित्तीदार हिरणों के झुंडों के बीच एक बेचैनी को देखा था।
  - परिणामत: वन्यजीव विशेषज्ञों के साथ इस मामले पर चर्चा करके लैंटाना झाड़ियों से छुटकारा पाने के लिये कार्रवाई शुरू की गई जिसने लगभग 50% अभयारण्य को ढक रखा था।
- इस अभियान में वन अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, वन्यजीव प्रेमियों, स्वैच्छिक समूहों के प्रतिनिधियों एवं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सामूहिक प्रयास और 'श्रम दान' (स्वैच्छिक शारीरिक कार्य) शामिल थे।
- 45 दिनों के बाद, लगभग 10 हेक्टेयर भूमि को साफ कर दिया गया है। राजस्थान वन विभाग ने साफ की गई भूमि पर 500 से अधिक पौधे लगाए हैं।

नोट :

स्क्रब टाइफस Scrub Typhus

हाल ही में बैक्टीरियल बीमारी स्क्रब टाइफस (Scrub Typhus) जिसे बुश टाइफस (Bush Typhus) भी कहा जाता है, के प्रकोप से म्यांमार की सीमा से लगे नागालैंड के नोक्लाक (Noklak) ज़िले में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 600 लोग संक्रमित हुए हैं।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र मलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस एवं COVID-19 महामारी जैसी बीमारियों के प्रकोप से भी पीड़ित है।
  - यहाँ 'अफ्रीकन स्वाइन फीवर' (African swine fever) से मवेशी भी प्रभावित हुए हैं।
- स्क्रब टाइफस (Scrub Typhus) बीमारी, ओरिएंटिया त्सूत्सूगामुशी (Orientia Tsutsugamushi) बैक्टीरिया के कारण होती है।
- यह संक्रमण ट्रॉम्बिकुलिड (Trombiculid) परिवार के लारवल माइट्स (Larval Mites) के काटने के कारण फैलता है, जिसे चीगर्स (Chiggers) भी कहा जाता है।
- इस संक्रमण से रोगी में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं:
  - बुखार
  - सिरदर्द
  - शरीर में दर्द
  - कभी-कभी शरीर में दाने निकलना
- यह बीमारी अधिकतर दक्षिण-पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान, भारत एवं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीण क्षेत्रों में होती है।
- इस बीमारी के इलाज के लिये एंटीबायोटिक्स के अतिरिक्त कोई टीका उपलब्ध नहीं है।

टाइफस (Typhus):

- टाइफस बैक्टीरिया के संक्रामक रोगों का एक समूह है जिसमें एपिडमिक टाइफस (Epidemic Typhus), स्क्रब टाइफस और मुराइन टाइफस (Murine Typhus) शामिल हैं।
  - एपिडमिक टाइफस, रिकेट्सिया प्रोवाज़ेकी (Rickettsia Prowazekii) के कारण होता है।
  - मुराइन टाइफस, पिस्सू द्वारा फैलने वाले रिकेट्सिया टाइफी (Rickettsia Typhi) के कारण होता है।
- वर्ष 1812 में रूस पर आक्रमण के दौरान नेपोलियन की सेना एपिडमिक टाइफस से संक्रमित हो गई थी जिससे वह पीछे हट गया था।

कांगो फीवर Congo Fever

29 सितंबर, 2020 को महाराष्ट्र के पालघर प्रशासन ने ज़िले स्तर के अधिकारियों को पालघर ज़िले में कांगो फीवर (Congo Fever) के संभावित प्रसार के खिलाफ सतर्क रहने के निर्देश दिये हैं।

प्रमुख बिंदु:

- पालघर ज़िला प्रशासन ने कहा कि COVID-19 महामारी के मद्देनज़र 'कांगो फीवर' मवेशी प्रजनकों, माँस-विक्रेताओं एवं पशुपालन अधिकारियों के लिये चिंता का विषय है और इस समय सावधानी बरतना आवश्यक है क्योंकि इसका कोई विशिष्ट एवं उपयोगी उपचार नहीं है।
  - गौरतलब है कि CCHF के कई मामले गुजरात के कुछ ज़िलों में पाए गए हैं, अत: महाराष्ट्र के सीमावर्ती ज़िलों में इसके फैलने की संभावना है।
    - महाराष्ट्र का पालघर ज़िला, गुजरात के वलसाड ज़िले के करीब है।

नोट :

संक्रमण का प्रसार:

- यह वायरल बीमारी एक विशेष प्रकार की टिक द्वारा एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है।
- संक्रमित जानवरों के खून के संपर्क में आने या संक्रमित जानवरों का माँस खाने से यह बीमारी इंसानों में फैल जाती है।
- मानव-से-मानव में इस बीमारी का संचरण संक्रमित व्यक्तियों के रक्त स्राव, अंगों या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के निकट संपर्क के परिणामस्वरूप हो सकता है।

संक्रमण से खतरा:

- यदि इस बीमारी का समय पर निदान एवं उपचार नहीं किया जाता है तो 30% रोगियों की मृत्यु हो जाती है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, इस बीमारी के दौरान 10 से 40% की मृत्यु दर की स्थिति में यह वायरस गंभीर वायरल रक्तस्रावी बुखार के प्रकोप का कारण बनता है।

'क्रीमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर' या कांगो फीवर:

- 'क्रीमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर' (Crimean Congo Hemorrhagic Fever- CCHF), जिसे आमतौर पर 'कांगो फीवर' के नाम से जाना जाता है, मनुष्यों में ह्यालोम्मा टिक (Hyalomma Tick) के माध्यम से फैलता है।
- CCHF एक व्यापक बीमारी है जो बुन्याविरीडे (Bunyaviridae) परिवार के टिक-जनित वायरस (Tick-borne Virus) अर्थात् नैरोवायरस (Nairovirus) से होती है। अत: यह एक विषाणुजानित रोग है

लक्षण:

- CCHF के शुरूआती लक्षणों में बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, उल्टी, दस्त एवं त्वचा से रक्तस्राव शामिल हो सकते हैं।

कांगो फीवर की स्थानिक अवस्थिति:

- यह वायरस अफ्रीकी देशों, बाल्कन देशों, मध्य पूर्व एवं एशिया में किसी विशेष समय एवं स्थान पर अचानक फैलता है।

कांगो फीवर के बारे में पहली बार पता लगाया गया:

- वर्ष 2013 में ईरान, रूस, तुर्की एवं उज्बेकिस्तान में इस वायरस से कई लोग संक्रमित हुए थे किंतु पहली बार इस वायरस का पता 1940 के दशक में लगाया गया था।

संयुक्त अरब अमीरात का चंद्र मिशन Moon Mission of United Arab Emirates

29 सितंबर, 2020 को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि उनका देश वर्ष 2024 में चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम (Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum) जो दुबई के शासक भी हैं, ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की है।
  - शेख मोहम्मद की यह घोषणा UAE द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में एक 'मार्श प्रोब' (Mars Probe) शुरू करने के बाद हुई है, जो अरब प्रायद्वीप पर एक तेल समृद्ध राष्ट्र है।
- शेख मोहम्मद ने बताया कि चाँद पर भेजे जाने वाले रोवर का नाम 'राशिद' होगा जो उनके दिवंगत पिता शेख राशिद बिन सईद अल मकतौम (Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum) का नाम था।
- वर्ष 2024 में इस मिशन के सफल होने पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ एवं चीन के बाद चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला विश्व का चौथा राष्ट्र बन सकता है।
  - गौरतलब है कि भारत ने भी चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान को उतारने की कोशिश की थी किंतु असफल रहा था। भारत की तरह इज़राइल एवं जापान ने भी कोशिश की थी किंतु वे सफल नहीं हुए।

नोट :

पीएमएनसीएच अकाउंटबिलिटी ब्रेकफास्ट-2020
PMNCH Accountability Breakfast-2020

29 सितंबर, 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मातृ, नवजात एवं बाल स्वास्थ्य के लिये भागीदारी (The Partnership for Maternal, Newborn and Child Health- PMNCH) हेतु अकाउंटबिलिटी ब्रेकफास्ट-2020 (Accountability Breakfast-2020) कार्यक्रम में भाग लिया।

थीम:

- इस वर्ष के लिये इस कार्यक्रम की थीम 'COVID-19 महामारी से प्रजनन, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में कड़ी मेहनत से अर्जित लाभ की रक्षा करने का प्रयास करना' है।

कार्यक्रम की मेज़बानी:

- इस आयोजन की संयुक्त-मेज़बानी 'व्हाइट रिबन अलायंस' (White Ribbon Alliance- WRA) एवं 'एवरी वुमन एवरी चाइल्ड' (Every Woman Every Child- EWEC) द्वारा की गई थी।

प्रमुख बिंदु:

- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में COVID-19 के प्रभाव पर बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बताया कि इस महामारी का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं, बच्चों एवं किशोरों पर हुआ है और इसके लिये तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया गया है।

सुमन (Safe Motherhood Assurance- SUMAN) पहल:

- इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित सभी सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।
- इस पहल के तहत अब गर्भवती महिलाओं एवं उनके नवजात शिशुओं के लिये सेवा अस्वीकृति के संदर्भ 'ज़ीरो टॉलरेंस' की नीति को अपनाया जा रहा है तथा ग्राहक प्रतिक्रिया, शिकायत निवारण एवं अधिक जवाबदेही व पारदर्शिता के लिये चिकित्सा प्रणाली को भी मज़बूत किया गया है।

'व्हाइट रिबन अलायंस' (White Ribbon Alliance- WRA):

- यह एक निष्पक्षीय, गैर-लाभकारी एवं गैर-सरकारी सदस्यता संगठन है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मातृ एवं नवजात मृत्यु को कम करना है।
- इसका गठन वर्ष 1999 में किया गया था।
- इस संगठन का मिशन उन अधिवक्ताओं को प्रेरित करना या बुलाना है जो सभी महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने और प्रसव से पहले एवं बाद में सुरक्षित व स्वस्थ रहने के लिये अभियान चलाते हैं।

'एवरी वुमन एवरी चाइल्ड' (Every Woman Every Child- EWEC):

- इसे सितंबर, 2010 में संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (United Nations Millennium Development Goals) के शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान-की-मून द्वारा लॉन्च किया गया।
- यह एक अभूतपूर्व वैश्विक आंदोलन है जो दुनिया भर में महिलाओं, बच्चों एवं किशोरों के सामने प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिये सरकारों, निजी क्षेत्रों एवं नागरिक समाजों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कार्रवाई को गति प्रदान करता है।

धूमकेतु 67पी Comet 67P

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency) के रोसेटा मिशन (Rosetta Mission) ने पता लगाया है कि धूमकेतु 67पी (Comet 67P) की अपनी उत्तरी रोशनी (Northern Lights) होती है।

प्रमुख बिंदु:

- नासा का कहना है कि यह पहली बार है जब किसी आकाशीय वस्तु (धूमकेतु 67पी) पर अल्ट्रावायलेट ऑरोरा (Ultraviolet Aurora) पाया गया है।

नोट :

- यह पहली बार है जब पराबैंगनी किरणों के रूप में इस तरह के विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन को किसी ग्रह या चंद्रमा के अतिरिक्त एक आकाशीय वस्तु पर देखा गया है।
- सौर मंडल में बृहस्पति एवं उसके चंद्रमा के साथ-साथ शनि, यूरेनस, नेप्च्यून, मंगल में भी उत्तरी रोशनी (Northern Lights) दिखाई देती है।
- पृथ्वी पर ऑरोरा (Aurora), जिसे 'उत्तरी या दक्षिणी प्रकाश' या ध्रुवीय ज्योति के रूप में भी जाना जाता है, तब उत्पन्न होता है जब सूर्य से आने वाले तेज़ गति के विद्युत आवेशित कण ऊपरी वायुमंडल से टकरा कर हरे, सफेद एवं लाल रंग की रंगीन झिलमिलाहट पैदा करते हैं।
- इस खोज से संबंधित जानकारी को 'नेचर एस्ट्रोनॉमी' (Nature Astronomy) नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया था।

रोसेटा मिशन (Rosetta Mission):

- रोसेट्टा मिशन को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा वर्ष 2004 में धूमकेतु 67P/चुर्युमोव गेरासिमेंको (Churyumov-Gerasimenko) का पता लगाने एवं धूमकेतु के नाभिक और उसके पर्यावरण का अध्ययन करने के लिये लॉन्च किया गया था।
- यह किसी धूमकेतु के नाभिक की परिक्रमा करने एवं उसकी सतह की जाँच करने वाला पहला मिशन था।
- रोसेटा स्पेसक्राफ्ट ने अगस्त, 2014 से सितंबर, 2016 तक धूमकेतु 67P की परिक्रमा करके जानकारी संग्रहित की।

नोट :

विविध

अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस

प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस (International Day of Democracy) के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस आम जनमानस को विश्व भर में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लोकतंत्र समावेश, समान व्यवहार और भागीदारी पर बनाया गया है और केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, राष्ट्रीय शासी निकाय, नागरिक समाज और आम व्यक्तियों की पूर्ण भादीगारी के माध्यम से ही जीवंत लोकतंत्र का निर्माण किया जा सकता है। इस दृष्टि से स्वतंत्रता के मूल्य, मानव अधिकारों के लिये सम्मान और सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव कराना आदि लोकतंत्र के आवश्यक तत्त्व हैं। यह दिवस वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से विभिन्न देशों की सरकारों को अपने देश में लोकतंत्र को मज़बूत और समेकित करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित किया गया था, इसके पश्चात् वर्ष 2008 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया था। वर्ष 2020 के लिये इस दिवस की थीम 'COVID-19- ए स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी' (COVID-19: A Spotlight on Democracy) रखी गई है।

आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020

आयुर्वेद के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा मौजूदा बाधाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से हाल ही में राज्यसभा ने आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020 पारित किया है। इस विधेयक में गुजरात के जामनगर में स्थित आयुर्वेद के तीन संस्थानों का एक ही संस्थान में विलय कर आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने और इस नए संस्थान को राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रस्ताव किया गया है। इन संस्थानों में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, श्रीगुलाब कुनवेर्बा आयुर्वेद महाविद्यालय और भारतीय आयुर्वेद फार्मासयुटिकल्स साइंस संस्थान शामिल हैं। इस अवसर पर सदन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि 'केंद्र सरकार आयुर्वेद समेत तमाम प्राचीन चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है। इसी के मद्देनज़र आयुष मंत्रालय ने देश भर के सभी राष्ट्रीय संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

हरिवंश नारायण सिंह

हाल ही में आयोजित चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह को एक बार पुन: राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर चुन लिया गया है, इस पद पर यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। 30 जून, 1956 को जन्मे हरिवंश नारायण सिंह ने अगस्त 2018 में राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत की थी, जो कि अप्रैल 2020 में समाप्त हुआ था। नियमों के अनुसार, उपसभापति ऊपरी सदन का पीठासीन अधिकारी होता है और राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति के रूप में चुना जाता है। सभापति का पद खाली रहने अथवा सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, सभापति के रूप में कार्य करता है और उसमें सभापति की सभी शक्तियाँ निहित हो जाती हैं।

विश्व ओज़ोन दिवस

प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओज़ोन दिवस (World Ozone Day) के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ओज़ोन परत में हो रहे क्षरण के बारे में आम लोगों में जागरूक करना और इसे संरक्षित करने के संभावित समाधानों की खोज करना है। ओज़ोन (Ozone-O3) ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बेहद कम मात्रा में पाई जाती हैं। ओज़ोन गैस समतापमंडल (Stratosphere) में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी परत के रूप में पाई जाती है। यह वायुमंडल में मौजूद समस्त ओज़ोन का कुल 90 प्रतिशत है। इसे ही ओज़ोन परत के नाम से जाना जाता है और यह परत पृथ्वी को सूरज की सबसे हानिकारक पराबैंगनी विकिरण (UV) से बचाती है। गौरतलब है कि 19 दिसंबर, 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1987 में 16 सितंबर के दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (Montreal Protocol) पर हस्ताक्षर किये जाने के उपलक्ष्य में विश्व ओज़ोन दिवस मनाने की घोषणा की थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओज़ोन परत की क्षरण के लिये उत्तरदायी पदार्थों के उत्पादन को कम करके ओज़ोन परत का संरक्षण सुनिश्चित करना है।

नोट :

राजेश खुल्लर

हरियाणा के वरिष्ठ IAS अधिकारी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को तीन वर्ष के लिये विश्व बैंक (World Bank) का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। कार्यकारी निदेशक के तौर पर राजेश खुल्लर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्त्व करेंगे। ध्यातव्य है कि विश्व बैंक समूह में कुल 25 कार्यकारी निदेशक शामिल होते हैं जो कि किसी एक देश अथवा देशों के एक समूह क्षेत्र का प्रतिनिधित्त्व करते हैं। नियमों के मुताबिक इन कार्यकारी निदेशकों को या तो नियुक्त किया जाता है अथवा इनके लिये चुनाव होता है। वर्ष 1988 बैच के IAS अधिकारी राजेश खुल्लर लगभग पाँच वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रह चुके हैं। राजेश खुल्लर ने वर्ष 1984 में भौतिक विज्ञान (Physics) में पंजाब विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री हासिल की थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने के बाद से राजेश खुल्लर केंद्र और राज्य स्तर (हरियाणा) पर कई महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं, जिसमें वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव का पद भी शामिल है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है और यह कई संस्थाओं का समूह है। विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिये ऋण देता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिये ही ऋण देता है।

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक 2020

देश भर के सहकारी बैंकों की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए हाल ही में लोकसभा ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक 2020 पारित किया है। इस विधेयक में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 को संशोधित करने के प्रस्ताव किया गया है। इस नए विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार का लक्ष्य देश भर के सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पर्यवेक्षण में लाना है। ध्यातव्य है कि सर्वप्रथम मार्च माह में इस विधेयक को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, किंतु उस समय महामारी के कारण यह पारित नहीं हो सका था, जिसके बाद जून माह में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर के 1,482 शहरी और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के सर्वेक्षण में लाने के लिये अध्यादेश को मंज़ूरी दी थी। इस विधेयक के प्रावधान प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) या ऐसी सहकारी समितियों पर लागू नहीं होते हैं जिनका प्राथमिक उद्देश्य और प्रमुख व्यवसाय कृषि विकास के लिये दीर्घकालिक वित्त प्रदान करना है। उल्लेखनीय है कि महामारी के कारण सहकारी बैंकों में लगातार आर्थिक तनाव बढ़ रहा है और मार्च 2020 में देश के सहकारी बैंकों का सकल NPA अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक हो गया है, जो कि मार्च 2019 में लगभग 7.27 प्रतिशत पर था।

भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास के अध्ययन हेतु विशेषज्ञ समिति

केंद्र सरकार ने लगभग 12,000 वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर अध्ययन करने के लिये एक 16 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व वर्ष 2016 में भी इसी प्रकार की एक समिति का गठन किया गया था, किंतु वह समिति एक वर्ष की समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रही थी। इस समिति का मुख्य उद्देश्य पुरातत्विक, खगोलीय और साहित्यिक साक्ष्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति के बारे में पश्चिमी विद्वानों द्वारा बनाई गई गलत धारणाओं को समाप्त करना है। यद्यपि इस संबंध में कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं हैं कि भारतीय संस्कृति 12,000 वर्ष पुरानी है, किंतु मेहरगढ़ (अब पाकिस्तान में) में पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों से यह तय हो गया है कि भारतीय सभ्यता की आयु तकरीबन 10,000 वर्ष पुरानी हो सकती है।

कपिला वात्स्यायन

16 सितंबर, 2020 को प्रसिद्ध कला विद्वान, लेखक और विशेषज्ञ कपिला वात्स्यायन का 92 वर्ष की उम्र में दिल्ली स्थित उनके घर पर निधन हो गया है। वर्ष 2011 में पद्म विभूषण से सम्मानित कपिला वात्स्यायन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक थीं। कला इतिहास, वास्तुकला और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सुविख्यात विद्वान कपिला वात्स्यायन का जन्म वर्ष 1928 में नई दिल्ली में हुआ था और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर की डिग्री प्राप्त की थी। कपिला वात्स्यायन ने अपने लंबे कैरियर में कला के विभिन्न रूपों और उनके इतिहास पर लगभग 20 किताबें लिखी थीं। वर्ष 1970 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप और वर्ष 2000 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना

टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के एक हिस्से के रूप में 861.90 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन के निर्माण के लिये बोली प्रक्रिया में जीत हासिल की है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2019 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना की परिकल्पना की गई थी। इस पुनर्विकास परियोजना में एक नए संसद भवन का निर्माण प्रस्तावित है जो कि आकार में

नोट :

त्रिकोणीय होगा और वर्तमान संसद भवन के पास ही बनाया जाएगा। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में नॉर्थ व साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदल दिया जाएगा और इसके स्थान पर नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। इस क्षेत्र में विभिन्न मंत्रालयों व उनके विभागों के लिये कार्यालयों का भी निर्माण किया जाएगा। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नार्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट और अन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार जिस क्षेत्र में स्थित हैं, उसे सामूहिक रूप से सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इसकी लंबाई अनुमानत: 3.2 कि.मी है। इन भवनों के निर्माण का उत्तरदायित्व एडविन लुटियंस (Edwin Lutyens) व हर्बर्ट बेकर (Herbert Baker) को दिया गया।

टेको कोनिशी

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने टेको कोनीशी (Takeo Konishi) को भारत के लिये अपना नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। नई दिल्ली में भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर टेको कोनीशी भारत में सरकार और अन्य विकास सहयोगियों के साथ एशियाई विकास बैंक (ADB) की नीतियों के संचालन और संवाद का नेतृत्त्व करेंगे। ध्यातव्य है की टेको कोनिशी को एशियाई विकास बैंक (ADB) में कार्य करने का दो दशक से भी लंबा अनुभव है, जिसमें उन्होंने कई महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। एशियाई विकास बैंक (ADB) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर, 1966 को 31 सदस्यों के साथ की गई थी। ADB का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। वर्तमान में ADB में 68 सदस्य हैं, जिनमें से 49 एशिया-प्रशांत क्षेत्र के हैं।

दरभंगा में नया एम्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Sciences- AIIMS) की स्थापना को मंज़ूरी दी है। दरभंगा में बनाए जाने वाले इस नए एम्स (AIIMS) की लागत तकरीबन 1264 करोड़ रुपए होगी और इसका कार्य भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की तारीख से चार वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। इस नए एम्स की स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के तहत की जाएगी। इस नए एम्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दरभंगा क्षेत्र को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा और अनुसंधान सुविधा प्रदान करना है। इसके अलावा इस नए एम्स की स्थापना से इस क्षेत्र में रोज़गार सृजन करने में भी मदद मिलेगी।

यूज़र शुल्क

भारतीय रेलवे जल्द ही उच्च भीड़-भाड़ वाले देश के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेन किराये के साथ एक अतिरिक्त 'यूज़र शुल्क' अधिरोपित करने का विचार कर रही है। इस अतिरिक्त 'यूज़र शुल्क' का इस्तेमाल रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और निवेश को आकर्षित करने के लिये बुनियादी ढाँचे को आधुनिक बनाने हेतु किया जाएगा। गौरतलब है कि देश भर के 70,000 से अधिक रेलवे स्टेशनों में से केवल 10 से 15 प्रतिशत यानी केवल 700-1000 स्टेशनों पर ही इस प्रकार का शुल्क अधिरोपित किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने अभी तक इस शुल्क के तहत वसूली जाने वाली राशि निर्धारित नहीं की है। भारतीय रेलवे 'यूज़र शुल्क' का निर्धारण स्टेशन पर एकत्र होने वाली भीड़ के आधार पर कर सकती है, साथ ही इस दौरान यह भी ध्यान रखा जाएगा कि उस स्टेशन को पुनर्विकास अथवा विस्तार की आवश्यकता है या नहीं।

विश्व रोगी सुरक्षा दिवस

प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस (World Patient Safety Day) के रूप में मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस वैश्विक एकजुटता और सभी देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों द्वारा रोगी सुरक्षा में सुधार के लिये ठोस कार्रवाई का आह्वान करता है। इसके अतिरिक्त यह दिवस दुनिया भर के मरीज़ों, उनके परिवारों, समुदायों, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं और नीति-निर्माताओं को एक साथ लाने का प्रयास करता है, ताकि वे रोगी सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर सकें। 25 मई 2019 को विश्व स्वास्थ्य सभा ने अपने 72वें सम्मेलन में रोगी सुरक्षा को एक वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता देने और प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रकार वैश्विक स्तर पर पहला विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर, 2019 को मनाया गया था। वर्ष 2020 के लिये इस दिवस की थीम 'सुरक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, सुरक्षित रोगी' (Safe Health Workers, Safe Patients) चुनी गई है।

मुगल संग्रहालय

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा है। आगरा में हेरिटेज सेंटर और ताज ओरिएंटेशन सेंटर जैसी परियोजनाओं के साथ मुगल संग्रहालय की आधारशिला तत्कालीन

नोट :

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनवरी 2016 में रखी थी। ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास लगभग 6 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस संग्रहालय का निर्माण मुख्य तौर पर मुगलों के समय के हथियारों, संस्कृति और पोशाक के बारे में पर्यटकों को अवगत कराने के लिये किया जा रहा है। हालाँकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि नाम में परिवर्तन होने के साथ इस परियोजना की प्रकृति में भी परिवर्तन किया जाएगा अथवा नहीं।

9 राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में 14,258 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इन परियोजनाओं में 350 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण करना शामिल हैं जिनकी लागत 14,258 करोड़ रुपए होगी। उल्लेखनीय है कि बिहार के विकास का मार्ग प्रशस्त करने से ये सड़कें राज्य के भीतर और आसपास बेहतर संपर्क, सुविधा और आर्थिक विकास को बढ़ाने में मदद करेंगी। खासकर उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ आम लोगों और सामानों की आवाजाही में काफी सुधार होने की संभावना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 'घर तक फाइबर' परियोजना का भी उद्घाटन किया है, जिसमें बिहार के सभी 45,945 गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे बिहार के सभी गांव आने वाले दिनों में इंटरनेट से जुड़ जाएंगे, जिससे ग्रामीण लोग भी सशक्त हो सकेंगे। गौरतलब है कि गांवों में इंटरनेट की सुविधा मिलने से ई-एजुकेशन, ई-एग्रीकल्चर, टेली-मेडिसिन, टेली-लॉ और सामाजिक सुरक्षा योजना समेत अन्य योजनाएं डिजिटल माध्यम से सभी नागरिकों मिल सकेगी।

आम जनता के लिये खुला ताजमहल

उत्तरप्रदेश में आगरा स्थित ताजमहल समेत राज्य भर में कई ऐतिहासिक स्मारक छह महीने के अंतराल के बाद आम जनता के लिये खोले जा रहे हैं। कोरोना वायरस (COVID-19) के तीव्र संक्रमण को देखते हुए पर्यटकों के लिये सख्त दिशा-निर्देशों जारी किये गए हैं। लगभग छह माह तक पर्यटकों के लिये बंद रहने के बाद लखनऊ के प्रसिद्ध छोटे और बड़े इमामबाड़ा, वाराणसी के सारनाथ संग्रहालय जैसे कई अन्य स्मारक भी आम जनता के लिये खोल दिये गए हैं। इस संबंध में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा जारी नवीनतम नियमों के अनुसार, एक दिन में पाँच हज़ार से अधिक आगंतुकों को अनुमति नहीं दी जाएगी। दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए प्रत्यक्ष रूप से टिकट खरीदने की व्यवस्था को बंद कर दिया गया है और केवल टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग ही की जाएगी। इसके अलावा ताजमहल के समाधी क्षेत्र में एक बार में केवल पाँच लोगों को ही अनुमति दी जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस

विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस (International Day of Peace) के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच शांति व्यवस्था कायम रखने के लिये प्रयास करना और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और विवादों पर विराम लगाना है। वर्ष 2020 के लिये इस दिवस की थीम 'शेपिंग पीस टूगेदर' (Shaping Peace Together) रखी गई है। संयुक्त राष्ट्र (UN) महासभा ने इस दिवस को अहिंसा और संघर्ष विराम के अवलोकन के माध्यम से शांति के आदर्शों को मज़बूत बनाने हेतु एक दिवस के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसके पश्चात् पहली बार वर्ष 1982 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया था। वर्ष 1982 से लेकर वर्ष 2001 तक सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता था, किंतु वर्ष 2002 से इसके लिये 21 सितंबर की तारीख निर्धारित कर दी गई।

अनिल धस्माना

भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अनिल धस्माना की नियुक्ति को मंज़ूरी दी है। अनिल धस्माना ने खुफिया विभाग के पूर्व अधिकारी सतीश झा का स्थान लिया है। अनिल धस्माना वर्ष 1981 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी हैं और उन्हें पाकिस्तान के मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। अनिल धस्माना वर्ष 1993 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) में शामिल हुए थे। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) का गठन कारगिल युद्ध के पश्चात् एक समर्पित तकनीकी खुफिया एजेंसी के रूप में किया गया था।

नोट :

भारत-मालदीव के बीच प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा

हाल ही में भारत और मालदीव के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है, जिसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में एक नए मील के पत्थर के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। इस कार्गो फेरी सेवा की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2019 में मालदीव की यात्रा के दौरान की गई थी। कार्गो सेवा एक माह में दो बार संचालित की जाएगी और इसका संचालन भारतीय नौवहन निगम (SCI) द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत वर्तमान में मालदीव का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, और इस कार्गो सेवा की शुरुआत के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा से परिवहन की लागत में कमी आएगी और भारत तथा मालदीव के बीच माल के परिवहन के लिये समयबद्ध, लघु और लागत प्रभावी साधन उपलब्ध कराएगी। कार्गो फेरी में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे मछलियों समेत अन्य समुद्री खाद्य पदार्थों का मालदीव से अधिक निर्यात किया जा सकेगा। चूँकि मालदीव 100 प्रतिशत आयात-निर्भर देश है, इसलिये प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत से भारत और मालदीव के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना

हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना (MMUY) की घोषणा की है, जिसके तहत राज्य में महिला समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना (MMUY) के तहत शहरी क्षेत्रों में 50000 संयुक्त देयता और आय समूह (JLEG) बनाए जाएंगे। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50000 JLEG बनाए जाएंगे। इस प्रत्येक समूह में 10 महिला सदस्य होंगी और इन समूहों को सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस योजना के तहत ब्याज राशि का वहन स्वयं राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। सरकार ने इन महिला समूहों को दिये जाने वाले ऋण के लिये स्टांप शुल्क माफ करने का भी निर्णय लिया है। राज्य सरकार इस योजना के तहत सभी संयुक्त देयता और आय समूहों (JLEG) को 1 लाख रूपए तक की राशि प्रदान करेगी।

विश्व गैंडा दिवस

प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को वैश्विक स्तर पर विश्व गैंडा दिवस (World Rhino Day) मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य गैंडों की देखरेख, सुरक्षा और संरक्षण के संबंध में जागरूकता फैलाना है। गैंडा स्तनपायी और पूरी तरह शाकाहारी प्राणी है। विश्व में गैंडे की पाँच प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से दो अफ्रीका में तथा तीन दक्षिण एशिया के देशों में मिलती हैं। भारत में एक सींग वाले गैंडों की संख्या सबसे अधिक है। असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में एक सींग वाले 3000 गैंडे हैं। विश्व गैंडा दिवस की शुरुआत वर्ष 2010 में विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund-WWF) द्वारा की गई थी। भारत में सबसे अधिक गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं।

मालदीव को भारत की वित्तीय सहायता

भारत ने मालदीव सरकार को कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिये बजटीय सहायता के रूप में 250 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने महामारी के इस कठिन दौर में मालदीव की आर्थिक सहायता की है, जो कि मालदीव के राजस्व के अंतर को कम करने में मदद करेगा और इससे मालदीव सरकार की तत्काल आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। ध्यातव्य है कि मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन उद्योग है, जिस पर महामारी का काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारत द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता से मौजूदा कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के बीच दोनों देशों के संबंधों को और अधिक मज़बूत करने में भी सहायता मिलेगी। ध्यातव्य है कि जब वैश्विक स्तर पर महामारी ने आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया था तो भारत ने मई माह में 580 टन खाद्य पदार्थ समेत मालदीव को आवश्यक खाद्य और निर्माण सामग्री की आपूर्ति की थी।

रामधारी सिंह दिनकर

23 सितंबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि 'दिनकर की कालजयी कविताएँ साहित्य प्रेमियों को ही नहीं, बल्कि समस्त देशवासियों को निरंतर प्रेरित करती रहेंगी। हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर, 1908 को बेगूसराय (हालाँकि अधिकांश लोग मुंगेर को उनके जन्मस्थान के रूप में जानते हैं क्योंकि बेगूसराय उनके जन्म के समय और उनके अधिकांश जीवनकाल में मुंगेर का हिस्सा था) के सिमरिया गाँव में एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद वर्ष 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो रामधारी सिंह दिनकर को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया और वे बिहार से दिल्ली आ गए। दिनकर ओज के कवि माने जाते हैं, और उनकी भाषा अत्यंत प्रवाहपूर्ण,

नोट :

ओजस्वी और सरल थी। दिनकर के साहित्य में विचार और संवेदना का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। दिनकर जी को उनकी पुस्तक 'संस्कृति के चार अध्याय' के लिये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्मभूषण से भी सम्मानित किया गया था। दिनकर की प्रमुख कृतियों में हुँकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा, उर्वशी और संस्कृति के चार अध्याय आदि शामिल हैं।

अंग रीता शेरपा

नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही और संरक्षक अंग रीता शेरपा (Ang Rita Sherpa) का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 'स्नो लेपर्ड' (Snow Leopard) के नाम से प्रसिद्ध अंग रीता शेरपा को वर्ष 2017 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने वर्ष 1983 से वर्ष 1996 के बीच 10 बार बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के एकमात्र व्यक्ति के रूप में मान्यता दी थी। विदित हो कि यह रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है। अंग रीता शेरपा का जन्म वर्ष 1948 में पूर्वी नेपाल के एक छोटे से गाँव में हुआ था। उन्होंने काफी छोटी सी उम्र में ही शेरपा के तौर पर कार्य करना शुरू कर दिया था। शेरपा हिमालयी लोगों का एक वंश है, जो पर्वतारोहण में अपने कौशल के लिये काफी प्रसिद्ध होते हैं। अंग रीता शेरपा नेपाल के द माउंटेन इंस्टीट्यूट का हिस्सा थे और उन्होंने हिमालयी क्षेत्र के संरक्षण हेतु द माउंटेन इंस्टीट्यूट से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं में कार्य किया था। हिमालयी पारिस्थितिकी के संरक्षण के प्रयासों के लिये उन्हें वर्ष 2011 में सर एडमंड हिलेरी माउंटेन लिगेसी मेडल से भी सम्मानित किया गया था।

हाइफा दिवस

प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को भारतीय सेना द्वारा हाइफा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाइफा दिवस का मुख्य उद्देश्य हाइफा के युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करना है हाइफा का युद्ध 23 सितंबर, 1918 को हुआ था जिसमें जोधपुर, मैसूर तथा हैदराबाद के सैनिकों, जो कि 15 इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड का हिस्सा थे, ने मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्वयुद्ध में भाग लेकर जर्मनी व तुर्की के आधिपत्य वाले इज़राइल के हाइफा शहर को मुक्त करवाया था। इस युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने दिल्ली स्थित विख्यात तीन मूर्ति मेमोरियल को तीन मूर्ति हाइफा मेमोरियल के रूप में पुन: नामित किया है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) विधेयक, 2020

हाल ही में राज्यसभा ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित कर दिया है। इस विधेयक के तहत सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला तथा रायचूर स्थित 5 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIITs) को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 के तहत पहले से मौजूद 15 IIITs के साथ वैधानिक दर्जा देते हुए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड में राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान के रूप में घोषित किया जाएगा। यह विधेयक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIITs) को नवीन एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से देश में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित करेगा। विधेयक के माध्यम से उद्योग और अर्थव्यवस्था की उभरती ज़रूरतों के अनुरूप, कुशल तकनीकी श्रमशक्ति की आपूर्ति होने की उम्मीद है।

शिवांगी सिंह

फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जल्द ही राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनने वाली हैं। हालाँकि अभी इस संबंध में आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ध्यातव्य है कि इन राफेल विमानों को 10 सितंबर, 2020 को औपचारिक तौर पर भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया था। शिवांगी सिंह वर्तमान में राफेल उड़ाने के लिये प्रशिक्षण ले रही हैं और जल्द ही वे हरियाणा स्थित अंबाला एयर बेस में नंबर 17 स्क्वाड्रन 'गोल्डन एरो' में शामिल हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली शिवांगी सिंह वर्ष 2017 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुईं थीं और अब तक वे मिग -21 बाइसन विमान उड़ा रहीं थीं। उल्लेखनीय है कि शिवांगी सिंह भारतीय वायु सेना में शामिल 10 महिला फाइटर पायलटों में से एक हैं, वहीं भारतीय वायुसेना में सेवारत महिला अधिकारियों की कुल संख्या 1,875 है। 29 जुलाई, 2020 को 7000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पाँच राफेल लड़ाकू विमान (Rafale Fighter Jets) फ्राँस से हरियाणा स्थित अंबाला एयर बेस (Ambala Air Base) पहुँचे थे। ज्ञात हो कि भारत सरकार ने सितंबर 2016 में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिये फ्राँस के साथ एक अंतर-सरकारी समझौता किया और इस समझौते के तहत सभी 36 राफेल लड़ाकू विमान वर्ष 2021 तक भारत पहुँच जाएँगे। वर्ष 2001 में प्रस्तुत किया गया राफेल (Rafale) फ्राँस का डबल इंजन वाला और मल्टीरोल लड़ाकू विमान है, जिसे फ्राँस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा डिज़ाइन किया गया है।

नोट :

राष्ट्रीय सेवा योजना

24 सितंबर, 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से वर्ष 2018-19 के लिये राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) पुरस्कार प्रदान किया है। वर्ष 2018-19 के लिये राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) पुरस्कार 3 विभिन्न श्रेणियों यथा- विश्वविद्यालय/ +2 परिषद, NSS इकाइयाँ और उनके कार्यक्रम अधिकारी और NSS स्वयंसेवक में 42 विजेताओं को दिया गया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के युवा मामलों का विभाग देश में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों/कॉलेजों, (+2) परिषदों, वरिष्ठ माध्यमिक, NSS इकाइयों/कार्यक्रम अधिकारियों और NSS स्वयंसेवकों द्वारा की गई स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा मे उत्कृष्ट योगदान को पहचानने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिये प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है। ध्यातव्य है कि वर्तमान में NSS के पूरे देश में फैले हुए लगभग 40 लाख स्वयंसेवक हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वर्ष 1969 में शुरू किया गया था और इसका प्राथमिक उद्देश्य स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवा छात्रों के व्यक्तित्त्व और चरित्र को विकसित करना है। राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) का आदर्श वाक्य 'स्वयं से पहले आप' है। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के स्वयंसेवक सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों पर कार्य करते हैं।

सऊदी अरब ने लगाया भारत पर यात्रा प्रतिबंध

कोरोना वायरस (COVID-19) के मामलों में वृद्धि के मद्देनज़र सऊदी अरब प्रशासन ने भारत से और भारत को जाने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में सऊदी अरब प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, भारत, ब्राज़ील और अर्जेंटीना से आने और जाने वाली सभी हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालाँकि इन प्रतिबंधों के तहत आधिकारिक यात्रा पर आने वाले लोगों को छूट प्रदान की गई है। सऊदी अरब सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार, भारत से यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को यात्रा से 96 घंटे पूर्व RT-PCR परीक्षण का नकारात्मक प्रमाणपत्र लाना आवश्यक है। इसके अलावा हॉन्गकॉन्ग ने भी 3 अक्तूबर, 2020 तक एयर इंडिया की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सुरेश अंगडी

केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 01 जून, 1955 को कर्नाटक के बेलगाम ज़िले में जन्मे सुरेश अंगडी बेलगाम 17वीं लोकसभा के लिये निर्वाचित हुए थे और उन्हें रेल राज्य मंत्री का पदभार सौंपा गया था। कर्नाटक के एक कॉलेज से स्नातक करने के बाद उन्होंने राजा लखमगौड़ा लॉ कॉलेज, बेलगाम से कानून की पढ़ाई की थी। वर्ष 1996 में वे भारतीय जनता पार्टी (BJP) की बेलगाम इकाई के उपाध्यक्ष बने थे और वर्ष 1999 तक वे इसी पद पर रहे। वर्ष 2004 में वे 14वीं लोकसभा के लिये पहली बार निर्वाचित हुए थे और उन्हें खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया था। इसके बाद वे वर्ष 2009, वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में भी लोकसभा के लिये निर्वाचित हुए।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्श हमें गरीबों की सेवा करने और उनके जीवन में सकारात्मक अंतर सुनिश्चित करने के लिये प्रेरित करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर, 1916 को मथुरा ज़िले के नगला चंद्रभान गाँव में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ थे। इनके द्वारा प्रस्तुत दर्शन को 'एकात्म मानववाद' (Integral humanism) कहा जाता है जिसका उद्देश्य एक ऐसा 'स्वदेशी सामाजिक-आर्थिक मॉडल' प्रस्तुत करना था जिसमें विकास के केंद्र में मानव हो। वर्ष 1942 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में एक पूर्णकालिक कार्यकर्त्ता के रूप में शामिल हुए, जिन्हें संघ प्रचारक कहा जाता है। इसके पश्चात् उन्होंने वर्ष 1940 के दशक में लखनऊ से 'राष्ट्र धर्म' नाम से एक मासिक पत्रिका की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य हिंदुत्व राष्ट्रवाद की विचारधारा का प्रसार करना था। इसके बाद उन्होंने पांचजन्य और स्वदेश जैसी पत्रिकाओं की भी शुरुआत की। वर्ष 1967 में जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के एक वर्ष बाद पटना में एक ट्रेन यात्रा के दौरान अज्ञात कारणों से उनकी मृत्यु हो गई।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग

25 सितंबर, 2020 से देश में चिकित्सा शिक्षा और व्यवसाय के शीर्ष नियामक के तौर पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission-NMC) अस्तित्त्व में आ गया है। इस आयोग ने भारतीय चिकित्सा परिषद (Medical Council of In-

नोट :

dia) का स्थान लिया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की स्थापना मुख्यत: चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिये एक सरकारी कदम के रूप में की गई है। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) को समाप्त करने का निर्णय लिया था। MCI की स्थापना वर्ष 1934 में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1933 के तहत की गई थी, जिसका मुख्य कार्य देश में चिकित्सा योग्यता को मान्यता देने के लिये समान मानक स्थापित करना था। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के ENT (Ear Nose Throat) विभाग के पूर्व प्रमुख डॉ. सुरेश चंद्र शर्मा को तीन वर्ष के लिये आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में बडे सुधारों के प्रावधान वाले राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम को राष्ट्रपति ने पिछले वर्ष 8 अगस्त को मंज़ूरी दी थी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) में चार अलग स्वायत्त बोर्ड शामिल होंगे- स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड और एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड।

विश्व समुद्री दिवस

विश्व की अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उद्योगों खासतौर पर शिपिंग उद्योग के योगदान को चिह्नित करने के लिये वैश्विक स्तर पर 24 सितंबर, 2020 को विश्व समुद्री दिवस (World Maritime Day) का आयोजन किया गया। यद्यपि इस दिवस के आयोजन की तारीख प्रत्येक देश की सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, किंतु आमतौर पर यह दिवस सितंबर माह के अंतिम गुरुवार (Thursday) को मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, शिपिंग सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण के महत्त्व के संबंध में जागरूकता पैदा करना है। पहली बार विश्व समुद्री दिवस 17 मार्च, 1978 को आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि विश्व एक सुरक्षित और कुशल अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग उद्योग पर निर्भर करता है, जो कि स्थायी रूप से भविष्य में हरित आर्थिक विकास के किसी भी कार्यक्रम का एक अनिवार्य घटक है। आँकड़ों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग उद्योग, विश्व भर में आम लोगों और समुदायों के लिये वैश्विक व्यापार का 80 प्रतिशत से अधिक परिवहन करता है।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

गोवा में 20-28 नवंबर को आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के 51वें संस्करण को अगले वर्ष जनवरी माह तक के लिये स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में सूचना देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि महोत्सव को स्थगित करने के निर्णय देश में कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के तीव्र प्रसार के मद्देनज़र लिया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (International Film Festival of India-IFFI) की शुरुआत वर्ष 1952 में की गई थी, पहली बार इस महोत्सव का आयोजन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संरक्षण में भारत सरकार के फिल्म डिविज़न द्वारा की गई थी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) का उद्देश्य फिल्म बनाने की कला की उत्कृष्टता को प्रस्तुत करने के लिये एक साझा मंच प्रदान करना है।

एस.पी. बालासुब्रमण्यम

गायक-अभिनेता एस.पी. बालासुब्रह्मण्यम (S.P. Balasubrahmanyam) का 74 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया है। एस.पी. बालासुब्रह्मण्यम को भारतीय संगीत में उनके अद्वितीय योगदान के लिये पहचाना जाता था। उल्लेखनीय है कि उन्होंने उन्होंने 40,000 से अधिक गानों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में गाने के अलावा एस.पी. बालासुब्रमण्यम ने कई फिल्मों में अभिनय भी किया था। एस.पी. बालासुब्रमण्यम का जन्म 04 जून, 1946 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के पास एक रूढ़िवादी तेलुगु परिवार में हुआ था। एस.पी. बालासुब्रमण्यम ने फिल्मों में अपने संगीत कैरियर की शुरुआत 15 दिसंबर, 1966 में की थी। अपने संपूर्ण फिल्मी कैरियर में उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में कुल 40,000 से अधिक गाने गाए। अपने पाँच दशक से भी लंबे करियर में एस.पी. बालासुब्रमण्यम ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेबेक सिंगर के लिये छह बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कुल 25 बार नंदी पुरस्कार प्रदान किया गया था। नंदी पुरस्कार तेलुगु सिनेमा, थिएटर और टीवी के लिये आंध्र प्रदेश सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। भारत सरकार ने भी एस.पी. बालासुब्रमण्यम को वर्ष 2001 में पद्म श्री और वर्ष 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) के 79वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि 'CSIR कोरोना वायरस के विरुद्ध जंग में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास (R&D) संगठन है। CSIR एक अखिल भारतीय संस्थान है जिसमें 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 दूरस्थ केंद्रों, 3 नवोन्मेषी परिसरों और 5 इकाइयों का एक सक्रिय नेटवर्क

नोट :

शामिल है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की स्थापना सितंबर 1942 में की गई थी और वर्तमान में यह संगठन रेडियो एवं अंतरिक्ष भौतिकी (Space Physics), समुद्र विज्ञान (Oceanography), भू-भौतिकी (Geophysics), रसायन, ड्रग्स, जीनोमिक्स (Genomics), जैव प्रौद्योगिकी और नैनोटेक्नोलॉजी से लेकर खनन, वैमानिकी (Aeronautics), उपकरण विज्ञान (Instrumentation), पर्यावरण अभियांत्रिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तक के व्यापक विषयों व क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। परिषद का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय महत्त्व से संबंधित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान करना है। इस संगठन की अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, जबकि संगठन का महानिदेशक (Director General) शासी निकाय के प्रमुख के तौर पर कार्य करता है।

संपर्क-विहीन आयकर अपील

हाल ही में आयकर विभाग ने संपर्क-विहीन आयकर अपील की शुरूआत की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, अब से आयकर की सभी अपीलें संपर्क-विहीन माध्यम से निपटाई जाएंगी। हालाँकि बड़े टैक्स घोटाले, कर चोरी, अंतर्राष्ट्रीय कर और कालेधन से संबंधित मामलों को पुराने तरीके से ही निपटाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपर्क-विहीन आयकर मूल्यांकन और करदाता अधिकार पत्र की घोषणा करते हुए कहा था कि यह सुविधा पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जन्म दिवस से शुरू की जाएगी। इस सुविधा से करदाता अथवा उनके वकील और आयकर विभाग के बीच किसी तरह का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होगा। करदाता अपनी सुविधा के अनुसार आवश्यक सूचना को आयकर विभाग को डिजिटल माध्यम से भेज सकते हैं। इसके अंतर्गत प्रस्तावित आदेश एक शहर में तैयार किया जाएगा, जबकि इस पर विचार दूसरे शहर में किया जाएगा जिससे आदेश की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकेगी। इस सुविधा से आयकर विभाग को पारदर्शी, उत्तरदायी और कार्यकुशल बनाने में मदद मिलेगी। अभी तक लगभग चार लाख 60 हज़ार आयकर अपील लंबित हैं जिनमें से 88 प्रतिशत अपील संपर्क-विहीन माध्यम से निपटाई जा सकती हैं।

डॉ. इशर जज अहलूवालिया

देश की जानी-मानी अर्थशास्त्री डॉ. इशर जज अहलूवालिया (Isher Judge Ahluwalia) का 74 वर्ष की उम्र में ब्रेन कैंसर के साथ 10 माह की लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया है। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसीडेंसी कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक और फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में ही मास्टर डिग्री हासिल की थी। उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की और कुछ समय बाद वे भारत वापस लौट आईं। भारत में उन्होंने तकरीबन 15 वर्षों तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (ICRIER) में निदेशक और अध्यक्ष के तौर पर कार्य किया। वर्ष 2009 में उन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिये राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लीनिकल रजिस्ट्री

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस (COVID-19) के लिये भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लीनिकल रजिस्ट्री (National Clinical Registry) का शुभारंभ किया है। यह वैक्सीन वेब पोर्टल भारत और विदेशों में कोरोना वायरस के लिये वैक्सीन के विकास से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। वहीं राष्ट्रीय क्लीनिकल रजिस्ट्री, भारत में नैदानिक और प्रयोगशाला जाँच, उपचार, प्रबंधन नवाचार और अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों आदि से संबंधित आँकड़े एकत्र करेगी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस (COVID-19) से संबंधित वैक्सीन के बारे में जानने के लिये लोग काफी अधिक उत्सुक हैं, इसलिये वैक्सीन के विकास के बारे में सभी जानकारी पारदर्शी तरीके से प्रदान की जानी काफी महत्त्वपूर्ण हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत में कुल तीन COVID -19 टीकों के नैदानिक परीक्षण किया जा रहा है, जो कि अलग-अलग चरणों में है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की जा रही कोविशील्ड (Covishield) वैक्सीन भारत में अपने तीसरे और अंतिम चरण में है, और भारत में इसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है।

ईश्वर चंद्र विद्यासागर

26 सितंबर, 2020 को देश भर में समाज सुधारक और शिक्षाविद ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 200वीं जयंती मनाई गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर, 1820 को पश्चिम बंगाल के एक गाँव में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे कलकत्ता चले गए और वहाँ वर्ष 1829 से वर्ष 1841 के बीच संस्कृत विश्वविद्यालय से वेदांत, व्याकरण, साहित्य, अलंकार शास्त्र और नीतिशास्त्र में निपुणता हासिल की, इस

नोट :

दौरान वर्ष 1839 में उन्हें संस्कृत और दर्शन में विशेषज्ञता के लिये विद्यासागर की उपाधि दी गई। विद्यासागर का शाब्दिक अर्थ है 'ज्ञान का महासागर'। इक्कीस वर्ष की आयु में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत विभाग के प्रमुख के रूप में शामिल हो गए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाली शिक्षा प्रणाली में क्रांति लाने और बंगाली भाषा को लिखने और सीखने के तरीके का विकास करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी बंगाली पुस्तक 'बोर्नो पोरिचोय' को आज भी बंगाली अक्षर सीखने के लिये एक परिचयात्मक पुस्तक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह उनके अथक संघर्ष का ही परिणाम था कि भारत की तत्कालीन सरकार ने वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। अन्य समाज सुधारकों के विपरीत ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज को भीतर से बदलने की कोशिश की और इसी का परिणाम था कि बंगाल के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण समाज में विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत हुई। 29 जुलाई, 1891 को 70 वर्ष की उम्र में कलकत्ता में उनका निधन हो गया।

राजस्थान में शहरी विकास के लिये ADB का ऋण

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के बुनियादी ढाँचे और सेवाओं के वित्तपोषण के लिये 300 मिलियन डॉलर (लगभग 2,200 करोड़) के ऋण को मंज़ूरी दी है। इस परियोजना से राजस्थान के 14 शहरों के तकरीबन 5.7 लाख लोगों के लिये बेहतर जलापूर्ति संबंधी सेवाएँ सुनिश्चित की जा सकेंगी, साथ ही लगभग 7.2 लाख लोगों के लिये स्वच्छता संबंधी सेवाएँ उपलब्ध की जा सकेंगी। इस परियोजना में राजस्थान के केवल उन्ही शहरों को शामिल किया गया है, जहाँ की आबादी तकरीबन 20,000 से एक लाख तक है। यह परियोजना स्थानीय सरकारों और राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ADB के तकनीकी समर्थन के साथ स्थापित एक कॉर्पोरेट इकाई) की संस्थागत क्षमता को मज़बूत करने में मदद करेगी। यह परियोजना कौशल प्रशिक्षण, इंटर्नशिप कार्यक्रम और सामुदायिक सहभागिता तथा जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं और वंचित वर्ग के लोगों को भी सहायता प्रदान करेगी।

टाइम मैगज़ीन: 100 प्रभावशाली लोगों की सूची

विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगज़ीन (TIME Magazine) ने हाल ही में विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है। वर्ष 2020 के लिये टाइम मैगज़ीन की इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रहीं 82 वर्ष की बिल्किस बानो (Bilkis Bano) को भी शामिल किया गया है। अभिनेता आयुष्मान खुराना भारत के एकमात्र अभिनेता हैं जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा टाइम मैगज़ीन की सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडेन (Joe Biden) को भी शामिल किया गया है। अमेरिकी साप्ताहिक समाचार पत्रिका टाइम (TIME) द्वारा जारी की जाने वाली इस वार्षिक सूची में अग्रणी नेताओं, अभिनेताओं और प्रतिष्ठित लोगों को शामिल किया जाता है, जिन्होंने किसी न किसी रूप में समाज को प्रभावित किया है।

राष्ट्रीय जाँच अभिकरण

हाल ही में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency- NIA) की तीन अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और राँची में स्थापित करने की मंज़ूरी दी है। ध्यातव्य है कि भारत सरकार के इस निर्णय से देश की प्रमुख आतंकवाद-रोधी जाँच एजेंसी द्वारा इन राज्यों में किसी भी उभरती हुई स्थिति पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह निर्णय आतंकवाद से संबंधित मामलों और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों की जाँच में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) की क्षमता को मज़बूत करेगा। इसके अतिरिक्त यह निर्णय गंभीर अपराधों से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी और साक्ष्य को समय रहते संग्रहित करने की सुविधा भी प्रदान करेगा। वर्तमान में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) की कुल नौ शाखाएँ हैं, जो कि गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू, कोलकाता, हैदराबाद, कोच्चि, लखनऊ, रायपुर और चंडीगढ़ में स्थित हैं, इसके अलावा इस विशेष सुरक्षा इकाई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका वास्तविक नाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है, जिसे आमतौर पर राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) के नाम से जाना जाता है। इसका गठन राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था। इस एजेंसी का मुख्य उद्देश्य भारत में आतंकवाद का मुकाबला करना भी है। इस प्रकार यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है।

ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर

भारतीय राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू और महिला फुटबॉल टीम की मिडफील्डर संजू यादव को पुरुषों तथा महिलाओं की श्रेणी में वर्ष 2019-20 सत्र के लिये 'ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर' के रूप में चुना गया है। यह पहली बार है जब पंजाब में जन्मे गुरप्रीत सिंह संधू को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर (AIFF) का वार्षिक पुरस्कार मिला है, जिसके साथ वे यह

नोट :

सम्मान पाने वाले देश के दूसरे गोलकीपर बन गए हैं, उससे पहले वर्ष 2009 में सुब्रत पाल (Subrata Pal) को यह पुरस्कार मिला था। इस पुरस्कार का गठन वर्ष 1992 में किया गया था। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) भारत में फुटबॉल का शासी निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1937 में शिमला स्थित सेना मुख्यालय में हुई थी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर (AIFF), एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) के संस्थापक सदस्यों में से एक है।

डॉ. पी. डी. वाघेला

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. पी. डी. वाघेला को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, उनकी नियुक्ति कुल तीन वर्ष के कार्यकाल अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक की गई है। वर्ष 1986 के गुजरात-कैडर के IAS अधिकारी डॉ. पी. डी. वाघेला भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के वर्तमान अध्यक्ष आर.एस. शर्मा का स्थान लेंगे, जो कि जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। डॉ. पी. डी. वाघेला वर्तमान में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल्स विभाग (DoP) के तहत सचिव के पद पर कार्यरत हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) भारत में दूरसंचार व्यवसाय का स्वतंत्र नियामक है और इसकी स्थापना दूरसंचार सेवाओं तथा टैरिफ को विनियमित करने के लिये संसद के एक अधिनियम द्वारा 20 फरवरी, 1997 को की गई थी। यह संस्था भारत में दूरसंचार के क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों के लिये नियामक अर्थात् उनके नियमन और देख-रेख का काम करती है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल

एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, संगठन की मानवाधिकार संबंधी कार्यवाहियों के कारण उसे भारत के कार्यों को रोकने के लिये मज़बूर होना पड़ा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि सरकार ने भारत में उसके बैंक खाते फ्रीज़ कर दिये हैं और इसके सभी अभियान तथा शोध कार्यों को निलंबित कर दिया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, संगठन ने सभी अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय कानूनों का अनुपालन किया है, इसके बावजूद भी यह कार्यवाही की गई है। संगठन के मुताबिक सरकार की यह कार्यवाही मुख्य तौर पर पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों को लेकर संगठन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के संबंध में की गई है। ध्यातव्य है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बीते दिनों अपनी एक रिपोर्ट में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों के दौरान पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के सभी आरोपों की स्वतंत्र जाँच करने की मांग की थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) लंदन स्थित एक गैर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में पीटर बेन्सन नामक एक ब्रिटिश वकील द्वारा की गई थी। इसे वर्ष 1977 में 'अत्याचारों के विरुद्ध मानवीय गरिमा की रक्षा करने' के लिये नोबेल शांति पुरस्कार और वर्ष 1978 में मानव अधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

शेखर कपूर

सुविख्यात फिल्म निर्माता शेखर कपूर को पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) सोसाइटी का अध्यक्ष और संस्थान के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, 74 वर्षीय फिल्म निर्माता शेखर कपूर का कार्यकाल 3 मार्च, 2023 तक रहेगा। 6 दिसंबर, 1945 को पाकिस्तान के लाहौर में जन्मे फिल्म निर्माता शेखर कपूर को मुख्य तौर पर एलिज़ाबेथ (1998), बैंडिट क्वीन (1994) और द फोर फेदर्स (2002) जैसी फिल्मों के लिये जाने जाता है। शेखर कपूर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष बी.पी. सिंह का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) की सामान्य सभा (General Assembly) में नियुक्त किया गया है। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) की स्थापना वर्ष 1960 में भारत सरकार द्वारा पुणे के पूर्ववर्ती प्रभात स्टूडियो के परिसर में 'फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' के नाम से की गई थी, जो कि उस समय भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक विभाग था। वर्ष 1971 में इसका नाम बदलकर 'फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' (FTII) कर दिया गया, जो कि अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के तौर पर कार्य करता है, जिसका संचालन उसकी गवर्निंग काउंसिल और निदेशक द्वारा किया जाता है।

विश्व हृदय दिवस

हृदय रोगों, उनकी रोकथाम और उनके वैश्विक प्रभाव के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस (World Heart Day) का आयोजन किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना सर्वप्रथम वर्ष 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन (WHF) ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के साथ मिलकर की थी और यह दिवस सर्वप्रथम वर्ष 2000 में आयोजित किया

नोट :

गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा एकत्रित आँकड़ों के अनुसार, हृदय रोग (CVDs) के कारण प्रत्येक वर्ष लगभग 17.9 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार वैश्विक स्तर पर होने वाली कुल मौतों में 31 प्रतिशत मौतें हृदय संबंधी रोगों के कारण होती हैं। हृदय रोग (CVDs) संबंधी रोग मुख्य तौर पर तंबाकू, अस्वास्थ्यकर भोजन, शारीरिक गतिविधि के अभाव और शराब के अत्यधिक उपयोग के कारण उत्पन्न होते हैं। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य हृदय रोगों के संबंध में लोगों को शिक्षित करना है, ताकि तंबाकू के उपयोग, अस्वास्थ्यकर आहार और शारीरिक निष्क्रियता जैसे जोखिम वाले कारकों को नियंत्रित करके, हृदय रोग से होने वाली कम-से-कम 80 प्रतिशत मौतों को रोका जा सके।

सबाह अल अहमद

29 सितंबर, 2020 को कुवैत के शासक शेख सबाह अल अहमद का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 16 जून, 1929 को जन्मे शेख सबाह अल अहमद ने 29 जनवरी, 2006 को कुवैत के शासक या कुवैत के अमीर (Emir) का पद संभाला था, इससे पूर्व उन्हें वर्ष 2003 में उनके भाई और कुवैत के तत्कालीन अमीर, शेख जाबेर अल अहमद द्वारा कुवैत के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। शेख सबाह अल अहमद, अल सबाह वंश के 15वें शासक और कुवैत की आज़ादी के बाद 5वें शासक थे। इसके अलावा शेख सबाह अल अहमद वर्ष 1963 से वर्ष 1991 के बीच और फिर वर्ष 1992 से वर्ष 2003 के बीच कुवैत के विदेश मंत्री भी रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने 40 वर्षों के अनुभव के साथ शेख सबाह अल अहमद ने कुवैत की विदेश नीति को स्थापित करने और उसे आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें अरब जगत के प्रमुख राजनयिकों और वैश्विक मानवतावादी के रूप में सराहा जाता है। कुवैत में संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था अपनाई गई है और कुवैत का अमीर (Emir) राज्य का सम्राट तथा वहाँ का शासक होता है। कुवैत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कुवैत के अमीर (Emir) द्वारा की जाती है और फिर प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का चयन करता है।

विश्व रेबीज़ दिवस

रेबीज़ और इसके रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज़ दिवस (World Rabies Day) मनाया जाता है। यह दिवस फ्राँस के प्रसिद्ध जीवविज्ञानी लुई पाश्चर (Louis Pasteur) की पुण्यतिथि के अवसर पर 28 सितंबर को मनाया जाता है, जिन्होंने पहला रेबीज़ टीका विकसित किया था और रेबीज़ के रोकथाम की नींव रखी थी। वर्ष 2020 के लिये इस दिवस की थीम- 'एंड रेबीज़: कोलैबोरेट, वैसीनेट' (End Rabies: Collaborate, Vaccinate) रखी गई है। रेबीज़ एक विषाणु जनित रोग है। यह वायरस अधिकांशत: रेबीज़ से ही पीड़ित जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, आदि की लार में मौजूद होता है। आँकड़ों के अनुसार, मनुष्यों के लगभग 99 प्रतिशत मामलों में कारण कुत्ते का काटना शामिल होता है। पागल जानवर के काटने और रेबीज़ के लक्षण दिखाई देने की समयावधि चार दिनों से लेकर दो वर्ष तक या कभी-कभी उससे भी अधिक हो सकती है। इसलिये घाव से वायरस को जल्द-से-जल्द हटाना ज़रूरी होता है।

नोट :